अष्टम माला, खंड 14, अंक 12

सोमवार, 10 मार्च, 1986
19 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 24/9/86

मूल्य : चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। इसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा].

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 14, पांचवा सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 12, सोमवार, 10 मार्च, 1986/19 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 204, 205, और 210 से 214	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	25—288
तारांकित प्रश्न संख्या : 206, से 208, और 215 से 223	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1966 से 2045, 2047 से 2064, 2066 से 2107 और 2109 से 2172	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	288—291
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1985-86	291
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1983-84	292

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
जम्मू और कश्मीर राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता के सम्बन्ध में उद्घोषणा जारी करने के बारे में वक्तव्य	292
नियम 377 के अधीन मामले	293—296
(एक) राजस्थान के पाली जिले में आदिवासियों के उत्थान के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग	
श्री मूल चन्द डागा	293
(दो) बम्बई में आवास/गन्दी बस्तियां सफाई योजनाएं पूरा करने के लिये महाराष्ट्र सरकार को अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपये देने की मांग	
श्री शरद दिघे	293
(तीन) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों के कल-पुर्जे जोड़ने वाली एक इकाई लद्दाख क्षेत्र में स्थापित करने की मांग	
श्री पी० नामग्याल	294
(चार) हिमाचल प्रदेश में स्वान जल सरणीकरण परियोजना और शिवालिक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र दिये जाने की मांग	
प्रो०नारायण चन्द पराशर	294
(पांच) बिहार के पूर्णिया जिले के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग	
श्रीमती माधुरी सिंह	295
(छह) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और बाराबंकी जिले के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये वहां का सर्वेक्षण कराने तथा योजनायें तैयार कराने की मांग	
श्री निर्मल खत्री	295

विषय	पृष्ठ
(सात) सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी नागरिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग	
डा० जी० विजय रामाराव	296
(आठ) ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मलयेशिया और सिंगापुर में भारत यात्रा के इच्छुक भारतीय मूल के लोगों द्वारा वीसा प्राप्त करने की प्रणाली समाप्त करने की मांग	
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	296
बजट, (सामान्य), 1986-87—सामान्य चर्चा	296—378
श्री श्याम लाल यादव	297
श्री ब्रह्म दत्त	302
श्रीमती गीता मुखर्जी	306
श्री उमाकान्त मिश्र	311
डा० प्रभात कुमार मिश्र	314
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़	318
श्री अमल दत्त	321
श्रीमती बसव राजेश्वरी	330
श्री एच० एम० पटेल	333
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	339
श्री वाई० एस० महाजन	342
श्री के० एन० प्रधान	346
श्री राम पूजन पटेल	250
श्री एच० ए० डोरा	354
श्री अनूप चन्द शाह	356
श्रीमती माधुरी सिंह	258
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	361
श्री एम० आर० सैकिया	362
प्रो० के० वी० थामस	364

विषय	पृष्ठ
श्री अनादि चरण दास	367
श्री सोमनाथ रथ	369
श्री पीयूष तिरकी	373
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	375
श्री आर० जीवरत्नम	378
कार्य मंत्रणा समिति	379
21वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	379
देश के विभिन्न भागों में सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	379—399
श्री योगेन्द्र मकवाना	379

लोक सभा

सोमवार, 10 मार्च, 1986/19 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पेय जल के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

*204. श्री पी० आर० कुमारमंगलम† }
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सभी गांवों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिये एक प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"गांवों में पेय जल तथा जल प्रबन्ध" पर हाल ही में एक प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया गया है जिसका उद्देश्य देश में उपलब्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी निवेशों का उपयोग करके पूंजी प्रधान ग्रामीण पेय जल योजनाओं के लिए कम लागत वाले परन्तु उतने ही प्रभावकारी वैकल्पिक उपायों का पता लगाना है। प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य विभिन्न समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना तथा कम लागत वाली उचित प्रौद्योगिकी का विकास करना है ताकि क्षेत्र में इसे अपनाकर इन समस्याओं को दूर किया

जा सके। प्रौद्योगिकी विकास का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि कम लागत पर फ्लोराइड, लवणता तथा खारेपन, लौह एवं जीवाणुओं से दूषित जल को शुद्ध किया जाए तथा भूमिगत जल का सही उपयोग करके और पानी के बहाव को रोक कर भूमिगत जल की स्थिति को सुधारा जाए और परम्परागत जल संचयन और एकत्रीकरण ढांचों का विकास किया जाए तथा उचित उपाय करके इन जल स्रोतों को पेय जल हेतु स्वच्छ बनाया जाए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, 1983 के शुरू में जुलाई 1983 में एक अतारांकित प्रश्न सं० 64 के जवाब में बताया गया था कि पेय जल की सप्लाई राज्य का विषय है तथा छठी योजना अवधि में देश में पेय जल की कमी वाले सभी गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। वित्त मन्त्री के बजट भाषण में तथा कृषि मन्त्री द्वारा जारी की गई पुस्तक 'न्यू स्ट्रेटेजीज फार फाइटिंग पावर्टी थ्रू एग्रीकलचुरल एण्ड रूरल डेवलेपमेंट इन इण्डिया" में यह स्वीकार किया गया है कि पहचान किये गये 4.31 लाख समस्याग्रस्त गांवों में से केवल 1.92 लाख गांवों में ही पेय जल उपलब्ध कराया जा सका है।

क्या पेय जल के लिए यह प्रौद्योगिकी मिशन कम से कम सातवीं योजना अवधि में इस बात पर विचार किये बिना कि कोई गांव समस्याग्रस्त गांव है या नहीं सभी गांवों में पेयजल सुलभ कराएगा? या यह मिशन वास्तविक इरादों को पूरा न करके प्रौद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल करने वाला एक अन्य तरीका ही सिद्ध होगा?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, प्रौद्योगिकी मिशन सातवीं योजना में पेय जल उपलब्ध कराने में कई तरह से सहायक होगा। प्रस्ताव है कि सातवीं योजना के अन्त तक हर गांव में पेयजल का एक साधन होगा तथा गांव की सारी जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री उत्तम राठौड़ : पुरवों का क्या होगा?

सरदार बूटा सिंह : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या इसमें अध्यक्ष का क्षेत्र भी शामिल है?

सरदार बूटा सिंह : हम इसे राजस्थान में सीकर से शुरू कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। यह विशेष बर्ताव है। प्रोफेसर तथा आप इसे मंजूरी देंगे? यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें मंजूर है बशर्ते कि हमारे पुरवों को भी शामिल किया जावे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। नये प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत हैंड पम्पों को बदल दिया जाएगा, लेकिन हैंड पम्प भी तो उपलब्ध नहीं हैं। पेयजल की सप्लाई के रूप में आप किस तरह की प्रौद्योगिकी पर विचार कर रहे हैं?

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, नये प्रौद्योगिकी मिशन का लक्ष्य सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई करने के लिए कम लागत की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है। जहां कहीं उसी क्षेत्र में पानी का पता लगाना संभव नहीं होगा और जहां पाइप लाइन द्वारा पानी की व्यवस्था करना आवश्यक होगा वहां हम पाइप लाइन से भी पानी उपलब्ध कराएंगे। जहां संभव होगा वहां हैंड पम्पों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इसकी लागत ही कम नहीं है बल्कि इसका रख-रखाव भी आसान होता है और यह सारे गांव के लिए उपलब्ध होता है। जबकि पाइप लाइन व टोंटी से आने वाले पानी की सप्लाई कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है जिसके कारण कई बार गांव में समाज के कुछ वर्गों को पानी मिलना कठिन हो जाता है। हैंडपम्प को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु जहां पानी का स्तर इतना नीचा चला गया हो कि हमें कोई अन्य तरीका अपनाना आवश्यक हो तो वहां हम उस विकल्प को ही अपनाएंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मुझे विश्वास है कि सरकार को इस बात की जानकारी होगी कि सूची संख्या 1 और विशेष तौर पर सूची संख्या 2 में उल्लिखित समस्याग्रस्त गांवों में से बहुत से गांवों में फ्लोरिन तत्व संबंधी कठिनाई है। कुछ गांवों को विगत में नीदरलैंड से कुछ सहायता मिली थी पर आरम्भ की गई बहुत सी परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन गांवों के लोग बहुत परेशानी में हैं और इसका सबसे अधिक शिकार पशु हैं।

क्या माननीय मन्त्री बताएंगे कि क्या सरकार "गांवों में पेयजल तथा जल प्रबन्ध" संबंधी इस नये प्रौद्योगिकी मिशन को राज्यों को हस्तांतरित करेगी ताकि कम से कम समय में समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके ?

सरदार बूटा सिंह : मूलतः यह कार्यक्रम राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। हम केवल इस सीमा तक ही उनकी सहायता कर रहे हैं कि जहां राज्यों को सस्ती और कारगर प्रौद्योगिकी का पता लगाने में मुश्किल होती है वहां हम उनकी सहायता कर देते हैं। हमने रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं सहित देश के 7 या 8 प्रमुख संस्थान मिशन की सहायता के लिए उपलब्ध करा दिये हैं। इस मिशन की अध्यक्षता एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सचिव, ग्रामीण विकास करेंगे तथा पानी उपलब्ध कराने संबंधी अनुसंधान तथा पानी से उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों से संबंध रखने वाली सभी संस्थाएं इससे सम्बद्ध होंगी। हमारा प्रस्ताव है कि एक क्षेत्रीय व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें सभी राज्यों को शामिल किया जाए। हम उन्हें धनराशि उपलब्ध कराएंगे। राज्य योजना को कार्यान्वित करेंगे और हम प्राथमिकता उन गांवों को देंगे जो छठी योजना के अन्तर्गत नहीं आ सके क्योंकि प्राथमिकता उन गांवों को दी जायेगी जहां पेय जल का कोई साधन नहीं है। इस कार्य को पूरा करने के बाद हम सातवीं योजना के अन्त तक यह सुनिश्चित करेंगे कि देश में कोई भी गांव ऐसा न बचे जहां पेयजल की सप्लाई का एक भी साधन न हो।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां आबादी बहुत

घनी है और हैंड पम्प सिस्टम से वहां काम नहीं चलता है। अगर एक एक गांव में बीस-बीस हैंड पम्प भी लगाएं, तो भी काम नहीं चलता है। ऐसे सघन इलाके हरदोई और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में हैं जहां घनी आबादी है और पानी का स्तर बहुत नीचा है और ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाइप लाइन के बिना पानी पहुंचना सम्भव नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां आबादी घनी है और पानी का स्तर बहुत नीचा है और जहां हैंड पम्प से भी काम नहीं चल रहा है, उन क्षेत्रों में क्या प्राथमिकता के आधार पर पाइप-लाइन भेजकर पानी की सप्लाई करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : मैंने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया था कि जहां पाइप लाइन के बिना पानी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा, वहां हम पाइप लाइनों से पेयजल उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारा मुख्य जोर कम लागत की अधिक कारगर प्रौद्योगिकी पर है जो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में जल पहुंचा सकती है। माननीय सदस्य गांवों में अपर्याप्त जल सप्लाई की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें उन गांवों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्हें सप्ताह में एक दिन ही पानी मिलता है। स्वाभाविक है कि हम उन अधिक समस्याग्रस्त गांवों को प्राथमिकता देंगे जहां पानी उपलब्ध ही नहीं है। जहां अल्प मात्रा में पानी है वहां हम व्यवस्था कर लेंगे। प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जानी होगी जहां पानी बिल्कुल ही नहीं है। हमारा लक्ष्य यह है कि सातवीं योजना के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्र में हर एक को पेयजल उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमन राजस्थान चार साल से बराबर अकाल और सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा है और इस नई टैक्नोलौजी में अभी आपने एक बड़ा अच्छा शब्द निकाला है "मिशन"। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह "मिशन" आपने कब आरम्भ किया और इसके बारे में जो यह मालूम हुआ है कि इसमें खर्च कम होता है, तो यह "मिशन" आपने पहले क्यों नहीं शुरू किया और जहां-जहां इसका प्रयोग हुआ है, वहां क्या-क्या लाभ हुए और कितना खर्च पहले से अब कम होता है ?

सरदार बूटा सिंह : जो अब तक नहीं हो सका, यही तो कारण है कि हमने यह मिशन बनाया। अगर वह पहले जैसा चल रहा था तो मिशन की जरूरत ही नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : यह और कहिये कि हरेक चीज की पहल कभी न कभी तो होती है।

सरदार बूटा सिंह : सही बात है।

श्री मूल चन्द डागा : यह कब मालूम हुआ और यह टैक्नोलाजी मिशन कब शुरू हुआ ?

सरदार बूटा सिंह : एक प्रोजेक्ट डाक्यूमेंट फार टैक्नोलाजी मिशन फाइनेलाइज हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट डाक्यूमेंट को हम सभी विभागों और सभी मंत्रालयों में बैठकर जल्दी चर्चा कर इस मिशन को लांच करने जा रहे हैं। इसकी पूरी अवधि 4 साल है। डेट आफ कमैंसमैंट इसी महीने मार्च 86 है और इसका समापन मार्च 90 में हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : विवरण में कहा गया है कि "मिशन आरम्भ किया गया है।" यह गलत है।

प्रो० मधु दंडवते : मौखिक उत्तर से लिखित उत्तर रद्द हो जाता है।

[हिन्दी]

खनिजों संबंधी रायल्टी की दरों में संशोधन

*205. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों के मूल्यों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप रायल्टी की दरों में नियमानुसार अपेक्षित वृद्धि अभी तक नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) रायल्टी की दरों में कब तक संशोधन करने का विचार है; और

(घ) ऐसा करने पर राजस्व में कितनी वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है ?

[अनुवाद]

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने प्रधान खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन के प्रश्न पर विचार के लिए नवम्बर, 1984 में एक अध्ययन दल गठित किया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1985 में दे दी है। अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि रायल्टी दरों में संशोधन के फलस्वरूप राजस्व में कितनी वार्षिक वृद्धि होगी।

श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगी कि रायल्टी की दरों में अन्तिम बार संशोधन कब किया गया था तथा (2) भारत सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल के विचारणीय विषय क्या थे ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : रायल्टी की दरों में पिछली बार जुलाई, 1981 में संशोधन किया गया था। इसमें लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, मैग्निसाइट शामिल नहीं थे। तांबा और लौह अयस्क की रायल्टी दरों में पिछली बार संशोधन जून, 1978 में तथा मैंगनीज अयस्क और मैग्निसाइट में क्रमशः जनवरी, 1979 और फरवरी, 1979 में किया गया था।

अध्ययन दल के विचारणीय विषय निम्नलिखित थे :—

(एक) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में दिए खनिजों की—संचय हेतु कोयला, लिगनाइट और रेत को छोड़कर, क्योंकि इनकी रायल्टी की दरों का निर्धारण कोयला मन्त्रालय करता है—रायल्टी की मौजूदा दरों पर पुनर्विचार करना;

(दो) खनिज उत्पाद, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना, निर्यात, राज्य के राजस्व पर प्रभाव तथा खनिज विकास से संगत अन्य बातों को ध्यान में रखकर उनमें संशोधन के लिए सिफारिश करना;

(तीन) कुछ राज्य सरकारों द्वारा खनिजों के सम्बन्ध में लगाए जाने वाले खनिज अधिकार कर तथा उप-कर पर विचार करना तथा खनिज विकास की दृष्टि से उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना; तथा

(चार) अप्रचलित दरों वाले किराये में संशोधन के प्रश्न पर विचार करना।

श्री प्रताप भानु शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने मौजूदा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विभिन्न सुझाव दिए हैं और क्या भारत सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन करने के लिए सुझाव दिये हैं और इन सुझावों पर अच्छी तरह विचार किया गया है तथा खान विभाग इसी सत्र में सभा में एक व्यापक संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए तैयारी कर रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मन्त्री जी इस तथ्य से परिचित हैं कि महाराष्ट्र में कोंकण के पिछड़े क्षेत्र में खानों की रायल्टी से सम्बन्धित प्रश्न को इन मन्त्री जी के, इनके पूर्ववर्ती के, इनके पूर्ववर्ती के भी पूर्ववर्ती; और उनके भी पूर्ववर्ती के ध्यान में लाया गया और यह समस्या काफी लम्बे समय से अनसुलझी पड़ी है ? क्या मैं आशा करूं कि शीघ्र ही इस समस्या को हल किया जायेगा तथा समाधान निकाला जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मुझे सही मालूम नहीं कि महाराष्ट्र के

किसी भी भाग में रायल्टी की पृथक दर लागू होती है। अतः यह उस बृहत प्रश्न का एक अंग है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और यह पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि अध्ययन दल की रिपोर्ट आ गई है, इस प्रश्न का उत्तर भी पहले उत्तर में सम्मिलित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : थोड़ी हद तक यह आपके भाग पर लागू होता है।

श्री के० राममूर्ति : *रायल्टी के प्रश्न के अतिरिक्त, खनन पट्टे के नवीनीकरण हेतु* खनन नियमों में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न निर्णय ले रही हैं। यह उद्योग के लिए उचित या अनुकूल नहीं है। पिछले वर्ष इस्पात और खान मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैंने कहा कि खनन के पट्टों के नवीनीकरण या लाइसेंस जारी करने के लिए हमें एक समरूप नीति की आवश्यकता है।

तमिलनाडु में, बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में से एक है। तमिलनाडु सरकार उनके पट्टे के नवीनीकरण के लिए मना कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए कुछ निश्चित निर्देश या नियम बनाये जाने चाहिए और साथ ही लाइसेंसों का स्वतन्त्र और सही ढंग से नवीनीकरण किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि खनन नियमों में ऐसा संशोधन या उचित संशोधन कब किये जाएंगे। यह उद्योग की एक बहुत जोरदार मांग है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि खनन नियमों में कब उचित संशोधन किये जाएंगे।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : संशोधनों के सम्बन्ध में मैं पहले ही उत्तर दे चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर वही है।

श्री के० आर० राममूर्ति : महोदय, जो उत्तर उन्होंने दिया उसे समझने में मैं असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर (मैसूर) : 1980 में रायल्टी के निर्धारण के बाद, प्रतिशत वृद्धि ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रायल्टी के विषय में दूसरा प्रश्न।

(व्यवधान)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैंने सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह बीच में ही खो गया।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अन्तिम बार

रायल्टी के निर्धारित किये जाने के बाद खनिजों के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ? मैं उसको जानना चाहूंगा।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : अध्ययन दल ने विचार करते समय प्रत्येक बात को ध्यान में रखा है और अधिकतर राज्यों को अध्ययन दल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अत: इस समय मैं कुछ भी नहीं बता सकती। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह इतना सरल उत्तर नहीं है। कई प्रकार के खनिज हैं। दरें भिन्न-भिन्न हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : लगभग पचास खनिज हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी···अनुपस्थित

श्री चित्त महाता···अनुपस्थित

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही···अनुपस्थित

प्रो० पी० जे० कुरियन···अनुपस्थित

यह तो एक "तिकड़ी" से भी अधिक है।

शताब्दी के अन्त में इस्पात की कमी

*210. **श्री अनिल बसु** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस शताब्दी के अन्त में इस्पात की कमी होने का पूर्वानुमान है, यदि हां, तो इस्पात की कितनी कमी होगी; और

(ख) इस्पात की कमी के पूर्वानुमान को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्रों के लिए धन के आवंटन में कमी करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) योजना आयोग द्वारा गठित, लोहा और इस्पात के बारे में कार्यकारी दल ने 1999-2000 ई० के दौरान देश में तैयार साधारण इस्पात की सम्भावित मांग और उपलब्धता के बीच लगभग 52.6 लाख टन का अन्तर पाया है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 4320 करोड़ रुपये का वास्तविक परिव्यय रखा गया था जबकि सातवीं योजना में 5930 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। समग्र उपलब्ध संसाधनों के आधार पर योजनागत आवंटन किया गया है।

श्री अनिल बसु : माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जब हम 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे तो उस समय 5.26 मिलियन टन इस्पात की कमी होगी। उक्त कथन को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन देगी जिससे उनका उत्पादन बढ़े और पर्याप्त मात्रा में आबंटन करेगी ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उत्पादन बढ़ाने के बजाय सरकार निजी क्षेत्र को इस्पात के उत्पादन में, प्रमुख क्षेत्र में, भाग लेने को कह रही है, और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह वर्ष 1'86 है, और मैंने शताब्दी के अन्त में जो कमी होगी वह बताई है। जिसके विषय में मेरे माननीय मित्र ने पूछा था, बीच में 14 वर्ष का समय है। ऐसी बात नहीं है कि यह अन्तर बना रहेगा। हम इसको पाट देंगे, जिस सीमा तक सार्वजनिक क्षेत्र इसको भर सकता है, वह इसको अवश्य भर देगा। उसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में टिस्को है, जो कि पहले से ही इस्पात का उत्पादन करने वाला एक समन्वित इस्पात संयंत्र है। कुछ लघु इस्पात संयंत्र हैं। वे पहले से ही विद्यमान हैं। हमें देखना होगा कि क्या इन छोटी इकाइयों को इधर-उधर ले जाने से भी फायदा होगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के संमन्वित इस्पात संयंत्र की कीमत पर नहीं होगा।

श्री अनिल बसु : क्या यह सच है कि विजाग इस्पात कारखाने में भारी निवेश के बावजूद इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत 1000/- रुपये के आस-पास होगी ? यदि हां, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह देश के आर्थिक विकास में योगदान देगा जैसा कि दीर्घकालीन वित्त नीति में जोर देकर कहा गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विजाग इस्पात कारखाने की पूंजी लागत निस्सन्देह काफी अधिक है और देश के अन्य इस्पात कारखानों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अतः इससे इस्पात कारखानों पर यह दायित्व आ जाता है कि वे कार्यकुशलता के एक अत्यन्त उच्च स्तर पर कार्य करें जिससे कि लागत नीची रहे और कारखाना आर्थिक रूप से लाभकर बन सके। अतः असल बात यह है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विजाग इस्पात कारखाने को पूरा करना है और दूसरे, इसकी कार्यकुशलता के अत्यन्त ऊंचे स्तर पर चलाना है। केवल तभी यह कारखाना एक लाभकर कारखाना बन सकेगा और मुझे पूरी आशा है कि जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनसे कारखाना लाभकर बन सकेगा और तब यह न केवल देश के आर्थिक विकास में योगदान देने में समर्थ होगा, बल्कि यह एक लाभकर इकाई भी होगी।

श्री अनिल बसु : प्रति टन उत्पादन लागत के विषय में बताइये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रति टन उत्पादन लागत का उचित समय पर आकलन किया जायेगा। हम एक विकल्प की जांच कर रहे हैं।

(व्यवधान)

क्या माननीय सदस्य उत्तर जानना चाहते हैं ? यदि हां, तो वे कृपया सुनें। पहले एक निश्चित

क्षमता का निर्धारण किया गया था। अब पूंजी लागत में महत्वपूर्ण कमी के साथ क्षमता में थोड़ी सी कमी की गई है जिससे कि उत्पादन लागत में कमी की जा सके। इसीलिए मैं इसी समय आंकड़े नहीं देना चाहता।

श्री सोमनाथ रथ : इस्पात उत्पादन में गिरावट के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए क्या सरकार उड़ीसा में दैतारी इस्पात कारखाने के निर्माण को हाथ में लेगी जहां कि अयस्क पर्याप्त मात्रा में है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे खेद है कि सातवीं योजना में इस परियोजना के लिए केवल 5 करोड़ रुपये हैं। इस प्रकार मेरे मित्र इस बात को समझ सकते हैं; एक समन्वित इस्पात कारखाने के लिए 5 करोड़ रुपये से कोई खास काम नहीं किया जा सकता है।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सरकार जानती है कि कर्नाटक के लोग इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी, विजयनगरम् इस्पात कारखाने के लिए एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की गई है। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या वे इस कारखाने को स्थापित करना चाहते हैं या उन्होंने इस कारखाने की योजना को ताक पर रख दिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विजयनगरम् के लिए भी 2 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह बिल्कुल उतनी ही धनराशि है। संसाधनों की समस्या से मेरे मित्र भली भांति परिचित है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि सभा इस बात से सहमत होगी कि जब संसाधन सीमित हैं तो विजाग को पूरा करना ज्यादा अच्छा है। बजाय इसके कि विजाग को भी एक लम्बी अवधि तक लड़खड़ाती हुई स्थिति में रखा जाये भले ही इसके लिए नये कारखानों को स्थगित क्यों न करना पड़े।

श्री एच० ए० डोरा : क्या यह सच है कि विजयनगर इस्पात कारखाने की उत्पादन लागत को देखते हुए सरकार विजयनगर इस्पात कारखाने में दक्षिण कोरिया की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने जा रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने अवश्य कहा कि विजय नगर इस्पात कारखाने में हमें बहुत उच्च स्तर के तकनीकी कार्य निष्पादन को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। कोरिया ने भी इस्पात संयंत्र में बहुत उच्च स्तर का तकनीकी निष्पादन प्राप्त किया है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है यह कोरिया की प्रौद्योगिकी नहीं है। यह निष्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रश्न है और निश्चय ही हम प्रारम्भ से ही ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे।

सरकार द्वारा फीचर फिल्मों का निर्माण

*211. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे विषयों और कथा-वस्तुओं पर, जिन पर गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं ने अभी तक कोई फीचर फिल्म नहीं बनाई है, सरकार की फीचर फिल्में बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार फीचर फिल्मों का निर्माण नहीं करती। तथापि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, उपयुक्त मामलों में फिल्मों के निर्माण के लिए वित्त अवश्य देता है।

श्री शान्ताराम नायक : फीचर फिल्म संचार का एक सशक्त साधन है। निःसंदेह सरकार ने कतिपय राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों के जीवन पर कुछ वृत्त चित्र बनाये हैं। परन्तु इन वृत्त चित्रों से उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि फीचर फिल्मों से पड़ता है। अतः मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि क्या वह भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी पर "इन्दिराज इण्डिया" (इन्दिरा का भारत) या किसी और शीर्षक से एक पूरी फीचर फिल्म बनाने के सुझाव पर विचार करेंगे, आप इस बात को तो देख ही चुके हैं कि प्राइवेट फिल्म निर्माता गड़बड़ी करते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : यह सुझाव कार्यवाही करने के लिए है। जैसा कि मैंने कहा है कि भारत सरकार या मन्त्रालय स्वयं किसी प्रकार की फीचर फिल्में नहीं बनाता है। अगर कोई फिल्म बनानी भी पड़े तो यह राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किसी के सहयोग से ही बनाई जाती है।

श्री शांताराम नायक : क्या इस परियोजना पर विचार करने के लिए आप राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से अनुरोध करेंगे ?

श्री वी० एन० गाडगिल : इस तरह के प्रस्ताव में बहुत सी बातों पर विचार करना होता है। उदाहरण के लिए, पंडित जवाहर लाल नेहरू पर एक फिल्म बनाई गई थी। सम्भवतः आपको ज्ञात होगा कि 'डिस्कवरी आफ इंडिया आफ पंडित जी' पर धारावाहिक फिल्म बनाने का कार्य श्री श्याम बेनेगल को दिया गया है जिसमें पांच हजार वर्षों के इतिहास का चित्रण किया गया है। यह ऐसी परियोजना नहीं है जिसे एक या दो दिन में किया जा सकेगा। इस पर सावधानीपूर्वक अध्ययन करना पड़ेगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे आशा है कि मन्त्री जी इस बात से सहमत होंगे कि अधिकांश फीचर फिल्मों में, जो कि प्राइवेट निर्माताओं द्वारा बनाई जाती हैं, हमारे देश का सही चित्रण नहीं होता है तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा जो फिल्में बनाई गई हैं वे बहुत ही उच्च श्रेणी की हैं और उन्हें आम जनता को नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि प्राइवेट वितरक उन्हें स्वीकार करने के लिए

तैयार नहीं हैं । इसलिए ये लोग कभी-कभी इन फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाते हैं परन्तु ये आम जनता तक नहीं पहुंचती हैं । क्या सरकार का उन फीचर फिल्मों को बनाने का कोई प्रस्ताव है जिनका मैंने जिक्र किया है तथा कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा अन्य निर्माताओं द्वारा बनाई गई फिल्मों को, जिनमें इस देश का सही चित्रण होता है, कोई बड़ा प्रेक्षागृह बना करके या उनको कोई और सुविधा देकर लोगों को दिखाया जा सके ।

श्री वी० एन० गाडगिल : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सिनेमा राज्य का विषय है सिवाय सेन्सरशिप सेन्सर बोर्ड के। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का कार्य है अच्छी फिल्मों को वित्तीय सहायता देना । जहां तक थियेटर बनाने का सम्बन्ध है थियेटर निर्माण के लिए ऋण देने की व्यवस्था है । तीसरी बात है जिसकी हमने शुरूआत की है तथा जिसका आपने जिक्र किया है यह है कि पहले दूरदर्शन को कुछ पैसा देना होता था । अब हमने एक प्रणाली आरम्भ की है कि अगर कोई गम्भीर या कलात्मक फिल्म बनाई जाती है जो वाणिज्यिक रूप से चाहे सफल न हो अगर इसे हमें प्रीमियर शो के रूप में टेलीविजन पर दिखाने के लिए दिया जाता है । तो हम इसे दूरदर्शन पर दिखाने का विचार करते हैं तथा इसके लिए 8 लाख रुपया देते हैं । एक और चीज जो हमने शुरू की है वह है टेलिफिल्म । ऐसा प्रतीत होता है कि आम दर्शक भी आजकल 2 या $2\frac{1}{2}$ या तीन घंटे की फिल्म देखना पसंद नहीं करता, अतः 90 मिनट की फिल्म जो उच्च कोटि की कलात्मक तथा सिनेमा स्तर की टेलिफिल्म कही जाती है, पर भी विचार किया गया है और इस प्रकार की तीन या चार टेलिफिल्में दिखाई भी जा चुकी हैं यह उद्योग प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में है तथा सरकार स्वयं निर्माण नहीं करती है । ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिये हम फिल्मों के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश करते हैं ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, इन दिनों सम्पूर्ण देश राष्ट्रीय अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव की चुनौती का सामना करने के लिए उत्सुक है । इस उद्देश्य के लिए संत हरचंद सिंह लोंगोवाल ने अपने जीवन को बलिदान किया । क्या सरकार देश की एकता, अखण्डता तथा सद्भाव के लिए किए गए उनके योगदान की, स्मृति में उनके जीवन पर एक फिल्म बनाने का विचार करेगी ।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, कार्यवाही करने के लिए यह सुझाव है परन्तु मैं सदन को उन प्रयासों के बारे में बताऊंगा जो हमने अच्छी फिल्में बनाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से किये हैं । इस तरह की फिल्मों में हमने शत प्रतिशत वित्त मुहैया कराया है । मैं ऐसी ही दो या तीन फिल्मों का नाम बताऊंगा । ये फिल्में इस प्रकार हैं; आदि शंकराचार्य, गोदान तथा सत्यजीत रे की घरे बाहरे ।

प्रो० मधु० दण्डवते : दूरदर्शन के लिए एटनबरो की गांधी फिल्म को क्यों नहीं लिया गया ? यह बहुत ही लोकप्रिय होगी ।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय इस वर्ष हम श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर की 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं । क्या सरकार का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से टैगोर के देश के प्रति विचार

तथा उपलब्धियों पर फिल्म बनाने के लिए कहने का विचार है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : यह भी एक सुझाव है। जिस पर कार्यवाही की जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मन्त्री जी ने दूरदर्शन पर अच्छी फिल्में दिखाने के बारे में बताया है। हमारे पास दो मामले हैं जिनके बारे में घोषणा की गई थी अर्थात 'राजीवज इन्डिया' तथा 'न्यू देहली टाइम्स' इतना इस बारे में इनका प्रचार किया गया कि उनको टेलीविजन पर दिखाया जाएगा परन्तु आखिरी क्षण इन्हें न दिखाने का फैसला किया गया। यह हमारे लिए एक रहस्य बनकर रह गया। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इनका चयन किसने किया था, इनका किस प्रकार चयन किया गया तथा इन्हें क्यों रद्द किया गया।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हम इसका उत्तर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसकी अनुमति दूंगा।

शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण हेतु विधान

*212. **श्री डी० के० नायकर** †
श्री रामस्वरूप राम } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कोई विधान पेश करने का है, जैसा कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण के मामले में किया गया है;

(ख) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्ति की गई है; यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) संसद में यह विधान कब पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 17-2-1976 को संसद द्वारा प्रवृत्त शहरी

भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 शहरी क्षेत्रों में रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है जो जम्मू तथा कश्मीर, केरल, नागालैण्ड, सिक्किम तथा तमिलनाडु के अलावा पहले ही सभी संघ राज्य क्षेत्रों एवं राज्यों में लागू है। तमिलनाडु में स्वयं का राज्य कानून है जो 14 मई, 1978 से लागू है।

(ख) तथा (ग) अधिनियम में कतिपय संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा 'सक्रिय विचाराधीन' ही क्यों कहते है यही क्यों नहीं कहते कि 'विचाराधीन' है।

श्री डी० के० नायकर : जैसा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं कि कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण कानून द्वारा किया गया था। तथा एक दफे जब माननीय मन्त्री जी मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा कानून को लागू करने की भरसक कोशिश की। आय में असमानता या असन्तुलन को दूर करने के सिद्धांत पर ही अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। इस प्रक्रिया से कृषकों की आय कम हो गई है तथा वे और अधिक निर्धन हो गये हैं। परन्तु जहां तक शहरी सम्पत्ति के मालिकों का सम्बन्ध है, वे स्वयं शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि खाली भूमि पर शहरी भूमि पर अधिकतम सीमा निर्धारित है, शहरी सम्पत्ति आय का साधन है तथा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास रिक्त भूमि नहीं है परन्तु वे शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं परन्तु उनके पास सम्पत्ति है जिससे उन्हें काफी अधिक आय होती है। कृषि भूमि की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित सिद्धांत के मामले में क्या मन्त्री जी मूल्य को आधार मानते हुए शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार करेंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री डी० के० नायकर : मैं नहीं जानता कि वह क्या कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दूरबोधी शक्ति नहीं है।

श्री डी० के० नायकर : माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अधिनियम में कतिपय संशोधन करना विचाराधीन है। परन्तु उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया है कि शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में वह किस प्रकार के संशोधन कर रहे हैं। क्या वह इसे स्पष्ट करेंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : यह मामला मन्त्रिमंडल तय करता है। जब मंत्रिमण्डल इसे तय कर लेगा तो तदनुसार इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय आपने 'विचाराधीन' तथा 'सक्रिय विचाराधीन' के बारे में पूछा है। यह प्रश्न एक बार 'यस मिनिस्टर में मिनिस्टर होकर' द्वारा पूछा गया था। सेक्रेटरी द्वारा जवाब दिया गया था कि 'विचाराधीन का अर्थ है फाइल खो गई है' तथा 'सक्रिय विचाराधीन' का अर्थ है कि सरकार उस फाइल को हासिल करने की कोशिश कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सिर्फ 'सक्रिय विचाराधीन' का सक्रिय उपयोग करने के बारे में चिंतित था।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, अरबन सीलिंग में ओरंगल, हैदराबाद या दिल्ली, सब जगह याडं बेसिस पर, गजों के आधार पर सीलिंग की गई है, जबकि वैल्यू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिल्ली का एक हजार गज, और हैदराबाद का एक हजार गज, इनकी वैल्यू में बहुत अन्तर है। इसलिए वैल्यू के आधार पर सीलिंग करने के लिए क्यों एक्टिव कंसीडरेशन नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : जैसे कपड़े के भाव में फर्क होता है, वैसे यहां भी फर्क होगा।

श्री अब्दुल गफूर : सीलिंग एक्ट बहुत ही कंप्लीकेटेड मैटर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, जरा ध्यान से सवाल करो।

श्री अब्दुल गफूर : इस कंप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए ही एक अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समिति की सिफारिशें क्या थीं, वे कब की गईं, और सरकार इन सिफारिशों पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लेगी ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यह समझा था कि आप यह पूछने वाले हैं कि लैंड सीलिंग लग गई है तो वैल्थ सीलिंग कब लगेगी, आपने पूछा ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल गफूर : हमने तो वह दिया कि सीलिंग एक्ट पास हो गया है, आलरेडी, अब इसमें कुछ (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न अंग्रेजी में पूछा गया था। कृपया अंग्रेजी में उत्तर दें।

श्री अब्दुल गफूर : यह अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। विभिन्न राज्यों ने कई मुश्किलों के बारे में अनेक शिकायतें की थीं और वे चाहते थे कि अधिनियम को सरल बनाया जाए। मैं पहले ही

आपको बता चुका हूं कि हम मामले पर विचार कर रहे हैं और मैंने सक्रिय शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि मैं इस पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने समिति की सिफारिशों के बारे में जिक्र किया था···

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन सी समिति ? ऐसी कोई समिति नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी साहब के दिमाग की उपज है, उसको तो सोचना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्होंने सोचा है तो गुनाह थोड़े ही किया है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया था, उसमें समिति का जिक्र था।

[हिन्दी]

श्री राम भगीना मिश्र : गांव में रहने वाले जो जमींदार थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई, उनके खेतों की सीलिंग कर दी गई कि इतनी जमीन नहीं रख सकते। जब वे शहर में आते हैं तो देखते हैं कि करोड़ों रुपए की दस-बारह मंजिलों की इमारतें बन रही हैं, तो आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कानून केवल गांवों में बसने वालों के ऊपर ही था या जो शहर में बसने वाले करोड़पति हैं जो करोड़ों रुपए की मंजिलें बना रहे हैं, उन पर भी लागू है, और यहीं तक नहीं जब वे घर बनाते हैं तो सरकार उनको कर्जा देती है जबकि गांव वालों को नहीं देती है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस तरह से गांव वालों पर खेत की पाबन्दी की गई क्या उसी तरह से शहर में भी आर्थिक पाबंदी की जायेगी या नहीं और गांव वालों को शहर वालों की तरह से कर्ज दिया जायेगा या नहीं।

श्री अब्दुल गफूर : यह तो आप जानते ही हैं कि सीलिंग एक्ट का जहां तक सवाल है, वह देहात में और शहर में भी लागू हुआ है। आपने कहा कि शहर में बड़ी-बड़ी इमारतें बनाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग गांवों के फायदे को नजरअन्दाज कर दें या कोई भी गवर्नमेंट उसको नजरअन्दाज कर दे। आप जानते हैं कि मकान बनाने के लिए भी उनको इमदाद दी जाती है। उनके रहने-सहने के लिए और फर्टिलाइजर आदि की व्यवस्था भी होती है। आप देखेंगे कि गांव वालों के लिए हम लोग कितने बेचैन हैं। बजट सैशन में भी आप देखेंगे कि सारे बजट का 65 परसेंट उन्हीं लोगों पर खर्च होने जा रहा है। आप यह नहीं कह सकते कि गांव वालों को नजरअन्दाज किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब छोड़िए, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री अब्दुल गफूर : जवाब तो कब का हो गया।

अध्यक्ष महोदय : सवाल पर सीलिंग लग गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

विज्ञापनों से दूरदर्शन को आय और उन पर खर्च

*213. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन को विज्ञापनों से प्रतिदिन कुल कितनी आय हो रही है और वर्ष 1985 में इसको विज्ञापनों से कितनी आय हुई थी;

(ख) कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रतिदिन कितना खर्च हो रहा है; और

(ग) क्या दूरदर्शन पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों के प्रसारण को बढ़ावा देने का सरकार का विचार है?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन द्वारा 1-1-85 से 31-12-1985 तक प्रयोजिकता सहित विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित की गई सकल आय 55,94,000/- रुपए है। वर्ष के दौरान औसत दैनिक आय 15,32,863/- रुपए है।

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करने और टेलीकास्ट करने पर होने वाला अनुमानित औसत दैनिक संचलनात्मक व्यय लगभग 13.08 लाख रुपए है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा पहले ही कई ऐतिहासिक कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष जी, दूरदर्शन आज जनता में काफी लोकप्रिय माध्यम है,

बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में, मर्दों में और औरतों आदि सभी में, और यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जन-जन तक पहुंचाये जा सकते हैं। सरकार विकास के जो भी कार्यक्रम बना रही है, देश की प्रगति हो रही है, समृद्धि हो रही है, उन सभी कार्यों को दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता पर अनेक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, साम्प्रदायिक सद्भावना पैदा करने के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, और बाल कल्याण पर भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। खास तौर से भारतीय संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर भी दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, देखा यह जाता है कि दूरदर्शन हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सिर्फ संगीत और नृत्य, इन दो ही चीजों का समावेश करता है जब कि वास्तविकता यह है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और उच्च विचार जिनके ऊपर हमारा समाज स्थापित है, उस सबको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माना जाना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : आप डिटेल्स में जाने की बजाए प्रश्न कीजिए···

श्री बनवारी लाल बेरवा : अध्यक्ष जी, मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि क्या सरकार का कोई ऐसा विचार है कि जिससे हमारे प्राचीन इतिहास पर आधारित विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन के माध्यम से दिखाये जाएं जिससे हमारी सोश्यल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज तथा दूसरी धरोहर सुरक्षित रहे।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : श्रीमन, प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर में, मैंने कहा है कि विभिन्न ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाये गये हैं। अनेक धारावाहिक कार्यक्रम हैं, प्रत्येक दो सप्ताह बाद; हमारे पास भारत की लोक कला और लोक गीत कार्यक्रम हैं। मैं सम्मानित सभा से निवेदन करूंगा कि मुश्किल यह है कि प्रतिदिन राष्ट्रीय कार्यक्रम केवल $2\frac{1}{2}$ घण्टे का होता है। इसमें से 40 मिनट समाचारों में चले जाते हैं। बाकी के उपलब्ध समय के लिये दावे, प्रति दावे पेश किये जाते हैं और हम समाज के सभी वर्गों के लिये कार्यक्रम देने की कोशिश करते हैं। अतः इस समय कुछ कार्यक्रमों की बारम्बारता में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है, और श्रीमन आप भी खुश होंगे कि पिछले वर्ष स्वतन्त्रता-संग्राम पर ही हमने इस सीमित समय में 400 से अधिक कार्यक्रम प्रसारित किये। अतः जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, भारत के विभिन्न पहलुओं पर कई कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं। मैं उन्हें इसकी सूची प्रेषित कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बेरवा : इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि कई कार्यक्रम हिस्टोरीकल आस्पैक्ट के दूरदर्शन के माध्यम से दिखाये जा रहे हैं लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि कुछ विशेष पार्टिकुलर टाइप के कार्यक्रमों को आप दिखायें, जैसे हम लोग कार्यक्रम था, उसी तरह के अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम भी आप दिखाएं जिनसे हमारी सभ्यता, संस्कृति का विकास हो और उसका लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। यदि हमारी टीम विदेशों में क्रिकेट खेलने चली जाती है तो सारा दिन दूरदर्शन पर उसी की कमैंट्री चलती रहती है, मैं समझता हूं कि वह हमारे हित में नहीं है और राष्ट्रीय अपव्यय है। दूरदर्शन

पर केवल ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए जिससे हमारे पुराने आदर्श और सिद्धांत लोगों के सामने आएं, वे उनसे प्रेरणा लें। दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में आपने लगभग 52 प्रतिशत देश की जनता को दूरदर्शन नैटवर्क में कवर कर लिया है, क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपका विचार बाकी बची सारी जनता को कवर करने का है।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : श्रीमन, जहां तक क्रिकेट का संबंध है, हम सभी खेलों को दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछले वर्ष, आपने अवश्य देखा होगा कि हमने भारतीय खेल — खो-खो का सीधा प्रसारण किया था। ऐसी बात नहीं है कि क्रिकेट को और खेलों की अपेक्षा अधिक समय दिया जाता है। मुझे दोनों किस्म के पत्र मिलते हैं। यह निर्णय लिये जाने पर कि दूरदर्शन से पांच-दिवसीय क्रिकेट मैच को सीधे प्रसारित नहीं किया जायेगा, मुझे ऐसे भी मित्र मिले जिसमें लिखा था — "आप आनन्द समाप्त करने वाले हैं", "आप खेल-विरोधी हैं" आदि। अन्य पत्र जो प्राप्त हुए उनमें लिखा था, 'आपने एक अच्छा कार्य किया है' "भारत से क्रिकेट को समाप्त करो", आदि। अतः हमें पता लगाना है कि आम आदमी क्या चाहता है। हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते।

जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि 'स्वतन्त्रता-संग्राम' के अलावा हमने स्वतन्त्रता-संग्राम पर 'एकता' नृत्य नाटिका, 'कहां गये वे लोग' 'तेरह पन्ने' 'स्वाधीनता आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका' आदि कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। एक अन्य कार्यक्रम जल्दी ही 'आसमां कैसे-कैसे' प्रसारित किया जायेगा। (व्यवधान)

कृपया मुझे भी कुछ श्रेय लेने दीजिए। भारत में कई प्रसिद्ध मुकदमें हुए हैं, जैसे —लोकमान्य तिलक पर चलाया गया मुकदमा, आजाद हिन्द फौज मुकदमा, आदि। इन सभी मुकदमों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किये जायेंगे। मैंने पहले ही 'डिसकवरी आफ इण्डिया' (भारत की खोज) का जिक्र किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा लगता है कि सरकार को दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों से करीब 55 करोड़ रु० की प्रति वर्ष आमदनी होती है। इतनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि केन्द्र और राज्यों में सार्वजनिक उपक्रमों, लघु और कुटीर उद्योगों को सस्ती दरों पर अपने विज्ञापन देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वे इतनी अधिक दरों पर विज्ञापन नहीं दे सकते। क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक इस 55 करोड़ रु० की आमदनी का संबंध है, यह काफी बड़ी राशि लग सकती है। लेकिन जब आप इसमें से संचालनात्मक व्यय को कम करें तो यह इतनी बड़ी रकम नहीं रहेगी। (व्यवधान) मुझे स्थिति स्पष्ट करने दें। दूसरे, नियमानुसार, एक निधि की स्थापना की गई है जिसे 'व्यपगत न होने वाली निधि' कहा जाता है। यह पैसा इस निधि में जमा करा दिया जाता है। इस निधि का प्रयोग 'हार्डवेयर' और 'साफ्ट वेयर' के विस्तार के लिए किया जाता

है। रोजाना ही माननीय सदस्य मांग करते रहते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में दूरदर्शन की सुविधा प्रदान की जाए। अतः 'हार्डवेयर' की वृद्धि के लिए किसी निधि की आवश्यकता होती है। इस निधि को आरम्भ करने का उद्देश्य 'साफ्ट वेयर' और 'हार्ड वेयर' का विस्तार करना है। अतः, मैं नहीं समझता कि प्रथम बार में इस सुझाव को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इस सुझाव पर अभी भी विचार किया जाना है।

श्री सोम नाथ चटर्जी : आप इसे, दूसरी बार में विचार कर लीजिए।

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री : मान्यवर, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो विज्ञापन दूरदर्शन द्वारा दिए जाते हैं, उनके लिए भी कोई आचार-संहिता बनाई गई है और अगर कोई ऐसी आचार-संहिता बनाई गई है, तो उसमें क्या यह प्रतिबंध नहीं है कि कोई जज अदालत में किसी फर्म के प्रोडक्ट का प्रचार करे। इसका मैं एक विशेष उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें एक जज के द्वारा अदालत के दृश्य में गोदरेज के बैस्टो वाशिंग पाउडर के बेचने का प्रचार किया गया है, क्या न्यायालय की अवमानना और उल्लंघन नहीं है ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने इस वाशिंग पाउडर का इस्तेमाल बन्द कर दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कंटेम्प्ट आफ कोर्ट तो नहीं हो जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने भी उस विज्ञापन को देखा है। एक विज्ञापन-संहिता है। यह विस्तृत संहिता है। मैंने उनसे कहा कि वे जांच करें कि क्या यह विज्ञापन इस संहिता का उल्लंघन तो नहीं करता; अगर हां, तो निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी।

प्रसंगवश, पिछले प्रश्न का मैंने जो उत्तर दिया था, वह थोड़ा गलत था। सार्वजनिक उपक्रमों को विज्ञापनों के लिए पहले ही 15% की छूट दी जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह छूट राज्यों और केन्द्र दोनों के सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापनों के लिए दी जाती है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : सभी सार्वजनिक उपक्रमों को यह छूट दी जाती है।

प्रो० मधु दंडवते : इस फिल्म में, जज के स्थान पर कांग्रेस नेता रखा जा सकता है।

श्री भागवत झा आजाद : अगर विपक्षी नेता भी रखा जाये तो हमें कोई इतराज न होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : दोनों को बराबर बैठा दें।

[अनुवाद]

10 फरवरी, 1986 को दूरदर्शन पर समाचार प्रसारण

*214. **श्री सी० जंगा रेड्डी**† }
डा० सुधीर राय } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1986 को रात्रि में 9.30 बजे प्रसारित 'दूरदर्शन समाचार" में बताया गया था कि "दि दिल्ली बन्द काल्ड बाई अपोजीशन पार्टीज फेल्ड टु इवोक ऐनी रैस्पोंस" (विपक्षी दलों द्वारा दिल्ली बन्द के आह्वान को कोई सफलता नहीं मिली) ;

(ख) क्या उससे अगले दिन प्रातः काल दिल्ली से प्रकाशित होने वाले कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर इन सुर्खियों के अन्तर्गत समाचार छपे थे;

(एक) "बन्द इन कैपिटल नियर टोटल" (राजधानी में लगभग पूर्ण बन्द)—दि हिन्दुस्तान टाइम्स?

(दो) "नियर टोटल बन्द इन कैपिटल"
(राजधानी में लगभग पूर्ण बन्द)—
टाइम्स आफ इण्डिया; और

(तीन) "दिल्ली बन्द अगेंस्ट प्राइस राइज टोटल" (मूल्य वृद्धि विरोधी दिल्ली बन्द पूर्ण)—स्टेट्समैन; और

(ग) एक ही विषय पर दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों का समाचारपत्रों में छपे समाचारों से भिन्न होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

10 फरवरी, 1986 को रात 9.30 बजे टेलीकास्ट किए गए समाचार बुलेटिन में बन्द के संबंध में यह कहा गया था कि पुलिस के अनुसार, 1300 से अधिक गिरफ्तारियां की गई थीं और कुछ स्थानों पर बसों को क्षति हुई थी। समाचार बुलेटिन में सरकारी कार्यालयों, बैंकों, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों, आदि में कामकाज नियमित रूप से होने तथा दिल्ली परिवहन निगम की बसों के सामान्य बेड़े के काम करने के बारे में भी कुछ ब्यौरा दिया गया था। किसी बुलेटिन में समाचार कहानियों का प्रतिपादन तथा समाचारों के शीर्षकों की शब्द रचना सम्पादकीय निर्णय का विषय है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर में बताया—

[अनुवाद]

"किसी बुलेटिन में समाचार कहानियों का प्रतिपादन तथा समाचारों के शीर्षकों की शब्द रचना सम्पादकीय निर्णय का विषय है।"

[हिन्दी]

क्या यह बात सही नहीं है कि साढ़े सात बजे की टी०वी० की बुलेटिन में लोगों को बताया गया—"दूरदर्शन की टीम ने नगर के विभिन्न बाजारों का दौरा किया और पाया कि अधिकतर दुकानें बन्द रहीं" यह आपकी साढ़े सात की न्यूज है और ए०आई०आर० की 9 बजे की न्यूज यह है—

[अनुवाद]

"व्यापारिक और औद्योगिक संस्थान बन्द थे। हालांकि स्टाक एक्सचेंज अधिकारिक तौर पर खुला था, लेकिन दलालों ने कोई सौदा नहीं किया...

"दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली निजी बसें अधिकतर सड़कों पर नहीं चलीं।"

[हिन्दी]

यह ए०आई०आर० की न्यूज है और यह टी०वी० की साढ़े सात की न्यूज है। तो 9 बजे की न्यूज में क्यों बताया गया? इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, ठीक वही मैंने विवरण में भी कहा है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : हिन्दी में कहूँ।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : क्या यह सम्पादकीय फैसला है। अगर आप रेडियो, दूरदर्शन और अन्य स्थानों पर प्रसारित होने वाले समाचारों की समीक्षा करें, तो आप पाएंगे कि प्रभारी व्यक्तियों ने इसे विभिन्न तरीकों से पेश किया है। और यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि विभिन्न व्यक्ति उसी घटना को दूसरे रूप में अनुभव करते हैं या पेश करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : साढ़े 7 बजे की टी०वी० की न्यूज और 9 बजे की ए०आई०आर० की न्यूज, बोथ आर इक्वल। इसके बाद 11 तारीख के न्यूज पेपर में आया है और वह भी इक्वल है तो क्या हुआ 9 बजे के बाद टी०वी० को ?

श्री वी० एन० गाडगिल : 9 बजे के बाद कुछ नहीं हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मन्त्री जी ने इन सबका खण्डन किया है और कहा है कि बन्द से 450 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है; इसका अर्थ है कि बन्द पूर्ण था··· (व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : यह बात भारत बन्द के बारे में कही गई थी। वह भारत बन्द की बात कर रहे थे। यह प्रश्न दिल्ली बन्द के बारे में है।··· (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : प्रधान मन्त्री ने कहा है कि एक दिन में 1.15 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप दोनों को सही स्थिति बताता हूं। उन्होंने कहा था कि एक दिन के बन्द से 450 करोड़ रु० का घाटा होता है, लेकिन हम इसका आधा ही मान लेते हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मेरे मित्र, प्रो० मधु दण्डवते को, दिल्ली को ही भारत नहीं मान लेना चाहिए। यह एक गलत प्रवृत्ति है। हम दिल्ली बन्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा यह सम्पादकीय निर्णय है। अगर कोई यह समझता है कि मैं या कोई अन्य दूरदर्शन को यह निदेश देता है कि यह खबर दो यह न दो, तो ऐसा नहीं होता। यह सब सम्पादक पर ही छोड़ दिया जाता है।

उदाहरण के तौर पर, माननीय सदस्य ने यह क्यों नहीं कहा कि कलकत्ता बन्द के बारे में समाचार कैसे दिया गया ? मैं इसे पढ़कर सुनाने को तैयार हूं। श्री ज्योति बसु से लिया गया साक्षात्कार भी मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि 'सभी जगह बन्द था'। हमने भी यही कहा, 'कोई बस नहीं चल रही थी, कोई ट्राम नहीं चल रही थी सभी जगह बन्द था।" अगर हम इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहते, तो ऐसा कर सकते थे।

(व्यवधान)

श्री वी० एन० गाडगिल : यह सब प्रभारी व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है और वह कुछ सम्पादकीय निर्णय लेता है।

प्रो० मधु दण्डवते : कलकत्ता दूरदर्शन से बम्बई के बारे से गलत खबरें दी जाती हैं और बम्बई दूरदर्शन से कलकत्ता के बारे में गलत खबरें प्रसारित की जाती हैं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं— मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है— कि जब हम उसी दल में थे तो, बम्बई में हम कहते थे कि "कलकत्ता में हमारी संख्या बहुत अधिक है, और कलकत्ता में हम कहा करते थे कि बम्बई में हमारी संख्या बहुत अधिक है।" शायद वह इसी रास्ते को अपना रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कलकत्ता में हमारी शक्ति काफी है। कलकत्ता में हम लगातार उन्हें हटा रहे हैं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसी बात है कि लंगोटिया दोस्त न मिले। वह बीच में गड़बड़ कर देते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : साढ़े 7 बजे और 9 बजे की ए०आई०आर० न्यूज में जो बाद में चेंजेज हुई, डायरेक्टर जनरल श्री हरीश खन्ना ने पूरे सम्पादकों को बुलाकर डांटा और उन्होंने खुद लिखवाया कि पूरा बन्द नहीं हुआ। क्या यह सही नहीं है ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक मैं जानता हूं, ऐसा कोई निदेश जारी नहीं किया गया था। — (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं डायरेक्टर जनरल के बारे में कह रहा हूं। हरीश खन्ना डायरेक्टर जनरल ने सम्पादकों को बुलाकर डांटा है।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इस बन्द विशेष के बारे में समाचारपत्रों में खबर छपी थी। पहले यह भारत-बन्द के बारे में थी। इसमें विशेष रूप से दिल्ली-बन्द के बारे में कहा गया था। मैं माननीय मन्त्री को इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि विभिन्न संवाददाताओं ने स्थिति का विभिन्न रूप से मूल्यांकन किया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह खबर तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होती है न कि संबंधित संवाददाता की सनक पर। उन्हें कम से कम स्थिति को समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दालों की मांग और उनका उत्पादन

*206. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिये दालों की मांग 149 लाख मीटरी टन और दालों का उत्पादन 145 लाख मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया था; और

(ग) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) प्रत्याशित आवश्यकताओं और उत्पादन की संभावनाओं को हिसाब में रखकर छठी योजना के लिए दालों के उत्पादन का लक्ष्य मूल रूप से 145 लाख टन रखा गया था। बाद में मध्यावधिक पुनरीक्षा पर इसे घटाकर 130 लाख टन कर दिया गया। इसकी तुलना में 1984-85 के दौरान कुल दालों का उत्पादन 122 लाख टन होने का अनुमान है, जिससे यह पता चलता है कि 8 लाख टन की कमी रह गई।

(ग) दालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार अनेक कदम उठा रही है। ये कदम इस प्रकार हैं :

(1) सिंचित क्षेत्रों में दालों का विस्तार।

(2) रबी मौसम की बची-खुची नमी का इस्तेमाल करते हुए चावल की परती भूमि में कम समय में पकने वाली दालों की किस्मों को और अधिक क्षेत्र में उगाना।

(3) गर्मी के मौसम में तिलहनों, गन्ने, आलू और गेहूं के बाद "कैच-क्राप्स" के रूप में सिंचाई से मूंग की कम समय में पकने वाली किस्मों की खेती करना।

(4) सिंचित और गैर-सिंचित स्थितियों दोनों में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ने और मूंगफली में अरहर की अन्तः फसल उगाना; और

(5) दालों के उन्नत बीजों का बहु-वर्धन और उपयोग, फास्फेटयुक्त उर्वरकों तथा राइजोबियम कल्चर का उपयोग, पौध रक्षण उपाय अपनाना, मूल्य समर्थन और नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रचार करना।

इसके अतिरिक्त, सरकार दाल उगाने वाले राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अनेक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है। इसके फलस्वरूप, 1983-84 में "कुल दालों" की उत्पादकता सबसे अधिक अर्थात् 548 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर हो गई। 1984-85 में भी, जब कुछेक राज्यों में खराब मौसम के कारण दालों के उत्पादन का बुरा असर पड़ा था, 537 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर की उत्पादकता रही, जो 1960-61 के बाद अधिक उत्पादन के हिसाब से दूसरे स्थान पर आती है।

नए उर्वरक संयंत्र

*207. श्री चित्त महाता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नये उर्वरक संयंत्र स्थापित किये जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां उन्हें स्थापित किया जाना है;

(ग) क्या सरकार का देश में विद्यमान उर्वरक संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है; तथा

(घ) यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। छठी योजना अवधि के दौरान जिन 11 मुख्य उर्वरक संयंत्रों के बारे में अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई थी, 7वीं योजनावधि के दौरान

उनको स्थापित किये जाने की सम्भावना है। उनकी अवस्थिति नीचे दर्शाई गई है :

राज्य	स्थापनाधीन नए संयंत्रों की संख्या	संयंत्र की अवस्थिति
आसाम	एक	नामरूप—3
आन्ध्र प्रदेश	दो	काकीनाडा
गुजरात	एक	सिक्का
मध्य प्रदेश	एक	विजयपुर (गुना जिला)
उड़ीसा	एक	पारादीप
राजस्थान	एक	सवाई माधोपुर
उत्तर प्रदेश	चार	अंगोला (बरेली), जगदीशपुर (सुल्तानपुर), बबराला (बादन), शाहजहांपुर

उक्त 11 संयंत्रों के अतिरिक्त सातवीं योजनावधि के दौरान और संयंत्रों के सम्बन्ध में आरंभिक कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। इन नये उर्वरक संयंत्रों की संख्या एवं अवस्थिति पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) नये संयंत्रों की स्थापना तथा वर्तमान संयंत्रों के विस्तार के माध्यम से अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना का निर्णय सम्बद्ध विपणन क्षेत्र में मांग आपूर्ति स्थिति, फीड स्टाक/कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार उर्वरकों के वहन की लागत आदि सम्बद्ध तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। इस समय, सरकार द्वारा अनुमोदित तीन विस्तार योजनाएं, अर्थात्, टूटीकोरिन (डी० ए० पी०-1 संयंत्र का विस्तार), मंगलौर (विस्तार) तथा भरूच (विविधीकरण) कार्यान्वयनाधीन हैं।

विदेशी फिल्मों के आयात सम्बन्धी मानदंड

*208. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी फिल्मों के आयात के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) अनिवासी भारतीय योजना के अन्तर्गत आयातित फिल्मों की समीक्षा हेतु पैनल के चयन से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पैनल ने भारत में प्रदर्शन हेतु किन-किन फिल्मों की स्वीकृति दी है;

(घ) अनिवासी भारतीय योजना कब प्रारम्भ की गई थी; और

(ङ) योजना प्रारम्भ किए जाने से लेकर अब तक, वर्ष वार कितनी विदेशी फिल्मों का चयन और आयात किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विदेशी फिल्मों के आयात के लिए मानदण्ड

भारत में फिल्मों का आयात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, अनिवासी भारतीय, प्राइवेट भारतीय पार्टियों द्वारा भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के अवसर पर आयोजित फिल्म बाजार में प्रविष्ट फिल्मों में से तथा सरकार अथवा निगम द्वारा विदेशी पार्टियों के साथ किए गए सहयोग करारों के अनुसार विदेशी पार्टियों द्वारा किया जा सकता है।

फीचर फिल्मों के आयात संबंधी नीति में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा सीधे ही आयात की जाने वाली फिल्मों की गुणवत्ता के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि, उनसे ऐसी फिल्मों का आयात करने की उम्मीद की जाती है जो सौन्दर्यात्मक रूप से चलचित्रिकी और विषयात्मक रूप से अच्छी हों।

अनिवासी भारतीयों के मामले में, फिल्मों की गुणवत्ता के बारे में, निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी की जानी होती है :—

(क) फिल्म को चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली नहीं होना चाहिए।

(ख) इसे सौन्दर्यात्मक मूल्य का होना चाहिए।

(ग) इसे चलचित्रिकी रूप से अच्छे स्तर का होना चाहिए; और

(घ) यह दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें।

भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फिल्मोत्सवों के अवसर पर आयोजित फिल्म बाजार में प्रविष्ट फिल्मों में से निजी भारतीय पार्टियों द्वारा फिल्मों का आयात किये जाने के लिए प्रत्येक अवसर पर इस प्रकार के आयातों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। फिल्मोत्सव 86 के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में फिल्मों की गुणवत्ता के बारे में वही अपेक्षाएं निर्धारित की

गई हैं जो अनिवासी भारतीयों के मामले में लागू होती हैं। विदेशी पार्टियों के मामले में, आयात की शर्तों पर सरकार अथवा निगम द्वारा उनके साथ किये गये करार लागू होते हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा आयात की जाने वाली प्रस्तावित फिल्मों का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की एक उप समिति द्वारा प्रिव्यू किया जाता है जिसमें निगम के कुछ निदेशक और अधिकारी, फिल्म समीक्षक और फिल्मों के बारे में विशिष्ट जानकारी रखने वाले अन्य व्यक्ति होते हैं।

उप समिति की सिफारिशों के आधार पर निगम द्वारा स्वीकृत की गई फीचर फिल्मों के नाम परिशिष्ट में दिये गये हैं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा फीचर फिल्मों का आयात किये जाने की नीति 12 अक्तूबर, 1984 को शुरू की गई थी।

निगम द्वारा आयात के लिए स्वीकृत तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा आयातित फीचर फिल्मों की वर्ष वार संख्या इस प्रकार हैं :

अवधि	आयात के लिए स्वीकृत	आयातित (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्रस्तुत किए गए एन्ट्री बिलों के अनुसार
1984-85	34	4
1985-86 (31-1-86 तक)	81	17

परिशिष्ट

अनिवासी भारतीयों द्वारा आयात करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा स्वीकृत फीचर फिल्मों के नाम

1. सुपरगर्ल
2. डाइनेस्टी 3डी
3. रीवेंज आफ दि शोगुन वूमेन 3डी
4. ज्वायइसजू
5. रेअर बैक

6. कंक्रीट जंगल
7. ए पैसेज टू इण्डिया
8. मैग्नेफिसेन्ट बाड़ी गार्ड्स 3डी
9. डाटर आफ दि जंगल
10. हिट दि रोड रनिंग 3डी
11. ब्लास्टी फाइटर
12. साइलेन्ट मैडनैस 3डी
13. चैन गैंग 3डी
14. ग्रेट बैलून चेज 3डी
15. टेल्स आफ दि थर्ड डाइमेन्शन 3डी
16. अमित्यविल्ले 3डी
17. एवेन्जिग ऐंजल
18. नाइन डैथ्स आफ दी निन्जा
19. बाड़ी राक
20. दि फाइनल मिशन
21. दि रिटरीवर्स
22. स्काई हाई
23. दि इनसाइड मैन
24. नान स्टाप ट्रवल विद माई डबल
25. हरकुलेस
26. हाई वेलोसिटी
27. डिस्को फीवर

28. रोटवीलर 3डी

29. ए० पी० ई० 3डी

30. रूट्स आफ ईविल

31. एक्जीक्यूशनर-II

32. दे काल मी ब्रूस

33. मनचूरियान एवेन्जर

34. दि लोस्ट एम्पायर

35. नाइटमेयर आन एल्म स्ट्रीट

36. बोमो एरीगेट

37. दि फैन्टास्टिक इन्वेसन आफ दि प्लानेट अर्थ

38. टफ टर्फ

39. ट्रेजर आफ दि फोर क्राउन 3डी

40. टाइगर मैन 3डी

41. आदम एंड ईव

42. गोल्डन क्वींस कमांडो

43. पैसेज आफ दि ड्रेगन

44. ब्लेम इट आन रियो

45. दि एक्सटरमिनेटर

46. लोडेड गन्स

47. दि गि स्कोर

48. स्ट्रेप्स

49. फाइनल जस्टिस

50. हुन्डरा

51. कैरी आन एम्मान्वैल्ले

52. ब्लैक रोज

53. होनिंग-II

54. दि निन्जा मिशन

55. रोरिंग फायर

56. एडवेंचर एट शाओलिन

57. शाओलिन वर्सेज लामा

58. लोनली लेडी

59. टेरर इन दि ऐसल्यू

60. ड्रंकन ताई जी

61. चेंज आफ सीजन्स

62. यंग डाक्टर्स इन लव

63. राम्बो फर्स्ट ब्लड-II

64. सिल्वर ड्रीम रैकर

65. आयर्न हैंड बाक्सर

66. ब्लाइंड डेट

67. टाए सोल्जर्स

68. ड्रिम्स आफ ए मैन काल्ड होरी

69. टफ बन्स

70. रिटर्न टु दि 36 चैम्बर

71. दि साक्स शाओलिन मास्टर

72. क्लास आफ 84
73. मिसिंग इन एक्शन
74. किलिंग मशीन
75. स्कैनर्स
76. एंडलैस लव
77. थंडर
78. यंग एंड फ्री
79. दि कूलंगट्टा गोल्ड
80. हैवनली बाडीज
81. रेडियो एक्टिव ड्रीम्ज
82. बारबेरियन क्वीन
83. सिक्रेट राईवल्ज आफ लामा
84. दि आर्ट आफ दि सन गाड
85. डू नाट आन्सर दि फोन
86. स्क्रीम फार हैल्प
87. लाइट ब्लास्ट
88. दि प्रोटैक्टर
89. ब्लाकमौट
90. हाई प्वाइंट
91. किल एंड किल अगेन
92. ब्लैड सिम्पल
93. रिटर्न आफ गाडजिला

94. दि काटन क्लब

95. दि स्टोन किलर

96. वायेज आफ दि राक एलियन्स

97. नाईट आफ दि कामेट

98. तीन वुल्फ

99. डैथ विष

100. फैले मिंगो किड

101. गोल्ड आफ दि अमजेन वुमेन

102. वील्स आफ फायर

103. दि दोबर्मैन गैंग

104. नो टाइम टु डाइ

105. दि स्नोमैन

106. दि वैंगीनेस (दि गाड)

107. गोडनेम वाइल्डगीज

108. ए टाइम टु डाई

109. बड्डी गोज वैस्ट

110. थ्री सुपरमैन इन दि जंगल

111. रैड आन एंटेब्बे

112. थ्री सुपरमैन इन टोक्यो

113. लेडी फुटबाल

114. फ्यूरी इन शाओमिन टैम्पल

115. दि जंगल रेडर्स

समेकित मत्स्यपालन परियोजना के मत्स्य ग्रहण पोतों का जलावतरण

*215. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष समेकित मत्स्यपालन परियोजना, कोचीन के कितने मत्स्य ग्रहण पोतों के जलावतरण की सम्भावना है;

(ख) इस परियोजना के लिए वैकल्पिक मत्स्य ग्रहण पोत उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस परियोजना के विस्तार के लिए और क्या कार्यक्रम है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) समेकित मात्स्यकी परियोजना द्वारा इस वर्ष किसी नये जलयान के चालू किये जाने की सम्भावना नहीं है।

(ख) और (ग) सुदृढ़ीकरण और विस्तार सहित समेकित मात्स्यकी परियोजना के विभिन्न विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति के ज्ञापन को अभी मंजूरी नहीं दी गई है।

कृषि उत्पादों के मूल्य

*216. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1975 में कपास, गन्ना, गेहूं तथा चावल के मूल्य प्रति क्विंटल क्या थे और जनवरी और फरवरी, 1986 में इन वस्तुओं के मूल्य क्या रहे;

(ख) क्या अन्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में भारी वृद्धि की तुलना में उपर्युक्त वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ग) कृषि उत्पादों के मूल्यों की तुलना में अन्य वस्तुओं के मूल्यों में आई विषम वृद्धि को देखते हुए कृषकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जनवरी, फरवरी, 1975 तथा 1986 के दौरान कपास, गेहूं और चावल के मासात थोक मूल्यों तथा 1974-75 और 1985-86 के गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) चावल, गेहूं, कपास, गन्ने तथा अन्य चुनीन्दा समूहों के थोक मूल्य सूचकांक जनवरी-फरवरी 1986 में जनवरी-फरवरी 1975 के मुकाबले बढ़ गए हैं।

(ग) सरकार कृषि जिंसों के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग

अपनी सिफारिशें करते समय अन्य बातों के साथ-साथ आदानों की लागत को भी ध्यान में रखता है। किसानों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार केवल लाभकारी समर्थन/खरीद मूल्य ही निर्धारित नहीं करती बल्कि निर्दिष्ट एजेन्सियों के जरिए मंडी में समर्थन कार्य भी करती है।

विवरण

महीने के अन्त में थोक मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य/केन्द्र	किस्म	1975		1986	
		जनवरी	फरवरी	जनवरी	फरवरी
1	2	3	4	5	6
		कपास (कच्ची कपास)			
आन्ध्र प्रदेश					
अदौनी	संकर-4	426	405	540	498 (21/2)
पंजाब					
अबोहर	अमेरिकन (जे-34)	356	350	450	454 (14/2)
		गेहूं (मैक्सीकन)			
बिहार					
ससाराम		188	186	200	225
गुजरात					
दोहाद		170	175	240	235
हरियाणा					
सोनीपत		174	149	182	192
मध्य प्रदेश					
जबलपुर		190	180	290	295

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
नागपुर		215	225	275	265
पंजाब					
अमृतसर		122	131	182	194
राजस्थान					
कोटा		195	178	208	220
उत्तर प्रदेश					
काल्पी		180	178	210	215
		चावल (सामान्य)			
आन्ध्र प्रदेश					
काकीनाडा		230	225	350	280
बिहार					
जयनगर		205	210	300	310
हरियाणा					
करनाल		185	190	265	270
केरल					
त्रिवेन्द्रम		361	375	425	415
कर्नाटक					
शिमोगा		185	203	290	290
मध्य प्रदेश					
जबलपुर		255	265	300	300
उड़ीसा					
बालासोर		150	155	275	270

1	2	3	4	5	6
पंजाब					
अमृतसर		150	150	245	245
तमिलनाडु					
कुम्बाकोनम		184	197	318	277
उत्तर प्रदेश					
नवगढ़		198	194	222	230
पश्चिम बंगाल					
कोटई		200	205	280	290

2. गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

1974-75	1985-86
8.50	16.50

यह मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से जुड़ा हुआ है और उस स्तर से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए आनुपातिक प्रीमियम देय है।

कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सम्मेलन

*217. श्री कमल नाथ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न ग्रामीण और कृषि विकास कार्यक्रमों के बारे में जनता को विस्तृत जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) इस सम्मेलन का प्रयोजन और कार्य क्या थे ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क)जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दुर्ग जिले में 14 से 31 जनवरी, 1986 तक एक जन जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन का प्रयोजन यह था कि मध्य प्रदेश के विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर प्रकाश डाला जा सके। इसका यह भी उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनता विशेषकर निर्धन लोगों में जागृति पैदा की जा सके।

आकाशवाणी केन्द्र, बड़ोदरा का विस्तार

*218. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र बडोदरा में केवल विविध भारती कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए केवल एक कि० वा० ट्रांसमीटर क्षमता का एक कमर्शियल चैनल है;

(ख) क्या आकाशवाणी केन्द्र, बड़ोदरा में प्राइमरी चैनल नहीं है और उसे आकाशवाणी के अहमदाबाद केन्द्र से सम्बद्ध किया गया है;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में गोधरा, डांग तथा अन्य स्थानों में छः से अधिक फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी के वर्तमान बड़ोदरा केन्द्र को आकाशवाणी का एक स्वतंत्र पूर्ण केन्द्र बनाया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में गुजरात राज्य में आहवा, सूरत और गोधरा में तीन नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीमें शामिल की हैं। सूरत और गोधरा के रेडियो स्टेशन एफ०एम० ट्रांसमीटरों से युक्त होंगे और आहवा का रेडियो स्टेशन मीडियम वेव ट्रांसमीटर से युक्त होगा।

(घ) जी, नहीं।

बम्बई शहर के विकास हेतु धनराशि देना

*219. श्री सत्य गोपाल मिश्र
श्री एस० जयपाल रेड्डी } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई शहर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंगलौर जैसे अन्य महानगरों के विकास के लिए भी इसी प्रकार की विशेष सहायता मंजूर करने का सरकार का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) बम्बई में आवास तथा मलिन बस्तियों की विकट समस्याओं को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को सातवीं योजनावधि के दौरान 100 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी।

(ग) अन्य महानगरों को इस प्रकार की विशेष सहायता मंजूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को संज्ञेय बनाना

*220. डा० बी० एल० शैलेश
श्री आनन्द पाठक
} : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन के बारे में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसमें क्या कमियां पाई गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के अतिक्रमण के कितने मामले उनके मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं; और

(ख) इस कानून को और अधिक कड़ा बनाने और उसके उपबंधों के अतिक्रमण को न्यायालयों द्वारा संज्ञेय बनाये जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अधिकांश नियोजनों में समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जहां तक उन नियोजनों में, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यान्वयन का संबंध है, प्रवर्तन से सम्बन्धित आंकड़े समय-समय पर एकत्र किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन नियोजनों में अधिनियम के उल्लंघनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ताकि इसे अधिक कारगर बनाया जा सके।

विवरण

कानून	वर्ष	निरीक्षकों की संख्या	उन अनियमितताओं की संख्या		चलाए गए अभियोजनों की संख्या	निबटाए गए मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध हुआ	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्दोष ठहराया गया
			जिनका पता लगाया गया	जिन्हें दूर किया गया				
समान	1983	379	1230	1209	58	25	25	—
पारिश्रमिक	1984	1189	1501	1009	167	40	38	2
अधिनियम, 1976	*1985	1563	2286	1282	289	77	76	1

* अनन्तिम

दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा प्रस्तुति

*221. श्री श्रीहरि राव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किये जाने वाले समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा प्रस्तुति की उच्च स्तर पर समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो वस्तुपरक एवं संतुलित समाचार तथा विचार सुनिश्चित करने और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किये जाने वाले अन्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या कोई नये मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) समाचारों में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और सत्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति सम्बन्धी विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित हैं। दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाले समाचारों और अन्य कार्यक्रमों की गुणवत्ता, विषयों और फार्मेटों की कार्यक्रम नियोजन के आवश्यक अंग के रूप में निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसका लक्ष्य समाचारों और अन्य कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण में सुधार लाना है।

(ग) जी, नहीं।

पश्चिमी बंगाल को तूफान और बाढ़ से कुप्रभावित लोगों के लिए सहायता

*222. डा० फूल रेणु गुहा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में आए तूफान और बाढ़ से कुप्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए केन्द्र से धनराशि मंजूर किये जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों में मजदूर संघ

*223. श्री मूल चन्द डागा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो, टिस्को, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में अनेक मजदूर संघ हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मजदूर संघ कब से कार्य कर रहे हैं;

(ग) प्रत्येक संयंत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने नये मजदूर संघों को मान्यता दी गई और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मजदूर संघों की अनेकता कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में किसी भी इस्पात कारखाने में सबसे पुराना श्रमिक संघ जिसे मान्यता दी गई थी वह "टिस्को" में था। इस श्रमिक संघ को "लेबर एसोशिएसन" के नाम के अन्तर्गत वर्ष 1925 में मान्यता दी गई थी। अन्य कारखानों में श्रमिक संघों को बाद में मान्यता दी गई थी।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी इस्पात कारखाने में किसी भी नए श्रमिक संघ को मान्यता नहीं दी गई है।

(घ) इस्पात कारखानों में जो नीति अपनाई जा रही है वह यह है कि, दुर्गापुर को छोड़कर जहां एक त्रिपक्षीय समझौते के अनुसरण में, मंच सौदे का ढंग प्रचलित है; संयंत्र स्तर पर सामूहिक सौदा केवल मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ के साथ किया जाता है। श्रमिक संघ अधिनियम 1926 के अन्तर्गत कोई सात अथवा अधिक श्रमिक, श्रमिक संघ के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन दे सकते हैं। इस अधिनियम के मौजूदा उपबन्ध को देखते हुए श्रमिक संघों की अनेकता कम करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय वाद विवाद

1966. **श्री सी० सम्बु :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल राज्य सरकारों के लिए ही टेलीविजन और रेडियो के दूसरे चैनल की आवश्यकता जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर एक राष्ट्रीय वाद-विवाद करवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में मकान किराये में वृद्धि

1967. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में मकान किराये में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार किराये में इस वृद्धि को रोकने के लिए कोई उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली में मकानों के किराये में वृद्धि सामान्य तथ्य है जो निर्माण लागत में वृद्धि सहित सम्पूर्ण कीमत से सम्बद्ध है। मूल्य रेखा पर नियंत्रण करने के प्रयासों के अतिरिक्त, सरकार निजी/सहकारी आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित कर रही है, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि जैसे सरकारी अभिकरणों द्वारा मकानों के निर्माण की गति को पर्याप्त रूप से तीव्र कर रही है।

उत्प्रवासी अधिनियम के अधीन भर्ती एजेंसियां

1968. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवासी अधिनियम के अधीन कितनी भर्ती एजेन्सियां हैं;

(ख) ऐसी कितनी एजेन्सियों का पंजीकरण रद्द किया गया है;

(ग) भर्ती एजेन्सियों द्वारा उत्प्रवासियों के अभिरक्षकों के पास जमा कराई गई राशि 31 मार्च, 1985 को कुल कितनी थी; और

(घ) ऐसे कितने उत्प्रवासी हैं जिनका स्वदेश लौटने की खर्चा इस जमा राशि से अदा किया गया और इस पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) अब तक 1061 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) 25 एजेन्सियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

(ग) उत्प्रवास महासंरक्षक के पास 14,89,00,000/-रुपये की बैंक गारन्टी के रूप में

सिक्यूरिटी जमा करा दी गई है। उत्प्रवास संरक्षी ऐसी जमा राशि प्राप्त नहीं करते हैं।

(घ) शून्य।

इस्पात संयंत्रों में जमा इस्पात

1969. श्री चिन्तामणि जेना }
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न इस्पात संयंत्रों के पास भारी मात्रा में इस्पात जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक इस्पात संयंत्र के पास कितना इस्पात जमा है और भारी मात्रा में इस्पात जमा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में स्टाक की निकासी और इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1-4-85, 1-1-86 तथा 1-3-86 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात का स्टाक इस प्रकार है :

(हजार टन)

इस्पात कारखाने का नाम	1-4-85	1-1-86	1-3-86 (आंकड़े अस्थाई हैं)
भिलाई	165	153	149
बोकारो	122	128	118
दुर्गापुर	79	69	75
राउरकेला	76	54	60
"इस्को"	14	16	15
टिस्को	17	38	57
कुल :	473	458	474

देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे उपायों में कारखानों का आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकीय उन्नयन, संयंत्र तथा उपकरणों का बेहतर रख-रखाव, गृहीत विद्युत उत्पादन की इष्टतम क्षमता, बेहतर क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके अलावा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई परियोजनाएं

1970. **श्री डी० पी० यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु कितनी परियोजनाएं विचाराधीन हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) बिहार सरकार से वर्ष 1985-86 के लिए प्राप्त हुई परियोजनाओं की एक सूची संलग्न है। इन सभी परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु कोई भी परियोजना लम्बित नहीं पड़ी है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार से प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1.	औरंगाबाद जिले में तालाबों (अहर) का नवीकरण/मरम्मत तथा बन्धारा का निर्माण/नवीकरण।
2.	पूर्वी चम्पारण जिले में उठाऊ सिंचाई योजनाओं का निर्माण/नवीकरण।
3.	संगरिया जिले में लघु सिंचाई तथा उठाऊ सिंचाई योजनाओं का निर्माण, नवीकरण तथा सुधार।
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मकानों का निर्माण।
5.	बेकार पड़ी भूमि पर वनरोपण करने के लिए जन सहयोग से सामाजिक वानिकी।

6. ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण ।

7. विभिन्न जिलों के लिए सामाजिक वानिकी परियोजनाएं ।

उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की चावल मिलें

1971. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में कितनी चावल मिलें हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में चावल मिलें स्थापित करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1985 में सहकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा कितना धान साफ किया गया; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की चावल मिलें लाभ में चल रही हैं या घाटे में चल रही हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिष्ठापित सहकारी चावल मिलों की संख्या 22 थी ।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त प्लान स्कीमों के तहत 17 सहकारी चावल मिल स्थापित करने के लिए 3.04 लाख रुपये की सहायता दी ।

(ग) लगाई गई 22 मिलों में से सहकारी वर्ष 1984-85 के दौरान 11 मिलों में, जिनकी कार्य करने की रिपोर्ट मिली है, 14046.76 मीटरी टन धान का परिसंस्करण किया है ।

(घ) कार्य कर रही 11 मिलों में से 6 लाभ में, 4 हानि में कार्य कर रही हैं और 1 मिल में लाभ/हानि की स्थिति की सूचना नहीं दी है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा चलाई जा रही परियोजना

1972. **श्री मनकू राम सोडी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा देश में कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उनमें से कितनी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) राज्य में कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है तथा कब तक ये कार्य करना शुरू कर देंगी;

(ग) बस्तर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देश में चार खनन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से निम्नलिखित तीन खनन परियोजनाएं मध्य प्रदेश में हैं :—

1. बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना, निक्षेप नं० 14, बस्तर जिला;

2. बैलाडिला लोह अयस्क परियोजना, निक्षेप नं० 5, बस्तर जिला;

3. हीरा खनन परियोजना, पन्ना।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक डोलोमाइट परियोजना चालू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा निक्षेप नं० 11-सी० में बैलाडिला-14 में एक विस्तार परियोजना तथा बैलाडिला निक्षेप नं० 5 में एक फाइन और हैंडलिंग संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इन दो परियोजनाओं को चालू करने की सम्भावित तारीखें क्रमश: जून, 1987 तथा दिसम्बर, 1986 हैं।

(ग) हैदराबाद शहर केन्द्रीय स्थान पर स्थित है और इसमें संचार सुविधाएं अच्छी हैं, जिससे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक में स्थित अपनी खानों के परिचालन पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण रख सकता है। कारपोरेशन की अन्वेषण परियोजनाओं के समन्वय तथा विशाखापत्तनम और मद्रास के बन्दरगाहों की मार्फत जापान और दक्षिण कोरिया को लोह अयस्क का निर्यात करने के उद्देश्य से भी हैदराबाद सुविधाजनक है।

[अनुवाद]

छठी योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य

1973. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) क्या ये लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1536 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था।

(ख) और (ग) 1983-84 में खाद्यान्न उत्पादन 1524 लाख मीटरी टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, परन्तु छठी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1984-85 में यह घटकर 1462 लाख मीटरी टन रह गया।

(घ) 1984-85 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण देश के विभिन्न भागों में मौसम की स्थितियों का अनुकूल न होना है।

सहकारिता में कमजोर राज्यों के लिए मानदंडों में छूट

1974. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री सहकारी समितियों को ऋण देने सम्बन्धी सामान्य नियमों के बारे में 6 मई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिता के क्षेत्र में कमजोर राज्यों के लिए तथा कमजोर वर्गों के किसानों को सहकारी ऋण संस्थानों से ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्त्रीकृत सामान्य नियमों में दी गई छूट का ब्योरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन राज्यों के लिए और समाज के इन असुरक्षित वर्गों के लिए तैयार की गई विशेष योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं और कमजोर वर्गों को, जिनके लिए सामान्य नियमों में छूट दी गई है, परिभाषित करने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं, तथा यह छूट किस तारीख से दी गई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नेबार्ड) द्वारा मानदंडों में दी गई ढील का ब्योरा इस प्रकार है :—

1. नेबार्ड द्वारा ऋण देने के प्रणालीबद्ध कार्य के अन्तर्गत, कृषि विकास और ग्रामीण कार्यकलापों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के प्रति उन्हें 90 प्रतिशत तथा भूमि विकास बैंकों को अन्य क्षेत्रों/राज्यों को पुनर्वित्त देने की दर की तुलना में 95 प्रतिशत की उच्चतर दर पर पुनर्वित्त सुलभ कराया जाता है।

2. जिन केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अतिदेय रकम मांग के 60 प्रतिशत से अधिक हो, साधारणतया वे कृषि प्रयोजनों के लिए अल्पावधिक ऋण सीमा की स्वीकृति देने के पात्र नहीं होते। उत्तरी-पूर्वी राज्यों के मामले में, नेबार्ड ने इस मानदंड में छूट दे दी है और अति-

देय के किसी भी स्तर के बावजूद ऋण सीमाओं की मंजूरियां देता रहा है। इसी प्रकार, जिन प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों की अतिदेय राशि मांग के 40 प्रतिशत से अधिक हो और जिन किसान सेवा सोसायटियों की अतिदेय राशि मांग के 50 प्रतिशत से अधिक हो, वे राज्य सरकारों के जरिए शेयर पूंजी अंशदान सम्बन्धी सहायता देने की पात्र नहीं हैं। नेबार्ड द्वारा उत्तरी-पूर्वी राज्यों में ऐसी सोसायटियों के मामले में ये मानदंड लागू नहीं किये जाते। साथ ही, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों/किसान सेवा सोसायटियों की शेयर पूंजी में राज्य सरकार के अंशदान के मामले में भी, जो साधारणतया 50 प्रतिशत तक अनुमत होता है, उत्तरी-पूर्वी राज्यों को छूट दी जाती है।

3. नेबार्ड, सहकारिता की दृष्टि से कम विकसित राज्यों के मामले में भारत सरकार से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को गैर-अतिदेय सहायता दिलाने के लिए आवेदन पत्रों की उदारता से सिफारिश करता रहा है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों के तीन वर्ष से अधिक पुरानी अतिदेय रकम को रोकने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। कमजोर वर्गों के किसानों के लिए रियायतें इस प्रकार हैं :—

1. छोटे और सीमांत किसानों को रियायती दरों पर ऋण देने की योजनाबद्ध प्रणाली के अन्तर्गत पूंजी निवेश के 5 प्रतिशत का कम भुगतान 10 प्रतिशत की कम ब्याज दर और अदायगी की 15 वर्ष तक की लम्बी अवधि की सुविधा दी जाती है।

2. जिन छोटे और सीमांत किसानों की थोड़ी-सी रकम की अदायगी बाकी हो, जो उनकी अल्पावधिक/मध्यमावधिक ऋणों की पात्रता के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, और यह बकाया अदायगी ऐसी परिस्थितियों के कारण हो जो उनके बस में न हों तो उन्हें सहकारी संस्थाओं द्वारा नये सिरे से धन दिए जाने पर विचार किया जाता है। कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं में, जिन लाभार्थियों की 1500/ रु० की राशि की अदायगी बकाया हो, उनकी अतिदेय राशि को परिवर्तित करके/पुनर्अधिसूचित कर दिए जाने के बाद वे फसल ऋण के पात्र माने जाते हैं।

3: कृषि प्रयोजनों के लिए छोटे किसानों को दिए जाने वाले 5000/-रु० तक के लघुकालिक ऋणों पर ब्याज अन्य किसानों पर लागू दर के मुकाबले कम दर पर लिया जाता है और यह दर 11.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती।

4. 5000/-रु० तक के मूल्य का कुल वार्षिक उत्पादन करने वाले छोटे किसानों के लघुकालिक कृषि ऋणों को मध्यमकालिक ऋणों में बदलते समय उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को नुकसान पहुंचने के कारण लघुकालिक कृषि ऋण के ब्याज का भुगतान करने से छूट दी जाती है।

5. नेबार्ड इस बात पर जोर देता है कि योजनाबद्ध तरीके से ऋण देने के कार्य के अन्तर्गत कम से कम 60 प्रतिशत ऋण छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य कमजोर

वर्गों में बांटे जाने चाहिएं। लघुकालिक कृषि ऋणों के मामले में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम 20 प्रतिशत ऋण छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को दिए जाते हैं।

(ख) नेबार्ड कम विकसित राज्यों को अधिक ऋण देने की नीति को सातवीं योजना अवधि के दौरान जारी रख रहा है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा अन्य कमजोर वर्गों को धन देने पर जोर दिया जाता है। शुष्क भूमि के विकास, बजर भूमि के विकास, वन विकास, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, तिलहन और दलहन विकास, ग्रामीण कामगारों, छोटे और ग्राम उद्योगों को धन देने के लिए पर्याप्त ऋण देने पर जोर दिया जाता है।

(ग) जिन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को नेबार्ड मानदंडों में छूट देता रहा है, वे हैं— असम, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, दादर व नगर हवेली, मेघालय, गोवा दमन व दीव, नागालैंड, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और सिक्किम। मानदंडों में छूट समय-समय पर दी गई है, न कि किसी एक नियत तारीख से। लघुकालिक कृषि ऋणों के प्रयोजन हेतु "छोटे किसान" का अर्थ है—वह किसान जिसकी जमीन 5 एकड़ तक हो, और सावधिक ऋण के लिए वह किसान जिसकी विकासपूर्व पारिवारिक साधनों से वास्तविक आय 1981-82 के मूल्यों पर 4,300 रुपये से अधिक न हो।

"हुडको" द्वारा आवास परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

1975. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने नई आवास परियोजनाओं के लिए कुछ धन-राशि की स्वीकृति कुछ राज्यों हेतु दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार लाभान्वित हुए राज्यों तथा प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत धन-राशि सहित नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान तथा 31-1-1986 तक, हुडको ने 26545.28 लाख रुपये के कुल ऋण पर 539 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	120	3870.50
2.	असम	1	36.90
3.	बिहार	10	636.71
4.	गुजरात	50	1664.53
5.	हरियाणा	14	641.82
6.	हिमाचल प्रदेश	4	43.73
7.	जम्मू तथा कश्मीर	5	444.00
8.	कर्नाटक	39	1561.74
9.	केरल	39	2611.98
10.	मध्य प्रदेश	23	1019.76
11.	महाराष्ट्र	50	2697.21
12.	उड़ीसा	19	1502.08
13.	पंजाब	11	454.00
14.	राजस्थान	30	1856.25
15.	तमिलनाडु	36	1723.53
16.	त्रिपुरा	1	21.16
17.	उत्तर प्रदेश	75	4729.41
18.	पश्चिम बंगाल	5	543.42

1	2	3	4
19.	चण्डीगढ़	3	243.53
20.	दिल्ली	2	118.20
21.	गोवा दमण तथा द्वीव	1	40.74
22.	पाण्डिचेरी	1	84.08
	योग :	539	26545.28

दूरदर्शन कार्यक्रमों का विकास

1976. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन कार्यक्रमों के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने दूरदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं योजना के दौरान दूरदर्शन के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में 181 नये दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा 19 नये कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना शामिल है।

इस्पात का उत्पादन

1977. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की मांग बहुत जल्दी उसके उत्पादन से आगे बढ़ जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा

गठित लोहा तथा इस्पात के बारे में एक कार्यकारी दल ने सातवीं योजनावधि में तैयार इस्पात की प्रक्षिप्त मांग तथा अनुमानित उपलब्धता के बारे में हिसाब लगाया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

वर्ष	अनुमानित मांग	अनुमानित उपलब्धता	अन्तर (—) अधिशेष (+)
1985-86	11354	9920	(—) 1434
1986-87	11929	10720	(—) 1209
1987-88	12535	11184	(—) 1351
1988-89	13172	12284	(—) 888
1989-90	13856	13020	(—) 836

(ख) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस्पात की विभिन्न मदों का पर्याप्त मात्रा में आयात करने के लिए अनुमति देने की सामान्य प्रक्रिया है।

प्रयोक्ताओं को अखबारी कागज के कोटे की सप्लाई

1978. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज के कोटे की अनियमित सप्लाई के सम्बन्ध में वास्तविक प्रयोक्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वास्तविक प्रयोक्ताओं को समय पर सप्लाई व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) अखबारी कागज की दोषपूर्ण और अनियमित सप्लाई के बारे में यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी विधिवत जांच की जाती है और प्रत्येक मामले में तत्परता से आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। स्वदेशी अखबारी कागज के कारखानों और राज्य

व्यापार निगम के साथ बेहतर सम्पर्क और समन्वय बनाए रखा जा रहा है। राज्य व्यापार निगम ने भी इस प्रकार के मामलों में तेजी से कार्रवाई करने में मदद देने के लिए कम्प्यूटर चालू किए हैं।

दूरदर्शन द्वारा दर्शक अनुसंधान सर्वेक्षण

1979. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रमों के बारे में किए गए दर्शक अनुसंधान सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सर्वेक्षणों के लिए व्यक्तियों के चयन का मानदंड क्या है तथा सर्वेक्षण करने वाले दलों के सदस्य कौन-कौन हैं और उनकी क्या सेवा शर्तें हैं और हैं ये सर्वेक्षण कितने क्षेत्र में किए गए;

(ग) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट जनता के वाद-विवाद के लिए परिचालित की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) 1985 के दौरान हाथ में लिए गए 70 सर्वेक्षणों/अध्ययनों की सूची संलग्न विवरण पर है।

(ख) सम्बंधित दूरदर्शन केन्द्रों की दर्शक अनुसंधान यूनिटों द्वारा अंशकालिक भेंटकर्ताओं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से जानकारी दी जाती है और प्रशिक्षित किया जाता है, की सहायता से क्षेत्रीय सर्वेक्षणों का आयोजन किया गया है। आमतौर पर स्थानीय अर्हक व्यक्तियों (न्यूनतम योग्यता-स्नातक) को लगाया गया है। प्रत्येक भेंटकर्ता एक क्षेत्र में अधिक से अधिक 10 प्रतिवादियों से सम्पर्क करता है।

(ग) और (घ) उपरि उल्लिखित सर्वेक्षण/अध्ययन मुख्य रूप से घरेलू गतिविधियां हैं जिनका उद्देश्य फीडबैक के आधार पर भावी कार्यक्रम नियोजन तथा निर्माण में सहायता देना है। अतः ये रिपोर्टें केवल दूरदर्शन के कार्यक्रमों के नियोजन और निर्माण से सम्बन्धित अधिकारियों को परिचालित की जाती हैं।

विवरण

1985 के दौरान किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन

(मुख्य दूरदर्शन केन्द्र)

क्रम संख्या	शीर्षक	सर्वेक्षण का स्थान	सर्वेक्षणों की संख्या
1	2	3	4
1.	भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए क्रिकेट मैचों के कवरेज के लिए लगाए गए कमेंटेटरों का मूल्यांकन।	दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास, हैदराबाद, कटक, नागपुर और लखनऊ।	20
2.	द्वितीय चैनल पर दूरदर्शन कार्यक्रमों का अवलोकन। (बनाये प्रथम चैनल)	दिल्ली और बम्बई।	2
3.	मझोले उपकार के कस्बों में सामान्य अवलोकन सर्वेक्षण।	लुधियाना, हिसार, कोटा, राजकोट, नागपुर, इन्दौर, भागलपुर राउरकेला, पाण्डिचेरी, और चेंगलपुट्टु।	10
4.	हम लोग का अवलोकन और इसके तमिल में पारार्डबिग पर प्रतिक्रियाएं।	मद्रास	2
5.	आतंकवाद पर दर्शकों की प्रतिक्रिया की कवरेजों पर सर्वेक्षण।	दिल्ली	1
6.	नये कार्यक्रम निर्माण केन्द्र में दूरदर्शन कार्यक्रमों का अवलोकन।	त्रिवेन्द्रम	1
7.	निम्नलिखित का सर्वेक्षण		
	(क) नव वर्ष कार्यक्रम	दिल्ली, मद्रास, बम्बई, जयपुर, जलंधर और नागपुर।	6
	(ख) गणतंत्र दिवस कार्यक्रम	बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जलंधर और नागपुर।	5

1	2	3	4
(ग)	चुनाव परिणामों के लिए विस्तृत प्रेषण का उपयोग।	मद्रास	1
8.	जनवाणी कार्यक्रम पर सर्वेक्षण।	दिल्ली	1
9.	उग्रवाद पर 12 और 13 मई, 1985 को टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों का सर्वेक्षण।	दिल्ली	1
10.	समाचारों पर विचार।	मद्रास	1
		कुल :	49

1985 में उपग्रह दूरदर्शन केन्द्रों और इनसेट केन्द्रों में किए गए मूल्यांकन/अध्ययन

क्रम संख्या	शीर्षक	अध्ययन/मूल्यांकन का स्थान	मूल्यांकनों/अध्ययनों की संख्या
1	2	3	4
1.	शेष गांवों की वास्तविक जांच पड़ताल और चयन।	महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कलक्टर।	2
2.	ओडियंस प्रोफाइल	गोरखपुर और जयपुर क्षेत्र	2
3.	आवश्यक मूल्यांकन (स्वास्थ्य और सफाई)	जयपुर	1
4.	नवल ज्योति सीरियल का विरोध और आकलन मूल्यांकन	जयपुर	1
5.	सामुदायिक दूरदर्शन सेटों की संचालनीय स्थिति	हैदराबाद	1

1	2	3	4
6.	टेली-क्लबों से फीडबेक रिपोर्ट।	कटक, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर।	4
7.	टीम रीति में निर्णयात्मक अनुसंधान।	सभी इनसेट केन्द्र और उपग्रह दूर-दर्शन केन्द्र दिल्ली।	7
8.	कृषि आवश्यकताओं का मूल्यांकन।	जयपुर	1
9.	स्वतंत्रता दिवस समारोह पर रिपोर्ट।	जयपुर	1
10.	कृषि और विस्तार पर आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन।	नागपुर	1
		कुल :	21

आकाशवाणी, दरभंगा से मैथली में कार्यक्रम

1980. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में आकाशवाणी केन्द्र दरभंगा से मैथिली में कार्यक्रमों की संख्या 50 प्रतिशत से कम रह गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इस प्रतिशतता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी, दरभंगा के मैथिली कार्यक्रमों की दैनिक औसत अवधि 97 मिनट है। आकाशवाणी, दरभंगा से प्रसारित होने वाले मैथिली कार्यक्रमों की अवधि या संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। इसके अलावा, यह केन्द्र आकाशवाणी, पटना से "भारती" शीर्षक के अन्तर्गत मैथिली से प्रसारित होने वाले 30 मिनट के द्वि-साप्ताहिक विविध कार्यक्रम को रिले करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में खारापन

198 . डा० चिन्ता मोहन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सौराष्ट्र तट पर 12 लाख हैक्टेयर उपजाऊ भूमि में खारापन आ गया है;

(ख) क्या इससे 779 गांवों में 13.30 लाख लोग प्रभावित हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं/करने का प्रस्ताव है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार करीब 7 लाख हैक्टेयर उपजाऊ भूमि में खारापन आ गया है जिससे गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के 534 गांवों में 10.8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

(ग) गुजरात सरकार आवश्यकतानुसार ज्वारीय विनियंत्रक, बन्धारस, रोक बांधों, टैंकों को रिचार्ज करना, कुओं को रिचार्ज करना, नाला प्लगों, वनारोपण आदि जैसे विभिन्न उपाय कर रही है। गुजरात खार भूमि विकास बोर्ड ने गुजरात खार भूमि अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित निकास नालियों सहित मिट्टी के बांध बनाकर तटीय भूमि में समुद्रीय जल के प्रवेश को रोकने का कार्य जारी रखा। किसानों को अपनी भूमि का सुधार करने के लिये लवण विक्षालन, जिप्सम, हरी खाद मिलाना और विभिन्न लवण सह फसलों की सिफारिश करना आदि के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन करता रहा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों का पालन

1982. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिहाड़ी पर काम करने वाले अस्थाई श्रमिकों को स्थाई श्रमिकों के समान कार्य करने के लिए समान वेतन न देने के कारण 17 जनवरी, 1986 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की निन्दा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने उन सभी श्रमिकों, जो छः महीनों की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं, की सेवाओं को नियमित करने का भी निदेश दिया है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 17 जनवरी, 1986 के निर्णय द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दैनिक मजदूरी वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को उनके रोजगार पर लगने की तारीख से समान कार्य करने के लिये समान वेतन देने का निदेश दिया है ।

(ख) और (ग) आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(घ) जी, नहीं ।

रांची स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर का कार्यकरण

1983. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची का दूरदर्शन ट्रांसमीटर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, असम और उत्तरी बंगाल आदि में रहने वाले आदिवासियों को लाभान्वित करने में सक्षम नहीं है;

(ख) क्या सरकार छोटा नागपुर और संथाल परगना के बाहर रहने वाले आदिवासियों की सुविधा के लिए रांची के कार्यक्रमों को प्रसारित करने का प्रबन्ध करेगी;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक सम्भव होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पहले से चली आ रही स्कीमों तथा सातवीं योजना में शामिल स्कीमों के पूरा हो जाने पर, देश के सभी आदिवासी जिलों में दूरदर्शन सेवा पूर्णतः या अंशतः उपलब्ध होने की उम्मीद है। उद्देश्य यह है कि दूरदर्शन सेवा संबंधित क्षेत्रों के अनुरूप उपलब्ध की जाए। बिहार में माइक्रोवेव लिंकों के उपलब्ध हो जाने पर, जैसा कि सातवीं योजना में परिकल्पना की गई है, दूरदर्शन केन्द्र, रांची के कार्यक्रमों का अन्तः केन्द्रीय आदान-प्रदान कुछ हद तक संभव हो सकेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापटनम इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य

1984. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल अथवा बन्द के कारण विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों की मांगें क्या हैं;

(ग) इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) मामले को हल करने के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं; और

(ङ) क्या इस स्थिति से परियोजना के निश्चित समय में पूरा होने पर प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा आन्दोलन के कारण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों की मुख्य मांगें नीचे दी गई हैं :—

(1) विस्थापित व्यक्तियों को इस्पात कारखाने में स्थाई रोजगार।

(2) विस्थापित व्यक्तियों की अर्हताओं में छूट।

(3) इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा पुनर्वास कालोनियां अपनाना।

(4) उप ठेका प्रणाली समाप्त करना।

(5) संयंत्र में रोजगार की व्यवस्था होने तक अस्थाई सहायता की व्यवस्था।

(6) विस्थापित व्यक्ति न्यायालय में जाएं या न जाएं परन्तु न्यायालय के आदेश के अनुसार मुआवजे की अदायगी की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) चूंकि विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना जैसे आधुनिक इस्पात कारखाने में अकुशल तथा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर कम हैं अत: इस्पात कारखाने में सभी विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यह बात मान ली गई है कि इस कारखाने को पूरा होने के चरण पर कुल 5,000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में विचार किया जाएगा। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने ने 1339 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दे दिया है, जिनमें से 900 अकुशल व्यक्ति हैं। परियोजना के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों

द्वारा 4,000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। राज्य सरकार के सहयोग से अनुषंगी और अनुप्रवाही (डाउन स्ट्रीम) उद्योगों में रोजगार की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। विस्थापित व्यक्तियों के मामले में प्रशिक्षणार्थियों लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी गई है। एक व्यापक और जटिल निर्माण परियोजना में उप-ठेके की प्रणाली को समाप्त करने की सम्भावना नहीं है। भूमि-अर्जन के बारे में प्रवृत्त नियमों के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है और अन्य सुविधाएं दी गई हैं। अस्थाई सहायता की व्यवस्था करना सम्भव न होगा। मुआवजा न्यायालय के आदेशों के अनुसार दिया जाता है।

(ङ) आन्दोलन के कारण मुख्य क्षेत्रों में कार्य की हानि का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :—

कंक्रीट डालने का कार्य	2,203 घन मीटर
संरचनात्मकों का संविरचन	394 टन
संरचनात्मकों की स्थापना	2,059 टन
उपस्करों की स्थापना	508 टन

परियोजना के पूरा होने की समय-सूची पर कार्य की इस हानि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली को स्थान का आबंटन

1985. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली को स्थान आबंटन के बारे में 6 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उक्त मामले में अब तक ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन कालोनियों में सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनमें केन्द्रीय भण्डार की और शाखाएं खोलने के लिए स्थान की व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे सभी स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय भण्डार की कोई शाखा नहीं है प्राथमिकता के आधार पर स्थान की व्यवस्था की जाएगी; और

(ङ) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए विकसित की जा रही सभी कालोनियों में केन्द्रीय भंडारों के लिए स्थान निर्धारित किया जायेगा और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां पर इनकी व्यवस्था हो रही है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेक्टर VII, रामकृष्ण पुरम तथा सेक्टर IV, एम० बी० रोड प्रत्येक दो क्वार्टरों के आबन्टन का निर्णय लिया गया है।

(घ) अन्य कालोनियों में आवास देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विकसित की जा रही कालोनियों में दिल्ली बृहत योजना के मानकों के अनुसार विपणन की व्यवस्था की जाती है। केन्द्रीय भण्डार अन्यों के साथ साथ इनमें आवास के लिए आवेदन कर सकते थे।

राष्ट्रीय आवास नीति

1986. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एकीकृत राष्ट्रीय आवास निति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गरीबों के लिए और मितव्ययतापूर्ण आवासों के निर्माण के लिए सरल पद्धतियां तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय भूमि नीति को भी आवास नीति में शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बेघर लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष के उद्देश्यों, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, के अनुसार वर्ष 2000 ईस्वी तक सभी बेघर लोगों को आश्रय सुविधाएं दी जानी हैं।

(ख) कम लागत के आवास की बहुत सी तकनीकों की पहले ही खोज की गई है तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय भू उपयोग नीति में भू उपयोग पद्धतियों से सम्बन्धित घटकों पर सम्मिलित विचार रखते हुए अन्य अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा शहरी विकास से संबंधित नीतियों का ध्यान रखा जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तिलहन निदेशालय में निधियों का दुरुपयोग

1987. डा० टी० कल्पना देवी
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव
श्री जी० विजय रामा राव
श्री डी० एन० रेड्डी, } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तिलहन निदेशालय, हैदराबाद में निधियों का बड़े पैमाने पर दुविनियोजन किए जाने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रमुख क्षेत्रों में इसके अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों में पूर्ण रूप से असफल होने तथा दूध दालों, वनस्पति तेलों, मत्स्य-पालन, सब्जियों और फलों जैसे सुरक्षित खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सुधार करने के मूल लक्ष्यों और समाधानों का पता न लगाने को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यक्रम की जांच करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में की गई कुछ कथित वित्तीय अनियमितता के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। दो वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक समिति ने इन मामलों की जांच की है और उनकी रिपोर्ट की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दूध, दालें, वनस्पति तेल, मछली, सब्जी और फलों आदि जैसे संरक्षित आहारों की उत्पादकता बढ़ाने के मुख्य लक्ष्यों और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान की जानकारी प्राप्त करने के अपने प्रयास में असफल नहीं हुई है। दूसरी तरफ परिषद ने 7वीं योजना के दौरान उपरोक्त जिन्सों की क्वालिटी और उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक जोर देने का फैसला किया है।

[हिन्दी]

ब्लू फिल्म्स का निर्माण

1988. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार को इस देश में ब्लू-फिल्मों के निर्माण, बिक्री और प्रदर्शन का बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे गिरोह के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनैतिक और विकृत प्रभावों से युवाओं को बचाने के लिए, उनके हित में उपयुक्त गतिविधियों को रोकने के लिए उपयुक्त विधान सहित कोई कदम उठाना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निदेशक मंडल में सदस्यों के नामांकन के लिए मानदंड

1989. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निदेशक मंडल में सदस्यों के नामांकन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) इसके निदेशक मण्डल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है; और उनमें से कितने सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं; और

(ग) क्या निदेशक मंडल में कभी किसी गैर सरकारी सदस्य को भी नामांकित किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निदेशक मंडल में सदस्यों का नामांकन "सेल" की अन्तर्नियमावली के अनुच्छेद 33 (i) (बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जो इस प्रकार है :—

> "राष्ट्रपति, निदेशक मंडल के सभी सदस्यों, जिसमें एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या पूर्ण कालिक प्रकार्यत निदेशक भी शामिल हैं, को कम्पनी के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके नियुक्त करेंगे । सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों की नियुक्ति के लिए ऐसा परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होगी" ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष तथा तीन प्रकार्यत निदेशक, "सेल" के अधीन पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के प्रबन्ध-निदेशक, "सेल" के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के निदेशक तथा "मेकन" के अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक "सेल" के निदेशक मंडल के सदस्य हैं । इस्पात और खान मन्त्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, इस्पात विभाग के सम्बन्धित

संयुक्त सचिव तथा लोहा और इस्पात नियंत्रक भी इस निदेशक मण्डल में नियुक्त किए गए हैं।

(ख) इस समय "सेल" के निदेशक मंडल में 14 सदस्य हैं और उनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं है।

(ग) जी, हां। "सेल" के निदेशक मंडल में समय-समय पर निम्नलिखित गैर सरकारी निदेशक रहे हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	निदेशकों का नाम	नियुक्त से	तक
1.	प्रो० डा० के० एम० राज, अर्थशास्त्री	7-1-1975	12-9-75
2.	श्री के० एम० जार्ज, प्रबन्ध निदेशक ए० सी० सी० बबर्स बेब्काक लि०	7-1-1975	12-9-75
3.	श्री केशव महीन्द्र, उद्योगपति	7-1-1975	12-9-75
4.	श्री आर० पी० गोयनका, उद्योगपति	6-10-1975	7-9-77
5.	श्री गोपेश्वर, श्रमिक संघ के नेता	18-2-1977	28-12-78
		24-12-1979	26-9-80
		29-8-1981	30-11-81
		22-1-1982	30-9-82
		10-11-1982	28-11-83
		13-1-1984	23-11-84

तेल खानों में सुरक्षा के बारे में छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें

1990. श्री के० राममूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल खानों में सुरक्षा के बारे से नई दिल्ली में जनवरी, 1986 में आयोजित छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं और इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : खान सुरक्षा सम्बन्धी छठा सम्मेलन नई दिल्ली में 13 और 14 जनवरी, 1986 को हुआ था जिसमें तेल खानों में सुरक्षा पहलुओं पर भी विचार किया गया था और इस सम्मेलन में अगले पृष्ठ पर लिखित सिफारिशें की गई :—

(i) खान प्रबंधकों को सभी अधिष्ठापनों की परीक्षा और पुनरीक्षा रखी जाने वाली सुरक्षा दूरी की तुलना में करनी चाहिए और खतरे को कम करने के लिए अन्तरिम अवधि में सुरक्षा उपायों के साथ-साथ सुधार के लिए एक वर्ष के भीतर समयबद्ध कार्रवाई प्लान तैयार करना चाहिए।

(ii) एक वर्ष के भीतर सभी स्थिर अंतरिक दहन इंजनों को रिमोट कंट्रोलर सहित फ्लेम अरेस्टर्स और एयर इनटेक शट-आफ वाल्व के साथ जोड़ना चाहिए।

(iii) अग्नि के लिए आकस्मिक प्लान प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय प्लान तैयार करने में लग सकने वाली अग्नि के सम्भव आकार तथा अवधि का उचित ध्यान रखा जाये।

(iv) पिछले पांच वर्षों में लगी अग्नि के कारणों तथा एक वर्ष की अवधि के भीतर किए जाने वाले उपचारी उपायों को तय करने के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए।

राज्यों में कागज और अखबारी कागज के कुवितरण को रोकना

1991. श्री बी० तुलसी राम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज/कागज के कुवितरण के कारण देश में समाचार पत्रों का मूल्य-दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार की अनुमति के बिना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा मत्स्य नौकाओं का व्यापार

1992. श्री रामभगत पासवान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की कतिपय बहुराष्ट्रीय सिगरेट कंपनियों ने सरकार की अनुमति लिए बगैर तथा उसकी जानकारी में लाए बिना मत्स्य नौकाएं खरीदी हैं तथा उसका व्यापार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की विशेष जांच कराने का है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों द्वारा मत्स्यन ट्रालरों के अनधिकृत प्रचालन का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाना

1993. चौधरी अख्तर हसन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी योजना उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों से पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय बनाने के लिए कहा गया है ताकि ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों, खासतौर पर गरीबी निवारण तथा न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रमों की आयोजना तथा उनके कार्यान्वयन में उनका सक्रिय सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधान मन्त्री जी ने अगस्त, 1985 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया था कि क्षेत्र तथा लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय स्तर की आयोजना तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि इन निकायों के चुनाव नियमित रूप से यथासमय कराए जाएं तथा उन्हें उचित प्रशासनिक शक्तियां तथा वित्तीय सहयोग दिया जाए ताकि वे विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर लोकप्रिय बन सकें।

राज्यों का प्रत्युत्तर उत्साहजनक रहा है।

कृषि वानिकी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

1994. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि-वानिकी के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस बात को उचित मानती है कि वन प्रबंध उत्पादकता को राजस्व अर्जित

करने के साधन के रूप में न माना जाये ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय कृषि वानिकी केन्द्र की स्थापना के लिए 40 लाख रु० की एक राशि आबंटित की गई है। इस योजना के दौरान 76 व्यक्तियों के रखे जाने का प्रस्ताव है जिनमें से 20 वैज्ञानिक, 19 तकनीकी कर्मचारी और 37 प्रशासकीय, सहायक और सहायी (सपोर्टिंग) कर्मचारी होंगे। केन्द्र अपने आप कृषि वानिकी अनुसंधान बुनियादी पहलुओं से संबंधित कार्य को करेगा। केन्द्र के स्थान के विषय में अभी फैसला किया जाना है।

(ग) वन प्रबन्ध उत्पादकता को केवल आय प्राप्ति के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पर्यावरण और पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाए रखने में वन प्रबन्ध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

तथ्यों का पता लगाने संबंधी मिशनों के साथ पत्रकारों को भेजना

1995. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के भीतर और बाहर तथ्यों का पता लगाने सम्बन्धी मिशनों के साथ पत्रकार भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भेजे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल कुल श्रम दिनों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में झूम खेती की समस्या का समाधान

1996. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में झूम खेती की समस्या समाप्त करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस धनराशि को किस प्रकार तथा कितने वर्षों में खर्च किया जाएगा; और

(ग) इस आवंटन से झूम खेती कर रहे कितने प्रतिशत लोगों की समस्या के समाधान हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

झूम खेती की समस्या और विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना

(1) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुल लगभग 255 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से, सस्यगत क्षेत्र लगभग 45 लाख हैक्टेयर है। इसके अतिरिक्त, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 49% वनों के अन्तर्गत है। जनजातीय लोग 27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में व्यापक रूप से झूम खेती करते हैं।

(2) राज्य-क्षेत्र

राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत झूम खेती पर नियन्त्रण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि का प्रावधान किया जाता है। योजना आयोग ने फसल उगाने और मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए निम्न प्रकार आबंटन किये हैं :—

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सातवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपये) फसल उगाने के कार्यक्रम	मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	असम	700.00	400.00	इसमें पहाड़ी-क्षेत्र, के लिए प्रावधान किया गया है जहां झूम-खेती की जाती है।

1	2	3	4	5
2.	मणिपुर	1448.00	1060.00	केवल झूम-खेती के लिए 448 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं।
3.	मेघालय	1600.00	1250.00	झूम-खेती के लिए विशेष रूप से 351 लाख रुपये निर्धारित किये गए हैं।
4.	नागालैण्ड	2390.00	1000.00	
5.	त्रिपुरा	2205.00	700.00	
6.	अरूणाचल प्रदेश	2000.00	1600.00	
7.	मिजोरम	1400.00	900.00	

इस क्षेत्र में आने वाले पांच राज्यों के मामले में फसल उगाने और मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य झूम खेती पर नियन्त्रण करने और झूमियों का पुनर्वास करने पर जोर देना है। जहां तक संघ शासित क्षेत्रों यथा अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम का प्रश्न है, फसल उगाने और मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम मुख्यतः झूम खेती के नियन्त्रण और झूमियां परिवारों के पुनर्वास के लिए हैं।

(3) केन्द्रीय क्षेत्र

सातवीं योजना के दौरान झूम खेती का नियंत्रण करने की मार्गदर्शी परियोजना के तहत् 400 झूमिया परिवारों को बसाने के लिए संघ शासित क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश (100 परिवार) और मिजोरम (300 परिवार) को 100% अनुदान के साथ 100 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान भी किया गया है।

(4) उत्तर-पूर्वी परिषद

उत्तर-पूर्वी परिषद् ने इस क्षेत्र के सभी राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों में जल-विभाजक के आधार पर 13 मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में असम में एक और शेष राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दो-दो परियोजनाएं शामिल हैं। सातवीं योजना के दौरान झूम खेती पर नियन्त्रण के लिए 456.5 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं। अब तक, मेघालय (669 परिवार), नागालैण्ड (300 परिवार), त्रिपुरा (2967 परिवार) और अरूणाचल प्रदेश (400 परिवार) में कुल 4336 परिवारों का पता लगाया जा चुका है।

(5) जनजातीय कल्याण

सातवीं योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती की समस्या से निपटने के लिए कल्याण मंत्रालय कोई विशेष आबंटन नहीं करता है। तथापि 1985-86 के दौरान, विशेष स्कीमों के तहत् कुछ राज्यों के लिए दी गई सहायता नीचे दर्शाई गई है :—

क्र० सं०	राज्य	1985-86 के लिए कार्यक्रम	
		निर्मुक्त की गई राशि (लाख रुपए)	शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित परिवार (संख्या)
1.	मणिपुर	10.00	737
2.	त्रिपुरा	20.00	500
3.	मेघालय	5.00	294
	कुल :	35.00	1531

इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के सभी लोगों की आर्थिक रूप से उन्नति करने के लिए सातवीं योजना के दौरान राज्यों और केन्द्रीय सरकारों द्वारा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र और वानिकी जनजातीय विकास आदि क्षेत्रों के तहत् किए गए प्रावधान की राशि के कुछ हिस्से से भी इस समस्या से निपटने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिलेगी। झूम खेतीहरों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने वाले क्षेत्रवार कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध न होने के कारण धनराशि के वितरण, सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यक्रम को चरणबद्ध करने और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किए जाने के लिए झूम खेती करने वालों की सम्भावित संख्या की प्रतिशतता की मात्रा के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना नहीं दी जा सकती।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि

1997. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उनके मंत्रालय को यह बताया है कि वर्ष 1986-87 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 20 लाख मीटरिक टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1985-86 के दौरान रोजगार पैदा करने के अवसरों का लक्ष्य वस्तुत: घटकर 4770 लाख श्रम दिवस रह गया है;

(ग) क्या यह निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में वर्ष 1986-87 के लिए उपलब्ध राशि कहां तक सहायक होगी;

(ङ) वे योजनाएं कौन सी हैं जिन्हें उच्च प्राथमिकता दी गई है;

(च) क्या गरीबी हटाओ योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है; और

(छ) अतिरिक्त राशि के नियतन से ग्रामीण रोजगार योजनाओं में कहां तक तेजी लाई जा सकती है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए सुलभ की जाने वाली प्रस्तावित निधियां नीचे दी गई हैं :—

		(करोड़ रुपये में)
(1)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	442.65
(2)	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	633.65

(ख) से (घ) सातवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष लगभग 490 मिलियन श्रम दिनों का कुल रोजगार सृजित करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की आशा है।

(ङ) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्माण कार्य आरम्भ करने में इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जैसे सामाजिक वानिकी के कार्य, भूमि तथा जल संरक्षण कार्य, लघु सिंचाई कार्य, बाढ़ बचाव कार्य, जल निकासी तथा जल लग्नता निवारण कार्य, मनुष्यों/पशुओं/कृषि के उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण तालाबों का निर्माण/मरम्मत, मत्स्य, पालन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा अधिकतम सीमा से फालतू घोषित भूमि के प्राप्त-कर्ताओं आदि की भूमि जोतों में सिंचाई हेतु कुओं तथा खेतों में नालियों का निर्माण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों आदि के लिए मकानों का निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता कार्य तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण आदि।

(च) इन सभी निर्माण कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने में मदद मिलती है।

(छ) वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार

गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त खाद्यान्नों का उपयोग करके 100 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित किए जाने की आशा है।

तमिलनाडु को बाढ़ सहायता के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति

1998. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु को अतिरिक्त बाढ़ सहायता देने की स्वीकृति दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इस सहायता राशि को किस प्रकार उपयोग में लाने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उचित व्यवस्था की है अथवा करने का विचार है ताकि 1985 की बाढ़ तबाही की पुनरावृत्ति न हो और जानमाल और फसलों की अत्याधिक हानि से बचा जा सके ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बाढ़/तूफान राहत उपायों के लिए तमिलनाडु सरकार को 1985-86 के लिए कुल 66.81 करोड़ रुपए की अधिकतम केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

(ग) राहत सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था करना सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राहत सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता के उपयोग के प्रबोधन के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में एक प्रबोधन सेल गठित किया गया है।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपायों का संबंध है, यह राज्य का विषय होने के कारण इसका आयोजन तथा कार्यान्वियन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

फार्म मशीनरी के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण

1999. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत फार्म मशीनरी और कुशल मजदूरों के उपयोग के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च प्रशिक्षण देने तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले पर फिर से विचार करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) इस

समय कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में तीन फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। इनके नाम हैं :—केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, बुदनी (मध्य प्रदेश), उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा) और दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, गार्लेडिने (आन्ध्र प्रदेश) ये संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ ट्रैक्टरों, पावर-टिलरों, पम्प सेटों और अन्य कृषि मशीनरी के चयन, इनके प्रचालन, रख रखाव, और प्रबंध करने के संबंध में काम के दौरान प्रशिक्षण दे रहे हैं। सातवीं योजना के दौरान इन संस्थानों में प्रशिक्षण तथा परीक्षण के कार्यकलापों को मजबूत बनाने के लिए 530/- लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। सातवीं योजना के दौरान पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में ऐसे दो नये संस्थान स्थापित करने के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों, ग्रामीण दस्तकारों और विस्तार कार्मिकों को उन्नत औजारों उपस्करों और साज-सामान के प्रचालन, मरम्मत और रख-रखाव, गढ़ाई के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्रों, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान और कुछ अन्य संस्थानों तथा फार्म उपस्कर एवं मशीनरी पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं के केन्द्रों द्वारा अल्पावधि प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं। इसके अलावा, कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि इंजीनियरी विभागों में भी इसी प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

लक्षद्वीप द्वीप समूह में पीने के पानी की सुविधाएं

2000. प्रो० मधु दण्डवते : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पीने के पानी की सुविधाओं का भारी अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन द्वीप समूहों के लिए पानी की सप्लाई की एक नई योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस नई योजना से इस संघ राज्य क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को कोई खतरा है जिसके परिणामस्वरूप पानी के नमकीन होने से फसलों तथा पीने के पानी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या संबंधित विशेषज्ञों से पानी की योजनाओं के संबंध में स्वीकृति ले ली गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि सभी बसावट वाले द्वीपसमूहों में जल आपूर्ति की योजनाएं चलाई जा रही हैं। केरल लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मौके पर जाकर सर्वेक्षण तथा पूरी तरह जांच किये जाने के पश्चात् ही इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं की, खासतौर पर पारिस्थितिक संतुलन को खतरा होने, पानी के खारे होने के कारण फसलों तथा पेय जल पर बुरा प्रभाव पड़ने के पहलू की तकनीकी रूप से जांच की जाती है। इस तरह की जांच किए जाने के पश्चात

ही केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी जाती है।

"राजीव का भारत" फिल्म का दूरदर्शन पर प्रसारण

2001. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर
श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी
प्रो० मधु दण्डवते
श्री हरीश रावत
श्री एन० वेंकटरत्नम
डा० ए० के० पटेल
: क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैक एण्डरसन की टी०वी० फिल्म "राजीव्स इंडिया" (राजीव का भारत) का 7 फरवरी, 1986 को दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला प्रसारण स्थगित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त फिल्म के प्रसारण को अचानक स्थगित कर दिये जाने से लाखों दर्शकों को निराश होना पड़ा; और

(घ) इसे टेलीविजन पर कब दिखाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) दूरदर्शन ने यह घोषणा की थी कि वह 7 फरवरी को राष्ट्रीय संजाल पर आई०एस०आई०/जैक एण्डरसन फाइल इंक द्वारा निर्मित "राजीव्स इंडिया" नामक डाकुमेंट्री टेलीकास्ट करेगा। ऐसा करने का निर्णय श्री एण्डरसन की व्यावसायिक ख्याति को देखते हुए लिया गया था, यद्यपि स्वयं फिल्म के कई पहलुओं पर मतभेद थे।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने 6 फरवरी को नई दिल्ली में एक स्वागत समारोह में फिल्म के प्रिव्यू का आयोजन किया था। कई आमंत्रित व्यक्तियों ने यह महसूस किया कि फिल्म देश की और हाल ही की घटनाओं की वास्तविक या संतुलित तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती। उनकी प्रबल प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, यह महसूस किया गया कि इसको दिखाने के प्रश्न की जांच अधिक गहराई से की जाए। सात फरवरी के लिए निर्धारित प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा पुन: की गई।

अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

मत्स्य उद्योग में पेरी सेन मत्स्य जालों का प्रभाव

2002. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मत्स्य उद्योग में पेरी सेन मत्स्य जाल इस्तेमाल किए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि पेरी सेन मत्स्य जाल सभी मछलियों को पकड़ लेते हैं और क्षेत्र में मछली पकड़ने की प्रतीक्षा में अन्य नौकाओं को इस अवसर से वंचित रहना पड़ता है; और

(ग) परम्परागत रूप से मछली पकड़ने के इस लाभकारी व्यवसाय में लगे मछुआरों पर हुए इस प्रहार को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

मुरैना में लोहे और सीमेंट के भण्डार

2003. **श्री कमोदी लाल जाटव** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैना जिले की सबलगढ़ कैलारस, विजयपुर तहसीलों में लौह अयस्क और सीमेंट के पत्थर के भण्डार पाए गए हैं, यदि हां, तो इन भण्डारों की अनुमानित मात्रा कितनी है और इनका दोहन कौन सा प्राधिकरण कर सकता है; और

(ख) क्या सरकार ने मुरैना में अन्य खनिज पदार्थों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई खोज की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मुरैना जिले की संभलगढ़, कैलारस तथा विजयपुर तहसीलों में लौह अयस्क के कोई भण्डार उपलब्ध होने के बारे में अनुमान नहीं लगाया गया है। परन्तु कुल 2951 लाख टन चूना-पत्थर भण्डार में, जिसमें 896.6 लाख टन सीमेंट ग्रेड, 145.5 लाख टन निम्न ग्रेड तथा 1908.9 लाख टन गैर-वर्गीकृत ग्रेड के भण्डारों के उपलब्ध होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों के दोहन के लिए इन्हें पट्टे पर भी दिया जा रहा है।

(ख) विभिन्न खनिजों का पता लगाने के लिए भूत में इस जिले का सर्वेक्षण किया गया है। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा विन्ध्य भू-भाग में क्रमबद्ध रूप से खनिजों के लिए मानचित्र बनाने और उनकी खोज करने के लिए वर्ष 1985-86 के कार्यक्रम में मुरैना जिला भी शामिल है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय भाषाओं में दूरदर्शन के कार्यक्रम तैयार करना

2004. श्री उत्तम राठौड़
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकाधिक कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें संबंधित क्षेत्रीय टेलीविजन केन्द्रों से प्रसारित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क और (ख) नीति के मामले के रूप में, दूरदर्शन क्षेत्रीय केन्द्रों को संबंधित क्षेत्रों की भाषाओं के कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र मुख्यतः अपनी-अपनी भाषाओं में प्रतिदिन लगभग 3 घंटे की अवधि के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं विभिन्न राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता देने के लिए दूरदर्शन माध्यम का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के साथ उनकी भाषाओं में सम्प्रेषण करने की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं और साथ साथ देश के एक भाग के दर्शकों को दूसरे भागों की संस्कृति, परम्परा, विकास आदि की जानकारी कराई जाए। इसे ध्यान में रखते हुए चरणों में त्रि-स्तरीय दूरदर्शन सेवा शुरू करने की योजना है जिसमें प्राथमिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा और स्थानीय सेवा होगी। प्रत्येक बड़े राज्य में राज्य की भाषा में इसकी अपनी प्राथमिक सेवा होगी जो राजधानी के दूरदर्शन केन्द्र से मूल रूप से टेलीकास्ट होगी। यह सेवा राज्य भर में उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय सेवा में क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा कार्यक्रमों का योगदान दिया जाता रहेगा तथा यह सेवा दिल्ली से मूल रूप से टेलीकास्ट होगी और देश के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जायेगा। स्थानीय सेवा बड़े राज्यों के सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट महत्वपूर्ण भागों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनकी घटनाओं को कवर करने के लिए प्राथमिक चैनल के ट्रांसमीटर पर सीमित अवधि के लिए उपलब्ध होगी। उन महानगरों में, जिनमें विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं के बहुभाषी दर्शक होते हैं, स्थानीय सेवा के लिए लम्बे प्रेषण समय की जरूरत है और इसलिए अलग ट्रांसमीटर आवश्यक है।

उपलब्ध संसाधनों के अन्दर, दूरदर्शन की सातवीं योजनाओं के प्रस्तावों में उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। सातवीं योजना के अंत तक सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली को छोड़कर) में कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, सातवीं योजना में वैयक्तिक राज्यों के रिले ट्रांसमीटरों को राज्य की राजधानी के दूरदर्शन केन्द्रों से जोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों में उपग्रह अर्पिकों और अतिरिक्त समर्पित माइक्रोवेव लिंकों के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सेवा देश भर में पहले ही उपलब्ध है। सातवीं योजना में

शामिल विभिन्न स्कीमों से राष्ट्रीय सेवा और सुदृढ़ होगी। अन्ततः स्थानीय सेवा के बारे में चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में द्वितीय चेनल सेवा के लिए तथा कुछ बड़े राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण शहरों (राज्य की राजधानियों से भिन्न में कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है।

सम्बलपुर (उड़ीसा) में दूरदर्शन की सुविधा

2005. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान उड़ीसा के किन-किन जिलों में दूरदर्शन की सुविधा की व्यवस्था की जायेगी;

(ख) सम्बलपुर (उड़ीसा) में दूरदर्शन की सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कालाहांडी जिले में भवानी पटना में कार्यान्वियनाधीन अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के वर्ष 1986 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) सम्बलपुर में उच्च शक्ति (1 किलोवाट) तथा दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा को और सुदृढ़ करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए केरल को सहायता

2006. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल राज्य को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में सुधार लाने के लिए सहायता देने का विचार है;

(ख) क्या केरल में समुद्र तट से दूर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का काम केवल मत्स्य नौकाओं द्वारा ही किया जाता है यदि नहीं, तो अन्य क्या साधन उपयोग किए जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए परसी-सीन जालों का उपयोग करने का है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) केरल तट से दूर गहरे समुद्र में मत्स्यन नौकाओं से मछली पकड़ने के अलावा लांग लाइनिंग, हैंड लाइनिंग तथा ट्रैप फिशिंग द्वारा भी पकड़ी जाती है।

(ग) केरल तट से दूर परसीनिंग के लिए कोई वाणिज्यिक प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

तिलहनों के लिए अनुसंधान केन्द्र

2007. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना के दौरान तिलहनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किसानों को कितनी राजसहायता आदि दिए जाने का विचार है;

(ख) तिलहन अनुसंधान केन्द्रों की संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थित हैं तथा उन पर कितना पूंजी-निवेश किया गया;

(ग) आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने केन्द्र हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) आंध्र प्रदेश का विशेष उल्लेख करते हुए भारत में किन-किन तिलहन फसलों को उत्पादन और अनुसंधान में प्राथमिकता दी जा रही है;

(ङ) क्या सरकार का अरण्डी को महत्वपूर्ण तिलहनों में शामिल करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो क्या अरण्डी के लिए अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जायेगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

सरकार ने, समाकलित एप्रोच के माध्यम से, जिसमें विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने तथा खाद्य तैलों के आयात को कम करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है। सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास प्रायोजना के अन्तर्गत 17 राज्यों के 180 चयनित जिलों में तिलहन के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय तिलहन विकास प्रायोजना के अन्तर्गत जहां कहीं तिलहन के विकास की आवश्यकता है वहां आर्थिक सहायता सहित विभिन्न संघटकों के लिए सहायता हेतु 170 करोड़ रु० का प्रावधान रखा गया है।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित तिलहन प्रायोजना के अन्तर्गत 77 तिलहन अनुसंधान केन्द्र हैं। केन्द्रों और स्थान की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। (छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय समन्वित तिलहन प्रायोजना के अन्तर्गत तिलहन अनुसंधान पर भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद द्वारा 602.59 लाख रु० लगाया गया था। सातवीं योजना में 1050 लाख रु० खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कुल दस अनुसंधान केन्द्र हैं यानी कादरी, जागतिअल, राजेन्द्रनगर तथा तिरुपति में मूंगफली के चार केन्द्र (राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना केन्द्र); जगतिअल तथा येलमानचली में तिल के दो केन्द्र; राजेन्द्रनगर में सूरजमुखी और कुसुम के दो केन्द्र तथा पालेम एवं राजेन्द्रनगर में अरण्डी के दो केन्द्र हैं।

(घ) सभी नौ उगाई गई तिलहनी फसलें यानी मूंगफली, तोरिया-सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, तिल, सोयाबीन, रामतिल, अलसी तथा अरण्डी को विभिन्न तिलहनी कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। बारहमासी फसलों में नारियल तथा ऑयल पाम को शामिल किया है। आन्ध्र प्रदेश में अनुसंधान तथा विकास के लिए मूंगफली, कुसुम, तिल, अरण्डी तथा सूरजमुखी पर कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है।

(ङ) नौ उगाई गई तिलहनी फसलों में से अरण्डी को महत्व दिया गया है तथा इस प्रकार इसे विभिन्न अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

(च) सातवीं योजना के दौरान अरण्डी के लिए एक अलग से अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वर्तमान अनुसंधान केन्द्रों को अतिरिक्त फुटकर खर्च, उपकरण तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाएं देकर सुदृढ़ किया जा रहा है।

विवरण

तिलहन अनुसंधान केन्द्रों की संख्या तथा जहां स्थित है

क. **प्रायोजना निदेशालय तथा समन्वित एकक के स्थान तथा पता :**

1. तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030 (आन्ध्र प्रदेश)
2. प्रायोजना समन्वयक (मूंगफली), पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला (महाराष्ट्र)
3. प्रायोजना समन्वयक (तोरिया-सरसों), हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)।
4. प्रायोजना समन्वयक (तिल तथा रामतिल), जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
5. प्रायोजना समन्वयक (सूरजमुखी), कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)

6. प्रायोजना समन्वयक (कुसुम), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, शोलापुर (महाराष्ट्र)

7. प्रायोजना समन्वयक (अलसी), चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उ०प्र०)

8. प्रायोजना समन्वयक (अरण्डी), तिलहन अनुसंधान निदेशालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

ख. केन्द्रों के स्थान

I. मूंगफली

1. कादरी (आन्ध्र प्रदेश)

2. जग-तिअल (आन्ध्र प्रदेश)

3. राजेन्द्र नगर (आन्ध्र प्रदेश)

4. लुधियाना (पंजाब)

5. मैनपुरी (उ०प्र०)

6. खडगांव (मध्य प्रदेश)

7. जूनागढ (गुजरात)

8. जलगांव (महाराष्ट्र)

9. लटूर (महाराष्ट्र)

10. चिपालिमा (उड़ीसा)

11. धारवाड़ (कर्नाटक)

12. रायचूर (कर्नाटक)

13. चिन्तामणि (तमिलनाडु)

14. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

15. आलीयारनगर (तमिलनाडु)

16. वृद्धाचलम (तमिलनाडु)

17. नवगांव (राजस्थान)

II. तिल

1. जगतियल (आन्ध्र प्रदेश)
2. येलमाचली (आन्ध्र प्रदेश)
3. मन्दौर (राजस्थान)
4. अमरेली (गुजरात)
5. जलगांव (महाराष्ट्र)
6. टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)
7. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
8. वृद्धाचलम (तमिलनाडु)
9. झांसी (उत्तर प्रदेश)

III. तोरिया तथा सरसों

1. शिल्लोनगनी (असम)
2. पन्तनगर (उत्तर प्रदेश)
3. ढोली (बिहार)
4. हिसार (हरियाणा)
5 बावल (हरियाणा)
6. ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
7. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
8. पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)
9. कुदवानी (जम्मू व कश्मीर)
10. नवगांव (राजस्थान)

11. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

12. बरहमपुर (पश्चिम बंगाल)
(राज्य कृषि विभाग)

IV. सूरजमुखी

1. अकोला (महाराष्ट्र)

2. बंगलौर (कर्नाटक)

3. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

V. कुसुम

1. राजेन्द्रनगर (आंध्र प्रदेश)

2. वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

3. जलगांव (महाराष्ट्र)

4. अन्नीगिरी (कर्नाटक)

5. कोविल पट्टी (तमिलनाडु)

6. पहलटन (महाराष्ट्र)

7. शोलापुर (महाराष्ट्र)

VI. रामतिल

1. रांची (बिहार)

2. छिंदवाडा (मध्य प्रदेश)

3. धुले (महाराष्ट्र)

4. सीमलीगुडा (उड़ीसा)

5. रायचूर (कर्नाटक)

VII. अलसी

1. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

2. मौरनीपुर (उत्तर प्रदेश)

3. रायपुर (मध्य प्रदेश)

4. कांको (बिहार)

5. फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

6. अकोला (महाराष्ट्र)

7. नवगांव (राजस्थान)

VIII. अण्डी

1. पलेम (आंध्र प्रदेश)

2. दान्तीवाड़ा (गुजरात)

3. रायचूर (कर्नाटक)

4. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

5. ढोली (बिहार)

6. त्रिवेन्द्रम (सलेम)
(तमिलनाडु)

7. अण्डी का जीव विज्ञान संबंधी नियन्त्रण,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

IX. बारीक तिलहन फसलें

1. जबलपुर (मध्य प्रदेश)

2. भुवनेश्वर (उड़ीसा)

X. अन्य एकक

1. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
शरीर विज्ञान तथा विषाणु

2. ऑफ सीजन नर्सरी, अलियानगर (तमिलनाडु)

3. ऑफ सीजन नर्सरी, स्पीति (हिमाचल प्रदेश)

XI. अखिलभारतीय एकक

1. शोलापुर (महाराष्ट्र) —
कुसुम

2. बंगलौर (कर्नाटक) —
सूरजमुखी

3. जबलपुर (मध्य प्रदेश) —
तिल—और रामतिल

4. कानपुर (उत्तर प्रदेश)—
अलसी

5. हिसार (हरियाणा) —
तोरिया-सरसों

अन्य प्रायोजनाओं के अनुसंधान केन्द्रों की सूची

I. सूरजमुखी अनुसंधान तथा बीज उत्पादन प्रायोजना के केन्द्र

1. बंगलौर (कर्नाटक)

2. अकोला (महाराष्ट्र)

3. भवानीसागर (तमिलनाडु)

4. राजेन्द्रनगर (आन्ध्र प्रदेश)

5. कानपुर (उत्तर प्रदेश)

II. आई०डी०आर०सी० से सहायता प्राप्त तिलहन प्रायोजना के केन्द्र

1. हिसार (हरियाणा)—सरसों

2. पन्तनगर (उत्तर प्रदेश)—तोरिया

3. इन्दौर (मध्य प्रदेश) कुसुम

4. वृद्धाचलम (तमिलनाडु)—तिल

III. डी०एस०टी० से सहायता प्राप्त तोरिया-सरसों प्रायोजना के केन्द्र

1. लुधियाना (पंजाब)
2. जोबनेर (राजस्थान)
3. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
4. कल्याणी (पश्चिम बंगाल)
5. शिल्लोगनी) असम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान प्रायोजना के अनुसंधान केन्द्र

समन्वित एकक — गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर

अनुसंधान केन्द्र :

1. नई दिल्ली
2. परभणी (महाराष्ट्र)
3. बंगलौर (कर्नाटक)
4. पन्तनगर (उ०प्र०)
5. जबलपुर (म०प्र०)
6. पालमपुर (हि०प्र०)
7. रांची (बिहार)
8. कल्याणी (पश्चिम बंगाल)
9. धारवाड़ (कर्नाटक)
10. कोरापुट (उड़ीसा)
11. जोरहाट) असम
12. लुधियाना (पंजाब)

13. जूनागढ़ (गुजरात)

14. अमरावती (महाराष्ट्र)

15. पूना (महाराष्ट्र)

16. मझोरा (उ०प्र०)

17. कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

18. श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)

इस्पात के स्क्रेप का आयात

2008. श्री मोहन भाई पटेल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में इस्पात "स्क्रेप" का आयात किया जाता है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है;

(ख) देश की इस्पात "स्क्रेप" की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) देश में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में इस्पात "स्क्रेप" या "स्पंज" लोहे का उत्पादन होता है;

(घ) क्या मांग को पूरा करने के लिए देश में और "स्पंज" लोह एकक स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन से स्थानों का चयन किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान इस्पात के स्क्रैप/स्पंज लोहे के आयात की मात्रा इस प्रकार है :—

	(मात्रा हजार टन में) 1984-85		(मूल्य लाख रुपये) 1985-86 (फरवरी, 86 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
स्क्रैप जिसमें स्पंज लोहा भी शामिल है।	810	14901	1228	22347

स्टेनलेस (बेदाग) इस्पात का स्क्रैप	6.5	785	5	487
पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप	—	—	3	54

(ख) और (ग) 1985-86 के वर्ष के लिए स्पंज लोहे सहित स्क्रैप की कुल अनुमानित आवश्यकता तथा देशीय उपलब्धता क्रमशः लगभग 35 लाख टन तथा 21 लाख टन है।

(घ) और (ङ) 16 मार्च, 1985 से अतिरिक्त क्षमता की स्थापना में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्पंज लोहा उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

"हुडको" का वित्तीय ढांचा

2009. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीमतों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हुडको द्वारा हाल ही में घोषित अपने वित्तीय ढांचे और उसके द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हुडको की संशोधित वित्त पोषित पद्धति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न आवास योजनाओं के लिए धन देने के हुडको के संशोधित मानदण्ड

श्रेणी	अधिकतम लागत सीमा		धन देने की सीमा		कुल ब्याज दर		वापिसी अदायगी की अवधि	
	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 700 रु० से कम है (विद्यमान) 850 रु० प्रति माह)								
(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-1 (स्थल तथा सेवाएं)								
(i) स्थल तथा सेवाएं (बंजर भूमि को छोड़कर)	5000	6000	5000	6000	4 प्रतिशत	5 प्रतिशत	20 वर्ष	22 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ii) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आवास योजनाएं (नई योजना)	--	6000	—	पूर्ण	—	5 प्रतिशत	—	22 वर्ष
(ग) ई० डब्ल्यू० एस०-II (शहरी)								
बने बनाए आवास एकक	12000	15000	संवर्गित अनुपात	90 प्रतिशत	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत	20 वर्ष	22 वर्ष
(घ) मलिन बस्ती उन्नयन								
पर्यावरणीय सुधार	2000	2000	1000	1000	5 प्रतिशत	6 प्रतिशत	10 वर्ष	20 वर्ष
शहरों के भीतरी भाग में मलिन बस्ती उन्नयन तथा आवास के लिए भी ऋण	3000		पूर्ण			6 प्रतिशत		20 वर्ष
II निम्न आय वर्ग (एल० आई० जी०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 701								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
रु० से 1500 रु० तक है।								
निम्न आय वर्ग I	—	20000		85 प्रतिशत		8.5 प्रतिशत		15 वर्ष
निम्न आय वर्ग-II	20000	30000	संवर्गित अनुपात	85 प्रतिशत	8 प्रतिशत	9.0 प्रतिशत	15 वर्ष	15 वर्ष
III मध्यम आय वर्ग (एम०आई०जी०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 1501 रु० से 2500 रु० तक है।								
मध्यम आय वर्ग-I	30,000	60,000	संवर्गित अनुपात	75 प्रतिशत	10.5 प्रतिशत	11 प्रतिशत	12 वर्ष	15 वर्ष
मध्यम आय वर्ग-II	50,000	1,00,000	—वही —	75 प्रतिशत	11.5 प्रतिशत	$12\frac{1}{2}$ प्रतिशत	12 वर्ष	15 वर्ष
IV उच्च आय वर्ग (एच०आई०जी०) जिनकी पारिवारिक								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मासिक आय 2500 रु० से ऊपर है। उच्च आय वर्ग								
मकान/फ्लैट	125000	250000	संवर्गित अनुपात या प्रति एकक 60,000 रु० जो भी कम हो	60 प्रतिशत	12.5 प्रतिशत	13.5 प्रतिशत	10 वर्ष	15 वर्ष
V मूलभूत स्वच्छता (स्वच्छ घर) व्यक्ति या सामुदायिक सभी श्रेणियां			50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	ई० डब्लू० एस०/एल० आई० जी० 5 प्रतिशत —अन्य 10 प्रतिशत	6 प्रतिशत	12 वर्ष	12 वर्ष
VI ग्रामीण आवास								
(क) भूमिहीन श्रमिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-I (ग्रामीण)	600	600	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	6 प्रतिशत	10 वर्ष	11 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-II (ग्रामीण)	600	10000	50 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	7 प्रतिशत	10 वर्ष	11 वर्ष
(ख) अन्य वर्ग उसी प्रकार के जैसे विभिन्न आय ग्रुपों के लिए शहरी आवास के लिए			——शहरी आवास के अनुसार——					
VII उपयोगिता तथा सामाजिक अधसंरचना								
उपयोगिता, अधसंरचना अर्थात जलपूर्ति नालियां मलनिर्यास सैप्टिक शौचालय आदि, सड़कें गलियों में प्रकाश तथा क्षेत्र विकास आदि।			50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत	12 वर्ष	12 वर्ष
सामाजिक अधसंरचना अर्थात समाज सदन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, चिल्ड्रनं पार्क, कामकाजी महिला होस्टल,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रेचिज के लिए दैनिक देखभाल एकक, संरक्षण आदि								
VIII अन्य कार्यक्रम								
(क) किराये के आवास	1.25 लाख	2.50 लाख	70 प्रतिशत या प्रति एकक 60,000 रु० जो भी कम हो	70 प्रतिशत	13 प्रतिशत	15 प्रतिशत	7 वर्ष	10 वर्ष
(ख) वाणिज्यिक योजना		—	100 प्रतिशत तक पूर्ण		15 प्रतिशत	15 प्रतिशत	6 वर्ष	10 वर्ष

(ग) भूमि अधिग्रहण—हुडको 50 प्रतिशत की सीमा तक धन दे जो कि 12 प्रतिशत की दर के ब्याज (कुल) पर 6 वर्षों में देय होगा। 15 प्रतिशत यदि राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो।

(घ) निर्माण ऋण —निर्माण ऋण प्रत्येक आय वर्ग के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार आवास अभिकरण, सहकारी समिति नियोक्ता के माध्यम से दिया जाए।

(ङ) मरम्मत तथा नवीकरण योजना—प्रत्येक आय वर्ग के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार।

(च) भवन निर्माण सामग्रियां —हुडको उद्यमियों को भूमि प्राप्त करने में सहायता करेगा और कम लागत अनुमोदित भवन निर्माण सामग्रियों

के उत्पादन के लिए एककों के गठन हेतु और फैक्टरी में बने बनाए घटकों के लिए वित्त तथा तकनीकी विशेषतया मुहैया कराएगा। हुडको द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज 13.5 प्रतिशत की दर से होगा।

टिप्पणी :

(i) ऊपर बतायी गई अधिकतम लागत सीमा में पहाड़ी क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के लिए बंजर भूमि की लागत शामिल नहीं होगी।

(ii) (क) जिस मामले में वास्तविक लागत संशोधित अधिकतम लागत सीमा के भीतर है उसमें ऊपर दिए गए वर्गीकरण के आरम्भ होने की तारीख से पहले स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में (ख) जिन मामलों में वास्तविक लागत अधिकतम लागत सीमा में 10 प्रतिशत से अधिक के अन्तराल के भीतर है और योजनाओं को संशोधित पद्धति के अन्तर्गत अभी भी स्वीकृत किया जाना है, के मामलों में कोई पुन: वर्गीकरण नहीं किया जायेगा।

(iii) यदि भवन निर्माण सामग्रियों की लागत में पर्याप्त वृद्धि है तो हुडको के निदेशकों का बोर्ड शहरी विकास मन्त्रालय को सूचित करते हुए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अधिकतम लागत सीमा में अन्तरिम वृद्धि कर सकता है जोकि 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति

2010. प्रो० के० के० तिवारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1985-86 के दौरान राज्य सरकारों ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्यों की उपलब्धि की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सृजित रोजगार का विवरण

(अनन्तिम)
(लाख श्रम दिन)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86 के लिए लक्ष्य	उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	पहले 10 महीनों (जनवरी 1986 तक) के लक्ष्य	10 महीनों के लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि	सूचना की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	163.00	143.88	88.27	119.00	120.91	जनवरी 1986
2.	असम	35.68	18.44	51.68	26.02	70.76	वही
3.	बिहार	281.00	141.25	50.27	205.14	68.86	वही

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गुजरात	70.44	56.18	79.68	51.43	109.24	जनवरी 1986
5.	हरियाणा	8.60	9.51	110.58	6.28	151.43	वही
6.	हिमाचल प्रदेश	11.83	12.02	101.61	8.44	142.42	वही
7.	जम्मू और कश्मीर	14.57	3.59	24.63	10.64	38·74	नवम्बर 1985
8.	कर्नाटक	142.00	101.25	71.30	103.67	97.67	जनवरी 1986
9.	केरल	61.00	37.10	60.82	44.54	43.29	वही
10.	मध्य प्रदेश	156.91	150.98	96.22	114.55	131.80	वही
11.	महाराष्ट्र	189.33	179.48	94.80	138.22	129.85	वही
12.	मणिपुर	2.08	0.07	3.37	1.52	4.60	वही
13.	मेघालय	2.64	1.83	69.32	1.93	94.82	वही
14.	नागालैंड	1.38	1.96	142.02	1.01	194.06	वही
15.	उड़ीसा	146.23	73.42	50.22	106.76	68.78	दिसम्बर 1985

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	पंजाब	17.54	15.71	89.57	12.80	122.73	जनवरी 1986
17.	राजस्थान	43.00	41.87	97.37	31.40	133.34	वही
18.	सिक्किम	1.74	1.43	82.18	1.27	112 60	वही
19.	तमिलनाडु	220.00	131 87	59.94	160.61	82.11	वही
20.	त्रिपुरा	6.53	3.88	59.42	4.77	81.34	वही
21.	उत्तर प्रदेश	385.00	333.17	86.54	281.06	118.54	वही
22.	पश्चिम बंगाल	127.29	70.00	54.99	92.78	75.45	दिसम्बर 1985
संघ शासित क्षेत्र							
23.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1.48	0.46	31.08	1.08	42.59	जनवरी 1986
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.42	0.03	2.11	1.04	2.88	दिसम्बर 1985
25.	चंडीगढ़	0.28	0.04	14.29	0.20	20.00	जनवरी 1986

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दादरा और नगर हवेली	0.87	0.27	31.03	0.64	42.19	जनवरी 1986
27.	दिल्ली	0.58	0.28	48.26	0.42	66.67	वही
28.	गोआ, दमन और दीव	2.07	1.54	74.40	1.51	101.99	वही
29.	लक्ष्य द्वीप	0.39	0.60	153.85	0.28	214.29	वही
30.	मिजोरम	1.31	1.52	116.03	0.96	158.33	वही
31.	पांडिचेरी	1.57	0.38	24.20	1.15	33.04	वही
	अखिल भारत	2097.76	1534.02	73.13	1531.36	100.17	

जनजाति बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

2011. श्री अमर सिंह राठवा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में जनजातियों में बंधुआ मजदूरों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्ष 1978 के दौरान किए गए यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, पता लगाए गए बंधुआ मजदूरों में से 18 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के थे। तथापि जनजातियों में बंधुआ श्रमिकों के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

प्रेस सेंसर व्यवस्था

2012. श्री अमर राय प्रधान : क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रेस सेंसर व्यवस्था अभी भी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश की स्थिति को देखते हुए फिलहाल प्रेस सेंसरशिप लगाना उचित नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियां

2013. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों (1982-83, 1983-84 और 1984-85) के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हुई हैं; और

(ख) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के वार्षिक लक्ष्य क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए वित्तीय आबंटन क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य 2 0 मिलियन श्रम दिन है तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 200 मिलियन श्रमदिन का लक्ष्य है। केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 1250.81 करोड़ रुपये का परिव्यय सुलभ किया गया है जिसमें राज्यों द्वारा भी बराबर का अंशदान दिया जाएगा तथा 1743.78 करोड़ रुपये का परिव्यय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए रखा गया है जो कि सातवीं योजना अवधि में पूर्णतः केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा।

विवरण

1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान नकद निधियों के उपयोग तथा रोजगार सृजन को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम		ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	
	नकद निधियों का उपयोग (करोड़ रुपये में)	रोजगार सृजन (मिलियन मानक दिन)	नकद निधियों का उपयोग (करोड़ रुपये में)	रोजगार सृजन (मिलियन मानक दिन)
1	2	3	4	5
1982-83	396.12	351.20	*	*
1983-84	392.89	302.76	6.21	5.20
1984-85	501.48	353·12	378·53	257.55

* कार्यक्रम का कार्यान्वयन अगस्त, 1983 से आरम्भ हुआ।

[हिन्दी]

शहरों के लिए कम लागत की स्वच्छता योजना

2014. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास निधि के सहयोग से कुछ शहरों का कम लागत की स्वच्छता के बारे में व्यवहारिक अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य वार इन शहरों के नाम क्या हैं जिनके लिए ऐसी परियोजना तैयार की गई है और इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कम लागत की स्वच्छता पर यू० एन० डी० पी० के सहयोग से किए गए व्यवहार्य अध्ययन में शामिल राज्यवार शहरों के नामों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। वृहत योजना रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्तुत कर दी गई हैं। स्वच्छता राज्य का विषय है तथा राज्य बजट में प्रावधान करके राज्यों द्वारा योजनाएं प्रतिपादित एवं निष्पादित की जाती हैं। इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि विभिन्न राज्यों द्वारा कब तक रिपोर्ट कार्यान्वित की जाएगी। तथापि, हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रमों की समीक्षा के अनुसार, 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को 31-3 1991 तक स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कर दिए जाने की आशा है।

विवरण

यू० एन० डी० पी० परियोजना के अन्तर्गत वृहद योजना को तैयार करने के लिए
तथा कम लागत के जलवाही स्वच्छ शौचालय कार्यक्रम की व्यवहार्यता अध्ययन
के लिए चयनित परियोजना कस्बों की सूची

चरण—1

राज्य		कस्बा	जिला	राज्य		कस्बा	जिला
1. असम	1.	गोहाटी	कामरूप		6.	धुबरी	गोलपारा
	2.	डिबरूगढ	डिबरूगढ		7.	करीमगंज	कच्चर
	3.	नौगांव	नौगांव		8.	जोरहाट	शिवसागर
	4.	सिलचर	कच्चर		9.	शिवसागर	शिवसागर
	5.	तेजपुर	दारंग		10.	बापेटा	कामरूप

राज्य		कस्बा	जिला
	11.	उत्तरी लखीमपुर	लखीमपुर
	12.	नलबारी	कामरूप
	13.	मगंल डोल	दारंग
	14.	दीप	कारबिगगोंग
	15.	ह्यलोंग	एन० सी० हिल
2. बिहार	1.	आरा	भोजपुर
	2.	छपरा	छपरा (सरंग)
	3.	धनबाद	धनबाद
	4.	कटिहार	कटिहार
	5.	हजारी बाग	हजारी बाग
	6.	बतिया	पश्चिम (चम्पारन)
	7.	सासाराम	रोहताश
	8.	हाजीपुर	वैशाली
	9.	गिरधी	गिरधी
	10.	बेगुसराय	बेगुसराय
	11.	समस्तीपुर	समस्तीपुर
	12.	सरसा	सरसा
	13.	चक्रधर	सिंहभूमि
	14.	दीनापुर छावनी	पटना
	15.	रक्षसौल	पूर्वी चम्पारन
3. गुजरात	1.	भड़ौच	भड़ौच
	2.	गोदरा	पंचमहल
	3.	धौराजी	राजकोट
	4.	ध्रणगध्रा	सुरेन्द्र नगर
	5.	अमेरली	अमेरली
	6.	वाधवान	सुरेन्द्र नगर
	7.	देशा	बांसकहुवा
	8.	मांदवी	कच्छ
	9.	मंगरौल	जूनागढ़
	10.	वैरा	सूरत
	11.	राधनपुर	बनासकंथा
	12.	विजय	मैहसाना
	13.	प्रान्तीज	सबरकंठा
	14.	हरीजी	मैहसाना
	15.	बंनासडा	बलसाड
4. महाराष्ट्र	1.	सतारा	सतारा
	2.	योतमल	योतमल
	3.	कमगांव	बलडाना
	4.	हिंगनडा	वृधा
	5.	रत्नागिरी	रत्नागिरी
	6.	उदघिर	उसमनाबाद
	7.	अमरेर	नागपुर
	8.	सैगांव	बलधाना

राज्य		कस्बा	जिला	राज्य		कस्बा	जिला
	9.	चैल	रत्नागिरी		14.	पोखरन	जैसलमेर
	10.	सिन्नार	नासिक		15.	अहोर	जालोर
	11.	चिखाली	बुलधाणा	6. तमिलनाडु	1.	तंजौर	तंजौर
	12.	राऊरी	अहमद नगर		2.	कोलाची	कोयम्बतूर
	13.	गाधी गलज	कोहलापुर		3.	अम्बूर	उत्तरी आरकोट
	14.	रामटेक	नागपुर		4.	तेनकाशी	त्रिनेलवली
	15.	त्रिंबाक	नासिक		5.	अतूर	सालीम
5. राजस्थान	1.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा		6.	चैंगलपट्टू	चैंगलपट्टू
	2.	बारान	कोटा		7.	कन्नूर	नीलगिरी
	3.	गंगापुर सिटी	सवाईमा-धोपुर		8.	पाट्टूकोटाई	तंजौर
					9.	गोबीचेटी पलायम	पेरयार
	4.	चित्तौडगढ़	चित्तौडगढ़				
	5.	मकराना	नागपुर		10.	थेनीएली गर्म	मधुरैई
	6.	चौम	जयपुर		11.	पानरूटी	दक्षिण आरकोट
	7.	सरोही	सिरोही				
	8.	सूरतगढ़	गंगानगर		12.	सिरकाली	तंजौर
	9.	पिलानी	झुन्झुन		13.	तुराईयूर	त्रिरूचिरनाली
	10.	सांगनेर	जयपुर		14.	कोडिया कनल	मधुरैई
	11.	नौखामंडी	बीकानेर				
	12.	रामगंजमंडी	कोटा		15.	अरन्थांगी	तंजौर
	13.	भवानीमंडी	झालवाड़ा	7. उत्तर प्रदेश	1.	बदायूं	बदायूं

राज्य		कस्बा	जिला	राज्य		कस्बा	जिला
	2.	मौनाथभंजन	आजमगढ़		11.	मनोबा	हम्मीरपुर
	3.	बलिया	बलिया		12.	कन्नौज	फरूखाबाद
	4.	गाजीपुर	गाजीपुर		13.	कालपी	जालौन
	5.	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी		14.	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
					15.	खेराबांद	सीतापुर
	6.	नजीमाबाद	बिजनौर		16.	सिकन्द्राराव	अलीगढ़
	7.	देवबन्द	सहारनपुर		17.	पौढ़ी	पौढ़ी
	8.	बरहानपुर	घोण्डा		18.	फतेहबाद	आगरा
	9.	बाराबंकी (नवाबगंज)	बाराबंकी		19.	श्रीनगर	पौढ़ी
					20.	नरेन्द्रनगर	टिहरी
	10.	बड़ौत	मेरठ				

चरण II

1. आंध्र प्रदेश	1.	प्रोवात्तुर	कुडना		11.	टाडेपल्ली गुड्डम	पश्चिम गोदावरी
	2.	खेम्म	खेम्म				
	3.	नदियाल	कूरनूल		12.	बापतल्ला	गन्तूर
	4.	महबूबनगर	महबूब-नगर		13.	मदनापल्ली	चित्तूर
					14.	अदलाबाद	अदलाबाद
	5.	करीमनगर	करीमनगर		15.	धरमावरम	अन्नतपुर
	6.	अंगोलि	पराकसम		16.	कव्वाली	नैलोरे
	7.	गुंटाकल	आनन्दपुर		17.	अमलापुरम	पूर्वी गोदावरी
	8.	गुड्डी वड्डे	कृष्णा				
	9.	अनाकपल्ली	विशाखा-पत्तनम		18.	भिमूनी पटनम	विशा-पत्तन
	10.	श्री काकूलम	श्री-काकूमम		19.	संगरारेड्डी	मेडक
					20.	गाडविल	महबूबनगर

राज्य		कस्बा	जिला	राज्य		कस्बा	जिला
2. हरियाणा	1.	फतेहबाद	हिसार		14.	मालावली	माण्ड
	2.	साहबाद	कुरूक्षेत्र		15.	तारीकेरे	चिकमंगूलर
	3.	होडल	फरीदाबाद	6. केरल	1.	त्रिचूर	त्रिचूर
	4.	घरौन्दा	करनाल		2.	बड़ागाड़ा	कोजीकोड़े
	5.	कलानौर	रोहतक		3.	पोनानी	मालापुरम
	6.	छछरौली	अम्बाला		4.	केसरगढ़	कन्नूर
3. हिमाचल प्रदेश	1.	धर्मशाला	कांगडा		5.	पूनालूर	कुईलोन
					6.	सौरीनूर	पालघाट
	2.	सुन्दरनगर	मण्डी		7.	अट्टी गंल	त्रिवेन्द्रम
4. जम्मू तथा कश्मीर	1.	सौपोरे	बारामूला		8.	मावली ककारा	अल्लीपेई
5. कर्नाटक	1.	रोबंटसनपेट	कोलार		9.	मवातुपूझी	अरणाकलम
	2.	रबकावी बनहाटी	बीजापुर		10.	पैलई	कोटायम
				7. मध्यप्रदेश	1.	दुर्ग	दुर्ग
	3.	चन्नापटना	बंगलौर		2.	सतना	सतना
	4.	डोडाबलपुर	मंगलौर		3.	देवास	देवास
	5.	चिकबलपुर	कोलार		4.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा
	6.	सागर	सिमोगा		5.	नीमच	मंदसौर
	7.	नजंनगूड	मैसूर		6.	इटारसी	होसगांबाद
	8.	बसवकल्याण	बिदार		7.	गुना	गुना
	9.	तिनतूर	तुमकूर		8.	बालघाट	बालघाट
	10.	अथानी	बेलगांम		9.	बेतुल	बेतुल
	11.	कमानली	बैलारी		10.	अम्बीकापुर	सरगुजा
	12.	सौरापुर	गुलबुरगा		11.	नरसिमापुर	नरसिमापुर
	13.	लक्ष्मेश्वर	धारवाड़		12.	मांडला	मांडला

राज्य		कस्बा	जिला	राज्य		कस्बा	जिला
	13.	भरतपुर	रायपुर	11. पश्चिम बंगाल	1.	शांतिपोर	नाडिया
	14.	खुराई	सागरपुर				
	15.	सिद्दी	सिद्दी		2.	अलीपुरद्वार	जलपाई गुड़ी
8. उड़ीसा	1.	सम्भलपुर	सम्भलपुर				
	2.	पुरी	पुरी		3.	जंगीपुर	मुर्शिदाबाद
	3.	बालेश्वर	बालेश्वर		4.	बोलपुर	बीरभूमि
	4.	बालनगिर	बालनगिर		5.	घटाल	मेदनीपुर
	5.	जयपोर	कोरापुट		6.	आरामबाग	हुबली
	6.	बारीपडा	मयुरभंज		7.	मुर्शिदाबाद	मुर्शिदा-बाद
	7.	बारबिल	कंझार				
	8.	पालखी मिडी	गंजम		8.	सोनामुखी	बंकुरा
	9.	केन्द्रनारा	कटक		9.	कुरसोंग	दार्जिलिंग
9. पंजाब	1.	मनसा	भटिण्डा		10.	रघुनाथपुर	पुरलैया
	2.	जैतूर	फरीदकोट		11.	रामजी वनपुर	मैदनीपुर
	3.	मौर	भटिण्डा				
	4.	बुढला	भटिण्डा		12.	तुफानगंज	कूच बिहार
	5.	लेहरागग	संगरूर	12. गोवा	1.	संगम	गोवा
	6.	बारेटा (मण्डी)	भटिण्डा		2.	वालपैई	गोवा
				13. मिजोरम	1.	एजवल	एजवल
10. त्रिपुरा	1.	उदयपुर	दक्षिणी त्रिपुरा	14. पांडिचेरी	1.	यनम	यनम

[अनुवाद]

भंजनगर में उड़ीसा में कृषि विज्ञान केन्द्र

2015. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उड़ीसा में भंजनगर में कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए धनराशि जारी नहीं की और इसलिए इसके कार्य में प्रगति नहीं हो सकी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भंजनगर (गंजम), उड़ीसा स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए वर्ष 1985-86 का अनुदान उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर को पहले ही दिया जा चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोने की खानों की खोज

2016. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उन क्षेत्रों का ब्योरा क्या है जहां पर सोने की खोज की गई है और सोने की खानें मिलने की सम्भावनाएं हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा खनिज गवेषण निगम लि० आदि द्वारा हाल में निम्नलिखित स्थानों/क्षेत्रों में स्वर्ण गवेषण किया गया है :—

(1) कर्नाटक के रायचूर जिले की हट्टी मस्की शिस्ट पट्टी, बुडीनी तथा कडोनी खंड।

(2) कर्नाटक के जिला धारवाड़ की गदाग शिस्ट पट्टी के होसुर चैम्पियन तथा येल्ली सिकर खंड।

(3) कर्नाटक के जैनापुर, मंगलूर पूर्व और पश्चिम में कोलार शिस्ट पट्टी के भू-भाग।

(4) कर्नाटक में शिमोगा जिले के कुडीकोंडा पल्लवनाहल्ली होने-हट्टी तम्मादिहाली तथा सिमनमाने क्षेत्र।

(5) कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में मंगलूर शिस्ट पट्टी के मुकनगोवी खंड।

(6) आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के चिगारगुंटा और मालप्पकोंडा, अनंतरपुर जिले के रामगिरि गोल्ड फील्ड में ओमप्रतिमा गन्टालप्पा खंड।

(7) केरल के मालाप्पुरम जिले के निलाम्बर क्षेत्र।

(8) बिहार में सिंहभूम जिले की सोनोपेट घाटी।

(9) उड़ीसा के क्योंझर जिले के तेलकोई तथा निकटवर्ती क्षेत्र।

2. प्रति टन स्वर्ण अंश सहित संसाधन (मिलियन टनों में) इस प्रकार है :—

(जी० एस० आई० द्वारा प्रमाणित भंडार)

(i) हट्टी ब्लाक में 0.564 मिलियन टन स्वर्ण अंश प्रतिटन 2.85 से 4.39 ग्राम।

(ii) चिगारगुंटा, 4.18 मिलियन टन स्वर्ण अंश 4.6 ग्राम/टन।

(iii) होसुर चेम्पियन, 0.54 मिलियन टन, स्वर्ण अंश 4.6 ग्राम/टन।

(खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा प्रमाणित भंडार)

(i) मालप्पकोंडा क्षेत्र, 0.77 मिलियन स्वर्ण अंश 2.47 ग्राम प्रति टन।

(ii) चिगारगुंटा ब्लाक—I, 0.63 मिलियन टन स्वर्ण अंश 7.69 ग्राम प्रति टन।

(iii) रामगिरि क्षेत्र में येराप्पा-गंटालप्पा खंड, 36,000 टन, स्वर्ण अंश 2 ग्राम प्रति टन।

3. इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, तथा चण्डीगढ़ के विभिन्न भागों में स्वर्ण का गवेषण किया जा रहा है।

4. मई, 1984 में भारत गोल्ड माइन्स लि० ने आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के रामगिरि गोल्ड फील्ड में येप्पामाना स्वर्ण खान चालू की है। आन्ध्र प्रदेश के चिगारगुंटा क्षेत्र में एक स्वर्ण खान के लिए विस्तृत गवेषण चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने पर स्वर्ण खान चालू करने के लिए विचार किया जाएगा।

बीड़ी उद्योग में कल्याण कोष योजना

2017. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग में कोई कल्याण कोष योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों से कितना उपकर वसूल किया गया है; और

(ग) इस योजना से केरल और अन्य राज्यों में कितने बीड़ी श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 में बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याण कार्यकलापों की व्यवस्था है। कल्याण योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि की व्यवस्था है।

(ख) श्रमिकों से कोई उपकर वसूल नहीं किया जाता है। आबकारी विभाग द्वारा प्रति 1000 निर्मित ब्रांडेड बीड़ियों पर दस पैसे की दर से नियोजकों से कल्याण उपकर वसूल किया जाता है।

(ग) बीड़ी श्रमिकों के लिए 130 औषधालय, दस पलंगों वाला एक अस्पताल और एक चैस्ट क्लीनिक है। सात औषधालय केरल में हैं। इन सात औषधालयों में प्रति-दिन आने वाले रोगियों की औसत संख्या 80 है।

वर्ष 1984-85 में बीड़ी श्रमिकों के 17,618 बच्चों को 51,51,159/— रुपये की राशि के बराबर छात्रवृत्तियां दी गई। इनमें से, 261,445/— रुपये की राशि के बराबर 1,214 छात्रवृत्तियां केरल में दी गई।

तथापि, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत फायदा पाने वाले बीड़ी श्रमिकों की सही संख्या के बारे में राज्य वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र में रंगीन कार्यक्रम तैयार करना

2018. **श्री टी० बशीर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र में रंगीन कार्यक्रम तैयार करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र के विकास के लिए क्या प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) त्रिवेन्द्रम के अन्तरिम स्टूडियो ढांचे में रंगीन में क्षेत्र-आधारित कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए ई० एन० जी० उपकरण उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) त्रिवेन्द्रम में रंगीन में कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए सुसज्जित एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र संस्थापनाधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान बढ़ाया जाना

2019. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान को 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने भविष्य निधि अंशदान की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का सामान्यतः समर्थन किया, हालांकि नियोजक दल ने इस मामले में कुछ संकोच व्यक्त किए थे। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में संशोधन करने के लिए अन्य कुछ प्रस्तावों के साथ इस सम्मेलन की उक्त सिफारिश पर भी विचार किया जा रहा है।

लेह आकाशवाणी का मीडियम वेव ट्रांसमीटर

2020 श्री पी० नामग्याल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह आकाशवाणी के मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति बहुत कम हो गई है और दिन के समय 20 किलोमीटर तथा रात के समय 60 से 70 किलोमीटर से अधिक दूरी तक उसका कार्यक्रम सुनाई नहीं देता है;

(ख) क्या समस्त लद्दाख क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से ट्रांसमीटर के कम शक्तिशाली होने के बारे में शिकायतें कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर नए और अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर के साथ कब बदला जाएगा और पड़ौसी देशों द्वारा किए जा रहे भारी प्रचार का मुकाबला करने के लिए प्रस्तावित शार्ट वेव ट्रांसमीटर को कब स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी, लेह के 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 25 से 40 किलोमीटर की परिधि के अन्दर प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा उपलब्ध करने की है। ट्रांसमीटर निर्धारित शक्ति पर रेडियट कर रहा है। तथापि, स्थलाकृत परिस्थितियों में भिन्नता के कारण ट्रांसमीटर की प्रभावी परिधि विभिन्न दिशाओं में अलग-अलग है तथा रात्रिकालीन कवरेज दिवाकालीन कवरेज की तुलना में कम है।

(ख) जी, हां।

(ग) शार्टवेव ट्रांसमीटर बेहतर सेवा प्रदान करेगा। तदनुसार, आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में लगभग 400 किलोमीटर की पूरे क्षेत्र में समर्थन सेवा उपलब्ध करने के लिए लेह में 10 किलोवाट शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम है।

आकाशवाणी, दिल्ली की क्षमता

2021. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां आकाशवाणी केन्द्र स्थित हैं तथा प्रत्येक केन्द्र की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या देश में ऐसा कोई आकाशवाणी केन्द्र नहीं है जहां से किए गए प्रसारण उतना ही श्रव्य हो जितना की विश्व के तमाम देशों में बी० बी० सी० के प्रसारण श्रव्य होते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आकाशवाणी, दिल्ली के प्रसारणों को विश्व में सर्वत्र श्रव्य बनाने के लिए उसकी क्षमता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) बी० बी० सी० की विदेश सेवाओं में उसके प्रसारण अधिक मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि बी० बी० सी० शक्तिशाली शार्ट वेव ट्रांसमीटरों और रिले केन्द्रों का उपयोग करता है। विदेश सेवाओं में आकाशवाणी के प्रसारण भी कुछ देशों के लक्षित क्षेत्रों में बी० बी० सी० के प्रसारणों के समान तुलनीय है। आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में मौजूद विदेश प्रसारणों को सुदृढ़ करने के लिए 500-500 किलोवाट के चार उच्च शक्ति वाले शार्ट वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें शामिल की हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने के बाद भी यह सम्भव हो सकता है कि आकाशवाणी के प्रसारण विश्व के लेटिन अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदि जैसे कुछ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सुनाई न दें।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/आकाशवाणी केन्द्र का नाम	ट्रांसमीटर (ट्रांसमीटरों) की शक्ति	केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश		
	1. हैदराबाद	50 कि० वा० मी० वे०	
		10 " " " "	

1	2	3	4
		10 कि०वा० शार्ट वेव	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	2. विजयवाड़ा	20 ,, ,, मी० वेव	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	3. विशाखापत्तनम	100 ,, ,, ,, ,,	
	4. कुडप्पा	100 ,, ,, ,, ,,	4
2.	असम		
	1. गोहाटी	50 ,, ,, ,, ,,	
		10 ,, ,, ,, ,,	
		10 ,, ,, शार्टवेव (2 संख्या)	
	2. सिलचर	10 ,, ,, मी० वेव	
	3. डिब्रुगढ़	100 ,, ,, ,, ,,	3
3.	बिहार		
	1. पटना	20 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	2. रांची	10 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
		2 ,, ,, शार्ट वेव	
	3. भागलपुर	10 ,, ,, मी० ,,	
	4. दरभंगा	10 ,, ,, ,, ,,	4
4.	गुजरात		
	1. अहमदाबाद	50 ,, ,, ,, ,,	
	2. बड़ौदा	1 ,, ,, ,, ,,	

1	2	3	4
	3. भुज	10 कि० वा० मी० वे०	
	4. राजकोट	20 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	4
5.	हरियाणा		
	1. रोहतक	20 ,, ,, ,, ,,	1
6.	हिमाचल प्रदेश		
	1. शिमला	100 ,, ,, ,, ,,	
		2.5 ,, ,, शार्ट वेव	1
7.	जम्मू और कश्मीर		
	1. श्रीनगर	200 ,, ,, ,, ,,	
		7.5 ,, ,, शार्ट वेव	
		1 ,, ,, मी० वेव	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	2. जम्मू	50 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, शार्ट वेव	
		1 ,, ,, मी० वेव	
	3. लेह	10 ,, ,, ,, ,,	3
8.	कर्नाटक		
	1. बंगलौर	50 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	2. भद्रावती	20 ,, ,, ,, ,,	
	3. धारवाड़	10 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	

1	2	3	4
	4. गुलबर्गा	10 कि० वा० मी० वे०	
	5. मंगलौर/उड़िप्पी	20 ,, ,, ,, ,,(उडिप्पी)	
		1 ,, ,, ,, ,,(मंगलौर)	
		1 ,, ,, ,, ,,	
9.	केरल		
	1. अलेप्पी	100 ,, ,, ,, ,,	
	2. कालीकट	10 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	3. त्रिचूर	20 ,, ,, ,, ,,	
	4. त्रिवेन्द्रम	10 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	4
10.	मध्य प्रदेश		
	1. अम्बिकापुर	20 ,, ,, ,, ,,	
	2. भोपाल	10 कि०वा० शा० वे०	
		1 कि०वा० मी० वे०	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	3. छतरपुर	20 ,, ,, ,, ,,	
	4. ग्वालियर	10 ,, ,, ,, ,,	
	5. इन्दौर	100 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	6. जबलपुर	20 ,, ,, ,, ,,	
	7. जगदल पुर	20 ,, ,, ,, ,,	
	8. रायपुर	100 ,, ,, ,, ,,	
	9. रीवा	20 ,, ,, ,, ,,	9
11.	महाराष्ट्र		
	1. औरंगाबाद	1 ,, ,, ,, ,,	

1	2	3	4
	2. बम्बई	20 कि० वा० मी० वे०	
		50 ,, ,, ,, ,,	
		10 ,, ,, शा० वे०	
		20 ,, ,, मी० वेव	
		15 ,, ,, ई०आर०पी०एफ०एम०	
11.	महाराष्ट्र		
	3. जलगांव	20 कि०वा० मी० वे०	
	4. नागपुर	100 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, , ,,	
	5. परभनी	10 ,, ,, ,, ,,	
	6. पुणे	100 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	7. रत्नागिरी	20 ,, ,, ,, ,,	
	8. सांगली	20 ,, ,, ,, ,,	8
12.	मणिपुर		
	1. इम्फाल	50 ,, ,, ,, ,,	1
13.	मेघालय		
	1. शिलांग	1 ,, ,, ,, ,,	(100 कि०वाट मी० वे० अभी चालू होना है)
	2. तुरा	1 ,, ,, ,, ,,	(अंतरिम ढांचा) 2
14.	नागालैंड		
	1. कोहिमा	50 ,, ,, ,, ,,	
		2 ,, ,, शा० वे०	1

1	2	3	4
15.	उड़ीसा		
	1. कटक	100 कि० वा० मी० वे०	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	2. जेपौर	20 ,, ,, ,, ,,	
	3. सम्बलपुर	20 ,, ,, ,, ,,	3
16.	पंजाब		
	1. जालंधर	100 ,, ,, ,, ,,	
		50 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	1
17.	राजस्थान		
	1. जयपुर	1 ,, ,, ,, ,,	(2 संख्या)
	2. अजमेर	20 ,, ,, ,, ,,	
	3. बीकानेर	10 ,, ,, ,, ,,	
	4. उदयपुर	10 ,, ,, ,, ,,	
	5. जोधपुर	100 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	6. [सूरतगढ़	20 ,, ,, ,, ,,	6
18.	सिक्किम		
	1. गंगटोक	10 ,, ,, ,, ,,(अन्तरिम ढांचा)	1
19.	तमिलनाडु		
	1. कोयम्बतूर	10 ,, ,, ,, ,,	
	2. मद्रास	20 ,, ,, ,, ,,	
		10 ,, ,, शा० वे०	

1	2	3	4
		1 कि० वा० मी० वे०	
		2.5 ,, ,, ,, ,,	
		[15 कि०वा०ई०आर०पी०एफ०एम०	
	3. त्रिचुरापल्ली	50 कि०वा० मी० वे०	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	4. तिरुनेलवेली	10 ,, ,, ,, ,,	
	5. नागरकुवेल	1 ,, ,, ,, ,,	5
20.	त्रिपुरा		
	1. अगरतला	20 ,, ,, ,, ,,	1
21.	उत्तर प्रदेश		
	1. लखनऊ	50 ,, ,, ,, ,,	
		10 ,, ,, शा० वे०	
		1 कि०वा० मी० वे०	
	2. इलाहाबाद	1 ,, ,, ,, ,,	
		1 ,, ,, ,, ,,	
	3. वाराणसी	10 ,, ,, ,, ,,	
	4. रामपुर	10 ,, ,, ,, ,,	
	5. कानपुर	1 ,, ,, ,, ,,	
	6. मथुरा	1 ,, ,, ,, ,,	
	7. गोरखपुर	100 ,, ,, ,, ,,	
	8. नजीबाबाद	100 ,, ,, ,, ,,	8
22.	पश्चिम बंगाल		
	1. कलकत्ता	100 ,, ,, ,, ,,	
		50 ,, ,, ,, ,,	

1	2	3	4
		20 कि० वा० मी० वे०	
		10 ,, ,, शा० वे०	
		2.5 कि०वा० मी० वे०	
		15 कि० वा०ई०आर०पी०एफ०एम०	
	2. कुर्सियांग	20 कि०वा० शा० वे०	
	3. सिलीगुड़ी	20 कि० वा०मी० वे०	3
	संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	1. पोर्ट ब्लेअर	20 ,, ,, ,, ,,	1
2.	अरुणाचल प्रदेश		
	1. पासीघाट	150 वा० ,, ,, ,,	
	2. तवांग	500 वा० मी० वे०	
	3. तेजू	350 ,, ,, ,,	3
3.	चंडीगढ़		
	1. चंडीगढ़	1 कि०वा० मी०वे०	1
4.	दिल्ली		
	1. दिल्ली	100 ,, ,, ,, ,,	(2 संख्या)
		10 ,, ,, ,, ,,	(2 संख्या)
		10 ,, ,, शा० वे०	
		15 कि०वा०ई०आर०पी०एफ०एम०	1
5.	गोवा दमन और द्वीव		
	1. पणजी	10 कि०वा० मी० वे०	
		5 ,, ,, ,, ,,	1

1	2	3	4
6.	पांडिचेरी		
	1. पांडिचेरी	1 कि०वा० मी० वे०	1
7.	मिजोरम		
	1. ऐजवाल	20 " " " "	
		10 कि० वा० शा०वे०	1
8.	लक्षद्वीप और मिनीकोय द्वीप समूह		
	——		
9.	दादर और नगर हवेली		
	——		
		कुल :	88

नोट : इस विवरण में राजकोट और कलकत्ता के 2 मेगावाट ट्रांसमीटर तथा अलीगढ़, बंबई, मद्रास और दिल्ली के शार्टवेव ट्रांसमीटर, जिनका मुख्य रूप से उपयोग विदेश सेवाओं/आंतरिक समाचार लिंक-अप, आदि के लिए किया जाता है।

देश में शहरी भूमि नीति

2022. डा० जी० विजयरामा राव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्पष्ट शहरी भूमि नीति तैयार करने के लिए एक आयोग स्थापित करने का है जिसका उद्देश्य देश में प्रत्येक गृहहीन के लिए गृह उपलब्ध कराना तथा इस विषय पर श्वेतपत्र जारी करना है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब किया जाएगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) शहरी विकास की नीति के ढांचे के भीतर वर्तमान शहरी भूमि नीति काफी व्यापक है तथा इसमें शहरी गरीबों को सामर्थ्य योग्य कीमतों पर भूमि देने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 10 के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ शहरी भूमि की कीमतों में अवांछित वृद्धि को रोकना तथा सामर्थ्य योग्य मूल्य पर शहरी गरीबों को विकसित भूमि उपलब्ध कराना है। शहरी गरीबों को

सामर्थ्य योग्य आवास देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए स्थलों तथा सेवाओं और आवास की राज्य क्षेत्र की योजनाएं भी महत्वपूर्ण कदम हैं।

सरकार ने श्री चार्ल्स कोरिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की भी स्थापना की है और यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ शहरी विकास के भौतिक, वित्तीय तथा आश्रय के पहलुओं पर विचार करेगा।

शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण

2023. श्री पी० मानिक रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 फरवरी, 1986 को मीर जाफर और ईस्ट इण्डिया कम्पनी पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन के निगरानी एकक द्वारा किए गए आकलन के अनुसार उस कार्यक्रम पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) बच्चों के लिए अभिप्रेत "आजादी की कहानी" नामक एक धारावाहिक के अंग के रूप में "मीर जाफर" बनाम ईस्ट इंडिया कम्पनी पर कार्यक्रम 2-2-1986 को टेलीकास्ट किया गया था। यद्यपि इस कार्यक्रम के बारे में दूरदर्शन के दर्शक अनुसंधान एकक द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी सम्बन्धित सप्ताह में टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों के एक सीमित सर्वेक्षण से पता चला कि दर्शकों ने इस कार्यक्रम को पसन्द किया। "एकता" नामक नृत्य बैलेट "कहां गए वो लोग" नामक धारावाहिक कार्यक्रम जैसी इसी प्रकार के कार्यक्रम को राष्ट्रीय सन्जाल पर पहले से टेलीकास्ट किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न दूरदर्शन केन्द्र भी स्वतन्त्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार के और कार्यक्रम बनाने और उन्हें टेलीकास्ट करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में "नाल्को" परियोजना का कार्यान्वयन

2024. श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय अल्यूमिनियम निगम (नाल्को) परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसमें कब से उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है;

(ख) इसके उत्पादों के विपणन के लिए कौन सी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) कुल कितने स्थानीय जनजातियों के लोग उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने पर विस्थापित हुए और उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक विभिन्न श्रेणियों में रोजगार प्रदान किया गया है और कितने व्यक्ति अभी रोजगार की प्रतीक्षा में हैं;

(घ) क्या उक्त उपक्रम में रोजगार देने के लिए उन्हें कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रबंध किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) परियोजना, आमतौर से कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। बाक्साइट खान, कार्यक्रम के अनुसार नवम्बर 1985 में पूरी हो गई है। निर्माण की प्रतिशत प्रगति तथा चालू होने की तारीखें निम्न प्रकार हैं :—

	प्रतिशत प्रगति (31-1-86 को)	चालू होने की तारीखें
एल्यूमिना रिफाइनरी	71.0	सितम्बर, 1986
एल्यूमिनियम प्रद्रावक	68.3	दिसम्बर, 1986
ग्रहीत बिजलीघर (पहली दो यूनिटें)	64.6	दिसम्बर, 1986

(ख) नाल्को में एक विपणन विभाग खोला गया है।

(ग) और (घ) दामनजोड़ी आदिवासी पट्टी में 256 जनजातीय परिवार, विस्थापित होने का अनुमान है। अब तक 173 परिवारों को हटाया जा चुका है। इन 256 परिवारों में से 48 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, 23 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा अन्य 17 को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। प्रशिक्षण की एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षुओं को 400/-रु० मासिक वृत्तिका दी जाती है। इस समय, 100 विस्थापित आदिवासी व्यक्ति विभिन्न ठेकेदारों के साथ भी काम कर रहे हैं। नाल्को प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सक्षम व्यक्ति को, पद उपलब्ध होने और ऐसे व्यक्ति को पद योग्य होने पर रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में चावल उत्पादन

2025. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम में चावल की प्रति एकड़ औसतन उपज राष्ट्रीय औसतन उपज से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो असम में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। असम में चावल की औसतन उपज राष्ट्रीय औसतन उपज से कम है।

(ख) 1. चालू वर्ष 1985-86 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, चावल उत्पादन में आने वाली बाधाओं पर काबू पाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अग्रणी के रूप में राज्य में चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 1984-85 के दौरान क्रियान्वित की गई थी।

2. विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के अलावा नई प्रौद्योगिकी के प्रसारण सहित चावल मिनि-किट एवं सामुदायिक पौधशाला की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी असम में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज मिनिकिट किसानों को निःशुल्क वितरित किए जाते हैं, सामुदायिक पौधशाला उगाने के लिए किसानों को सहायता दी जाती है और विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

हैदराबाद में आयोजित फिल्मोत्सव में प्रदर्शित फिल्में

2026. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में जनवरी के अन्त में आयोजित फिल्मोत्सव पर कितनी राशि खर्च हुई है इसकी उपलब्धियां और कमियां यदि कोई अनुभव की गई हैं तो वे क्या हैं और भविष्य में होने वाले फिल्मोत्सवों में इनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस फिल्मोत्सव में कितनी क्षेत्रीय फिल्म में, विशेषकर बंगाली फिल्म प्रदर्शित की गई और फिल्मों के चयन की पद्धति क्या थी और इन पर दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे समारोहों में क्षेत्रीय फिल्मों को उचित महत्व नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शित की जाने

वाली विदेशी हिन्दी और क्षेत्रीय फिल्मों में उचित समानता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जनवरी, 1986 में हैदराबाद में फिल्मोत्सव 86 के आयोजन पर वास्तविक कितना व्यय हुआ इसका अभी पता नहीं चला है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा इस परियोजना के लिए 50,86,000/-रुपये का बजट मंजूर किया गया था।

हमारे समारोह से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए कारगर सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक समारोह में कुछ संगठनात्मक समस्याएं होती हैं। समारोह का उद्देश्य विश्व की फिल्मों के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करना है ताकि वे अपनी फिल्म कला की विशिष्ठता प्रतिबिम्बित कर सकें। विभिन्न देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक आधार-विचारों के संदर्भ में उनकी फिल्म-संस्कृतिक की जानकारी में योगदान देना और विश्व के विभिन्न लोगों के बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है।

(ख) मुख्य वर्ग में दिखाई गई भारतीय भाषा की एक फीचर फिल्म के अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं की फीचर फिल्में, भारतीय पेनोरमा, भारतीय रेस्ट्रोस्पेक्टिव और तृतीय विश्व महिला फिल्म वर्ग में दिखाई गई थी। भारतीय पेनोरमा और भारतीय रेस्ट्रोस्पेक्टिव वर्ग प्रत्येक में एक बंगला फिल्म दिखाई गई थी। भारतीय पेनोरमा की फिल्मों का चयन निर्देशकों, लेखकों, समीक्षकों आदि के एक अखिल भारतीय पैनल द्वारा किया गया था। भारतीय रेट्रोस्पेक्टिव फिल्मों का चयन राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, उन फिल्मी हस्तियों, जिनके रेट्रोस्पेक्टिवों का आयोजन किया गया था, आदि से परामर्श करके फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा किया गया था। तृतीय विश्व महिला फिल्म वर्ग के मामले में, फिल्मों का चयन एक चयन पेनल द्वारा किया गया था। जहां तक बाक्स आफिस प्रतिक्रिया का संबंध है, भारतीय भाषाओं की फिल्मों में आमतौर पर अच्छी उपस्थिति नहीं रही।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा फिल्मोत्सव के लिए फिल्म प्रिन्टों की निकासी

2027. **श्री सोडे रमैया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म समारोह फिल्मोत्सव के लिए फिल्म प्रिंट पहुंचने में विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या इस बार सीमा शुल्क विभाग से फिल्म प्रिंटों की निकासी का कार्य समारोह निदेशालय की बजाय एक ट्रैवल एजेन्सी द्वारा किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) काम मैसर्स सीता वर्ल्ड ट्रेवल्ज को सौंपा गया था। ट्रेवल एजेन्सी को काम इसलिए सौंपा गया था, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि ट्रेवल एजेन्सी प्रिंटों की निकासी और संगत सेवाएं दिल्ली और हैदराबाद दोनों को दक्षता से उपलब्ध करा सकेगी।

[हिन्दी]

फिल्मों में भारतीय संस्कृति का न दर्शाया जाना

2028. श्री आर० एम० भोये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में भारतीय लोगों द्वारा देखे जाने वाले भारतीय चलचित्रों में भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को नहीं दर्शाया जाता है और वे लगभग विदेशी चलचित्रों जैसे ही होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे चलचित्रों का प्रोडक्शन बन्द करने के लिए क्या उपाय कर रही है जिनमें भारतीय संस्कृति को नहीं दर्शाया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्किम्ड मिल्क पाउडर और सफेद मक्खन का आयात

2029. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डेरी निगम स्किम्ड मिल्क पाउडर और सफेद मक्खन का भारी मात्रा में आयात कर रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी निजी दुग्ध डेरियों के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर और सफेद मक्खन को बाजार में बेच पाना कठिन हो रहा है; और

(ग) क्या निजी डेरियों के पास स्किम्ड मिल्क पाउडर की फालतू मात्रा को ध्यान में रखते

हुए सरकार का विचार स्किम्ड मिल्क पाउडर के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय डेरी निगम वाणिज्यिक रूप से किसी सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और सफेद मक्खन का आयात नहीं कर रहा है। तथापि, भारतीय डेरी निगम ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सप्रेटा दुग्ध चूर्ण, बटर आयल बटर की सीमित मात्रा उपहार सप्लाई प्राप्त कर रहा है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण करने वाले एककों ने मंडी में स्किम दुग्ध चूर्ण तथा सफेद मक्खन के निपटान में उनके द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को विशेष रूप से कोई सूचना सरकार को नहीं दी है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषधीय तथा सुगंधित पौध अनुसंधान केन्द्र

2030. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार राष्ट्रीय औषधीय तथा सुगंधित पौधा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार औषधीय तथा सुगंधित पौधों के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर को एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने का भी है; और

(ग) क्या बागवानी के क्षेत्र में फ्रांस के साथ कोई सहयोग करार हुआ है और शराब निर्माण बायो-प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरी और सुगंधित पौधा जैसे क्षेत्रों में भी करार को अन्तिम रूप दिया गया है तथा उस पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। फिर भी, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान पहले से ही इन फसलों पर कार्य कर रहा है।

(ग) जी हां, श्रीमान। एक भारत-फ्रांस प्रोटोकोल पर जून, 1984 में हस्ताक्षर किया गया

है जिसके अन्तर्गत फलों, सब्जियों, औषधीय और शोभाकारी पौधों, टीस्यू कल्चर, जैव-प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग आदि जैसे कृषि से सम्बन्धित सामान्य हित वाले क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सहयोग की व्यवस्था की गई है। इस प्रोटोकोल के एक पक्ष के रूप में भा० कृ० अ० प० फ्रांस की एक अपनी जैसी एजेंसी जिसे आई० एन० आर० ए० कहा जाता है, के साथ एक पृथक समझौता करने जा रही है। यह समझौता कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में होगा, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

कपास मूल्य गारंटी और संरक्षण योजना

2031. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन राज्यों में किसानों के लिए कपास मूल्य गारंटी और संरक्षण योजना प्रवृत्त है और क्या सरकार का विचार इस योजना को सभी कपास उत्पादक राज्यों में लागू करने का है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार वर्षानुवर्ष विभिन्न किस्मों के कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सरकार ने महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां किसानों से समूची कपास की खरीद महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ द्वारा राज्य सरकार की एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के तहत की जाती है, एक सार्वजनिक एजेन्सी अर्थात भारतीय कपास निगम को विपणन समर्थन सम्बन्धी कार्य करने के लिए नामित किया जाता है ताकि देश के विभिन्न भागों में इन मूल्यों को बनाए रखा जा सके। महाराष्ट्र में एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के तहत, राज्य सरकार ने विभिन्न किस्मों की कपास के लिए गारंटी मूल्य निर्धारित किए हैं, जिस पर राज्य विपणन संघ इनकी खरीद करती है। इस प्रकार के गारंटी मूल्य कपास उत्पादक राज्यों की किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों को निर्धारित करने तथा विपणन समर्थन सम्बन्धी कार्य करने की वर्तमान प्रक्रिया जहां आवश्यक समझी जाती है, कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है। तदनुसार, सरकार इस सम्बन्ध में किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

बरौनी में नया दूरदर्शन रिले केन्द्र

2032. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में बरौनी औद्योगिक क्षेत्र में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) बरौनी औद्योगिक क्षेत्र सामान्यत: पटना के उच्च शक्ति (10 किलो वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा-क्षेत्र के अन्दर है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा को और सुदृढ़ करना भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए परिषद का कार्यकरण

2033. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने संबंधी परिषद के क्या कार्य हैं;

(ख) इस परिषद के कार्य आरम्भ करने से अब तक इसकी उपलब्धियां और की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं :—

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा इसकी सहयोगी निकायों के अधीन क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास तथा प्रसार संबंधी सभी प्रयासों के समन्वय हेतु राष्ट्रीय नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करना;

2. विभिन्न संगठनों द्वारा अनुसंधान तथा विकास प्रयासों के लिए निधियां सुलभ करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना;

3. अनुसंधान तथा विकास की मौजूदा संस्थाओं को सुदृढ़ करना अथवा संस्थाओं को स्थापित करना ताकि पूर्णतया अथवा अधिकांशत: ग्रामीण हितों से संबंधित मामलों के बारे में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का गठन किया जा सके;

4. जानकारी के लिए वितरण केन्द्र तथा आंकड़ा बैंक के रूप में कार्य करना;

5. मशीनों, औजारों, उपकरणों तथा फालतू पुर्जों के विनिर्माताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी सुलभ करना ताकि निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में तक-

नीकी रूप से सुधरी मशीनों आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके;

6. सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा जनता के सदस्यों को समुचित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए माध्यम के रूप में कार्य करना;

7. प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित अथवा प्रायोजित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके;

8. उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में अनुसंधान अध्ययन, सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन प्रायोजित करना; तथा

9. उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी सहायक अन्य कार्यों जो परिषद द्वारा आवश्यक समझे जाते हों, को करना।

(ख) परिषद ने फरवरी, 1984 में कार्य आरम्भ करने के पश्चात् 36?.89 लाख रुपये की कुल लागत वाली 70 परियोजनाएं मंजूर की हैं। परिषद द्वारा इन परियोजनाओं के लिए अब तक 190.78 लाख रुपये की धनराशि मुक्त की गई है। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय जांच/प्रदर्शन तथा कुछ मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित सुधरी हुई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार की जाती हैं। इन परियोजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थाओं तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के माध्यम से किया जा रहा है।

परिषद ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर एक कम्प्यूटर प्रणाली वाला आंकड़ा बैंक तथा एक प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र का विकास करने हेतु भी कदम उठाए हैं। प्रकाशनों, वृत्त-चित्रों तथा वीडियो कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रलेखन का एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। नई तथा सुधरी हुई प्रौद्योगिकी हेतु देश के विभिन्न भागों में कई कार्यशालाएं, संगोष्ठियां तथा विचार-विमर्श आयोजित किए गए हैं।

(ग) परिषद ने वर्ष 1984-85 के मध्य से परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना आरम्भ किया था। परियोजनाओं की अवधि छ: महीने से लेकर 3 वर्ष तक की है। हालांकि कुछ परियोजनाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है फिर भी, अधिकांश परियोजनाओं का कार्यान्वियन अभी चल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वास्तविक प्रभाव का पता कुछ समय पश्चात् ही चल सकता है। तथापि, सूचना के प्रसार हेतु परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयास संतोषजनक रहे हैं।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम देना

2034. श्री विजय एन० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन तथा आकाशवाणी सेवा का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम देने हेतु करने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। वास्तव में प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम, जो अनौपचारिक स्वरूप के है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर नियमित रूप से प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाते हैं। आकाशवाणी ऐसे विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है जो समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। ये कार्यक्रम सम्बन्धित राज्यों की प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों को समर्थन भी उपलब्ध करते हैं। इस समय आकाशवाणी के 22 केन्द्र हर सप्ताह 20-20 मिनट की अवधि के 2 से 5 तक कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित कर रहे हैं। अन्य केन्द्र प्रति सप्ताह 10 मिनट की अवधि के कम से कम दो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम तैयार करने वाले दूरदर्शन के सभी केन्द्र, जिनमें इन्सैट के दूरदर्शन उपयोग की स्कीम के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र भी शामिल हैं, अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा के लिए कार्यक्रम नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं।

कपास का समर्थन मूल्य

2035. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि
श्री सी० सम्बु } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपास उत्पादकों से कपास किन एजेन्सियों के माध्यम से खरीदा जाता है;

(ख) वर्ष 1981 से 1985 के दौरान प्रत्येक राज्य में कपास का कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने इस समय कपास का कोई समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्यों में कपास उत्पादकों से कपास किस मूल्य पर खरीदी जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार को गुजरात कपास उत्पादक संगठन और देश के ऐसे अन्य संगठनों से कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) महाराष्ट्र राज्य के अलावा, जहां महाराष्ट्र राज्य सहकारी उत्पादक विपणन संघ एकाधिकार अधिप्राप्ति स्कीम

के अन्तर्गत कपास की खरीद करता है, देश के अन्य भागों में उत्पादकों से कपास की खरीद सार्वजनिक एजेन्सियों जैसे भारतीय कपास निगम राज्य सहकारी विपणन संघों और सहकारी समितियों द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) 1981-82 से 1985-86 के मौसमों के दौरान औसत बढ़िया क्वालिटी के कपास की मूल किस्मों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
1981-82		निर्धारित नहीं किया गया
1982-83	जै-34	380
1983-84	एफ-414/एच-777	400
	एच-4	527
1984-85	एफ-4 4/एच-777	410
	एच-4	535
1985-86	एफ-414/एच-777	425
	एच-4	535

विभिन्न वर्षों के दौरान कपास की अन्य किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार के सामान्य अन्तर और अन्य संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गये थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी राज्यों में समान हैं।

(घ) महाराष्ट्र में सारे कपास की खरीद राज्य सरकार की एकाधिकार अधिप्राप्ति स्कीम के अन्तर्गत संलग्न विवरण में दर्शाई गई गारंटीशुदा कीमतों पर की जाती हैं। दूसरे राज्यों में कपास की कीमतें बाजार की सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। तथापि, उन क्षेत्रों में जहां बाजार भाव का रुख न्यूनतम, समर्थन स्तरों से नीचे की ओर जाने का हो, वहां भारतीय कपास निगम इन किस्कों की औसत बढ़िया क्वालिटी की खरीद घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर करके बाजार में समर्थन सम्बन्धी कार्य करता है।

(ङ) चालू मौसम के दौरान सरकार के पास गुजरात राज्य सहकारी कपास संघ सहित विभिन्न संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्यत: भारतीय कपास निगम द्वारा की गई खरीद, कपास के निर्यात और कपास के लिए लाभकारी कीमतों का उल्लेख किया गया है। भारतीय

कपास नियम को निदेश दिये गये हैं कि वे जहां कहीं भी आवश्यक हो, घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर, जो न्यूनतम लाभकारी कीमतों की प्रकृति के हैं, व्यापक खरीद करें। भारत सरकार ने कपास के चालू मौसम के दौरान लम्बे/अधिक लम्बे रेशे की कपास की 10 लाख गांठों, बंगाल देशी की 52,000 गांठों और येलो पिकिंग्स की 25,000 गांठों के निर्यात का कोटा पहले ही निर्मुक्त कर दिया गया है।

विवरण

1985-86 मौसम के लिए महाराष्ट्र राज्य में कच्चे कपास की औसत बढ़िया क्वालिटी के लिए निर्धारित गारंटीशुदा कीमतें

क्र० सं०	किस्म	कीमत (रुपये प्रति क्विंटल)
1	2	3
1.	वी-लक्ष्मी (आर० एच० आर०-253/एस० सी० एच०-I)	542
2.	एच-4 (निमकर-391)	592
3.	एम० सी० यू०-5 (गोदावरी/एन० डी० एच०-I) डी० सी० एच०-32/जी-67 (एच-4 फाउन्डेशन सीड) एच-6	569
4.	लक्ष्मी 'ए' (वी० लक्ष्मी फाउन्डेशन सीड) (कम्बोडिया/निमकर)	561
5.	1007 डी० एच० वाई०/एम० सी० एच०II (राजहंस/ए० एच० एच०-468) (सी० पी०)	555
6.	1007/डी० एच० वाई०/एम० सी० एच०-II (राजहंस/ए० एच० एच०-468) बीयरर	549
7.	1007/डी० एच० वाई०/एम० सी० एच०-II (राजहंस/ए० एच० एच०-468) (के/एम०)	543
8.	एल-147/एस० आर० टी०I (सी० पी०)	525
9.	एल-147/एस० आर० टी०-I) (बरार)	519
10.	एल-147/एस० आर० टी०-I) (के/एम०)	514

1	2	3
11.	दिग्विजय	525
12.	ए० के० 235 और 277/ए० के० एच०-4 (एच-2)	510
13.	विरनार/ज्योति	505
14.	वाई-I (के)	505
15.	वाई-I (एम)	499
16.	197/3	493
17.	गौरानी 22/46 (गौरानी-6)	482
18.	जयाधार	453
19.	संजय (जरिल्ला)	442

करीमगंज, असम का दूरदर्शन की परिधि में न आ पाना

2036. श्री सुदर्शन दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से बंगला देश के सांस्कृतिक आक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए असम में सिल्चर में, दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु एक कम शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया गया है;

(ख) क्या असम का सीमावर्ती जिला अभी भी दूरदर्शन नेटवर्क की परिधि में नहीं आता है; और

(ग) यदि हां, तो करीमगंज जिले को दूरदर्शन नेटवर्क की परिधि में लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सिल्चर में स्थापित अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर दिल्ली से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों को इन्सेट-1 बी के माध्यम से रिले करता है।

(ख) जी, हां।

(ग) सिल्चर के अल्प शक्ति वाले मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला ट्रांसमीटर लगाने की स्कीम कार्यान्वियनाधीन है। इस स्कीम के कार्यान्वित हो जाने पर यह उम्मीद की जाती है कि करीमगंज जिले में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

अंगूरों का उत्पादन और निर्यात

2037. **श्री शांति धारीवाल**
श्री विष्णु मोदी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के किसानों मै अंगूरों की खेती में रुचि दिखाई है;

(ख) क्या अंगूरों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाकर अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंगूरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष रियायतें/सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) निम्न रियायतें/सहायता दी गई हैं :—

(1) क्षेत्र विस्तार के लिए नेबार्ड से ऋण की सहायता;

(2) राज्य द्वारा पौध सामग्री पर राजसहायता;

(3) उन्नत किस्मों की पौध सामग्री पर ऋण की आपूर्ति;

(4) अधिक उपज के लिए जिब्बरैलिक एसिड को कस्टम डियूटी से छूट देकर लोकप्रिय बनाना; और

(5) विस्तार सेवाओं के माध्यम से तकनोलोजी का अन्तरण।

[अनुवाद]

जिला मुख्यालयों में टेलीविजन केन्द्र

2038. श्री महावीर प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी जिला मुख्यालयों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों में केन्द्र स्थापित हो गए हैं; और कितने जिलों में अभी केन्द्र स्थापित होने हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। तथापि, यह उम्मीद की जाती है कि दूरदर्शन की सातवीं योजना की स्कीमों के पूरा हो जाने पर, स्थानीय भू-भागीय परिस्थितियों के अधीन रहते हुए, देश के सभी जिला मुख्यालयों को उपयोग योग्य दूरदर्शन संकेत उपलब्ध होंगे।

(ख) 1981 की जनगणना के अन्तर्गत चुने गये 412 जिलों में से इस समय 332 जिलों को पूर्णत: या अंशत: दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2039. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को 1970-71 में ज्ञात सूखा-प्रवण क्षेत्रों में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने तथा भूमि, जल, पशुधन और मानव-संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अब तक उसमें क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अधीन भूमि का पारिस्थितिक संतुलन तथा भूमि की उत्पादकता बनाये रखने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक इस संबंध में अनुसंधानों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1970-71 में सूखा पड़े क्षेत्रों में सूखे की प्रचण्डता को कम करने तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए परिसम्पत्तियां

सृजित करने के उद्देश्य से एक ग्रामीण निर्माण कार्य, कार्यक्रम तैयार किया गया था। 1973 में, समन्वित क्षेत्र विकास की नीति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम को एक नई दिशा दी गई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों का पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने तथा उनका अधिकतम विकास करने के प्रयोजन से इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(1) भूमि व जल स्रोतों तथा क्षेत्रों की कृषि जलवायु परिस्थिति के आधार पर शुष्क भूमि पर खेती को अधिक उत्पादक ढंग से बढ़ावा देना;

(2) क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास और उनका उत्पादक ढंग से प्रयोग करना;

(3) भूमि व नमी संरक्षण तथा भूमि का उचित उपयोग करने की पद्धति का विकास करना;

(4) वन रोपण तथा खेती वानिकी;

(5) पशुधन विकास जिसमें चारा तथा चरागाह संसाधनों का विकास भी शामिल है;

(6) बागवानी, रेशम-कीट पालन, मत्स्य पालन आदि की अन्य विविध गतिविधियां।

(ख) विवरण 1 संलग्न है।

(ग) से (ङ) विवरण 2 संलग्न है।

विवरण-1

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम

5वीं योजना के आरम्भ से छठी योजना के अन्त तक (1974-75 से 1984-85 तक) कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की भौतिक उपलब्धियां

राज्य		भूमि तथा नमी संरक्षण (00 हेक्टेयर)	सृजित सिंचाई सम्भाव्यता (00 हेक्टेयर)	वनरोपण तथा चरागाह विकास (00 हेक्टेयर)
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2902.11	917.35	918.45
2.	बिहार	546.71	439.56	460.13

1		2	3	4
3.	गुजरात	1085.22	406.82	2906.13
4.	हरियाणा	23.08	46.20	217.19
5.	जम्मू तथा कश्मीर	15.32	39.09	1.83
6.	कर्नाटक	5877.18	408.89	840.04
7.	मध्य प्रदेश	799.50	1966.76	470.68
8.	महाराष्ट्र	2757.81	316.81	774.68
9.	उड़ीसा	335.79	297.58	408.61
10.	राजस्थान	2279.40	445.34	1522.35
11.	तमिलनाडु	389.12	90.68	417.62
12.	उत्तर प्रदेश	1558.90	632.11	553.57
13.	पश्चिम बंगाल	109.65	281.85	520.67
	योग :	18679.79	6289.04	10011.95

विवरण-2

इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के अनुकूल परिणामों तथा कमियों को सामने लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित किए गए हैं तथा वित्त पोषित किए गए हैं। इन अध्ययनों के परिणामों से कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वियन, निगरानी तथा मूल्यांकन में सहायता मिलती है। कुछ अध्ययनों में दोषपूर्ण आयोजना, अन्तर-क्षेत्रीय सम्पर्कों की कमी, व्यापक क्षेत्रों में योजनाओं का कम विस्तार, उपकरणों की कमी के कारण योजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब, सामग्री तथा स्टाक आदि पर प्रकाश डाला गया है। राज्यों को उनके बारे में उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कुछ अध्ययनों में कार्यक्रम के विशेषकर सिंचाई, भूमि संरक्षण, डेयरी विकास, चरागाह विकास तथा मत्स्य पालन क्षेत्रों के भी अनुकूल तथा स्पष्ट प्रभावों का उल्लेख किया गया है। सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम पर विश्व बैंक निष्पादन आडिट रिपोर्ट के अनुसार, चार राज्यों के 6 जिलों में किसानों ने सुधरी हुई भूमि नमी तथा फसल प्रबन्ध पद्धति अप-

नानी आरम्भ की है तथा प्रदर्शन स्थलों में फसलें 2 से 3 गुनी बढ़ गई हैं। डेयरी विकास काफी सफल सिद्ध हुआ है। चारा उत्पादन में प्रति हेक्टेयर लगभग 5 क्विंटल की वृद्धि हुई है। डेकन प्लेटयू ऐसी दो प्रकार की चाराफली की खेती आरम्भ की गई थी। जिन पर सूखे का प्रभाव नहीं पड़ता। एक अन्य अध्ययन के अनुसार 1982 में आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में सुबाबुल पौधों की संख्या जो 1979 में 28,000 थी, 1982 में बढ़कर 6 लाख हो गई थी। इस जिले में कच्चे रेशम का उत्पादन जो 1970 में 140 मीटरी टन था 1983 में बढ़कर 850 मीटरी टन हो गया था तथा गन्ना उत्पादन से प्रति हेक्टेयर 4500 रुपये की आय के मुकाबले रेशम कीट पालन से प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये की आय हुई थी। एक अन्य अध्ययन के अनुसार गुजरात के पंचमहल जिले में फसल की उत्पादकता में 150 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है तथा भूमि संरक्षण से आय में 50 से 70 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। जहां पर समन्वित वाटरशेड नीति अपनाई गई है, वहां पर इसका प्रभाव निरन्तर अनुकूल रहा है।

छठी योजना के दौरान सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के विभिन्न अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययनों पर कुल 24.49 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

दूरदर्शन केन्द्रों का मुख्य क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विकास

2040. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में विकसित किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रमों के बीच प्रसारण समय के आबंटन का मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र जो राष्ट्रीय कार्यक्रम को आरम्भ करने वाला केन्द्र है, में क्षेत्रीय/स्थानीय कार्यक्रमों के लिए पृथक चैनल होगा; और

(घ) दूरदर्शन द्वारा इस समय राष्ट्रीय कार्यक्रमों को औसतन कितना समय आबंटित किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं योजना में निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों में नए दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीमें शामिल की गई हैं :—

राज्य	राजधानी
1	2
1. मध्य प्रदेश	भोपाल

1	2
2. बिहार	पटना
3. उड़ीसा	भुवनेश्वर
4. हरियाणा	राजधानी का नाम रखा जाना है।
5. हिमाचल प्रदेश	शिमला
6. त्रिपुरा	अगरतला

इसके अलावा, छठी योजना की चली आ रही स्कीमों के अंग के रूप में निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र कार्यान्वियनाधीन हैं :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राजधानी
1. राजस्थान	जयपुर
2. गुजरात	अहमदाबाद
3. कर्नाटक	बंगलौर
4. केरल	त्रिवेन्द्रम
5. असम	गुवाहाटी
6. मेघालय	शिलांग
7. मणिपुर	इम्फाल
8. नागालैंड	कोहिमा
9. अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
10. मिजोरम	ऐजवाल

इसके अलावा, छठी योजना की चालू स्कीमों के रूप में लखनऊ (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में मोजूदा कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में स्टूडियो सुविधाओं की प्रमुख वृद्धि को सातवीं योजना में शामिल कर लिया गया है। निम्नलिखित स्थानों में स्थित स्टूडियो केन्द्र संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए मुख्य दूरदर्शन केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे। अन्ततः, सातवीं योजना में निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में सीमित कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के प्रावधान को सम्मिलित कर लिया गया है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राजधानी
1. सिक्किम	गंगटोक
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
3. गोवा, दमन और दीव	पणजी
4. पांडिचेरी	पांडिचेरी
5. चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

(ख) और (घ) राष्ट्रीय कार्यक्रम रात्रि 8.40 बजे से प्रतिदिन 2 घंटे 35 मिनट की अवधि के लिए टेलीकास्ट किया जाता है। बड़े राज्यों की राजधानियों में चालू और सातवीं योजना के दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों के पूरा हो जाने पर सभी बड़े राज्यों में प्रतिदिन 2-3 घंटे की अवधि के लिए राज्यस्तरीय सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। छोटे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र प्रतिदिन 30-60 मिनट तक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की स्थिति में हो जाएंगे। प्रमुख राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण शहरों/नगरों में रोज 30-60 मिनट की अवधि की स्थानीय सेवा उपलब्ध हो सकेगी। चार महानगरों में स्थानीय सेवा की अवधि (द्वितीय चैनल) अधिक समय की होगी।

(ग) जबकि अंतरिम ढांचे पर आधारित 2 घंटे की द्वितीय चैनल सेवा दिल्ली में पहले ही उपलब्ध है, कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं और द्वितीय चैनल ट्रांसमीटर की शक्ति दोनों रूप में ढांचे को सुदृढ़ करने की स्कीम को दूरदर्शन की सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

मत्स्य व्यापार में बहु राष्ट्रीय कम्पनियां

2041. श्री चिन्तामणि जेना
श्री मोहनभाई ई पटेल
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य व्यापार में लगे एकाधिकार घरानों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक कम्पनी के पास मछली पकड़ने की कितनी नौकाएं हैं;

(ग) क्या अन्य कम्पनियों ने भी इस व्यापार में प्रवेश करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस संबंध में इस प्रकार की कम्पनियों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार उनके पास निम्नलिखित बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां/एकाधिकार घराने पंजीकृत है और अब मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगे हैं

		निजि स्वामित्व के जलयानों की संख्या (20 मीटर टन और इससे (अधिक)
1.	मैसर्स ब्रिटानिया सी० फूड	2
2.	मैसर्स भारतीय तम्बाकू कम्पनी लि०	2
3.	मैसर्स रेलिस इंडिया लि०	शून्य
4.	मैसर्स यूनियन कारबाइड इंडिया लि०	2
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि०	शून्य
6.	मैसर्स विम्को लि०	शून्य
7.	मैसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी प्रा० लि०	5
8.	मैसर्स नवभारत फैरो एलोय लि०	2
9.	मैसर्स कोकन मात्स्यिकी लि०	2
10.	मैसर्स टाटा आयल मिल्स लि०	2
11.	मैसर्स वोल्टास लिमिटेड	शून्य
12.	मैसर्स चौगुले इंजीनियर एण्ड मशीन लि०	2
13.	मैसर्स रौनक अन्तर्राष्ट्रीय	शून्य

		निजी स्वामित्व के जलयानों की संख्या (20 मीटर टन और इससे अधिक)
14.	मैसर्स शाह वालेस	शून्य
15.	मैसर्स गुडलास नेरोलेक पेंट्स लि०	शून्य
16.	मैसर्स मद्रास रबर फैक्टरी	शून्य
17.	मैसर्स स्पेंसर एण्ड कम्पनी	शून्य

मुंगेर जिले में सूखा-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाना

2042. श्री डी० पी० यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले में सूखा-प्रवण क्षेत्र की परिधि में आने वाले कतिपय नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं;

(ख) मुंगेर जिले में कौन-कौन से वर्तमान प्रखंड सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से ही हैं;

(ग) वर्ष 1984-85 में मुंगेर के जमुई क्षेत्र में सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सहायता दी गई है और वर्ष 1985-86 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है;

(घ) क्या सूखा प्रवण-क्षेत्र कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में जमुई में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के लोगों पर हुए इस कार्यक्रम के विकासात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करने के कोई अध्ययन करने का है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम में कुछ खंडों को शामिल करने और कुछ खंडों को हटाने हेतु प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित अन्तर-विभागीय दल द्वारा विचार किया गया था और इसकी सिफारिशों के आधार पर बिहार के मुंगेर जिले के जमुई, खेड़ा, लखीमपुर, सिकन्दरा, झाझा, सोंनो और चकाई खण्डों को वर्ष 1982-83 से कार्यक्रम से हटा दिया गया था लेकिन वर्ष 1985-86 से इन्हें पुनः कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत इस जिले के किन्हीं अन्य क्षेत्रों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) चूंकि जमुई खण्ड को सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान शामिल नहीं किया गया था इसलिए वर्ष 1984-85 में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई थी। 1985-86 के लिए सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति खण्ड कुल 1.2 लाख रुपये का आबंटन किया गया है, जो राज्य और केन्द्र द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र में धान की खेती

2043. **श्री डी० पी० यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या चिरकालिक बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रीय समिति ने सिफारिश की है कि दियारा क्षेत्र में नई किस्मों और प्रौद्योगिकी से धान की खेती की जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मुंगेर जिले के बाढ़-प्रवण क्षेत्र में दियारा की भूमि की उत्पादकता तथा किसानों की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने के लिए मुंगेर जिले में दियारा के लिए आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे अपने "फील्ड" संस्थान के माध्यम से कोई परीक्षण और किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष 1975 से बिहार के मुंगेर जिले के दियारा भूमि के सुधार पर अनुसंधान के लिए एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना चला रही है। परिचालन अनुसंधान प्रायोजना ने दियारा भूमि की उत्पादकता तथा दियाराभूमि के किसानों के सामाजिक-आर्थिक दशाओं के सुधार के लिए बहुत सहयोग दिया है।

लगातार अनुसंधान तथा प्रदर्शन परीक्षणों के लिए परिणामस्वरूप मुंगेर जिले के दियाराभूमि क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(i) चावल किस्में (क) सीता (42 क्विंटल/हैक्टर) सिंचाई के अन्तर्गत खरीफ के दौरान मानी हुई दियारा भूमि पर खेती के लिए उपयुक्त है।

(ख) राशि (45 क्विंटल/हैक्टर) सिंचाई के अन्तर्गत मुंगेर जिले की मानी हुई दियारा भूमि पर ग्रीष्मकालीन खेती के लिए उपयुक्त है।

(ग) पूसा (33 क्विंटल/हैक्टर) सिंचाई के अन्तर्गत मुंगेर जिले की मानी हुई दियारा भूमि पर ग्रीष्मकालीन खेती के लिए उपयुक्त है।

(ii) उड़द (चारा) जैसे सस्य प्रतिमान पर आधारित धान की खेती— उसके अनुक्रम में

गेहूं — ग्रीष्मकालीन चावल की खेती करने से क्रमश: 250 क्विंटल/हैक्टर हरा चारा, 44.5 क्विंटल/हैक्टर गेहूं तथा 32.2 क्विंटल/हैक्टर चावल प्राप्त हुआ।

—इस प्रकार दियारा क्षेत्र में चावल की उन्नत किस्मों की अधिक पैदावार की सम्भावना है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज सहायता

2044. श्री डी० पी० यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायः बाढ़ से प्रभावित किसानों को अधिक राज सहायता देने का है जैसा कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यह योजना कब कार्यान्वित की जाएगी ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सभी ग्रामीण क्षेत्रों जिनमें प्रायः बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भी शामिल हैं, में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग के छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए आर्थिक सहायता पहले ही ग्राह्य है। सितम्बर, 1985 में भारत सरकार ने ये भी आदेश जारी किए थे कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्य के मामले में यद्यपि आर्थिक सहायता की प्रतिशत सीमा वही रहेगी, परन्तु मामले के अनुसार 3000/-, 4000/-, 5000 रुपये की अन्तिम सीमा नहीं होगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रायः बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को अधिक आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समान पारिश्रमिक अधिनियम का प्रवर्तन

2045. श्री आनन्द पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में सभी उद्योगों के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जहां पर उक्त अधिनियम लागू किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 सभी उद्योगों/नियोजन में लागू कर दिया गया है। इन उद्योगों/नियोजनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जहां तक इस अधिनियम के प्रवर्तन का सम्बन्ध है, अब कभी

विशिष्ट उल्लंघन नोटिस में आते हैं तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्रमांक	नियोजन का नाम
1	2
1.	बागान (बागान श्रम अधिनियम, 1951 लागू है)।
2.	स्थानीय प्राधिकरण।
3.	केन्द्रीय और राज्य सरकारें।
4.	अस्पताल, उपचर्या गृह और औषधालय।
5.	बैंक, बीमा कम्पनियां और अन्य वित्तीय संस्थान।
6.	शिक्षण, अध्यापन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान।
7.	खानें।
8.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोयला खान। भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
9.	भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण नियम।
10.	कपड़ा और कपड़े के अन्य सामान का विनिर्माण।
11.	बागानों में स्थित कारखानें।
12.	इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रानिक मशीनरी, उपकरणों और साधित्रों का विनिर्माण।
13.	रसायनों और रसायन उत्पादों (पैट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर) का विनिर्माण।
14.	थल और जल परिवहन।
15.	खाद्य पदार्थों का विनिर्माण।
16.	अन्य विनिर्माण उद्योग।
17.	बिजली, गैस और पानी।

1	2
18.	थोक और खुदरा व्यापार।
19.	निर्माण जिसमें निर्माण से सम्बद्ध क्रियाकलाप शामिल हैं।
20.	परिवहन, भण्डारण और संचार।
21.	कृषि और कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलाप।
22.	वायु परिवहन उद्योग।
23.	वास्तविक सम्पदा और व्यापार सेवा और कानूनी सेवाएं।
24.	सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवाएं।

भूमि की अधिकतम सीमा कम करना

2047. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1985 में राज्यों में राजस्व मन्त्री इस बात पर सहमत हुए थे कि पांच सदस्यों के एक परिवार के लिए कृषि भूमि की अधिकतम सीमा सर्वोत्तम किस्म की भूमि जिसमें सिंचाई की सुनिश्चित सुविधा हो और वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाई जा सकें के मामले में 5 हैक्टेयर भूमि की उससे निचली किस्म जिसके सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था हो तथा वर्ष में कम से कम एक फसल उगाई जा सके के मामले में 7.5 हैक्टेयर और शेष भूमि के मामले में 12 हैक्टेयर कर दी जाए; और

(ख) इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कारंवाई के रूप में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) मई, 1985 में हुए राज्यों के राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि इस मुद्दे पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों द्वारा विचार किया जाएगा। राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा इस मुद्दे पर अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

मद्रास उर्वरक संयंत्र का विस्तार

2048. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तेल-शोधक कारखाना जो मद्रास उर्वरक संयंत्र को नेफ्था की सप्लाई करता है, की क्षमता में वृद्धि किए जाने के पश्चात्, मद्रास उर्वरक संयंत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसका विस्तार करने का है ताकि अतिरिक्त नेप्था का प्रयोग हो सके और उपलब्ध विद्यमान ढांचे पर बहुत कम राशि खर्च करके उर्वरक संयंत्र की लाभप्रदत्ता में वृद्धि हो सके ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है विस्तारण पर निर्णय लेने में कच्चे माल की उपलब्धता के अतिरिक्त अन्य बातें जैसे क्षेत्रवार मांग तैयार माल के वहन की लागत आदि भी सम्बद्ध है।

कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करना

2049. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल, गेहूं, कपास और पटसन की उत्पादन लागत की गणना करने के लिए किन-किन बातों पर विचार किया जाता है; और

(ख) इनकी तुलना में इनका समर्थन मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्पादन लागत के अनुमान 1970-71 से 16 बड़े राज्यों में मुख्य फसलों की कृषि/उत्पादन लागत के अध्ययन की व्यापक स्कीम के अधीन तैयार किए जाते हैं। स्कीम में आदानों और उत्पादनों के सम्बन्ध में वस्तुगत और वित्तीय दोनों प्रकार के प्रतिनिधिक आंकड़ों के संकलन और इनसे मुख्य फसलों की प्रति हैक्टेयर कृषि लागत और प्रति क्विंटल उत्पादन लागत के अनुमानों की संकल्पना की गई है। फसलों में अन्य में धान, गेहूं, कपास और जूट शामिल है। उत्पादन लागत में शामिल किए जाने वाले विभिन्न कारकों में मजदूरों, बैलों पर खर्च, मशीन खर्चे, बीज, कीटनाशी व कृमिनाशी दवाएं, खाद, उर्वरक उपकरणों और फार्म बिल्डिगों का मूल्यह्रास, सिंचाई खर्च, भूमि लगान, उपकर और कर, पट्टे पर ली गई भूमि के लिए दिया गया किराया, और स्वामित्व भूमि पर लगाई गई जमाबन्दी मूल्य (भूमि छोड़कर) और परिवार द्वारा लगाए गए श्रम के मूल्य के लिए किए गए भुगतान हैं।

(ख) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी० ए० सी० पी०) की सिफारिशों के आधार पर अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य तय करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग अन्य बातों के साथ-साथ फसलों की उत्पादन लागत और आदानों की लागत में परिवर्तनों को ध्यान में रखने के बाद अपनी सिफारिशें करता है। सरकार द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों में आमतौर पर कृषि जिन्सों के उत्पादन की लागत आ जाती है।

आवास सहायता में वृद्धि

2050. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा मध्यम वर्गों के लोगों के लिए आवास सहायता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) निम्न, मध्यम तथा उच्च आय वर्ग के लिए प्रस्तावित आवास सहायता प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में आय की पात्रता, निर्माण लागत की अधिकतम सीमा तथा ऋण सहायता की राशि को सातवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :—

	आय की पात्रता (रुपये)	निर्माण लागत की अधिकतम सीमा (रुपये)	सरकारी ऋण सहायता की अधिकतम सीमा (रुपये)
1. समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	700 तक	5000	5000
2. निम्न आय वर्ग	701 से 1500	30000	23500
3. मध्यम आय वर्ग	1501 से 2500	75000	40000

(ग) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी-अपनी आवश्यकताओं एवं योजना प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक आवास योजनाएं तैयार करते हैं एवं उनका कार्यान्वियन करते हैं।

केन्द्र द्वारा मूल रूप में तैयार कार्य-क्रम का पुनः प्रसारण के लिए
इंसेट—1बी का उपयोग

2051. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कुछ केन्द्र मूल रूप में तैयार कार्यक्रम का दिल्ली केन्द्र द्वारा फिर से प्रसारण करने के लिए डोमस्टिक सेटेलाइट इंसेट—1 बी० का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जो उन कार्यक्रमों को इंसेट—1बी० के माध्यम से रिले करते हैं; और

(ग) क्या सरकार का इंसेट—1 बी० के माध्यम से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से भी कार्यक्रम के रिले और पुन: प्रसारण करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जिन स्थानों पर केन्द्र और ट्रांसमीटर स्थित हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से एक दूसरे के साथ तथा दिल्ली के साथ-समय बंटवारे के आधार पर सीमित कार्यक्रमों के वितरण की सुविधाएं भी उपलब्ध की हुई हैं।

विवरण

इन्सैट—1 बी० के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्रों के नामों की सूची

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
1.	त्रिवेन्द्रम	15.	तिरूचिरापल्ली
2.	पटना	16.	त्रिचूर
3.	गुलबर्गा	17.	कुर्सियांग
4.	वाराणसी	18.	सिलचर
5.	धारवाड़	19.	विजयवाड़ा
6.	लेह	20.	मैसूर
7.	मंगलौर	21.	जगदलपुर
8.	मद्रास	22.	पासीघाट
9.	रांची	23.	शिलांग
10.	भागलपुर	24.	अम्बिकापुर
11.	नागरकोइल	25.	नागपुर
12.	भद्रावती	26.	राजकोट
13.	तिरूनेलवैली	27.	रामपुर
14.	दरभंगा	28.	मथुरा

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
29.	नजीबाबाद	53.	शिमला
30.	अजमेर	54.	पुणे
31.	उदयपुर	55.	बम्बई
32.	ग्वालियर	56.	इम्फाल
33.	चंडीगढ़	57.	तवांग
34.	कलकत्ता	58.	तेजू
35.	कानपुर	59.	गोहाटी
36.	अलीगढ़	60.	गंगटोक
37.	औरंगाबाद	61.	जोधपुर
38.	बंगलौर	62.	गोरखपुर
39.	बड़ौदा	63.	जम्मू
40.	बीकानेर	64.	पोर्ट ब्लेयर
41.	कालीकट	65.	जलंधर
42.	भुज	66.	परभनी
43.	राजकोट एच० पी० टी०	67.	अगरतल्ला
44.	जलगांव	68.	चिनसुराह
45.	अलेप्पी	69.	कोहिमा
46.	कोयम्बतूर	70.	सिलीगुड़ी
47.	सम्बलपुर	71.	तुरा
48.	छतरपुर	72.	जयपुर
49.	इन्दौर	73.	लखनऊ
50.	सांगली	74.	रोहतक
51.	जबलपुर	75.	श्रीनगर
52.	रीवा	76.	हैदराबाद

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम
77.	पांडिचेरी	86.	इलाहाबाद
78.	विशाखापत्तनम	87.	डिब्रूगढ़
79.	कटक	88.	सूरतगढ़
80.	जेपोर	89.	ऐजवाल
81.	अहमदाबाद	90.	दिल्ली
82.	भोपाल	91.	अदिलाबाद
83.	पणजी	92.	शोलापुर
84.	रायपुर	93.	कुडप्पा
85.	रत्नागिरी		

डा० वाई० एस० परमार उद्यान-विज्ञान विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता

2052. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डा० वाई० एस० परमार उद्यान-विज्ञान और वानिकी विश्वविद्यालय को सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई वित्तीय सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भा०कृ०अ०प० ने वर्ष 1985-86 के दौरान डा० वाई० एस० परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य कृषि विश्वविद्यालय को तभी केन्द्रीय सहायता दी जाती है जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने अधिनियम के खण्ड 12—बी० के अधीन विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित करता है। अभी तक डा० वाई० एस० परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान लेने के योग्य घोषित नहीं

किया गया है। उक्त विश्वविद्यालय को अनुदान पाने के योग्य घोषित कराने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बातचीत करनी होगी।

इस्पात उद्योग के लिए कोयला और अन्य आदानों के मूल्य में वृद्धि

2053. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कोयले के मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान इस्पात उद्योग में आदानों के मूल्य में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में इस्पात के उत्पादन और मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो किस हद तक ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 9 जनवरी, 1986 से कोयले के मूल्यों में संशोधन किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित कोयले के खान के मुहाने के औसत मूल्यों में क्रमश: 14.75 प्रतिशत और 14.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस्पात कारखानों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले कोयले के आधार मूल्य में वृद्धि पूर्व-संशोधित औसत मूल्य का 17.5 प्रतिशत बैठती है।

(ख) जी, हां। वर्ष 1985-86 के दौरान इस्पात उद्योग के विभिन्न आदानों में वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) 15-4-85 से रेलवे द्वारा कम दूरी के लिए माल लाने-ले जाने की निम्नतम सीमा 75 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर और 500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए रेल भाड़े के प्रभार में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि।

(ii) 21-6-85 से बिहार सरकार द्वारा खान के मुहाने की कीमत पर कोयले पर उपकर की दर में 20 प्रतिशत से वृद्धि करके 30 प्रतिशत कर दी गई।

(iii) दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की जा रही खरीदी बिजली की लागत में ईंधन-अधिप्रभार की दर में 1-4-85 से दुर्गापुर के लिए 3.36 पैसे/किलोवाट प्रति घंटा तथा बोकारो के लिए 2.32 पैसे/किलोवाट प्रति घंटा की दर से वृद्धि।

(iv) 1-5-85 से उड़ीसा सरकार द्वारा बिजली पर शुल्क में 6.5 पैसे प्रति किलोवाट

प्रति घंटा की दर से वृद्धि और उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 21-8-85 से ऊर्जा प्रभार में 18 पैसे/किलोवाट प्रति घंटा की वृद्धि तथा इसके परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क में 7-2 पैसे/किलोवाट प्रति घंटा की वृद्धि।

(v) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 1-5-85 से बिजली के शुल्क में औसतन 8.6 पैसे/किलोवाट प्रति घंटा की दर से संशोधन और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1-7-85 से बिजली पर शुल्क में 1 पैसे प्रति किलोवाट प्रति घंटा की दर से वृद्धि।

(vi) 1-10-85 से कोयले के भाड़े की दर के वर्गीकरण में परिवर्तन (500 किलोमीटर की दूरी के लिए वर्गीकरण में परिवर्तन के कारण भरे हुए माल डिब्बों के भाड़े की दर में वृद्धि 8.85 प्रतिशत बैठती है)।

(vii) 1-2-86 से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि।

(viii) 9-1-86 से कोयले के मूल्य में वृद्धि, इस्पात कारखानों के लिए प्रति टन कोयले के आधार मूल्य में 32 रुपयें की औसतन वृद्धि बैठती है।

(ix) 9-1-86 से कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण खरीदी गई बिजली की लागत में ईंधन-अधिप्रभार अन्श में वृद्धि।

(ग) कोयले के मूल्य में हाल में हुई वृद्धि का इस्पात के उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा। कोयले के मूल्य में वृद्धि से "सेल" के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन की लागत 191 रुपये प्रति टन की दर से बढ़ जाएगी। कुशलता तथा उत्पादिता में सुधार से जितना संभव हो, इस वृद्धि को आत्मसात् करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इसका इस्पात के मूल्यों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

सामूहिक सौदाकारी एजेन्टों के चयन पर मेहता समिति की रिपोर्ट

2054. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सामूहिक सौदाकारी एजेन्ट के चयन के बारे में कुछ सिफारिशें देने के लिए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा गठित सनत मेहता समिति ने सामूहिक समझौता एजेंट के चयन के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। सनत मेहता समिति की रिपोर्ट से संबंधित उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इन सिफा-

रिशों के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

सामूहिक समझौता एजेन्ट

यूनिट/उद्योग स्तर पर सामूहिक समझौता एजेंट के चयन के बारे में सांविधिक उपबन्ध किया जाना चाहिए और इस प्रश्न का निर्णय कि कौन एजेन्ट होगा, "चैक-आफ" पद्धति द्वारा तय किया जाना चाहिए। "चैक-आफ" पद्धति लिखित प्राधिकार के आधार पर लागू होगी जो कि प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को दी जाएगी और इसकी सूचना संबंधित यूनियन को भी दी जाएगी तथा उक्त प्राधिकार तीन वर्ष की अवधि तक वैध होगा। सामूहिक समझौता एजेन्ट के रूप में मान्यता पाने और "चैक-आफ" के लिए पात्रता हेतु ट्रेड यूनियनों को नई आचार संहिता का पालन करना होगा और कोई कारीगरी/प्रवर्ग-वार यूनियन "चैक-आफ" या मान्यता के फायदे के लिए पात्र नहीं होगी। जहां कहीं व्यवहार्य हो केवल एक ही सामूहिक समझौता एजेन्ट होगा जिसके न होने पर न्यूनतम सदस्यता के अध्ययधीन आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली संयुक्त समझौता परिषद होगी। केवल एक एजेन्ट के लिए या परिषद में शामिल होने हेतु अर्हक होने के लिए सदस्यता की प्रतिशतता उद्योग की दशाओं, कार्यक्षेत्र, तथा उस प्रतिष्ठान/उद्योग की यूनियनीकरण सीमा को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक संबंध आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। एक बार मान्यता दिये जाने पर वह शुरू के तीन वर्षों के लिए वैध होगी और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि इसे अन्यों द्वारा सफलतापूर्वक चुनौती न दे दी जाये या जब तक कि मान्यता प्राप्त यूनियन आचार संहिता का उल्लंघन न करें। आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण अनर्हता कुछ विशिष्ट अवधि तक लागू करेगी।

2. उपरोक्त सिफारिशों को औद्योगिक संबंध अधिनियम में "सामूहिक समझौता एजेन्ट" संबंधी नया अध्याय जोड़कर लागू किया जा सकता है। केवल एक समझौता एजेन्ट या संयुक्त समझौता परिषद के सदस्य का चयन करने के लिए मानदण्ड निम्नलिखित के आधार पर होना चाहिए :—

(i) जहां किसी यूनिट/उद्योग में केवल एक ही पात्र पंजीकृत यूनियन हो तो उसे केवल समझौता एजेन्ट के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिये बशर्ते कि उनकी सदस्यता उस न्यूनतम प्रतिशत की हो जो औद्योगिक संबंध आयोग निर्धारित करें।

(ii) जहां किसी यूनिट/उद्योग में एक से अधिक पात्र पंजीकृत यूनियनें हो तो अधिकतम समर्थन, जो यूनिटवार यूनियन के लिए 40 प्रतिशत से अन्यून और उद्योगवार यूनियन के लिए 25 प्रतिशत से अन्यून हो, वाली यूनियन को केवल समझौता यूनियन के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।

(iii) जहां उपरोक्त (i) और (ii) में निर्धारित शर्तें पूरी न हो तो उस यूनिट/उद्योग में पंजीकृत ट्रेड यूनियनें जिनकी यूनिट उद्योग में यूनियनीकरण की सीमा के आधार पर

औद्योगिक संबंध आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम सदस्यता हो, उस यूनिट/उद्योग के लिए संयुक्त समझौता परिषद गठित करेगी, जिसे उस यूनिट/उद्योग में मात्र पंजीकृत ट्रेड यूनियनों में से चयन किया जायेगा।

(iv) जिन ट्रेड यूनियन को सामूहिक समझौता एजेन्ट या सामूहिक समझौता परिषद के सदस्य के रूप में प्रमाणित किया जाय, उनके बारे में प्रमाणित किये जाने के लिये और एजेंट/परिषद के सदस्य के रूप में काम करते रहने के लिए पूर्व शर्त के रूप में लिखित में देना होगा कि वे निर्धारित आचार संहिता का पालन करेंगे।

ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधिक स्वरूप को निश्चित करने के लिए तरीका

3. प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन/उद्योग की सदस्यता का सत्यापन औद्योगिक संबंध आयोग (औ० सं०आ०) की प्रमाणीकरण शाखा द्वारा किया जायेगा और इस प्रयोजनार्थ औ०सं०आ० नियोजक के पास उपलब्ध "चैक-आफ" के ब्यौरों पर निर्भर करेंगे। प्रारम्भ में यूनिट/उद्योग में प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन को किसी विनिर्दिष्ट तारीख से छह मास की अवधि तक "चैक-आफ" की सुविधा उपलब्ध होगी। सत्यापन के परिणामों का पता चलने के बाद केवल मान्यता प्राप्त यूनियन/यूनियनों को ही यह सुविधा दी जाएगी। उन प्रत्येक यूनियन/यूनियनों को जिन्हें सामूहिक समझौता एजेन्ट-सदस्य सामूहिक समझौता परिषद के सदस्य के रूप में प्रमाणित किया जाय, वह स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि शुरू से तीन के बाद इसे सफलतापूर्वक चुनौती न दे दी जाये।

जलपाईगुडी में दूरदर्शन केन्द्र

2055. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने जलपाईगुडी जिले में अलीपुरद्वार में प्रस्तावित दूरदर्शन रिले केन्द्र के लिए एक बीघा भूमि निःशुल्क देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा;

(ग) क्या टी० वी० टावर की क्षमता इतनी है कि कार्यक्रम भूटान कूचबिहार और बंगला देश के भागों में देखा जा सकेगा;

(घ) यदि नहीं, तो बंगला देश और तिब्बत के शक्तिशाली टावरों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या यह सच है कि सीमा पर स्थित होने के कारण अलीपुरद्वार शहर सामरिक महत्व के क्षेत्रों में से एक है और यदि हां, तो क्या प्रस्तावित दूरदर्शन रिले केन्द्र को चालू करने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ङ) जलपाईगुड़ी जिले में अलीपुरद्वार में अल्प शक्ति (100 वाट वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम को दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल किया गया है। स्कीम का कार्यान्वयन योजना अवधि के दौरान संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन कवरेज को छठी तथा सातवीं योजना में भी समुचित महत्व दिया गया है।

कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

2056. **श्री सैयद मसूदल हुसैन**
श्री रेणुपद दास } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और अतिरिक्त उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में नियमित क्षेत्रों को शामिल करने हेतु एक नीति बनाये जाने के संबंध में विशेषज्ञों के एक दल से सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में विशेषज्ञों के किस दल से प्राप्त सुझावों के संदर्भ में सूचना मांगी गई है। कुछ एजेन्सियों ने सामूहिक खेती के संबंध में केवल सामान्य प्रकृति के कुछ सुझाव दिये हैं। तथापि, इस संबंध में किसी औपचारिक और विशेष प्रस्ताव पर विचार करते समय कई घटकों जैसे संबंधित राज्य सरकारों के विचार, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण संबंधी कानून और अन्य आर्थिक मापदंडों को ध्यान में रखना होगा।

कृषि पदार्थों के आयात में वृद्धि का रुख

2057. **डा० सुधीर राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पदार्थों का आयात जो वर्ष 1980-81 में 783.3 करोड़ रुपये था बढ़कर वर्ष 1983-84 में 1152.9 करोड़ रुपये का हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आयात किए गए मदों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आयात किन एजेन्सियों के माध्यम से किया गया ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आवश्यक कृषि जिंसों के समग्र आयात में 1980-81 की तुलना में 1983-84 में वृद्धि हुई है। इस संबंध में 1980-81 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान कुछ आवश्यक कृषि जिंसों के आयात का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1983-84 की आयात नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि अनाजों का आयात, वितरण तथा मूल्य-निर्धारण खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के खाद्य विभाग द्वारा सरकार की संगत नीति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाएगा, जबकि खाद्य तेलों का आयात, वितरण तथा मूल्य-निर्धारण (जैसा नीति में विनिर्दिष्ट किया गया है) नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सरकार की संगत नीति के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाएगा।

विवरण

1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान कुछ आवश्यक कृषि जिंसों का आयात

मात्रा : हजार मीटरी टन में

मूल्य : (करोड़ रुपये)

क्रम सं०	पद	1980-81		1981-82		1982-83		1983-84	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	धान्य तथा धान्य की तैयारियां								
	(क) गेहूं	296.0	76.69	1328.0	299.75	1300.7	292.27	2142.3	507.12
	(ख) चावल	18.0	3.69	64.9	14.69	11.4	3.00	328.1	80.00
	(ग) अन्य धान्य	46.0	10.18	113.0	25.15	1.4	0.46	6.6	1.56
	(घ) धान्य की तैयारियां	34.0	9.95	16.4	7.58	28.7	10.76	54.5	23.23
2.	वनस्पति तेल निर्धारित (खाद्य तेल)	1643.0	682.90	1351.9	625.28	495.3	226.27	1001.3	540.98

समाचार पत्र उद्योग में इस्तेमाल के लिए कागज का वितरण

2058. श्री वी० तुलसीराम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान समाचार-पत्र उद्योग के उपयोग के लिए कागज के वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार कागज सप्लाई नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं और आंध्र प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त मात्रा में कागज सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा आवंटित अखबारी कागज का ब्यौरा निम्नानुसार है : —

वर्ष	आवंटित मात्रा (मीट्रिक टन में)
1982-83	3,84,187
1983-84	4,04,860
1984-85	4,55,304

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छठी/सातवीं योजना में पन-धाराओं के निर्माण का लक्ष्य

2059. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सातवीं योजना अवधि के दौरान कितनी पन-धाराओं का निर्माण किए जाने का विचार है;

(ख) छठी योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य हैं;

(ग) क्या छठी योजना का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त योजना के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में 6750 पन-धाराओं का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) छठी योजना के लिए 2915 पन-धाराओं का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) छठी योजना के दौरान 2901 पनधाराओं का निर्माण किया गया। इस प्रकार उपलब्धि में मामूली कमी आई है, जो भूमि विवाद की वजह से थी।

(घ) केन्द्रीय सहायता के रूप में 533.76 लाख रुपये की रकम दी गई है।

सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा योजना

2060. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे और सीमांत किसानों द्वारा फसल बीमा के लिए भुगतान की जाने वाली किश्तों के लिए राज सहायता देने हेतु सातवीं योजना में कोई स्कीम है;

(ख) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कितनी कितनी राज सहायता दी जाएगी;

(ग) इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में कितनी धनराशि रखी गई है;

(घ) इस प्रावधान को सातवीं योजना में किस शीर्ष के अन्तर्गत किया गया है; और

(ङ) सातवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान इस स्कीम के लिए केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) लघु और सीमांत कृषकों के मामलों में बीमा सेवा प्रभार (अर्थात् प्रीमियम) के 50 प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से बराबर-बराबर के आधार पर राजसहायता दी जाती है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अस्थाई तौर पर 85.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें लघु और सीमांत किसानों के प्रीमियम में राज सहायता का व्यय तथा राज्य

फसल बीमा निधि में केन्द्रीय सरकार की भागीदारी और भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायता की रकम भी शामिल है।

(घ) इस व्यय को कृषि और सहकारिता विभाग की मांग संख्या-2 कृषि—"मुख्य शीर्ष 360" : जो० 2 (4) (1) —फसल बीमा (योजना) के नाम में डाला जाएगा।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात 1985-86) के दौरान 28 फरवरी, 1986 को समाप्त हुई अवधि तक राज्य सरकारों को राजसहायता के रूप में 189 लाख रुपए की रकम निर्मुक्त की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में भूमिहीनों को भूमि का आबंटन

2061. श्री रामस्वरूप राम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने भूमिहीनों को भूमि आबंटित की गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : बिहार में अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 12,050 भूमिहीनों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि आबंटित की गई थी।

[अनुवाद]

पीने के पानी की योजनाओं के लिए विदेशी सहायता

2062. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की योजनाओं पर खर्च करने के लिए किसी विदेशी सहायता की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने सहायता करने की पेशकश की है; और

(ग) इस सहायता से किन राज्यों को फायदा होगा ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पेयजल की सुरक्षा हेतु केन्द्र और राज्यों के नियम

2063. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेय जल की सुरक्षा हेतु केन्द्र और राज्यों के नियमों और मानकों को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो अमेरिका की तरह इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ख) क्या राज्यों/स्थानीय अभिकरणों द्वारा जल संरक्षण और लोगों द्वारा पानी के अधिक और अप्रयोजनीय उपयोग के बारे में कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पेय जल के मानक शहरी विकास मंत्रालय तथा भारतीय मानक संस्थान द्वारा भी निर्धारित किये गये हैं। पेय जल के मानकों को निर्धारित करते हुए मैनुअल को अद्यतन तथा संशोधित करने के लिए हाल ही में इस मंत्रालय में एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है।

(ख) जलपूर्ति राज्य का विषय है। इसलिए, मितव्ययिता के विभिन्न क्षेत्रों की स्पर्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह राज्यों/स्थानीय निकायों के लिए है कि वे जल संसाधनों का विकास करें तथा नियतन योजनायें बनायें। राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे लाभ-भोगियों से उचित शुल्क वसूल करने की सम्भाव्यता का पता लगायें जिससे पानी के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी। जलपूर्ति के लिए मीटर लगाना, रिसाव का पता लगाने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण करना तथा मरम्मत, सीटाइल एलकोहल जैसे रसायनों के उपयोग से वाष्पीकरण द्वारा पानी की क्षति को रोकना, सार्वजनिक नलों के लिए स्वयं बन्द होने वाली टोंटियों का उपयोग करना जैसे पानी के संरक्षण के लिए आमतौर पर अपनाये गये अन्य उपाय हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी की सुविधाएं

2064. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान राज्य में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल प्रदेश से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में योजनाओं के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार से चालू वर्ष अर्थात् 1985-86 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 185 योजनाएं अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई हैं तथा इनमें से 131 योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान निर्माण

कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश को 909.84 लाख रुपये की धनराशि मुक्त की गई है ।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक अनुमोदित योजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम वर्ष 1985-86 में अनुमोदित योजनाएं

हिमाचल प्रदेश

क्र० सं०	जिले का नाम	योजना का नाम
1	2	3
1.	शिमला	उठाऊ जल आपूर्ति योजना (एल० डब्ल्यू० एस० एस०) घेन्यूग धांडल से गांव कतरौली
2.	उक्त	तहसील पियोग के शातेन गांव हेतु जल आपूर्ति योजना
3.	उक्त	जी० पी० भोगरी के धारगोट गांव में जल आपूर्ति योजना
4.	उक्त	जी० पी० बसन्तपुर के हालटू गांव में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
5.	उक्त	जी० पी० बासेश्वर में जल आपूर्ति योजना चेखाना
6.	उक्त	जी० पी० मातल के हाथनगेवाल गांव में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
7.	उक्त	जी० पी० सेरी से विओथी गांव में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
8.	उक्त	जी० पी० बालदियन के तौनल गांव में जल आपूर्ति योजना
9.	उक्त	जी० पी० गैनी में गांव बालि ढवोग नाटोल घासर आदि हेतु उठाऊ जल आपूर्ति योजना

1	2	3
10.	शिमला	जी० पी० मशोबरा के शोसी (शोया गांव हेतु जल आपूर्ति योजना
11.	उक्त	जी० पी० चिनियोग के नोहरा पनीती गांव हेतु जल आपूर्ति योजना
12.	मंडी	जी० पी० थाची के गागन गांव में जल आपूर्ति योजना
13.	उक्त	जी० पी० पण्डोह के सम्बाई में जल आपूर्ति योजना
14.	उक्त	जी० पी० खोला नाला के खोला नाला में जल आपूर्ति योजना
15.	उक्त	जी० पी० टिक्कर के बारोही जोराला में जल आपूर्ति योजना
16.	उक्त	तहसील बाली चौकी के घाट मुहात गांव में जल आपूर्ति योजना
17.	उक्त	जी० पी० ताल शार के मढवानहून में जल आपूर्ति योजना
18.	उक्त	जी० पी० दालाह के जी०/ओ० गांव कजोटघर में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
19.	उक्त	चमचन हेतु चूहर घाटी गांव में जल आपूर्ति योजना
20.	उक्त	जी० पी० सैंज के मुरतेन गाथार में जल आपूर्ति योजना
21.	उक्त	दरान रोपा जी०/ओ० गांव में जल आपूर्ति योजना
22.	उक्त	जी० पी० कुटेची के कुटेची गांव में जल आपूर्ति योजना
23.	उक्त	जी० पी० बेलोंग के चोरी बेलोम में जल आपूर्ति योजना

1	2	3
24.	मण्डी	जी० पी० कोठवान के घालयेरा में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
25.	उक्त	जी० पी० शेल्डवारा के सेरस साम्लोन माझीथाला में जल आपूर्ति योजना
26.	उक्त	मेवा भारदमिन गांव हेतु जल आपूर्ति योजना
27.	उक्त	जी० पी० भाण्डल के संघाई गांव में जल आपूर्ति योजना
28.	उक्त	जी० पी० दियोर के सालोडी गांव में जल आपूर्ति योजना
29.	उक्त	जी० पी० कान्गेड के करोन सम्ना पारछी गांव में जल आपूर्ति योजना
30.	उक्त	जी० पी० कान्गेड औरा में सनग्रुट माधेन माथगी सकविहा गांव हेतु जल आपूर्ति योजना
31.	उक्त	संगोटी गरजिन्दू आदि गांव हेतु जल आपूर्ति योजना
32.	उक्त	जी० पी० लिग्गा के कुंड सिऊला गांव हेतु जल आपूर्ति योजना
33.	कुल्लू	फरनाली में शेष गांवों के लिए जल आपूर्ति योजना
34.	उक्त	कारशीगाद गांव में जल आपूर्ति योजना
35.	हमीरपुर	बुगधार बेनिहाल तथा पासतल गांव में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
36.	कांगड़ा	दिहोरियन तथा तियोरा गांव में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
37.	उक्त	गगवाल तथा बसन्तपुर गांव हेतु उठाऊ जल आपूर्ति योजना
38.	बिलासपुर	देवयुत पट्टा डांगर गांव में उठाऊ जल आपूर्ति योजना

1	2	3
39.	बिलासपुर	घुमारविन तहसील के मतवाना तरापातरा तथा साथ के गांव में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
40.	उक्त	जोले प्रोथान तथा साथ के गांवों में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
41.	चम्बा	जिला चम्बा के जी० पी० किरी तहसील के गांव सरोल माथरा गांव में जल आपूर्ति योजना
42.	उक्त	जी० पी० बटयार के बटयार चांगरी बिआर आदि गांवों में जल आपूर्ति योजना
43.	उक्त	तहसील चूराह के जी० पी० देवी कोठी के पुखतला गुथान गांध में जल आपूर्ति योजना
44.	उक्त	तहसील चूराह के किलोड में जल आपूर्ति योजना
45.	उक्त	जी० पी० खंडियारू के बिला, सैनी, कंथवाडा तथा खंडियारू में जल आपूर्ति योजना
46.	उक्त	जी० पी० सेरी के अंबरोल सेरी में जल आपूर्ति योजना
47.	उक्त	चूराह तहसील में जुन्ध क्षेत्र के धाजोतरा, भागोतरा तथा खिलग्राम में जल आपूर्ति योजना
48.	उक्त	तहसील चूराह के जुंडी क्षेत्र में अहवांगला, कामंडी, लुहाड, कांध, खाफिलियान, प्रोथाता, चमोह आदि गांवों में जल आपूर्ति योजना
49.	हमीरपुर	रोपा बेलहान के गांवों में उठाऊ सिंचाई जल आपूर्ति योजना
50.	उक्त	बयेदरा (बारनफार) तथा हरिजन बस्ती नोडल खण्ड में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
51.	उक्त	तहसील तथा जिला हमीरपुर के पंडोतर मोरन्ड में जल आपूर्ति योजना

1	2	3
52.	हमीरपुर	जबाना, खिरथिन जी० ओ० गांवों में जल आपूर्ति योजना
53.	कांगड़ा	जी० पी० बग्गी कांगड़ा में बेलहेरा जी०/ओ० गांवों में जल आपूर्ति योजना
54.	उक्त	तहसील देहरा के देहबा में जल आपूर्ति योजना
55.	उक्त	तहसील देहरा के जी०पी० नानाहर में जल आपूर्ति योजना
56.	उक्त	टिक्कर, पपरोला (भावरा) में गांव गुघन जल आपूर्ति योजना का विस्तार
57.	उक्त	तहसील नूरपुर के धोरन, सामल गांव में अनन्तिम जल आपूर्ति योजना
58.	उक्त	पपलाह तथा अपर मोच में जल आपूर्ति योजना
59.	कांगड़ा	तहसील तथा जिला कांगड़ा के जी० पी० रानीताल बालूगलोवा में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
60.	उक्त	तहसील देहरा के जी० पी० बुना के जी०/ओ० गांवों में जल आपूर्ति योजना
61.	उक्त	तहसील तथा जिला कांगड़ा के राजीनाना बालूगलोवा तथा चकलियान में जल आपूर्ति योजना
62.	उक्त	तहसील देहरा के जी० ओ० गांव घिलवाड़ी तथा बोरलाहर में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
63.	कुल्लू	पाढी पिछली के गांव सुमन्ना टुने, टकरोहल में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
64.	उक्त	मझाना, मझोगरा आदि में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
65.	उक्त	भुनतार के जी० ओ० गांवों में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना

1	2	3
66.	कुल्लू	पट्टी भस्यान में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
67.	मंडी	तहसील सादौर के जी० पी० रजवारी के बिरख-मानि में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
68.	उक्त	तहसील सादोर जी० पी० चम्यांर नोरा में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
69.	उक्त	जी० पी० रजवाड़ी के गगोह तथा झाली में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
70.	उक्त	तहसील मंडी जी० पी० लेडा के लेडा गांव में उठाऊ जल आपूर्ति योजना
71.	उक्त	जी० पी० लेडा के सुहरा गांव में जल आपूर्ति योजना
72.	उक्त	तहसील सरकाघाट जी० पी० कमलोह के कालान खेड़ी हिलोन में जल आपूर्ति योजना
73.	उक्त	जी० पी० जमानी के रेपरीकालर में जल आपूर्ति योजना
74.	उक्त	जी० पी० हुर के हियान, ग्योन तथा ब्रमान में जल आपूर्ति योजना
75.	उक्त	जी० पी० चौक के चमारिनी, भोरन कश्माली तथा डोह में जल आपूर्ति योजना
76.	उक्त	जी० पी० बाली चोकी के राह्री धार में जल आपूर्ति योजना
77.	उक्त	जी० पी० गुम्मा में रोपा पाढार और घारोन जी० ओ० में जल आपूर्ति योजना
78.	उक्त	जी० पी० बठेरी में पाढार सन्वार और बिम्घाड़ में जल आपूर्ति योजना

1	2	3
79.	शिमला	तहसील चोपाल जी० पी० सेरी के भारनोल, झिल-मोन, बोहान, शारण इत्यादि गांवों में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
80.	उक्त	तहसील चोपाल जी० पी० थाग चनकोग के सिल-पोत, बारकोली, बागेन तालाल इत्यादि में जल आपूर्ति योजना
81.	उक्त	तहसील थियोग दियोगीघाट जी० पी० में टिक्करी, सिबी, नैयला इत्यादि गांवों के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना
82.	उक्त	शेणाल जागोत जल आपूर्ति योजना से गांव बरवाल तक विस्तार
83.	उक्त	जी० पी० चिक्कड़ के सुरी (उराई) में जल आपूर्ति योंजना
84.	उक्त	जी० पी० दियोरीघाट के कियारी में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
85.	उक्त	जानोल और डारीवाल में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
86.	उक्त	जी० पी० में भारोग गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
87.	उक्त	गुरुत्व जल आपूर्ति योजना, कीट भोलार
88.	उक्त	गुरूत्व जल आपूर्ति योजना, साह शरगाली शिमोग
89.	उक्त	उठाऊ जल आपूर्ति योजना, हुलाई मशौली से विस्तार
90.	उक्त	गुरूत्व जल आपूर्ति योजना, नौन मटेल
91.	उक्त	गुरूत्व जल आपूर्ति योजना, बदबा गुहारी
92.	उक्त	कलटी जल आपूर्ति योजना का गांव सरबाण तक विस्तार

1	2	3
93.	शिमला	बनोटी जल आपूर्ति योजना का गांव शन्दबाला तक विस्तार
94.	उक्त	बनकोटी जल आपूर्ति योजना का गांव खोल तक विस्तार
95.	उक्त	कोट जल आपूर्ति योजना का जी० पी० जुंगा में विस्तार
96.	उक्त	जांगल मसान जल आपूर्ति योजना का विस्तार
97.	उक्त	देहुरा घोई जल आपूर्ति योजना का विस्तार
98.	उक्त	तहसील व जिला शिमला के सतलाही जी० पी० में गांव चुन्ड के लिए गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
99.	उक्त	तहसील शिमला के धारबाग जी० पी० में परोड़ी गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
100.	उक्त	जी० पी० मशोबरा में कल्याणपुर गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
101.	उक्त	जी० पी० बलदियान में रछाल मूल कोठी गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
102.	उक्त	जी० पी० मशोबरा में फागला गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
103.	उक्त	जी०पी० आनन्दपुर में चाम्बक गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
104.	उक्त	जी० पी० मशोबरा में कनोला गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
105.	उक्त	जी० पी० जुंगा में लोहा धाला व कयारी गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
106.	उक्त	जी० पी० जुंगा में चायड्याम्न पंडित गुरुत्व जल आपूर्ति योजना

1	2	3
107.	शिमला	जी० पी० चरोली में गांव चन्कलीधार, चन्दबा, शानलोग इत्यादि में गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
108.	सिरमौर	तहसील नाहन के गांव बाग देवनी के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना
109.	उक्त	जी० पी० नाहन में बगनाघाट उठाऊ जल आपूर्ति योजना
110.	उक्त	गड्डोसर और जी० ओ० गांवों के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना
111.	उक्त	चन्तिया बनवा उठाऊ जल आपूर्ति योजना
112.	उक्त	खारू बलार उठाऊ जल आपूर्ति योजना
113.	उक्त	जी० पी० हसबान में पोलू उठाऊ जल आपूर्ति योजना
114.	उक्त	तहसील पछाड में शोर जुगाड़ उठाऊ जल आपूर्ति योजना
115.	उक्त	जी० पी० सुरला जनोत में चमरोग-की-नाहन उठाऊ जल आपूर्ति योजना
116.	उक्त	जी० पी० बिनाहुकी-सेर में, जी० पी० चबेउलता में चाबेउलता उठाऊ जल आपूर्ति योजना
117.	उक्त	तहसील पछाड़ में महलाना उठाऊ जल आपूर्ति योजना
118.	सोलन	तहसील नालागढ़ में गांव लुग्ग, भुमाकरी और जी० ओ० गांवों के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना
119.	उक्त	तहसील व जिला सोलन के जी० पी० डांगड़ी में लाबी कल्याण गुरुत्व आपूर्ति योजना

1	2	3
120.	सोलन	जी० पी० जौनाजी में पनोध-धमकड़ी गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
121.	उक्त	जी० आई० मसावर में शार चिरक गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
122.	उक्त	जी० पी० जौनाजी में कमाड गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
123.	उक्त	जी० पी० सलोगड़ा में गन की सैर तथा आबलती गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
124.	उक्त	जी० पी० सलोगड़ा में कटहोग गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
125.	उक्त	जी० पी० मसावर में लागराल सचरारी गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
126.	उक्त	जी० पी० सलोगरा में साहुवाला गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
127.	उक्त	जी० पी० मसावर में बयाला गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
128.	उक्त	जी० पी० मसावर में शील शामलेग गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
129.	उक्त	क्षीम खास और समीपस्थ गांवों के लिए उठाऊ जल आपूर्ति योजना
130.	उक्त	तहसील नालागढ़ में पंजाली, ढाब, भोटोह और इसके समीपस्थ गांवों के लिए गुरुत्व जल आपूर्ति योजना
131.	ऊना	तहसील आम्ब में बेहल सिदु (अम्ब टिल्ला) के लिए जल आपूर्ति योजना प्रदान करना ।

[अनुवाद]

आवास के लिए विकास परिषद

2066. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल
श्रीमती माधुरी सिंह
श्री बनवारी लाल पुरोहित
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी
श्री हरीश रावत
: क्या सहकारी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक आवास विकास परिषद गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उसके उद्देश्य क्या होंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी जल स्वच्छता आपूर्ति के लिए राष्ट्रीयकृत निकाय

2067. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
श्री सनत कुमार मंडल
: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी आपूर्ति और स्वच्छता के लिए राष्ट्रीयकृत निकाय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता हेतु परिव्यय कितना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जलपूर्ति तथा सीवरेज/स्वच्छता सहित शहरी अवसंरचना के लिए वित्त पोषित निकाय स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में निकाय की साम्य पूंजी में अंशदान के संबंध में 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चूंकि इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, इसलिए इस अवस्था में अन्य ब्यौरे बताना सम्भव नहीं है।

(ग) वार्षिक योजना 1985-86 के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए अनुमोदित परिव्यय जैसा कि उन्होंने वर्ष 1986-87 के अपने वार्षिक योजना दस्तावेजों में बताया है, इस प्रकार है :—

(i) शहरी जलपूर्ति	39,893.00 लाख रुपये
(ii) शहरी मल निर्यास	8,117.38 लाख रुपये
(iii) कम लागत की शहरी स्वच्छता	1,668.23 लाख रुपये

[हिन्दी]

भोपाल में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) और राष्ट्रीय भवन संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

2068. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल में आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) और राष्ट्रीय भवन के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सिद्धान्ततः, भोपाल में राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (ग्रामीण आवास स्कन्ध) का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।

इसके निदेशकों के बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने मध्य प्रदेश में भोपाल में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी है।

नगरी और पर्यटन केन्द्रों आदि के विकास हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता

2069. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में महत्वपूर्ण शहरों, पर्यटक केन्द्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास हेतु एक नगर विकास योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन क्षेत्रों के विकास के लिये योजना तैयार करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत राज्यों में 1 लाख तक की जनसंख्या वाले चुने हुए कस्बों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होती है। इस योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखा गया है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ रिहायशी क्षेत्र का विकास, यातायात एवं परिवहन, मार्कीट तथा मण्डियों, औद्योगिक सम्पदाओं, कम लागत की स्वच्छता आदि से सम्बन्धित घटकों को भी शामिल किया गया है। संशोधित मार्गनिर्देशनों के अनुसार, कम लागत की स्वच्छता पर 6 लाख रुपये के आवश्यक घटक सहित अधिक से अधिक 52 लाख रुपये तक की समतुल्य आधार पर प्रत्येक कस्बा सहायता के लिये पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, कम लागत की स्वच्छता परियोजनाओं के लिये 8 लाख रुपये की सीमा तक अतिरिक्त सहायता समतुल्य आधार पर, यदि उसके लिए विकल्प दिया जाता है, उपलब्ध होगी।

एक विशेष मामले के रूप में पर्यटक महत्व/तीर्थ केन्द्रों के कस्बों के लिये पर्यटक शयनागार के निर्माणार्थ कुछ कस्बों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रमों पर बकाया खनिज रायल्टी

2070 **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रमों पर खनिज रायल्टी की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का नवीकरण करना

2071. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
डा० जी० एस० राजहंस } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी लोक उद्यम कार्यालय द्वारा 1984 में उर्वरक संयंत्रों के संबंध में कराये गये अध्ययन से रुग्ण उर्वरक संयंत्रों के नवीकरण की सिफारिश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्योरा क्या है और उसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा 1985 के दौरान उर्वरक संयंत्रों का एक "अन्त: फर्म तुलना" अध्ययन किया गया था। अन्य सुझावों में से अध्ययन में अत्यन्त रुग्ण संयंत्रों के लिए एक पुनर्वास पैकेज की अनुशंसा की और इन एककों को उच्च क्षमता उपयोग प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिये किये जाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया।

इस अध्ययन से पूर्व भी कम क्षमता पर चल रहे संयंत्रों के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिये सरकार ने प्रभावी कदम उठाये थे। पहले से ही उठाये गये कुछ कदम थे—कैप्टिव पावर संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी देना, पुराने उपकरणों का प्रतिस्थापन और कुछ एककों का पुनरोद्धार। इन कार्यकलापों को आवश्यकता के आधार पर चालू रखा जा रहा है। 7वीं योजना के दौरान पुराने और रुग्ण एककों के पुनर्वास के लिए निधियों हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

गेहूं, चावल तथा अन्य मोटे अनाज के उत्पादन लागत में वृद्धि

2072. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री बी० के० गढ़वी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अनाजों के उत्पादन की औसत लागत में वर्ष 1967 से वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो 1967 से 1982 तक की अवधि में गेहूं, चावल और अन्य मोटे अनाजों का अखिल भारतीय स्तर पर और राज्यों में स्थिर मूल्यों पर उत्पादन लागत क्या थी;

(ग) सम्पूर्ण देश में और विभिन्न राज्यों में गेहूं, चावल और मोटे अनाज की उत्पादन लागत में वृद्धि की वार्षिक दर क्या है;

(घ) क्या लागत के यह आंकड़े कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा एकत्र किए जाते हैं; और

(ङ) लागत आंकड़े किस तरीके से एकत्रित किए जाते हैं और नमूने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मुख्य फसलों की खेती/उत्पादन की लागत का अध्ययन करने की एक व्यापक योजना कृषि मंत्रालय द्वारा 1970-71 से निरंतर आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए, विभिन्न फसलों की खेती/उत्पादन का औसत लागत के राज्यवार अनुमान केवल 1970-71 से ही तैयार किये जाने लगे हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है व्यापक योजना के अधीन देश के विभिन्न राज्यों में 16 कृषि/सामान्य विश्वविद्यालयों द्वारा लागत संबंधी आंकड़े नियमित रूप से एकत्र किये जाते हैं। इन आंकड़ों पर आधारित लागत संबंधी आंकड़े कृषि जिंसों के खरीद (समर्थन मूल्य संस्तुत करने के लिये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को भेजे जाते हैं। लागत संबंधी अध्ययनों के लिये नमूने लेने की पद्धति यादृच्छिक नमूने लेने की तीन स्तरीय पद्धति है, जिसमें तहसील नमूना लेने की एक प्राथमिक इकाई है, तीन गांवों का एक समूह माध्यमिक इकाई है तथा इस समूह की आपरेशनल जोतें तीसरे अन्तिम स्तर हैं। लागत अध्ययन संबंधी आंकड़े कास्ट—एकाऊंटिंग की निधि के माध्यम से एकत्र किये जाते हैं।

राज्य सरकारों द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों पर नियन्त्रण

2073. श्री चित्त महाता : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों का दूरदर्शन कार्यक्रमों पर नियन्त्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में स्थित कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन केन्द्र अपने-अपने राज्य के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बिभिन्न पहलुओं को प्रतिबिम्बित करने वाले कार्यक्रम स्थानीय भाषा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करते हैं। दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी देश के विभिन्न राज्यों से संबंधित कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है। जहां पर दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण की सुविधा है, संबंधित राज्य का मुख्य मन्त्री महत्वपूर्ण अवसरों पर राज्य के लोगों को संदेश प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन माध्यम का उपयोग कर सकता है। विभिन्न राज्यों के पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम नियोजन, आदि के बारे में सलाह देने के लिए कार्यक्रम सलाहकार समितियां हैं। इन समितियों में सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हमेशा शामिल रहते हैं। इस प्रकार जबकि "प्रसारण" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची का विषय है, दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के अन्दर विभिन्न राज्यों की कार्यक्रम आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है।

भारतीय प्रचार माध्यमों द्वारा अफ्रीकी एशियाई तथा लेटिन अमरीकी देशों के बारे में समाचारों को दिया जा रहा स्थान

2074. श्री अनिल बसु
श्री बसुदेव आचार्य
श्री सैफुद्दीन चौधरी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रचार माध्यमों द्वारा अफ्रीकी, अन्य एशियाई तथा लेटिन अमरीकी देशों के बारे में समाचारों को दिये जा रहे स्थान से संतुष्ट हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में प्रचार माध्यमों द्वारा उनको अधिक स्थान दिये जाने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रारम्भ में इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसे जन प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ङ) गुट-निरपेक्ष देशों समाचार एजेंसी पूल, एशिया पेसेफिक न्यूज एजेन्सीज के संगठन, विदेशों में तैनात आकाशवाणी के संवाददाताओं तथा "विसन्यूज" और "एशिया विजन" के माध्यम से दूरदर्शन के आदान-प्रदान प्रबन्धों के माध्यम से अफ्रीका, एशिया और लेटिन अमरीका से कवरेज में सतत सुधार हुआ है। यद्यपि, स्थिति काफी संतोषजनक है, फिर भी और सुधार की गुंजाइश है।

भारतीय समाचार पूल के लिए और लिंकों को बढ़ाने तथा मौजूदा सुविधाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से इस प्रकार के क्षेत्रों का कवरेज बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारी राज सहायता

2075. श्री अनिल बसु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए वर्ष 1985-86 के वित्तीय वर्ष में जनवरी, 1986 तक दी गई राजसहायता की राशि गत वर्षों की तुलना में काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का, राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी तक केन्द्रीय बंटनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विवरण से पता चलता है कि अखिल भारत स्तर पर 1985-86 के दौरान केन्द्रीय बंटन पिछले दो वर्षों से अधिक हैं।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए राज्यवार केन्द्रीय बंटन

(रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	जनवरी 1984 तक (1983-84)	जनवरी 198 तक (1984-85)	जनवरी 1986 तक (1985-86)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	798.00	636.45	1333.19
2.	असम	—	422.00	317.88
3.	बिहार	568.00	968.00	1326.81
4.	गुजरात	436.00	376.50	398.94
5.	हरियाणा	356.00	319.38	371.42
6.	हिमाचल प्रदेश	182.00	138.00	185.44
7.	जम्मू और काश्मीर	40.00	50.00	136.98
8.	कर्नाटक	350.00	372.00	658.09
9.	केरल	414.73	373.86	359.72
10.	मध्य प्रदेश	902.00	729.00	981.62
11.	महाराष्ट्र	702.00	815.00	985.67
12.	मणिपुर	—	34.00	31.60
13.	मेघालय	—	—	42.72

1	2	3	4	5
14.	नागालैंड	42.00	42.00	67.07
15.	उड़ीसा	511.00	628.00	890.86
16.	पंजाब	472.00	472.00	346.36
17.	राजस्थान	562.00	592.00	638.07
18.	सिक्किम	8.00	8.00	4.52
19.	तमिलनाडु	1486.45	1327.00	1306.20
20.	त्रिपुरा	34.00	34.00	52.96
21.	उत्तर प्रदेश	1834.00	2408.23	3069.01
22.	पश्चिम बंगाल	102.00	665.18	872.85
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	5·00	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	192.00	192.00	151.05
25.	चंडीगढ़	—	4.00	2.23
26.	दादरा और नागर हवेली	4.00	8.00	8.00
27.	दिल्ली	30.00	33.00	30.60
28.	गोआ, दमन और दीव	48.00	48.00	96.00
29.	लक्षद्वीप	20.00	20.00	11.16
30.	मिजोरम	80.00	80.00	44.64
31.	पांडिचेरी	16.00	32.00	7.13
	अखिल भारत	10190.18	11832.60	14728.79

गोवा में खनिज भन्डारों का सर्वेक्षण

2076. श्री शांता राम नायक : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में गोवा जिले में खनिज भण्डारों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। खनिजों का सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है और यह गोवा में भी चल रहा है। वहां भारतीय भूवैज्ञानिक द्वारा अभी तक की खोजों के फलस्वरूप निम्नलिखित भंडारों का अनुमान लगाया गया है :

खनिज	भंडार मिलियन टनों में
लौह अयस्क	390 (+60 प्रतिशत लौह)
मैगनीज अयस्क	3.3 (निम्न ग्रेड)
बाक्साइट	10.18 (+40 प्रतिशत) (ए० एल०$_2$ आ०$_3$)
मिलिलोइट चूना पत्थर	17.24
सिलिसियस चूना पत्थर	80
कैलकेरिअस मिट्टी	9.33
खनिज मिट्टी	0·307
सिलिका रेत	24

निम्न ग्रेड क्रोमाइट का भी पता चला है तथा भंडारों का आंकलन अभी होना है। क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य अभी जारी है।

[हिन्दी]

फिल्म उद्योग द्वारा निर्मित फिल्में

2077. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिल्म उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष कितनी फिल्में बनाई जाती हैं और उनमें से कितनी फिल्में निर्यात के प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं; और

(ख) भारतीय फिल्में किन-किन देशों को निर्यात की जाती हैं तथा इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) किसी वर्ष में निर्मित फीचर फिल्मों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को उन फीचर फिल्मों की संख्या के बारे में भी जानकारी नहीं है जिन्हें निर्यात के उद्देश्य से निर्मित किया गया हो। तथापि, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित की गई फिल्मों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	प्रमाणित की गई फीचर फिल्मों की संख्या
1981	737
1982	763
1983	741
1984	833
1985	912

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक विभिन्न देशों को निर्यात की गई फिल्में

क्र० सं०	देश का नाम	1982-83		1983-84		1984-85	
		निर्यात की गई फिल्मों का संख्या	मूल्य रुपयों में	निर्यात की गई फिल्मों की संख्या	मूल्य रुपयों में	निर्यात की गई फिल्मों की संख्या	मूल्य रुपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अफगानिस्तान	3	1,83,263.00	11	5,56,312.00	8	4,44,276.00
2.	आस्ट्रेलिया	114	6,30,297.40	4	1,64,300.00	6	3,45,215.98
3.	आबू धाबी	12	8,60,000.00	7	3,49,000.00	4	3,72,500.00
4.	अल्जीरिया	7	2,42,560.80	2	70,272.00	2	67,000,00
5.	अंगोला	—		—		5	3,55,010.80
6.	बहरीन	—		4	90,500.00	—	
7.	बारबडोस	8	7,32,375.00	4	5,49,635.00	1	80,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बेल्जियम	—		1	22,551.60	—	
9.	बोत्सवाना	3	1,05,000.00	—		—	
10.	ब्राजील	—		1	52,900.00		
11.	बुल्गारिया	6		6	6,48,197.52	11	10,05,577.56
12.	बर्मा	6	4,05,294.00	7	6,52,786.00	6	5,67,307.00
13.	बुनेई	1	1,73,248.50			—	
14.	चीन	—		1	72,100.00	3	3,26,563.56
15.	क्यूबा	—		—		—	
16.	चेकोस्लोवाकिया	—		—		1	3,20,000.00
17.	डेनमार्क	—		—	47,156.57	2	68,748.00
18.	दुबई	257	4,74,24,502,565	6257251	78,65,318.00	246	2,94,88,029.90
19.	जिबोटी	16	5,29,058.00	18	9,20,762.00	5	2,12,500.00
20.	पूर्वी जर्मनी	—		—		1	5,20,000.00
21.	मिस्र	24	15,07,836.00	13	12,01,125.00	7	3,38,946.65

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	इथोपिया	1	29,239.76	—		—	
23.	फिजी	70	50,75,469.55	67	51,44,208.00	48	32,19,855.00
24.	फ्रांस	7	7,05,678.57	7	7,49,100.00	5	8,26,200.00
25.	फिनलैंड	1	21,112.00	1	21,112.00	1	44,659.00
26.	जाम्बिया	11	8,77,495.40	30	17,28,420.00	18	7,14,773.35
27.	घाना	—		1	31,420.00	—	
28.	पश्चिम जर्मनी	3	6,41,283.71	2	1,55,288.70	—	
29.	जिब्राल्टर	5	96,500.00	10	5,07,750.00	27	11,40,750.00
30.	गुयाना	6	5,20,107.00	—		—	
31.	हालैंड	3	78,880.00	—		1	1,15,440.00
32.	हंगरी	6	3,72,567.00	3	1,16,451.61	1	61,678.00
33.	हांगकांग	—		1	5,788.00	7	3,59,503.00
34.	इंडोनेशिया	47	61,32,643.00	36	58,95,777.35	25	50,02,711.90
35.	ईरान	17	3,35,916.50	24	10,45,989.00	6	1,17,095.00

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	ईराक	9	5,76,025.69	13	6,84,037.32	2	1,18,579.35
37.	इजराइल	3	1,41,600.00	—		—	
38.	जापान	12	3,08,100.15	8	2,34,935.25	1	1,01,520.00
39.	जोर्डन	51	21,13,562.68	32	14,29,783.50	16	8,50,967.00
40.	केन्या	12	3,69,155.00	1	35,000.00	—	
41.	लेबनान	6	4,69,299.05	6	2,88,907.00	7	2,89,393.00
42.	लाइबेरिया	10	3,42,906.00	8	3,45,851.00	1	1,40,000.00
43.	लीबिया	21	8,80,182.33	14	5,30,462.00	5	1,74,622.00
44.	लेसोथो	7	3,50,186.30	—		—	
45.	लेटिन अमरीका (क्यूबा)	—		1	48,921.00	—	
46.	मोजम्बीक	3	1,41,642.00	—		—	
47.	मिडिल ईस्ट (ग्रीस)	6	2,44,521.20	4	1,41,753.00	—	
48.	मारीशस	45	23,39,720.00	42	23,17,292.00	57	24,73,250.00

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	मोरक्को	62	35,84,342.00	55	32,68,418 00	29	16,37,934.00
50.	मलेशिया	41	14,66,855.00	30	9,24,500.00	15	2,64,000.00
51.	मालद्वीप	18	4,30,631.50	26	9,59,659.25	4	1,99,896.00
52.	मैक्सिको	1	75,000.00	—		—	
53.	मस्कट (अमन)	—		4	2,15,000.00	—	
54.	न्यूजीलैंड	—		—		1	21,616.35
55.	नाइजीरिया	11	7,65,421.00	14	11,45,495.54	3	1,02,330.77
56.	पेरू (लीमा)	25	8,38,769.00	8	3,71,477.00	14	5,26,660.10
57.	पोलैंड	—		—		1	1,56,068.29
58.	पुर्तगाल	—		—		1	85,817.12
59.	स्केण्डेनेवियन देश	—		—		4	2,56,943.66
60.	श्रीलंका	61	45,75,828.26	55	41,02,830.56	32	15,18,906.02
61.	सायरा लियोन	2	54,000.00	—		2	80,002.00
62.	सूडान	13	4,10,176.00	34	12,90,987.50	5	2,19,377.05

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	सिंगापुर	102	46,12.710.78	81	30,07,036.00	78	38,61,434.98
64.	सुल्तान-ए-अमन (मस्कट)	4	5,55,000.00	2	45,000,00	—	
65.	सूरीनाम	16	7,52,778.00	3	1,24,010.00	—	
66.	स्वीडन	—		6	21,319.00	—	—
67.	स्विटजरलैंड	2	1,79,003.00	1	2,57,969.59	1	55,353.70
68.	शरजाह	1	5,00,000.00	—		—	
69.	स्पेन	—		—		7	74,880.00
70.	सीरिया	9	5,05,181.00	16	9,58,451.00	7	1,57,384.48
71.	सान्ना	30	13,80,865.10	21	11,99,315.44	7	4,02,826.27
72.	ताइवान	—		—		1	34,880.40
73.	तंजानिया	31	16,74,700.00	19	15,72,742.00	10	6,79,182.00
74.	थाइलैंड	1	25,153.01	—		—	
75.	ट्रिनिडाड	16	19,69,170.00	10	6,64,288.00	9	4,58,804.85

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	तुर्की	1	71,179.00	2	66,195.00	—	
77.	ट्यूनीशिया	8	3,34,136.00	1	42,900.00	—	
78.	टोगो	1	9,751.00	—		—	
79.	यूनाइटिड किंगडम/ आयरलैंड	48	79,24,363.13	39	50,04,964.76	36	27,64,774.59
80.	सं० रा० अमरीका/ कनाडा	48	20,59,972.12	39	9,40,483.11	19	2,81,906.04
81.	यू०एस०एस०आर०	9	38,75,000.00	12	54,01,000.00	13	45,92,000.00
82.	यमन	3	1,08,088.75	8	3,88,977.50	1	42,500.00
83.	यूगोस्लाविया	3	1,71,871.00	1	1,46,500.00	1	64,860.00
84.	सम्पूर्ण विश्व (राइट्स)	2	5,34,169.41	1	96,608.36	1	8,000.00
85.	जंजीबार	—		1	20,000.00	—	
86.	जिम्बाम्बे	—		—		1	32,500.00

[अनुवाद]

फिल्मोत्सव के लिये चुनी गई फीचर फिल्मों का प्रसारण दिखाया जाना

2078. प्रो० के० वी० थामस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मोत्सव के लिए चुने गये भारतीय कथा चित्रों, को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिखाने का दूरदर्शन का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) फिल्मोत्सव के भारतीय पेनोरमा के लिए चुनी गई फीचर फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किये जाने हेतु चयन के लिए पात्र हैं, यदि संबंधित निर्माताओं/दूरदर्शन अधिकार धारकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए इस प्रकार की फिल्मों को औपचारिक रूप से पेशकश की जाए।

छठी योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को गाय देना

2079. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को कितनी गाय दी गईं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन और उसकी सप्लाई में कोई सुधार हुआ है;

(ग) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को दुधारू पशु दिए गए थे उन्होंने सहकारी डेरी विकास समिति गठित कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई की गई गायों के संबंध में अलग से कोई सूचना एकत्रित नहीं की जाती है।

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में दूध के उत्पादन तथा उसकी सप्लाई से संबंधित अलग-अलग सूचना संकलित नहीं की जाती है। तथापि देश में दूध के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा पूरे

भारत में पिछले तीन वर्षों में दूध का अनुमानित अखिल भारत उत्पादन नीचे दिया गया है : —

वर्ष	दूध का उत्पादन (मिलियन मीटरी टन में)
1983-84 (अनन्तिम)	37.09
1984-85 (अनन्तिम)	40.17
1985-86 (प्रत्याशित)	42.31

यह कई योजनाओं का परिणाम है तथा इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सहयोग का अलग से कोई मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है हालांकि मूल्यांकन अध्ययनों से यह पता चला है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू पशुओं की सप्लाई एक मुख्य गतिविधि है तथा इसका दूध उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में लाभार्थियों की सहकारी समितियां हैं तथा कुछ में ये नहीं हैं। इस विषय पर जारी की गई मार्ग-दर्शिकाओं में सहकारी अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा दूध एकत्रीकरण तथा विपणन हेतु उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि लाभार्थी इस गतिविधि से पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें।

गायों का आयात

2080. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तिरूपति, तिरूमली और देवास्थानम को भेजने हेतु पश्चिमी जर्मनी से गायों का आयात करने का प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को बाद में छोड़ दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत सरकार ने पश्चिमी जर्मनी से एक हजार गाय उपहार-स्वरूप आयात करने का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था भारत-पश्चिमी जर्मनी द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जानी है। गायों का आयात राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से किया जाना था। आंध्र प्रदेश

डेरी विकास सहकारी संघ ने आंध्र प्रदेश में तिरूपति-तिरूमलाई देवास्थानम को पश्चिमी जर्मनी से उपहार में प्राप्त गायों में से कुछ को आंध्र प्रदेश को आबंटित कराने के लिए आरक्षित करने को अनुमति दी है। तथापि, पश्चिमी जर्मनी से गायों के आयात की परियोजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, चूंकि इसका पश्चिमी जर्मनी के प्राधिकारियों द्वारा अभी मूल्यांकन किया जा रहा है।

ग्रामीण लोगों के कायाकल्प के लिए तकनीकी

2081. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी प्रौद्योगिकी का पता लगाने का है जो ग्रामीण जीवन का कायाकल्प कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण लोगों के लिए उनका उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस समय ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग, सौर ऊर्जा, बायोगैस लघु-सिंचाई, कम लागत वाले आवास तथा स्वच्छता, मछली पालन, पशु परिवहन और फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र परीक्षण तथा प्रदर्शन के लिए विभिन्न राज्यों में 94 परियोजनाओं में सहायता कर रहा है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ने ग्रामीण जीवन में सुधार लाने हेतु 45 सरल तथा कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का भी पता लगाया है।

(ग) पहले तो यह देखना है कि पता लगाई गई प्रौद्योगिकियों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उनका क्षेत्र परीक्षण तथा प्रदर्शन किया जाए। दूसरे, यह देखना है कि सक्षम प्रौद्योगिकियों का विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इस समय क्षेत्र परीक्षण तथा प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

(घ) चूंकि इनमें में अधिकांश परियोजनाएं पिछले डेढ़ वर्ष से ही आरम्भ की गई हैं अतः इनके परिणामों का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता। यह किसी विशेष परियोजना के पूरा होने पर ही सम्भव होगा। फिर भी, कई नई प्रौद्योगिकियों के प्रारम्भिक परिणाम संतोषजनक हैं।

दूरदर्शन पर विज्ञापन दिखाने का समय

2082. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन राष्ट्रीय हुक-अप पर, विशेषकर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को, विज्ञापन दिखाने के लिए कोई निश्चित समय आबंटित और आरक्षित किया गया है और उससे दूरदर्शन को कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ख) क्या दूरदर्शन के लगभग दर्शक लोकप्रिय कार्यक्रमों के बीच बार-बार वही विज्ञापन दोहराये जाने से अत्यन्त क्षुब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ये विज्ञापन दिखाने का समय विशेषकर चित्रहार, फिल्म और मनोरंजक धारावाहिक कार्यक्रमों के दौरान, बदलने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए कोई मुख्य अवलोकन समय आरक्षित नहीं किया जाता। विज्ञापनों को राष्ट्रीय संजाल पर या अन्यथा सप्ताह के सभी दिन टेलीकास्ट किए जाने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले वैयक्तिक विज्ञापनों की संख्या और अवधि अलग-अलग कार्यक्रम और अलग-अलग दिन भिन्न-भिन्न होती है। अत: सप्ताह के कुछ दिन इस प्रकार के विज्ञापनों से आज के अपेक्षित आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

(ख) विज्ञापनों को कार्यक्रमों के शुरू में और अन्त में तथा कार्यक्रमों में स्वाभावित ब्रेकों में प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापनों को कार्यक्रमों के बीच में प्रस्तुत नहीं किया जाता। कुछ मामलों में विज्ञापनदाता अपने संदेश का प्रभाव बढ़ाने के लिए अपने विज्ञापन दोहराते हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सातवीं योजना में ग्रामीण जनता के लिए पेय जल की सुविधा

2083. डा० बी० एल० शैलेश
श्री अमर राय प्रधान
श्री बी० बी० देसाई
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त ग्रामीण जनता को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सातवीं योजना की नीति पर विचार करने हेतु हाल ही में राजधानी में राज्यों के ग्रामीण विकास प्रभारी मंत्रियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैठक में ग्रामीण पेयजल पूर्ति कार्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडों की पुनरीक्षा की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक 13 फरवरी, 1986 को हुई थी।

सम्मेलन के दौरान हुए विचार-विमर्श में उठाए गए मुख्य मुद्दों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) राज्य इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सहमत हो गये हैं।

विवरण

13 फरवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान हुए विचार विमर्श में उठाए गए मुख्य मुद्दे

1. देश की सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को पर्याप्त तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।

2. छठी योजना अवधि के बकाया समस्या ग्रस्त गांवों को शामिल करने तथा उसके पश्चात, बाद में चुने समस्या-ग्रस्त गांवों और आंशिक रूप से शामिल समस्या-ग्रस्त गांवों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बसावट वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए भी उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की जनता को लाभ पहुंचाने वाले स्रोतों का पूर्ण रूप से अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की बसावट वाले क्षेत्रों में ही पता लगाया जाए ताकि वे उन्हें सरलता से सुलभ हो सकें।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए कम लागत वाले विकल्पों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उपलब्ध संसाधनों से कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा सके।

5. प्रौद्योगिकी मिशन का उद्देश्य उचित सूक्ष्म-स्तरीय पारिस्थितिक आयोजना के माध्यम से भूगत जल निकालने तथा पहाड़ी, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जल संचयन के पारम्परिक ढांचे का विकास करने हेतु फ्लोराइड, लवणता तथा खारेपन, जीवाणुओं से दूषित जल की समस्याओं के लिए कम लागत पर जल शुद्ध करने के उपायों का पता लगाना होना चाहिए।

6. सृजित जल स्रोतों के रखरखाव के पहलू पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा

इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना निधियों का उपयोग करने हेतु रखरखाव पर 10 प्रतिशत तक सातवीं योजना प्रावधान का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

7. पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को ग्रामीण जनता में स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के कार्य के साथ जोड़ने की अत्यन्त आवश्यकता है। पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा को औपचारिक प्राथमिक शिक्षा तथा बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सभी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

8. जल स्रोतों के स्थानों के चयन में महिलाओं को पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वे ही मुख्य लाभार्थी हैं।

9. पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वियन में ग्रामीण समुदाय को पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के कार्यान्वियन तथा लोगों को प्रेरित करने और उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने में पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के समन्वित कार्यक्रम के सफल कार्यान्वियन हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

सभी नगरों के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु कानून

2084. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का राज्यों में नगरों का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्यों में 10,000 से अधिक आबादी वाले नगरों के लिए मास्टर-प्लान बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाये जाने हेतु एक आदर्श विधान तैयार करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : केन्द्रीय सरकार ने एक आदर्श विधान तैयार किया है तथा इसे अपनाने के लिए राज्यों को परिचालित कर दिया है। जनसंख्या एवं शहरीकरण जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस आदर्श विधान को निरन्तर आधुनिक बनाया जा रहा है।

ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने की योजना

2085. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण मजदूरों, विशेष रूप से कृषि मजदूरों को, संगठित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब आरम्भ किया गया था; और

(ग) इस योजना को कितने सामुदायिक विकास खण्डों में आरम्भ किया गया है और इसे सारे देश में कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) अवैतनिक ग्रामीण आयोजकों को नियुक्त करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्लान स्कीम अगस्त, 1981 में आरम्भ की गई थी। राज्य सरकारें इस योजना को कार्यान्वित कर रही हैं और प्रत्येक आयोजक को 200 रु० प्रति माह की दर से मानदेय और 50 रु० प्रति माह नियत वाहन भत्ता दिया जा रहा है। संक्षेप में, आयोजकों के ये कार्य हैं कि वे ग्रामीण श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षा दें तथा उनको सहकारी समितियों, ट्रेड यूनियनों अथवा संगठनों के अन्य रूपों में, आवश्यकतानुसार, संगठित होने के लिए संगठन के महत्व पर बल दें, ताकि उन्हें अपने से संबंधित विभिन्न श्रम कानूनों और इन कानूनों के विभिन्न उपबन्धों के बारे में कार्यान्वियन, ज्ञान वेने का पता चल सके।

(ग) 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अवैतनिक आयोजकों के 1500 पद नियत किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 851 अवैतनिक आयोजक नियुक्त किए गए हैं। यह बताना असम्भव है कि सारे देश में इस स्कीम का विस्तार कब किया जायेगा।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालयों द्वारा प्रकाशित सामग्री

2086. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालयों द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान विषय-वार कुल कितने मूल्य की सामग्री प्रकाशित की गई और उसका ब्यौरा क्या है तथा उससे सरकार को कितनी आय हुई;

(ख) प्रकाशित सामग्री दूर-दराज के गांवों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय बिना मूल्य की मुद्रित प्रचार सामग्री निःशुल्क वितरण के लिए ही प्रकाशित करते हैं। इसलिए सरकार को उससे कोई आय होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक लगभग 59,498 लाख रुपए के मूल्य के 186 मुद्रित

प्रचार कार्य हाथ में लिए गए हैं।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री, अभियान की आवश्यकताओं के अनुसार, बड़ी संख्या में एजेंसियों के माध्यम से तथा सीधे भी देश भर में निःशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि वह दूर-दराज के गांवों के व्यक्तियों सहित सभी वर्गों तक पहुंच जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अधिक संख्या में मछली पकड़ने के जालों के लिए कार्य क्षेत्र

2087. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समुद्री अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मछुआरों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कार्य क्षेत्र निर्धारित किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अयंत्रचालित नौकाओं और यंत्रचालित नौकाओं के लिए निर्धारित कार्य क्षेत्र क्या है;

(ग) क्या अधिक संख्या में मछली पकड़ने वाले जालों जिन्हें पेरीसेन जाल कहा जाता है के लिए कोई कार्य क्षेत्र निर्धारित है; और

(घ) बड़ी यंत्रचालित नौकाओं के लिए कितना क्षेत्र आरक्षित किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ख) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रकार के मत्स्यन जलयानों द्वारा प्रचालन के क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के बारे में राज्य सरकारों को सलाह दी है। तदनुसार, राज्यों अर्थात उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र और संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और दीव ने उपयुक्त कानून बना लिए हैं। गोवा प्रशासन ने समुद्र तट से 5 किलोमीटर के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में घोषित किया है, जहां यंत्रीकृत जलयानों के प्रचालन पर रोक लगाई गई है। उड़ीसा सरकार ने पारम्परिक गैर-यंत्रीकृत नौकाओं के लिए 5 किलोमीटर तक का जलक्षेत्र आरक्षित करने के लिए कानून बनाया है और यंत्रीकृत नौकाओं को तट से 5 किलोमीटर से आगे चलाए जाने की अनुमति दी गई है। कुल 25 मीटरी टन और इससे ज्यादा के या 15 मीटर की लम्बाई के जलयानों को उड़ीसा के समुद्र तट से 10 किलोमीटर से परे चलाए जाने की अनुमति है। तमिलनाडु समुद्र तट से 3 समुद्री मील तक का क्षेत्र गैर-यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मत्स्यन के लिए आरक्षित है और यंत्रीकृत नौकाओं को 3 समुद्री मील से परे का क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति है। केरल के सामुद्रिक मत्स्यन विनियमन अधिनियम के अनुसार, पर्स सीनिंग, रिंग सीनिंग पेलाजिक और मिड-वाटर ट्रालिंग के लिए तैयार किए गए यंत्रीकृत जलयानों को सीमांतर्गत जल क्षेत्र में प्रचालन करने पर रोक है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई विनिर्दिष्ट क्षेत्र घोषित नहीं किया

है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर कार्यकारी आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें गैर-यंत्रीकृत जलयानों के लिए 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र निर्धारित किया गया है और यंत्रीकृत जलयान 10 किलोमीटर की सीमा से परे प्रचालित किए जाने की अनुमति है। शेष राज्य भी अपने-अपने राज्यों में उपयुक्त कानून बनाए जाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

(ग) सरकार को परीसन नेट नामक किसी नेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

नौकाओं द्वारा मत्स्य कार्य क्षेत्र का उल्लंघन

2088. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अयंत्र चालित मत्स्य नौकाओं के मालिकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यंत्रचालित नौकाएं उनके मछली पकड़ने के जालों को नष्ट कर रहे हैं और समुद्र तट के 5 फैदम के क्षेत्र में जो कि अयंत्रचालित नौकाओं के कार्य के लिए निर्धारित है, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, जिससे उन्हें उपलब्ध होने वाली मछलियों को वे पकड़ लेते हैं; और

(ख) यंत्रचालित नौकाओं द्वारा कार्य क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हालांकि केन्द्रीय सरकार के अयंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के मालिकों से हाल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी सरकार को गोवा, दमन तथा दीव संघ राज्य क्षेत्रों और केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में परम्परागत अयंत्रीकृत नौका तथा छोटी यंत्रीकृत नौका प्रचालकों के बीच के विवाद की जानकारी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने समुद्री राज्यों की सरकारों को सलाह दी है कि वे अयंत्रीकृत, यंत्रीकृत तथा मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए मत्स्यन क्षेत्रों के निर्धारण से सम्बन्धित उपयुक्त कानून बनाए। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गोवा, दमन तथा दीव की सरकारों ने अपेक्षित कानून बना दिए हैं। ये राज्य यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा प्रचालन के क्षेत्रों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हैं।

बम्बई में आवासीय परियोजना के लिये विश्व बैंक से सहायता

2089. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक बम्बई में जीर्ण-शीर्ण और खतरनाक मकानों में रह रहे परिवारों के पुनर्वास संबंधी आवासीय परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु सहमत हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक से कितनी सहायता मिलेगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बम्बई में जीर्ण-शीर्ण तथा खतरनाक मकानों में रह रहे परिवारों को खासतौर पर पुनः बसाने के लिए किसी आवास परियोजना को धन देने की कोई विश्व बैंक योजना नहीं है। तथापि, बम्बई शहरी विकास परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक, अन्य परियोजनाओं के साथ, भूमि अधसंरचना पुनरुद्धार कार्यक्रम मलिन बस्ती उन्नयन तथा शहरी नवीकरण, जिसमें 5,50,000 की जनसंख्या है, को 138,00 मिलियन डालर की ऋण सहायता दे रहा है।

पणजी, गोवा में ट्रांसमिशन टावर

2090. प्रो० मधु दंडवते : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि गोवा में पणजी ट्रांसमिशन टावर की उंचाई बढ़ाई जाएगी और बिजली घर का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि महाराष्ट्र जिले के सिन्धुदुर्ग जिले और इसके निकटवर्ती जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रम और अधिक साफ देखे जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सिन्धु दुर्ग तथा इसके निकटवर्ती जिलों में दूरदर्शन कार्यक्रम कितने समय बाद और अधिक साफ देखे जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल) : (क) अतारांकित प्रश्न संख्या 55 का 18-11-1985 को लोक सभा में दिए गए उत्तर में यह कहा गया था कि सिन्धु दुर्ग के भागों को दूरदर्शन सेवा तब उपलब्ध होगी जब पणजी के टी० वी० ट्रांसमीटर की शक्ति 1986 के लगभग मध्य तक बढ़ा कर 10 किलोवाट कर दी जाएगी।

(ख) और (ग) पणजी में 110 मीटर ऊंचे टी० वी० टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर 1986 के लगभग मध्य तक चालू हो जाएगा और यह अन्यों के साथ-साथ सिन्धुदुर्ग जिले के भागों में भी दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करेगा।

विस्तार कार्यक्रम का मूल्यांकन

2091. डा० टी० कल्पना देवी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में जानकारी का अभाव है;

(ख) क्या देश के राष्ट्रीय प्रदर्शन (नेशनल डिमांशट्रेशन), प्रशिक्षण और दौरा (ट्रेनिंग एण्ड विजिट), भूमि कार्यक्रमों के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र प्रयोगशाला आदि जैसे विस्तार कार्यक्रम वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके हैं;

(ग) क्या इन सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाएगा और इन्हें नया रूप प्रदान किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान,। फिर भी, कृषकों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए और अधिक विस्तार प्रयत्नों की जरूरत है जिससे कि वे नवीनतक कृषि प्रौद्योगिकियों का पूरा फायदा उठा सकें।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रबोधन ढांचे के एक भाग के रूप में इन प्रायोजनाओं का पहले से ही समय-समय पर मूल्यांकन/निर्धारण किया जाता रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध अकादमी (एन० ए० ए० आर० ए० एम०) द्वारा प्रशिक्षण

2092. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1976 में हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध अकादमी की स्थापना की गई थी और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उस पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) अकादमी ने अब तक कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है और क्या यह आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त है;

(ग) क्या अकादमी के कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। इस पर विगत तीन वर्षों के दौरान कुल रुपए 280,43,270 व्यय किए गए।

(ख) इस अकादमी द्वारा कार्यक्रमों में सितम्बर, 1976 से फरवरी 1986 तक कुल प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या 2768 है। विभिन्न स्तरों के कुल ऐसे विज्ञानियों की संख्या लगभग 2000 है जिनको अभी प्रशिक्षित किया जाना है। यद्यपि पिछले सत्रों के स्टाफ को प्रशिक्षित करना भी शेष है तो भी 50% से अधिक वैज्ञानिक स्टाफ विगत दस वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो पर्याप्त संतोषजनक है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) एक पंचवर्षीय पुनरीक्षण दल ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध अकादमी के कार्य की 1976-81 की अवधि के लिए एक समीक्षा की और कुछ सिफारिशें की। इन सिफारिशों के आधार पर परिषद निम्नलिखित के लिए सहमत है :—

(1) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध अकादमी की भूमिका और कार्य होने चाहिए जो (i) ऐसे अनुसंधान वातावरण प्रदान करने में सहायता करना, निर्माण करना और बनाए रखना जो आवश्यक परिचालन हेतु लचक प्रदान करें और अनुसंधान को व्यापारीकरण तथा अफसरशाही से बचाए (ii) युवा विज्ञानियों में विशेषीकृत अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाना और वरिष्ठ विज्ञानियों में विस्तृत आधारित अनुसंधान की रुचि बढ़ाना और (iii) अनुसंधान प्रायोजनाओं के कुशल प्रबंधन में अनुसंधान विज्ञानियों की कुशलता बढ़ाना।

(2) यह कि क्योंकि अनुसंधान प्रबन्धन और प्रशिक्षण के अनेक स्तर हैं अत: प्रत्येक स्तर की प्रशिक्षण अनुसंधान आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाए।

(3) यह कि अकादमी में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के अभाव को जांचने के लिए दो छात्र संघ गठित किए जाएं—एक तो बुनियादी पाठ्यक्रम पर और दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर।

(4) यह सुनिश्चित करना की शिक्षण गतिविधियों में लगे कृषि विश्वविद्यालयों और भा० कृ० अ० प० के कुछ संस्थानों के शिक्षण संकाय सदस्यों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया।

(5) यह कि अकादमी में संकाय की भर्ती और विकास के लिए, विशेषकर गहन "क्षेत्र अनुसंधान" और "अनुसंधान प्रबन्ध" के लिए अधिक ध्यान दिया जाए और संकाय सदस्यों को विदेश की उपयुक्त संस्थाओं में चुनकर भेजना चाहिये।

(6) यह कि अनुसंधान कार्यकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और कार्यक्रम विकसित किए जाएं।

(7) यह कि अकादमी के पूर्णरूप से विकसित संकाय हो जाने पर भी भा० कृ० अ० प० मुख्यालय, भा० कृ० अ० प० संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ विज्ञानियों प्रशासकों को क्रियाशील और रूप से भागीदार बनाया जाए।

(8) यह कि अगले पांच वर्षों में, प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपयुक्त चरण बनाए जाएं।

गुहा और मनोहरपुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की खानों में लोह अयस्क का स्टाक

2093. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिंहभूमि जिले में गुहा और मनोहरपूर में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की लोह अयस्क कैप्टिव खानों में काफी संचित भण्डार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अयस्क की किस्म बहुत अच्छी है; और

(ग) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए अयस्क की सप्लाई अन्य स्टील संयंत्रों को भी की जाएगी और निर्यात के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1 फरवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार गुआ और चिरिया (मनोहरपुर) में लोह अयस्क का स्टाक क्रमश: 8.68 लाख टन और 2.33 लाख टन था।

(ख) जी, नहीं। गुआ और चिरिया/मनोहरपुर से प्राप्त लोह अयस्क अल्यूमिना/सिलिका के प्रतिकूल अनुपात का है तथा मूल रूप से कम लोह अंश वाला नर्म तथा भुरभुरे प्रकार का है। "इस्को" में इस्तेमाल करने से पूर्व अल्यूमिना/सिलिका के बेहतर अनुपात वाले ठोस लोह अयस्क का मिश्रण तैयार करना प्रौद्योगिकीय आवश्यकता है।

(ग) इस समय फालतू लोह अयस्क अन्य इस्पात कारखानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सप्लाई किया जा रहा है। निर्यात करने की संभावना का पता नहीं लगाया गया है। सामान्यत: बेहतर क्वालिटी का लोह अयस्क देश से निर्यात किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत घाटे पर चलने वाली मिलों को बन्द करवाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

2094. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत घाटे पर चलने वाली कुछ मिलों को बन्द करवाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधन का ब्योरा क्या है और कौन सी मिलें बन्द करने का विचार है; और

(ग) उनके बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओलावृष्टि से गेहूं, चना और संतरे की फसल को क्षति

2095. श्री उत्तम राठौर
श्री शांति धारीवाल } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 और फरवरी, 1986 के दौरान देश के विभिन्न भागों में भारी ओलावृष्टि के परिणामस्वरूप गेहूं, चना और संतरे की फसल को अनुमानित कुल कितनी क्षति हुई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की प्रभावित किसानों को राहत देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने ओलावृष्टि से फसलों को क्षति होने की सूचना दी है। उनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

		प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1.	मध्य प्रदेश	6.18
2.	महाराष्ट्र	
	(क) संतरे, केले आदि जैसी फसलों के तहत बागवानी क्षेत्र	0.03
	(ख) कृषि फसलों के तहत	0.25

हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 7 जिलों में ओलावृष्टि हुई है, परन्तु उसकी तीव्रता कम थी। फसलों को मामूली क्षति हुई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 जिलों में ओलावृष्टि की वजह से अलग-अलग मात्रा में क्षति होने की सूचना दी है।

(ख) छोटे और सीमांत किसानों के स्वामित्व के प्रभावित सस्यगत क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सहायता कृषि आदान सहायता के रूप में दी जाती है।

पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन की सुविधाएं

2096. श्री उत्तम राठौर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 के अन्त तक कितनी प्रतिशत जनसंख्या को टेलीविजन का फायदा पहुंच रहा था;

(ख) उनमें से आदिवासी क्षेत्रों में कितने लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है;

(ग) क्या सरकार ने पहाड़ी और पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में टेलीविजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) ऐसा अनुमान है कि दूरदर्शन सेवा जनवरी, 1986 के अन्त तक देश की लगभग 66.5 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध होगी।

(ख) इस समय देश के पूरे 89 आदिवासी जिलों में या उनके भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान देश के पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए समुचित महत्व दिया गया है। तथापि, संबंधित स्कीमों का कार्यान्वयन वित्तीय संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

2097. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में कितने तथा किन स्थानों पर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) ये केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) से (ग) आकाशवाणी का अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में भवानी पटना, बारीपाडा, राऊरकेला, बहरामपुर और बोलंगीर में पांच नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन रेडियो स्टेशनों के सातवीं योजना अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों और परिचालन अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना

2098. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक राज्य-वार कितने कृषि विज्ञान केन्द्र और परिचालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्र और परिचालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है ताकि अनुसंधान के परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकें;

(ग) प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र और परिचालन अनुसंधान केन्द्र पर प्रति वर्ष कितना व्यय होगा;

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्र और परिचालन अनुसंधान केन्द्र के लिए स्थानों का चयन किस आधार पर किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी स्थापित करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र और परिचालन अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए है और किसकी सिफारिशों पर ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अभी तक भारत में स्थापित किए गये कृषि विज्ञान केन्द्रों और परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं की संख्या राज्यवार निम्न प्रकार हैं :—

राज्य	कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या	परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	6	11
अरुणाचल प्रदेश	1	—

1	2	3
असम	2	1
बिहार	8	9
गोवा	1	1
गुजरात	5	11
हरियाणा	3	13
हिमाचल प्रदेश	2	4
जम्मू और कश्मीर	1	2
कर्नाटक	5	8
केरल	4	6
मध्य प्रदेश	5	11
महाराष्ट्र	6	14
मणिपुर	1	—
मेघालय	1	—
मिजोरम	1	—
नागालैण्ड	1	1
उड़ीसा	5	11
पांडिचेरी	1	—
पंजाब	1	8
राजस्थान	6	10
सिक्किम	1	1
तमिलनाडु	5	6
त्रिपुरा	2	—

1	2	3
उत्तर प्रदेश	10	15
पश्चिम बंगाल	5	9
कुल :	89	152

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) प्रतिवर्ष प्रति विज्ञान केन्द्र का खर्च करीब 5 लाख रु० और प्रति परिचालन अनुसंधान केन्द्र का प्रतिवर्ष का खर्च करीब 1.75 लाख रु० है।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्थान के चयन का आधार निम्न प्रकार है :

(i) केन्द्र के लिए प्रस्तावित स्थान के पास 50 एकड़ सुव्यवस्थित भूमि और कुछ बुनियादी संरचना संबंधी सुविधाएं होनी चाहिएं;

(ii) उस स्थान के लिए राज्य सरकार और संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश होनी चाहिए;

(iii) वह एक पिछड़ा हुआ जिला होना चाहिए; और

(iv) इस कार्य के लिए भा० कृ० अ० प० द्वारा गठित वैज्ञानिकों के दल की उसके लिए सिफारिश होनी चाहिए।

परिचालन अनुसंधान प्रायोजना के लिए स्थानों के चयन का आधार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए अलग-अलग होता है परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में चलाई जाती हैं जहां चुनौती पूर्ण वैज्ञानिक समस्याएं मौजूद हों। प्रत्येक प्रस्ताव की दो विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाती है और उनकी टिप्पणी के साथ अन्तिम रूप से उस प्रस्ताव पर भा०कृ०अ० प० के वैज्ञानिक पैनल द्वारा विचार किया जाता है जिससे कि वह पैनल अन्तिम स्वीकृति के लिए भा० कृ० अ० प० के स्थाई वित्त समिति/शासी निकाय को उसे भेज सके।

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्रों और परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं को चलाने की स्वीकृति कुछ चुने हुए और ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को दी जाती है।

(च) आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र और परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाएं स्थित हैं :

कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्थान :

1. रामनाथपुरम (हैदराबाद)
2. राजमुन्दरी (पूर्वी गोदावरी)
3. अनन्तपुर (अनन्तपुर)
4. रास्ताकुन्ताबाई (विजयनगरम)
5. गेड्डीपल्ली (नालगोंडा)
6. अम्बालवालसा (श्रीकाकुलम)

परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं के स्थान :

1. चावल पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, नालगोंडा,
2. चावल, कीटों के समाकलित नियन्त्रण पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, गुन्टूर,
3. जलसंभर आधार पर वास्तविक स्थितियों के अन्तर्गत कृषि जल निकास पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, मछलीपटनम;
4. चावल के कीटों के समाकलित नियन्त्रण पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, वारन्गल;
5. जलसंभर आधार पर संसाधन विकास पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, मेडक;
6. जलसंभर-आधार पर संसाधन विकास पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, कुरनूल;
7. जनजाति क्षेत्र के अनुसंधान पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, रास्ताकुन्ताबाई;
8. जनजाति क्षेत्र के अनुसंधान पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, श्रीकाकुलम;
9. जनजातीय क्षेत्र के अनुसंधान पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, विजयनगरम; तथा
10. अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान पर परिचालन अनुसंधान प्रायोजना ए० पी० ए० यू०, हैदराबाद;
11. बारानी कृषि के अन्तर्गत परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, अनन्तपुर, ए० पी० ए० यू०;

बाल श्रमिक संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक

2099. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों के संरक्षण और कार्य की शर्तें नियमित बनाने के बारे में, जनवरी, 1986 के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(घ) इसमें क्या निर्णय लिए गए ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बाल श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक 24 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेने वालों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) बाल श्रमिकों की कार्यदशाओं को नियमित करने के लिए एक विस्तृत विधान के प्रस्ताव पर सलाहकार बोर्ड की बैठक में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

विवरण

	नाम	
1.	श्री पी० ए० संगमा, केन्द्रीय श्रम मन्त्री	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मारग्रेट अल्वा, महिला कल्याण, युवक कार्यक्रम और खेल-कूद राज्य मन्त्री	विशिष्ट अतिथि
3.	श्री एच० एम० एस० भटनागर, सचिव, श्रम मंत्रालय	उपाध्यक्ष
4.	कुमारी भीरा सेठ, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय	पदेन सदस्य
5.	श्री एम० एस० दयाल, संयुक्त सचिव, समाज और महिला कल्याण मंत्रालय	—यथोक्त—

	नाम	
6.	श्री प्रेम नारायण, उप सचिव, उद्योग मंत्रालय	पदेन सदस्य
7.	डा० (श्रीमती) थामाराजाक्शी, सलाहकार, योजना आयोग	—यथोक्त—
8.	परामर्शदाता, विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग	विशिष्ट अतिथि
9.	श्री अशोक नारायण, संयुक्त सचिव श्रम मंत्रालय, (बाल श्रमिक सैल के प्रभारी)	सदस्य सचिव
10.	श्री एम० के चौधरी, सलाहकार, इंडियन टी० एसोसिएशन, कलकत्ता	सदस्य
11.	प्रो० वी० बी० कामथ, आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन, हीरा महल, 171, शिवाजी पार्क, रोड न० 5, बम्बई —400016.	सदस्य
12.	श्रीमती विद्याबेन शाह, भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली	सदस्य
13.	श्रीमती रोजा देश पांडे, सामाजिक और कल्याण कार्यकर्त्ता, शाह निवास, 9, कोहिनूर रोड, दादर, बम्बई—540014	सदस्य
14.	श्रीमती जया अरुणाचलम, प्रेजीडेंट	सदस्य

	नाम	
	नेशनल यूनियन आफ वर्किंग वोमैन, 55, भीमसेन गार्डन रोड, मैलापुर, मद्रास—600004	
15.	श्री लाल बहादुर सिंह, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कौंसिल फार यंग वर्कर्स, 177/बी०, आचार्य जगदीश बसु रोड, कलकत्ता — 700014	सदस्य
16.	श्रीमती सुशीला गोपालन, डाकघर—मुहम्मा, जिला—अल्लीप्पे, केरल	सदस्य
17.	श्री सतिन्द्र नाथ राय चौधरी, 19/2/ए, पिताम्बर घटक लेन, कलकत्ता—700027	सदस्य
18.	श्रीमती दुर्गा भक्तवत्सल, 7-1-77, ज्योति अपार्टमेंट्स, अमीरपेठ, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
19.	श्रीमती नन्दन रेड्डी, सचिव, कामकाजी बालकों से सम्बद्ध 58, सेंट मार्क्स रोड, बंगलौर	सदस्य
20.	श्रीमती लीला दामोदर मैनन, संयोजक, कामकाजी बालकों से सम्बद्ध, 58, सेंट मार्क्स रोड, बंगलौर	सदस्य
21.	श्रीमती के० राधा लक्ष्मी, 18, दोरासामी रोड, टी० नगर, मद्रास	सदस्य
22.	श्रीमती तारा अली बाग,	सदस्य

नाम

507, विशाल भवन,
95, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली—110019

23.	श्रीमती पी० सुशीला, 5-8-324, चापल रोड नामपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
24.	श्रीमती ए० वी० राजकुमारी, टी० आर० टी०, 42, चारमिनार एक्स रोड्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
25.	श्रीमती रजनी तेलांग, 11. मालवीय नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य
26.	श्रीमती जयप्रदा देवी, 392/3 आर० टी० संजीव रेड्डी नगर, हैदराबाद	सदस्य
27.	श्रीमती जी० माधवी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, 11-3-34, चिन्ना वीधि, अंकापल्ली-531001, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
28.	श्रीमती एम० सुधा रानी, नायडु गुडेम (डाकघर), एलुरू तालुक, जिला—पश्चिमी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
29.	श्रीमती एन० राजकुमारी, इटा नगर, तेन्नाली, जिला—गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य

राष्ट्रीय बाल बोर्ड के सदस्य

30. श्री बहरूल इस्लाम,
संसद सदस्य,
12, पं० पोस्ट मार्ग,
नई दिल्ली

31. प्रो० ओ० पी० घई,
प्रधान,
बाल चिकित्सा विभाग,
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली

32. सिस्टर मैरी ब्रैगंजा,
जनरल सेक्रेटरी,
आल इंडिया एसोसिएशन फार क्रिश्चयन
हायर एज्युकेशन,
सी०-6 कम्यूनिटी सेन्टर,
सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया,
नई दिल्ली—110016.

शहरी विकास कार्य के मार्ग में आने वाली समस्याओं की जांच

2100. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव
: क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग से शहरी विकास कार्य के मार्ग में आने वाली समस्याओं का अनुमान लगाने और उनकी सविस्तार जांच करने और सरकार को उनके व्यावहारिक समाधान हेतु की शीघ्र सिफारिश करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) देश में शहरी विकास की समस्याओं की जांच करने तथा भावी शहरी विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त मार्ग निर्देशन सुझाने और शहरी विकास की नीतियां निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने 4-10-1985 को राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की स्थापना की है। यह आयोग

देश में शहरी विकास की जनसांख्यिकीय, रोजगार भौतिक, वित्तीय आश्रय, सौंदर्यपरकता तथा सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करेगा। इस आयोग ने तीन बैठकें की हैं तथा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार वे सम्भवतः इस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।

"वी० डी० साइडस" से पंजाब में गेहूं की फसल को हानि

2101. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गेहूं की खड़ी फसल के 75 प्रतिशत भाग को खरपतवार से भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति से छुटकारा पाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना मिलते ही स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजा गया था। इस दल में केन्द्रीय वनस्पति रक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय, राज्य कृषि विभाग, पंजाब तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के विशेषज्ञ शामिल थे। दल ने खरपतवार नाशी (आइसोप्रोटुरोन 75 प्रतिशत डब्ल्यू० पी०) का प्रयोग करने की वजह से तथाकथित क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया।

दल ने यह महसूस किया कि लुधियाना और रोपड़ जिलों में गेहूं की फसल की सामान्य स्थिति बहुत अच्छी है और उपज की दृष्टि से लाभ के लिए फ्लारिस माइनर का नियंत्रण संतोषजनक है। राज्य सरकार के अनुसार अन्य जिलों से प्राप्त हुई रिपोर्टें प्रतिकूल नहीं थीं। 15 लाख एकड़ के कुल क्षेत्र में से, जिस पर आइसोप्रोटुरोन (75 प्रतिशत और 15 प्रतिशत डब्ल्यू० पी० मिलाया गया) प्रयोग किया गया था, लगभग 150 एकड़ में आंशिक रूप में नुकसान होने की रिपोर्ट मिली। इन क्षेत्रों में 25 तथा 26 दिसम्बर, 1985 को वर्षा शुरू होने से कुछ दिन पूर्व ही खरपतवारनाशी दवाएं प्रयोग की गई थीं। वर्षा के कारण खरपतवारनाशी दवाएं वर्षा के पानी के साथ बह गई और उक्त पानी कतिपय निचले भू-खंडों में रुक गया जिसकी वजह से भारी मात्रा में कीटनाशी जमा होने से फसलों को स्थानीय रूप से नुकसान हुआ। इसी प्रकार, मूल क्षेत्र में खरपतवारनाशियों का अधिक केन्द्रीकरण होने से वर्षा के पानी के रिसन की वजह से बलुआ भूमि में गेहूं को कुछ नुकसान हुआ।

कुछ दिनों के पश्चात् प्रभावित फसलें भी आंशिक रूप से अच्छी हो गई।

खरपतवारनाशी दवाइयों के प्रयोग से कोई खराबी नहीं पाई गई।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता स्वीकृत करने में विलम्ब

2102. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि से उत्पन्न स्थिति का सामना करने हेतु केन्द्रीय सहायता जारी करने में असाधारण विलम्ब होने की शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि तत्काल जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि राहत कार्य में बाधा न आने पाए ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अनुवर्ती वित्त आयोगों द्वारा निर्धारित राहत व्यय हेतु वित्तीय सहायता देने की योजना के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार के पास प्राकृतिक आपदाओं के लिए अपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए मार्जन धनराशि के रूप में कतिपय धनराशि होती है। सहायता की वर्तमान पद्धति आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। यदि राज्य मार्जन धनराशि में से राहत व्यय करने में असमर्थ है तो वे केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करता है। ज्ञापन प्राप्त होने पर एक अन्तर मंत्रालयी केन्द्रीय दल को स्थिति का मौके पर अध्ययन करने और केन्द्रीय सहायता की मात्रा की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके बाद दल की रिपोर्ट पर राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सहायता की मंजूरी जारी की जाती है। तथापि, राज्य के साधनोपायों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सहायता की अंतिम स्वीकृति जारी होने तक, राज्य को स्थिति का सामना करने के लिए तत्काल राहत के रूप में साधनोपाय अग्रिम धनराशि मंजूर की जाती है।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर

2103. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं को रोजगार देने के मामले में भेद-भाव बरता जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस भेद-भाव को समाप्त करने के लिए कोई समिति गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो यह समिति कब तक गठित की जाएगी और यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस भेद-भाव को किस तरह समाप्त करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन भर्ती के मामले में और उसी काम या समान प्रकृति के काम के लिए पारिश्रमिक की अदायगी करने के मामले में महिलाओं के प्रति भेद-भाव करना सामान्यतः प्रतिषिद्ध किया गया है। विशिष्ट शिकायतों पर उक्त अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित समुचित सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी होती है।

(ख) समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा और अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहले ही सलाहकार समितियां गठित की जा चुकी हैं जो महिलाओं के रोजगार के बारे में स्थिति की समीक्षा करते हैं और समय-समय पर अपनी-अपनी सरकार को अपनी सिफारिशें देती है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

'हुडको' द्वारा शुरू की गई नई आवास योजनाएं

2104. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'हुडको' को नई आवास योजनाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कितने मकानों को बनाने का विचार है;

(घ) इन योजनाओं पर कुल कितना खर्च आने की सम्भावना है; और

(ङ) इन योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थान-वार कितने मकान बनाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वित्त पद्धति के संशोधित मार्गनिर्देशनों सहित हुडको द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इसके प्रारम्भ से और 31-1-1986 की स्थिति के अनुसार, हुडको ने 3014.25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत तथा 1959.85 करोड़ रुपये के ऋण घटक की 4122 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित मकानों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

विभिन्न आवास योजनाओं के लिए धन देने के हुडको के संशोधित मानदण्ड

श्रेणी	अधिकतम लागत सीमा		धन देने की सीमा		कुल ब्याज दर		वापिसी अदायगी की अवधि	
	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई	विद्यमान	सिफारिश की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई० डब्ल्यू० एस०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 700 रु० से कम है (विद्यमान) 850 रु० प्रति माह)								
(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-1 (स्थल तथा सेवाएं)								
(i) स्थल तथा सेवाएं (बंजर भूमि को छोड़कर)	5000	6000	5000	6000	4 प्रतिशत	5 प्रतिशत	20 वर्ष	22 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ii) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में आवास योजनाएं (नई योजना)	--	6000	—	पूर्ण	—	5 प्रतिशत	—	22 वर्ष
(ख) ई० डब्ल्यू० एस०-II (शहरी)								
बने बनाए आवास एकक	12000	15000	संवर्गित अनुपात	90 प्रतिशत	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत	20 वर्ष	22 वर्ष
(ग) मलिन बस्ती उन्नयन								
पर्यावरणीय सुधार	2000	2000	1000	1000	5 प्रतिशत	6 प्रतिशत	10 वर्ष	20 वर्ष
शहरों के भीतरी भाग में मलिन बस्ती उन्नयन तथा आवास के लिए भी ऋण	3000		पूर्ण			6 प्रतिशत		20 वर्ष
II निम्न आय वर्ग (एल० आई० जी०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 701								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
रु० से 1500 रु० तक है।								
निम्न आय वर्ग-I	—	20000		85 प्रतिशत		8.5 प्रतिशत		15 वर्ष
निम्न आय वर्ग-II	20000	30000	संवर्गित अनुपात	85 प्रतिशत	8 प्रतिशत	9.0 प्रतिशत	15 वर्ष	15 वर्ष
III मध्यम आय वर्ग (एम०आई०जी०) जिनकी पारिवारिक मासिक आय 1501 रु० से 2500 रु० तक है।								
मध्यम आय वर्ग-I	30,000	60,000	संवर्गित अनुपात	75 प्रतिशत	10.5 प्रतिशत	11 प्रतिशत	12 वर्ष	15 वर्ष
मध्यम आय वर्ग-II	50,000	1,00,000	—वही—	75 प्रतिशत	11.5 प्रतिशत	$12\frac{1}{2}$ प्रतिशत	12 वर्ष	15 वर्ष
IV उच्च आय वर्ग (एच०आई०जी०) जिनकी पारिवारिक								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मासिक आय 2500 रु० से ऊपर है। उच्च आय वर्ग मकान/फ्लैट	125000	250000	संवर्गित अनु-पात या प्रति एकक 60,000 रु० जो भी कम हो	60 प्रतिशत	12.5 प्रतिशत	13.5 प्रतिशत	10 वर्ष	15 वर्ष
V मूलभूत स्वच्छता (स्वच्छ घर) व्यक्ति या सामुदायिक सभी श्रेणियां			50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	ई० डब्लू० एस०/एल० आई० जी० 5 प्रतिशत —अन्य 10 प्रतिशत	6 प्रतिशत	12 वर्ष	12 वर्ष
VI ग्रामीण आवास								
(क) भूमिहीन श्रमिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-I (ग्रामीण)	600	600	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	6 प्रतिशत	10 वर्ष	11 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग-II (ग्रामीण)	600	10000	50 प्रतिशत	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	7 प्रतिशत	10 वर्ष	11 वर्ष
(ख) अन्य वर्ग उसी प्रकार के जैसे विभिन्न आय ग्रुपों के लिए शहरी आवास के लिए			———शहरी आवास के अनुसार———					
VII उपयोगिता तथा सामाजिक अधसंरचना उपयोगिता, अधसंरचना अर्थात जलपूर्ति नालियां मलनिर्यास सैप्टिक शौचालय आदि, सड़कें गलियों में प्रकाश तथा क्षेत्र विकास आदि। सामाजिक अधसंरचना अर्थात समाज सदन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, चिल्डर्न पार्क, कामकाजी महिला होस्टल,			50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत	12 वर्ष	12 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रेचिज के लिए दैनिक देखभाल एकक, संरक्षण आदि								
VIII अन्य कार्यक्रम								
(क) किराये के आवास	1.25 लाख	2.50 लाख	70 प्रतिशत या प्रति एकक 60,000 रु० जो भी कम हो	70 प्रतिशत	13 प्रतिशत	15 प्रतिशत	7 वर्ष	10 वर्ष
(ख) वाणिज्यिक योजना	—	—	100 प्रतिशत तक पूर्ण		15 प्रतिशत	15 प्रतिशत	6 वर्ष	10 वर्ष

(ग) भूमि अधिग्रहण—हुडको 50 प्रतिशत की सीमा तक धन दे जो कि 12 प्रतिशत की दर के ब्याज (कुल) पर 6 वर्षों में देय होगा। 15 प्रतिशत यदि राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो।

(घ) निर्माण ऋण —निर्माण ऋण प्रत्येक आय वर्ग के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार आवास अभिकरण, सहकारी समिति नियोक्ता के माध्यम से दिया जाए।

(ङ) मरम्मत तथा नवीकरण योजना—प्रत्येक आय वर्ग के लिए लागू मानदण्डों के अनुसार।

(च) भवन निर्माण सामग्रियां —हुडको उद्यमियों को भूमि प्राप्त करने में सहायता करेगा और कम लागत अनुमोदित भवन निर्माण सामग्रियों

के उत्पादन के लिए एककों के गठन हेतु और फैक्टरी में बने बनाए घटकों के लिए वित्त तथा तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया कराएगा। हुडको द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज 13.5 प्रतिशत की दर से होगा।

टिप्पणी :

(i) ऊपर बतायी गई अधिकतम लागत सीमा में पहाड़ी क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के लिए बंजर भूमि की लागत शामिल नहीं होगी।

(ii) (क) जिस मामले में वास्तविक लागत संशोधित अधिकतम लागत सीमा के भीतर है उसमें ऊपर दिए गए वर्गीकरण के आरम्भ होने की तारीख से पहले स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में (ख) जिन मामलों में वास्तविक लागत अधिकतम लागत सीमा में 10 प्रतिशत से अधिक के अन्तराल के भीतर है और योजनाओं को संशोधित पद्धति के अन्तर्गत अभी भी स्वीकृत किया जाना है, के मामलों में कोई पुन: वर्गीकरण नहीं किया जायेगा।

(iii) यदि भवन निर्माण सामग्रियों की लागत में पर्याप्त वृद्धि है तो हुडको के निदेशकों का बोर्ड शहरी विकास मन्त्रालय को सूचित करते हुए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अधिकतम लागत सीमा में अन्तरिम वृद्धि कर सकता है जोकि 10 प्रतिशत से अनधिक होगी।

विवरण-II

31-1-86 को राज्यवार सांख्यिकीय सूचना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण	दी गई राशि	प्राप्त की गई राशि	स्वीकृत आवास एककों की संख्या (रिहायशी + गैर-रिहायशी + मूलभूत स्वच्छता (शौचालय) तथा स्वैच्छिक संगठन)	स्वीकृत प्लाटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	519	29206	18403	11408	3552	340905	2797
असम	18	921	601	395	178	2314	0
बिहार	67	7244	4219	1356	763	84965	3691
गुजरात	470	31866	19133	12345	5736	245959	7659

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	430	10450	7269	5270	2944	40328	109
हिमाचल प्रदेश	56	1451	964	564	308	3114	756
जम्मू तथा कश्मीर	26	2033	1427	584	447	5102	10704
कर्नाटक	294	20335	11056	7357	3315	353627	3966
केरल	194	18333	11583	6777	2617	245398	1288
मध्य प्रदेश	211	14654	9986	4321	2870	131297	74276
महाराष्ट्र	471	33008	21310	13841	4790	183884	10113
मणिपुर	4	384	259	96	12	629	0
मेघालय	1	15	7	0	0	115	0
उड़ीसा	112	9079	6129	3169	1108	59347	791
पंजाब	152	10061	6399	4688	2698	49167	1969
राजस्थान	409	25951	18302	11549	4674	197526	18734
सिक्किम	2	46	30	4	0	76	0
तमिलनाडु	448	25904	17283	12977	4579	167112	16195

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	2	69	49	0	0	418	0
उत्तर प्रदेश	405	37033	26291	13313	4853	154969	31775
पश्चिम बंगाल	57	6500	4324	2522	1928	31292	878
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	16	9	0	0	15	0
चण्डीगढ़	36	4867	3119	2424	1201	17136	3962
दिल्ली	34	11492	7510	1700	1390	38094	0
गोवा, दमन तथा दीव	4	163	97	11	0	206	321
पांडिचेरी	5	343	226	103	48	1383	0
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	4122	301425	195985	116774	50152	2454378	189984

विवरण-III

31-1-86 (1985-86 के दौरान) को स्वीकृत रिहायसी एककों (अन्यों को शामिल करके) के स्थानवार ब्यौरे

शहर	स्वीकृत एकक
1	2
लखनऊ	3089
गाजियाबाद	2235
मेरठ	2870
फिरोजाबाद	172
रायबरेली	115
बांदा	189
आगरा	1468
फतेहपुरी	138
लखीमपुर	243
मथुरा	65
कासगंज	105
गदापुर	50
कानपुर	3547
नौएडा	1349
इटावा	411
हाथरस	313
जसपुर	50
पीलीभीत	100
बदायूं	150

1	2
अलीगढ़	301
बिजनौर	160
चिवरमन	95
गौण्डाविर्थ	156
मैनपुरी	250
गोरखपुर	650
खुर्जा	278
हरिद्वार	340
रुद्रपुर	77
हलद्वानी	5000
बहराइच	71
	24040

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन और निर्यात

2105. श्री बी० तुलसी राम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कपास की भारी फसल होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी कपास के उत्पादन होने का अनुमान है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 के लिए कपास उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी देय नहीं हुये हैं। वास्तव में, दक्षिण के कुछ राज्यों में अभी कटाई जारी है। तथापि, अब तक प्राप्त प्राथमिक रिपोर्टों के आधार पर हाल में यह जायजा लिया गया है कि 1985-86 के दौरान अखिल भारतीय कपास उत्पादन प्रायः गत वर्ष के स्तर पर होगा।

शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन में एक और चैनल आरम्भ करना

2106. श्री दिग्विजय सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रव्य दृश्य माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए दूरदर्शन में एक और चैनल आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सातवीं योजना में इसके लिए उचित प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त भाग (क) में प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कोई अन्य साधनों का पता लगाया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पाठ्यक्रम आधा स्कूल दूरदर्शन कार्यक्रम दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा श्रीनगर से टेलीकास्ट किये जाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए संबंधित भाषा में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा इन्सैट-1 बी० के माध्यम से टेलीकास्ट किए जाते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के ट्रांसमीटरों द्वारा हिन्दी में शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम रिले किये जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले उच्च शिक्षा पर कार्यक्रम भी राष्ट्रीय संजाल पर प्रतिदिन 2 घंटे के लिए टेलीकास्ट किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यक्रम निर्माण दूरदर्शन केन्द्र अपने सामान्य कार्यक्रमों के अंग के रूप में अनौपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं।

घोड़ों की देशी नस्लों का संरक्षण

2107. श्री दिग्विजय सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अश्व विश्वकोष ने भारतीय मूल की तीन नस्लों, काठियावाड़ी, मारवाड़ी और स्पीति की स्वदेशी नस्लों के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये नस्लें समाप्त न हो जाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या वित्तीय, तकनीकी और प्रोत्साहात्मक सहायता दी गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पी॰ाग बुक्स, लन्दन (1985) द्वारा प्रकाशित "अश्व विश्वकोष" में काठियावाड़ी, मारवाड़ी तथा स्पीति देशी टट्टू की नस्लों के रूप में शामिल किए गये हैं।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अश्व संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ देशी नस्ल के अश्वों तथा उनके सुधार के बारे में अध्ययन करना, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के सहयोग से देशी अश्व आनुवंशिक संसाधनों का सर्वेक्षण करना और अश्व रोगों, पोषण, प्रबन्ध तथा फार्म निष्पादन संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करना है।

देशी नस्लों के अश्वों के चयन, संरक्षण तथा विकास के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत अश्व प्रजनन फार्मों की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

खाद्य और कृषि संगठन की सहायता से अश्व प्रजनन प्रबन्ध तथा स्वास्थ्य में कुछ तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है।

दरभंगा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू करना

2109. डा॰ गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा में दूरदर्शन रिले के लिए ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित किया गया है और उसे औपचारिक रूप से चालू करने हेतु पिछले छः माह से प्रतीक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक चालू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी॰ एन॰ गाडगिल) : (क) और (ख) दरभंगा का अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर टावर के मुकम्मल हो जाने पर नियमित सेवा के लिए 26 फरवरी, 1986 को चालू हो गया था।

भारतीय प्रसारण सेवा

2110. डा॰ गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में भारतीय प्रसारण सेवा (आई॰बी॰एस॰) के नाम से एक मात्र सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सेवा कब तक शुरू हो जाएगी; और

(ग) प्रस्तावित सेवा शुरू किए जाने पर आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवाओं में किस सीमा तक सुधार हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा नामक एक नई समूह "क" सेवा का गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें इसी प्रकार की अन्य गैर-तकनीकी केन्द्रीय सेवाओं में पाए जाने वाले तुलनीय ग्रेड और वेतनमान होंगे। जब इस प्रस्तावित सेवा के नियम अधिसूचित हो जाएंगे तब यह सेवा कार्य करना शुरू कर देगी। कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत कर दिए जाने के बाद नियमों को संघ लोक सेवा आयोग की सहमति के लिए भेजा गया है। तथापि, यह बताना कठिन है कि यह सेवा किस तारीख तक प्रभावी होगी।

(ग) यह उम्मीद है कि प्रस्तावित सेवा के गठन से आकाशवाणी और दूरदर्शन के दोनों इलैक्ट्रानिकी माध्यमों में व्यावसायिक श्रेष्ठता बेहतर मात्रा में प्रतिबिम्बित होगी।

लक्षद्वीप में पेयजल के लिए सर्वेक्षण

2111. **श्री पी० एम० सईद :** क्या कृषि मंत्री लक्षद्वीप में पेय जल के लिए सर्वेक्षण के बारे में 2 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान लक्षद्वीप में कवराती जल सप्लाई परियोजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वितरा द्वीप तथा शेष द्वीपों में, जहां पर त्रिज्जीय एकत्रण कुओं से भू-जल का कर्षण तथा सप्लाई से पूर्व इसको साफ करना शामिल है, और अपक्षारीकरण संयंत्रों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) लक्षद्वीप के लोगों को शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कराने में कितना समय लगने की संभावना है ?

मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि भूमि उपलब्ध ...पिछले तीन महीनों के दौरान कवराती जल सप्लाई योजना में कोई प्रगति नहीं हो... कारंवाई चल रही है।

... अपक्षारीकरण संयंत्र लगा दिया गया है और वह चालू हो गया ... त्रिज्जीय एकत्रण कुओं से भू-जल का कर्षण तथा सप्लाई करने ... सभी बसावट वाले द्वीप समूह के लिए स्वीकृत की जा... ...न कार्य पहले से चल रहा है।

(ग) आशा है कि पेय जल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक 'अर्थात् समूह के सभी निवासियों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में नये रेडियो स्टेशन

2112. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के कुछ भागों में आकाशवाणी कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्रों को रेडियो प्रसारणों की सीमा के अंतर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी ने अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में चार नए रेडियो स्टेशन, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी/श्रीनगर में एक-एक तथा विज्ञापन सेवाओं के लिए मसूरी में एक एफ०एम० ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें शामिल की हैं।

अल्मोड़ा स्थित शार्टवेव रेडियो स्टेशन का विस्तार

2113. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा रेडियो रिले केन्द्र पर शार्टवेव प्रसारण सुविधा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रसारण केन्द्र की प्रसारण क्षमता का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अल्मोड़ा केन्द्र, जो चालू किये जाने के लिए अभी तैयार हुआ है, में एक

किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर है। दिल्ली और लखनऊ के आकाशवाणी ट्रांसमीटरों से शार्ट वेव प्रसारण पर रेडियो प्रेषण अल्मोड़ा जिले में अच्छी तरह सुनाई देते हैं। आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में दिल्ली और लखनऊ के मौजूदा क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटरों की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट करने का प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना के दौरान गोरखपुर में 50 किलोवाट शार्टवेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन सभी तीनों शार्टवेव ट्रांसमीटरों के प्रेषण अल्मोड़ा में अच्छी तरह सुनाई देंगे। अतः सरकार अल्मोड़ा के आकाशवाणी ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाना आवश्यक नहीं समझती।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाना

2114. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय दिल्ली से पड़ोसी राज्यों विशेषकर नागपुर शहर (महाराष्ट्र राज्य) में ले जाने हेतु अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्यालयों को दिल्ली से अन्य राज्यों में कब तक ले जाया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) विद्यमान निर्णय के अनुसार, केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे कार्यालयों के ब्यौरे तथा वह समय जब से कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जायेगा, संलग्न विवरण में दिये गये हैं। केन्द्र सरकार के किसी भी कार्यालय को दिल्ली से नागपुर स्थानांतरित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	उस स्थान का नाम जहां स्थानान्तरित किए जाने का प्रस्ताव है।	कब तक स्थानान्तरण आरम्भ किए जाने की संभावना है।
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	गाजियाबाद	राष्ट्रीय श्रम संस्थान परिसर का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण

1	2	3	4
			विभाग द्वारा किया जा रहा है। ज्योंही निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, राष्ट्रीय श्रम संस्थान का स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
2.	दीपघर तथा दीप पोत विभाग	गाजियाबाद	1986 में, जब नए कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
3.	तट रक्षक मुख्यालय	गाजियाबाद	जब भी रक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षित वास का निर्माण कर लिया जाता है।
4.	भारतीय कपास निगम लि० का क्षेत्रीय कार्यालय	वाणिज्य मंत्रालय (कपड़ा विभाग) द्वारा अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।
5.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि० का नियमित कार्यालय	गाजियाबाद-नौएडा	लगभग छः माह के बाद।
6.	मंत्रिमंडल सचिवालय	गुड़गांव	भूमि अर्जित कर दी गई है। योजना तथा आकलनों का अभी भी हिसाब लगाया जाना है और निर्माण में 3-4 वर्ष लगेंगे।
7.	डाक कर्मचारी कालेज, नई दिल्ली	गाजियाबाद	इन दोनों एककों को बसाने के लिए गाजियाबाद में एक परिसर के निर्माण का प्रस्ताव है। इस परियोजना के पूर्ण होने में 3-4 वर्ष लग सकते हैं। भवनों के पूर्ण हो जाने पर इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाएगा।
8.	नई दिल्ली के डाक विभाग का अनुसंधान तथा विकास केन्द्र।	गाजियाबाद	

दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन

2115. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कल्याण संघों ने सरकार से दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 में विस्तृत संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा खाड़ी के देशों में भेजे गये भारतीय श्रमिक

2116. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा बम्बई में ऐसी कितनी गैर-सरकारी एजेंसियां/संगठन हैं जिनके माध्यम से 1983 से जनवरी, 1986 तक खाड़ी के देशों या विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों को भेजा गया तथा प्रत्येक एजेंसी/संगठन द्वारा क्रमशः कितने भारतीय भेजे गए ;

(ख) भारतीय श्रमिकों को विदेशों में भेजने के लिए इन गैर-सरकारी संगठनों को सरकार की ओर से क्या ठेके/करार या निर्देश दिए जाते हैं;

(ग) क्या इन संगठनों ने भारतीयों को अपने उप-ठेकेदारों की सिफारिशों पर विदेशों में भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में वे कौन से ठेकेदार हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) ऐसी एजेंसियों/संगठनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	भर्ती एजेंसियां	संगठन निर्माण कम्पनियां
बम्बई	615	28
दिल्ली	139	34

(ख) (i) भर्ती केवल पंजीकृत भर्ती एजेंसियों या विदेशों में परियोजनाओं को चलाने वाली निर्माण कम्पनियों द्वारा की जा सकती है।

(ii) किसी भी उप एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई है।

(iii) भर्ती एजेंसियां कर्मकारों से सेवा प्रभार के रूप में 1500/- रु० से अधिक नहीं ले सकते हैं। निर्माण कम्पनियां किसी भी प्रकार की राशि नहीं ले सकती हैं।

(ग) और (घ) इन संगठनों को उप-ठेकेदार रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, श्रमिक ठेकेदारों अर्थात उड़ीसा के जे० सी० प्रधान और पुस्ति के खिलाफ दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

गैर-सरकारी पार्टियों को सरकारी आवासों का आबंटन

2117. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उन पंजीकृत सोसाइटियों या स्वायत्त संगठनों या गैर-सरका पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं;

(ख) ऐसे आबंटनों की शर्तें क्या हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में आबंटन की तिथि और अवधि क्या है; और

(घ) उन अन्य संगठनों के नाम क्या हैं जिनके आबंटन संबंधी आवेदन पत्रों को रद्द कर दि गया था ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना ए की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम से प्रसारित मलयालम कार्यक्रमों को रिले किया जाना

2118. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा कि सरकार का त्रिवेन्द्रम से कोचीन तथा केरल के अन्य स्थानों के लिए मलयालम कार्यक्रमों का रण कब तक रिले करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : छठी पंच योजना की स्कीम के अंग के रूप में दूर संचार विभाग को कोचीन से होते हुए त्रिवेन्द्रम और काल के बीच माइक्रोवेव लिंक (कोचीन में एक ड्राप लिंक के साथ) उपलब्ध करने के लिए पक्की मांग दी गई है। दूर संचार विभाग द्वारा लिंक कार्यान्वित कर दिए जाने के बाद कोचीन का दूरदर्शन

मीटर, दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में तैयार किए जाने वाले कार्यक्रम रिले कर सकेगा। कालीकट के ट्रांसमीटर द्वारा त्रिवेन्द्रम के कार्यक्रम रिले किए जा सकें, इसके लिए कालीकट में इंड लिंक सुविधा की व्यवस्था करना सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केरल में आकाशवाणी केन्द्र

2119. श्री टी० बशीर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आकाशवाणी के कितने केन्द्र हैं और प्रत्येक की क्षमता (कि०वा०) कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय केरल में निम्नलिखित स्थानों पर चार आकाशवाणी केन्द्र काम कर रहे हैं : —

क्रम संख्या	स्थान	ट्रांसमीटर की शक्ति
1.	अल्लेप्पी	100 किलोवाट मीडियम वेव
2.	कालीकट	10 किलोवाट मीडियम वेव (विविध भारती/वाणिज्यिक)
3.	त्रिचूर	20 किलोवाट मीडियम वेव
4.	त्रिवेन्द्रम	10 किलोवाट मीडियम वेव 1 किलोवाट मीडियम वेव (विविध भारती/वाणिज्यिक)

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान, त्रिचूर के मौजूदा ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करने का प्रस्ताव है। त्रिवेन्द्रम में भी 50 किलोवाट का एक शार्टवेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) सातवीं योजना के दौरान, कन्नानोर, इदुक्की और कोचीन में 2 × 3 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों के साथ 3 नए एफ०एम० रेडियो

स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

फसल बीमा योजना का समुचित ढंग से चलाना

2120. श्री टी० बशीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तैयार की गई फसल बीमा योजना ठीक ढंग से नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके सही ढंग से कार्य करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ, 1985 मौसम से भारत सरकार द्वारा लागू की गई वृहत फसल बीमा योजना ठीक ढंग से चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस योजना को खरीफ, 1985 मौसम से अपनाए जाने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश की गई थी। खरीफ, 1985 मौसम के दौरान 12 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात्, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पांडिचेरी में यह योजना क्रियान्वित की गई, तथापि, हरियाणा राज्य सरकार ने यह योजना बाद में अपनाई थी। लगभग 41.78 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए बीमाकृत धनराशि के रूप में 540.49 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भारतीय सामान्य बीमा निगम को प्राप्त हुए। इसी प्रकार, रबी 1985-86 के दौरान, ग्यारह राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पांडिचेरी 15 फरवरी, 1986 तक लगभग 2.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को इसके अन्तर्गत लाने हेतु बीमाकृत धनराशि के रूप में 32.91 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सामान्य बीमा निगम को अब तक भेज चुके हैं।

(घ) 1985-86 के दौरान, इस योजना के तहत लाभानुभोगियों की संख्या के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

खरीफ 1985 तथा रबी 1985-86 मौसम के दौरान वृहत फसल बीमा योजना के तहत कवर किए गए लाभानुभोगियों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभानुभोगियों की संख्या	
		खरीफ 1985 मौसम	रबी 1985-86 मौसम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5,43,261	28,195
2.	बिहार	40,073	—
3.	गुजरात	2,38,592	8,007
4.	हरियाणा	4,113	—
5.	कर्नाटक	70,903	1,305
6.	केरल	20,611	3,833
7.	मध्य प्रदेश	1,17,965	13,279
8.	महाराष्ट्र	4,86,950	15,355
9.	उड़ीसा	95,708	124
10.	तमिलनाडु	53,262	4,385
11.	राजस्थान	—	6,894
12.	उत्तर प्रदेश	4,50,000	51,353
13.	पश्चिम बंगाल	2,06,050	13,229
14.	पांडिचेरी	1,280	150
	योग :	23,28,768	1,46,109

टिप्पणी : योजना बाद में अपनाई गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों और दुकानों की नीलामी

2121. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण वाणिज्यिक और औद्योगिक प्लाटों, आवासीय प्लाटों, निर्मित दुकानों और 'किओस्कों' की नीलामी करता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कमजोर वर्ग के लोगों और लघु उद्योगपतियों को नीलामी से कितने प्लाट दिए गए है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि, खुली नीलामी में उच्चतम सफल बोली दाताओं का रिकार्ड दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रखा जाता है। तथापि, वे कमजोर वर्गों अथवा लघु उद्योग श्रेणी के उद्योगपतियों से सम्बद्ध हैं, इसका कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

ग्रामीण परिवारों के लिए आवास स्थान

2122. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह**
श्री मानवेन्द्र सिंह } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने ग्रामीण परिवारों को आवासीय सुविधाएं दी गई हैं,

(ख) क्या ग्रामीण परिवारों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास स्थान देने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में आवास स्थानों के आबंटन की योजना के अन्तर्गत 5.43 मिलियन ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास स्थान दिए गए थे। यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 0.72 मिलियन भूमिहीन परिवारों को आवास स्थान देने का प्रस्ताव है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार लक्ष्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 1986-87 के लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान दिए जाने वाले आवास-स्थानों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	लक्ष्य-संख्या जिन्हें अभी आवास-स्थान दिए जाने हैं उन परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	—
2.	असम	106853
3.	बिहार	215013
4.	गुजरात	24448
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	12694
8.	कर्नाटक	—
9.	केरल	157056
10.	मध्य प्रदेश	16525
11.	महाराष्ट्र	—
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	182803
16.	पंजाब	—
17.	राजस्थान	—
18.	सिक्किम	—

1	2	3
19.	तमिलनाडु	—
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	—
22.	पश्चिम बंगाल	6948
	कुल राज्य	722340
केन्द्र शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	चंडीगढ़	—
4.	दादरा और नगर हवेली	168
5.	दिल्ली	2352
6.	गोआ, दमन और दीव	—
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	—
9.	पांडिचेरी	—
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र	2520
	कुल योग	724860
	या	0.72 मिलियन

श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर उद्योग समूह द्वारा कार्य आरम्भ करना

2123. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर उद्योग समूह को पुनः कार्य आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 17 फरवरी, 1986 के निर्णय में उल्लेख किया है कि उनके आदेश में निर्धारित कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रबंधतन्त्र को उक्त प्लांट पुनः चालू करने की अनुमति दी जा सकती है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, प्रबंधतन्त्र ने उच्चतम न्यायालय से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं और यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

राजस्थान में ""राक फास्फेट" के भंडारों का पता लगाना

2124. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितनी मात्रा में राक फास्फेट मिला है;

(ख) क्या राजस्थान के उदयपुर संभाग में अच्छी किस्म का राक फास्फेट पाया गया है; यदि हां, तो वहां अनुमानतः कितनी मात्रा के राक फास्फेट के भंडार पाए गए हैं;

(ग) क्या जैसलमेर जिले के मरु क्षेत्र में भी राक फास्फेट के भंडार पाए गए हैं और यदि हां, तो वहां किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राक फास्फेट के भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(घ) क्या इस राकफास्फेट को संसाधित करने के बाद उपयोग किया जा सकता है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) देश में विभिन्न ग्रेड के राक फास्फेट के कुल 184.66 मि० टन भंडार होने का अनुमान है। उनका राज्यवार ब्यौरा (मि० टनों) में निम्नलिखित है :—

आन्ध्र प्रदेश	0.22
बिहार	0.18
गुजरात	0.50
मध्य प्रदेश	29.31
राजस्थान	95.75
मेघालय	1.70

तमिलनाडु	0.24
उत्तर प्रदेश	51.80
पश्चिम बंगाल	4.96

(ख) जी, हां। उदयपुर संभाग में सभी ग्रेड के कुल 51.50 मि० टन राक फास्फेट भंडारों का आकलन किया गया है, जिनमें से 16.79 मि० टन अच्छी किस्म के हैं जिनमें +30% फास्फोरस पेन्ट आक्साइड (पी$_2$ओ$_5$) है।

(ग) जी, हां। जैसलमेर जिले के बिरमानिया क्षेत्र में राक फास्फेट निक्षेप पाए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यहां कुल 4.17 मि० टन फास्फोराइट, जिनमें 10 से 12.4% तक फास्फोरस पेंट आक्साइड है, का अनुमान लगाया गया है।

(घ) बिरमानिया में कठोर चकमक एवं चूने वाला निम्न ग्रेड निक्षेप है, जिसमें अशुद्धता अधिक है, जिससे उसके परिष्करण में कठिनाई होती है।

[अनुवाद]

पशुओं से न लिए गये "रैनेट" से पनीर बनाना

2125. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशुओं से लिये गये "रैनेट" से पनीर बनाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या बहुत सी अनुसंधान संस्थाओं, में विशेष रूप से केन्द्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर में तथा अन्य स्थानों में, "फंगस" से निरामिष "रैनेट" तैयार करने के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ग) पनीर बनाने के लिए फंगस पर आधारित रैनेट तैयार करने में क्या प्रगति हुई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पशु रैनेट के आयात पर 7-2-1984 से पाबन्दी लगाई गई है। इसके अलावा, पनीर बनाने के काम में लगे लाइसेन्सशुदा यूनिटों को यह सलाह दी गई है कि यदि उनके पास पशु रैनेट का कोई स्टाक पड़ा हो तो उसे नष्ट कर दें। इसलिए यह आशा की जाती है कि देश में पनीर बनाने के लिए पशु रैनेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) म्यूकर मिहो पर आधारित माइक्रोबियल रैनेट के लिये एक नई प्रक्रिया विकसित की

गई है। इस प्रक्रिया में वाणिज्यिक मार्केट एंजाइमों की तुलना में अपरिष्कृत एंजाइम बनाने में प्रोटीन अपघटक (प्रोटिओलाटिक) क्रिया के लिए दूध स्कंदन (मिल्क क्लाटिंग) का उच्च अनुपात होता है। माइक्रोबियल रैनेट की इस नई प्रक्रिया से तैयार किया गया पनीर हर प्रकार से पशु रैनेट से बनाये गये पनीर के समान होता है।

दूरदर्शन पर नये कार्यक्रम

2126. डा० चिन्ता मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन देश में रामायण को धारावाहिक रूप में दिखाने जैसे नये कार्यक्रम शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मौलाना आजाद, नेता जी और अम्बेडकर जैसी राष्ट्रीय नेताओं पर कार्यक्रम दिखाने पर भी विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) नये दूरदर्शन कार्यक्रमों को शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है। दूरदर्शन ने कार्यक्रमों के प्रयोजन की स्कीम के अन्तर्गत रामायण पर एक धारावाहिक का निर्माण करने की संकल्पन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा मौलाना आजाद, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस और डा० बी० आर० अम्बेडकर पर कार्यक्रम टेलीकास्ट किये गये हैं।

वेटिकन, रोम से क्रिसमिस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

2127. डा० चिन्ता मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी नीतियों के एक अंग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया है जैसे हाल ही में वेटिकन, रोम से क्रिसमिस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण;

(ख) यदि हां, तो प्रसारित किये जाने वाले ऐसे अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त सीधे टेलीविजन कार्यक्रमों पर आन्तरिक तथा बाहरी कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के किसी भाग को इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति प्रत्यायोजित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इससे कितनी आय हुई;

(च) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम का आकाशवाणी से भी प्रसारण किया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या भविष्य में ऐसे सभी टेलीविजन कार्यक्रमों को आकाशवाणी से भी प्रसारित किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। जहां तक उल्लिखित क्रिसमस जैसे कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, वर्ष 1985 के दौरान पोप के संदेश और वेटिकन सिटी में अर्ध रात्रि जनसमूह (मिड नाइट मास) तथा साउदी अरेबिया में हुअ तीर्थ यात्रा सहित क्रिसमस समारोहों की कार्यक्रम फीडों को उपग्रह के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इन कार्य-क्रमों की रिकार्डिगें बाद में टेलीकास्ट की गई थीं।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित कार्यक्रमों या इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों को वर्ष 1986 के दौरान टेलीकास्ट करने सम्बन्धी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

(ग) उपग्रह प्रभारों की बाबत उपरोक्त (क) में उल्लिखित कार्यक्रमों पर कुल आंतरिक व्यय लगभग 1.04 लाख रुपये हुआ था। इसमें कोई विदेशी मुद्रा निहित नहीं थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) आकाशवाणी द्वारा वेटिकन से क्रिसमस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण नहीं किया गया था। आकाशवाणी अपने श्रोताओं की सेवा श्रव्य माध्यम के जरिये करता है, जबकि कुछ कार्यक्रमों की केवल दृष्टिमूलक रूप से प्रभावी अपील रखते हैं। अतः आकाशवाणी ने कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया।

(छ) जी, नहीं।

"समुद्रपारीय" खेल कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण

2128. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच तथा समुद्र पार आयोजित होने वाले अन्य खेलों जैसे अनेक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन पर स्थानीय और विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या संगीत और पोप संगीत के अन्य कार्यक्रमों सहित ऐसे कार्यक्रमों को स्थानीय फर्मों द्वारा प्रायोजित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या समुद्रपारीय एककों के मामलों में कम्पनियों को अपनी आय में से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए कहा जायेगा अथवा लाभ की राशि दे दी जायेगी;

(ङ) वर्ष 1983-84 और 1985 के दौरान विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(च) क्या ऐसे सभी टेलीविजन कार्यक्रमों का आकाशवाणी से भी प्रसारण किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) विदेशों में होने वाली तथा दूरदर्शन पर सजीव टेलीकास्ट की जाने वाली खेल घटनाओं को भारतीय फर्मों द्वारा समय-समय पर प्रायोजित किया जाता है। जबकि विदेशों से सजीव टेलीकास्ट किया गया संगीत का कोई भी कार्यक्रम अभी तक प्रायोजित नहीं किया गया है। प्रायोजित विदेशों में आयोजित "लाइन ऐड" संगीत कार्यक्रम की रिकार्डिंगें दूरदर्शन द्वारा भारतीय फर्मों की प्रायोजिकता के साथ प्रसारित की गई थीं।

(घ) जी, नहीं। भारतीय प्रायोजक दूरदर्शन को अपना प्रायोजन शुल्क केवल भारतीय मुद्रा में ही अदा करते हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(च) जी, नहीं। आकाशवाणी की कार्यक्रम और तकनीकी आवश्यकताएं दूरदर्शन की कार्यक्रम और तकनीकी आवश्यकताओं से भिन्न हैं। आकाशवाणी महत्वपूर्ण खेल की स्थिति, खेल की लोकप्रियता, श्रोताओं की रुचि, तकनीकी संभाव्यता, तथा अन्य कार्यक्रम प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खेल घटनाओं के सीधे कवरेज के अलावा अपने नियमित खेल कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

2129. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने नये दूरदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रस्तावित नये दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ग) उड़ीसा में नये दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना का कार्य तेज करने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र, भवानी पटना में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर और बारीपाड़ा, सुन्दरगढ़, बालेश्वर, क्योंझरगढ़, बोलंगीर, फुलबनी, जैपोर और छत्तरपुर में अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 8 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल की गई हैं।

(ग) जबकि भुवनेश्वर में दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र की स्थापना के लिये चुने गये स्थान को दूरदर्शन ने प्राप्त कर लिया गया है, वित्तीय संसाधनों की वर्ष-वार उपलब्धता के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कारंवाई शुरू कर दी गई है।

आकाशवाणी द्वारा स्थापित "फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन" केन्द्रों की स्थापना

2130. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी ने देश में अब तक कितने "फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन" केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) ये "फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन" केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में कुछ और "फ्रीक्वेंसी मोडूलेशन" केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) चार फ्रिक्वेंसी माडूलेटिड ट्रांसमीटर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक-एक स्थापित किये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान एफ० एम० केन्द्रों की स्थापना करने के लिए चुने गये स्थान

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. कोट्टागुडम
		2. तिरूपती
		3. वारंगल
		4. कुरूनूल
		5. निजामाबाद
		6. मार्कपुरम
		7. अनन्तपुर
2.	असम	8. जोरहाट
		9. नावगंग
		10. हाफलोंग
		11. धुबरी
3.	बिहार	12. डलटलगंज
		13. हजारीबाग
		14. पुर्णिया
		15. सासाराम
		16. सिंहभूम
4.	गुजरात	17. गोधरा
		18. सूरत
5.	हरियाणा	19. कुरूक्षेत्र
		20. हिसार

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	21. धर्मशाला
		22. कुल्लू
		23. हमीरपुर
7.	जम्मू कश्मीर	24. बधरवा (डोडा)
		25. कथूवा
		26. पुंछ
8.	कर्नाटक	27. मरकारा
		28. हसन
		29. हासपेट
		30. बीजापुर
		31. चित्रदुर्ग
		32. कारवाड़ा
		33. रायचूर
9.	केरल	34. कन्नानौर
		35. कोचीन
		36. इदुक्की
10.	मध्य प्रदेश	37. शहडोल
		38. शिवपुरी
		39. छिंदवाड़ा
		40. सागर
		41. बिलासपुर
		42. गुन्ना
		43. बालाघाट
		44. रायगढ़

1	2	3
		45. इस्टनिमाड़ (खंडवा)
		46. बेतुल
11.	महाराष्ट्र	47. कोल्हापुर
		48. धुले
		49. बीर
		50. चन्द्रपुर
		51. नानदेड
		52. अकोला
		53. उसमानाबाद
		54. यवतमाल
		55. सतारा
		56. अहमदनगर
		57. नासिक
12.	मणिपुर	58. चुराचन्दपुर
13.	मेघालय	59. जोवाई
14.	नागालैंड	60. सोक्कचुंग
15.	उड़ीसा	61. बारीपाड़ा
		62. बहरामपुर
		63. बोलनगीर
		64. राऊरकेला
16.	पंजाब	65. भटिंडा
		66. पटियाला
17.	राजस्थान	67. जैसलमेर
		68. माऊण्ट आबू

1	2	3
		69. चुरू
		70. बांसवाड़ा
		71. अलवर
		72. झालावाड़
		73. सवाई माधोपुर
		74. नागौर
		75. चित्तौड़गढ़
18.	तमिलनाडु	76. ओकताचुमुड
		77. कोडेकनाल
19.	त्रिपुरा	78. कैलाशहर (उप खण्ड)
		79. बेलोनिया (उप खण्ड)
20.	उत्तर प्रदेश	80. ओबरा
		81. बरेली
		82. अलीगढ़
		83. फैजाबाद
		84. झांसी
21.	पश्चिम बंगाल	85. आसन सोल
		86. मुर्शिदाबाद
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अरुणाचल प्रदेश	87. जीरो
2.	गोवा दमन और दीव	88. दामन
3.	मिजोरम	89. लंग लेह
4.	पांडिचेरी	90. कारेकल

1	2	3
	विविध भारतीय रिले केन्द्र	
		91· कसौली (हिमाचल प्रदेश)
		92. मसूरी (उत्तर प्रदेश)

कृषि वानिकी को बारानी खेती का एक अंग बनाना

2131. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वानिकी को बारानी खेती का विशेष भाग बनाने के लिए कोई निदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। कृषि वानिकी पनधारा अवधारण पर आधारित बारानी खेती के विकास के लिए केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का एक विशेष भाग है।

भवानी पटना में आकाशवाणी केन्द्र

2132. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवानी पटना, जिला कलाहांडी में प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आकाशवाणी ने अपनी सातवीं योजना में भवानी पटना में 2 × 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, टाइप—1 (आर) स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों, आदि के साथ नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। स्टूडियो और ट्रांसमीटर के लिए स्थान चुन लिए गए हैं। इन स्थानों को प्राप्त करने की कार्रवाई चल रही है। सिस्टम डिजाइन, उपकरणों की खरीद, आदि के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रस्तावित केन्द्र के सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान तैयार हो जाने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

2133. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना परिव्यय होने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार उड़ीसा के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन के मामले में इस राज्य के प्रति विशेष ध्यान देगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त राज्य को कितनी धनराशि मिलने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जैसा कि बजट दस्तावेज में दर्शाया गया है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के दौरान क्रमश: 633.65 करोड़ तथा 442.65 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से राज्यों को निधियों का आबंटन करते समय 50 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों पर दिया जाएगा तथा 50 प्रतिशत बल गरीबी के प्रभाव पर दिया जाएगा। उपर्युक्त फार्मूला के आधार पर राज्यवार आबंटन को बजट के पास होने के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

आशा है कि उड़ीसा को प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रावधान का लगभग 4.4 प्रतिशत आबंटित किया जाएगा।

जिम्बाब्वे द्वारा नई भवन निर्माण तकनीक का विकास

2134. श्री के० राममूर्ति : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय की जानकारी में यह बात लाई गई है कि हाल में नई दिल्ली में सम्पन्न हुए भारत अन्तर्राष्ट्रीय मेले में जिम्बाब्वेकी क्रांतिकारी और कम खर्चीली भवन निर्माण तकनीकी प्रदर्शित की गई थी;

(ख) क्या उस निर्माण प्रक्रिया में साधारण स्पीड ब्लाक्स होते हैं जिन्हें एक दिन में तीन शयन कक्षों का मकान बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है जिस पर नींव डालने में केवल एक बोरी सीमेंट लगता है; और

(ग) क्या 'हुडको' द्वारा जिम्बाब्वे के साथ सहयोग व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ताकि भारत में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की आवास की आवश्यकता पूरी की जा सके ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्पीड ब्लाक्स केवल दीवारें ही खड़ी करने के लिये उपयोग में लाए जा सकते हैं तथा इनमें अत्याधिक व्यय हो सकता है और इस प्रकार भारतीय सन्दर्भ में ये मितव्ययी नहीं हो सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

बी० बी सिंह समिति और डा० जी० बी० के० राव समिति के प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना

2135. श्री के० रामभूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में गठित की गई बी० बी० सिंह समिति ने प्रतिधारण मूल्य योजना के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1984 में गठित की गई डा० जी० बी० के० राव समिति ने उर्वरकों के उप-भोक्ता मूल्यों तथा दीर्घकालीन उर्वरक मूल्य नीति के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) प्रतिधारण मूल्य योजना संबंधी बी० बी० सिंह समिति की रिपोर्ट सरकार को 28 फरवरी, 1986 को प्रस्तुत की गई है।

(ख) जी, नही। जी० बी० के० राव समिति की समयावधि 22 जुलाई, 1986 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) बी० बी० सिंह समिति की सिफारिशें मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के लिए प्रति-धारण मूल्य योजना के युक्तिकरण तथा लागत/उत्पादन दक्षताओं के लिये उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करने से सम्बन्धित है।

नए दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र

2136. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान कोई नये आकाशवाणी केन्द्र दूर-दर्शन केन्द्र/ट्रांसमीटर या रिले केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और योजना के वित्तीय वर्ष के लिए उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग)

आकाशवाणी

अभी तक कोई नया रेडियो स्टेशन नहीं खोला गया है, तथापि, शोलापुर में एक नया रेडियो स्टेशन तैयार है और उसके मार्च, 1986 में चालू हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 1986-87 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर नए रेडियो स्टेशन/नई सेवाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

राज्य संघ/शासित क्षेत्र	स्थान
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर (अन्तरिम ढांचा)
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद
उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, आगरा
राजस्थान	कोटा
तमिलनाडु	मदुरै
उड़ीसा	क्योंझर
मेघालय	शिलांग (50 कि० वाट शार्ट वेव)
महाराष्ट्र	नागपुर (1000 कि० वाट मी० वेव ट्रांसमीटर)

दूरदर्शन

दूरदर्शन केन्द्रों/रिले केन्द्रों के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1985-86 के दौरान स्थापित नए दूरदर्शन रिले केन्द्र

क्रम संख्या	राज्य	रिले केन्द्र का स्थान
1	2	3
1.	असम	नाजीरा

1	2	3
2.	बिहार	दरभंगा
3.	जम्मू और कश्मीर	पुंछ
4.	मध्य प्रदेश	कोरबा सिंगरौली खण्डवा
5.	मणिपुर	उखरूल
6.	तमिलनाडु	नैवेली

1986-87 के दौरान स्थापित करने के लिए प्रस्तावित नए दूरदर्शन रिले केन्द्र और स्टूडियो केन्द्र

क्रम संख्या	राज्य संघ/शासित क्षेत्र	रिले केन्द्र का स्थान	स्टूडियो केन्द्र का स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	प्रोडूत्तर	
2.	बिहार	बेतिया	
3.	गुजरात	भुज	अहमदाबाद
4.	कर्नाटक	हसन उडिपी मादीकेरी	
5.	मध्य प्रदेश	जगदलपुर	
6.	महाराष्ट्र	सतारा रत्नागिरी	
7.	उड़ीसा	भवानीपटना	
8.	राजस्थान	रावतभाटा	जयपुर
9.	उत्तर प्रदेश	बलिया	
10	लक्षद्वीप	कवारत्ती एंड्रोट अमिनी मिनीकाय	

सामुदायिक विकास खण्ड बनाना

2137. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री सामुदायिक विकास खण्ड बनाने के बारे में 29 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 16 नए सामुदायिक विकास खण्डों के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता के लिए पुनः अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार की वास्तविक मांग क्या है, प्रस्तावित नए खण्डों के नाम क्या हैं और उनके मुख्यालय कहां-कहां होंगे तथा इस मांग पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 15 नए खण्ड सृजित करने तथा प्रथम दौर में पांच वर्षों की अवधि हेतु 12 लाख रुपये प्रति खण्ड की दर पर तथा दूसरे दौर में पहले से ग्राह्य 5 लाख रुपए प्रति खण्ड की दर पर निधियां उपलब्ध कराने हेतु फिर से अनुरोध किया है। जहां तक प्रस्तावित नए सृजित किये जाने वाले खण्डों तथा उनके मुख्यालयों के नामों का सम्बन्ध है, वे अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं तथा उन्हें अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि अतिरिक्त खण्डों के सृजन का कार्यपूर्णतया संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा प्रथम व दूसरे दौर के लिए निधियां उपलब्ध कराना जैसा कि अनुरोध किया गया है, सम्भव नहीं है क्योंकि, केन्द्रीय सरकार द्वारा खण्डों के लिए निधियां उपलब्ध कराने की योजना बहुत पहले ही समाप्त कर दी गई है तथा इस समय इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर कार्यक्रमों का प्रसारण

2138. श्री आर० एम० भोये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आज कल दूरदर्शन पर पाश्चात्य संगीत और डिस्को के कार्यक्रम को अधिक स्थान और समय दिया जा रहा है जिसका हमारी संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गीता, रामायण आदि जैसे पावन ग्रन्थों के उपदेशों पर आधारित सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने का है और क्या वह इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करेगी ताकि सारा परिवार एक साथ बैठकर टेलीविजन देख सके और बच्चे भविष्य में अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा ले सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। पश्चिमी संगीत के केवल कुछ कार्यक्रम ही अधिकांशतया महानगरी शहरों के दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाते हैं।

(ख) दूरदर्शन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक संगत के कार्यक्रम और शैक्षणिक कार्यक्रम भी नियमित रूप से टेलीकास्ट करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कार्यक्रम में नेपाली फिल्म का प्रदर्शन

2139. श्री आनन्द पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में नेपाली भाषी लोगों से दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में नेपाली फिल्म दिखाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में उक्त फिल्में कब से दिखाई जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सरकार को नेपाली संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति, गोहाटी से फिल्मों सहित नेपाली कार्यक्रमों को यदा-कदा टेलीकास्ट करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। नेपाली में यदा-कदा कार्यक्रम टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र, गोहाटी तथा दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता को उपयुक्त अनुदेश दे दिए गये हैं। जहां तक नेपाली या अन्य किसी भाषा में फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने का संबंध है, दूरदर्शन केवल उन्हीं फीचर फिल्मों में से चुनींदा फिल्मों को टेलीकास्ट कर सकता है जो संबंधित निर्माताओं/टी० वी० अधिकार धारकों द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं।

कोलार गोल्ड फील्ड्स माइन्स द्वारा उत्पादित सोने के दाम निर्धारित करना

2140. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार गोल्ड फील्ड्स माइन्स, कर्नाटक द्वारा उत्पादित सोने का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या सूत्र निर्धारित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार कोलार गोल्ड फील्ड्स के सोने का मूल्य खुले बाजार मूल्य पर निर्धारित करने का है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) कम्पनी द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण

सोना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 84.40 रु० प्रति 10 ग्राम की दर से सरकार को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कम्पनी को मूल्य अन्तराल के रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दर तथा लन्दन धातु बाजार के एकदम पूर्व माह के औसत मूल्य जमा (+) उस मूल्य के 35 प्रतिशत के बराबर अथवा एकदम पूर्व माह के औसत भारतीय बाजार मूल्य, जो भी कम हो, के बीच अन्तर की राशि की प्रतिपूर्ति कर रही है।

(ख) यह विचाराधीन है।

कोलार गोल्ड फील्ड माइन्स के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

2141. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तुलना में कोलार गोल्ड फील्ड्स के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन सबसे कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का कोलार गोल्ड फील्ड के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं। सरकारी उद्यम ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत गोल्ड माइन्स लि० के कर्मचारियों का वेतन अन्य सरकारी उपक्रमों की तुलना में कम नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलौर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह

2142 श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में ग्रामीण क्षेत्रों से कितने बच्चों ने भाग लिया है;

(ख) बंगलौर शहर तथा देश के अन्य शहरों के कितने बच्चों ने भाग लिया;

(ग) उक्त समारोह पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) कर्नाटक सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन बच्चों की सही संख्या की जानकारी नहीं है जिन्होंने बंगलौर में 14 से 24 नवम्बर, 1985 तक हुए भारत के चौथे अन्तर्राष्ट्रीय बाल समारोह में भाग लिया था। तथापि कर्नाटक और अन्य राज्यों में आए बाल प्रतिनिधियों की संख्या क्रमशः 104 (बंगलौर शहर से आए 26 प्रतिनिधियों सहित) और 82 थी।

(ग) से (ङ) समारोह के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय की अभी तक जानकारी नहीं है समारोह के आयोजक बाल चित्र समिति, भारत द्वारा अनुमानित व्यय 28.00 लाख रुपए था जिसमें से कर्नाटक सरकार द्वारा 7.00 लाख रुपये और भारत सरकार द्वारा 21.00 लाख रुपए का योगदान दिया गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजास्टर मैनेजमेंट)

2143. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राहत कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजास्टर मैनेजमेंट) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने का विचार है और इसके लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आपदा सम्बन्ध संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

खनन कानूनों और नियमों में संशोधन

2144. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हानिकारक तथा स्थायी रूप से विकृत प्रभाव छोड़ने वाले खनन कार्यों को रोकने के लिए खनन कानूनों और नियमों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) पर्यावरणीय दृष्टि से खनन वाले क्षेत्रों के लिए क्या संशोधन करने का विचार है; और

(ग) ये नए कानून और नियम कब तक अधिनियमित किए जाएंगे/बनाए जाएंगे ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां। प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कानून कब तक अधिनियमित/बनकर तैयार हो जाएंगे।

बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष

2145. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बीड़ी श्रमिक बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बच्चों की शिक्षा आदि के मामले में बीड़ी श्रमिकों की ओर उदासीनता दिखाई जाती है;

(ग) क्या बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष में समय के साथ वृद्धि नहीं हुई है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और इस बारे में विचाराधीन प्रस्ताव क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं। बीड़ी श्रमिकों के बीच किए गए यादृच्छिक सर्वेक्षणों से बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का पता नहीं चला है।

(ख) सरकार बीड़ी श्रमिकों के कल्याण में गहरी रुचि ले रही है। बीड़ी श्रमिकों के लिए 130 औषधालय, दस पलंगों वाला एक अस्पताल और चैस्ट क्लीनिक है। पचास पलंगों वाले दो अस्पतालों की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, बीड़ी श्रमिक श्रम मंत्रालय द्वारा लागू की गई अन्य कल्याण निधियों के अन्तर्गत स्थापित औषधालयों/अस्पतालों का भी लाभ उठा सकते हैं।

बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु अनेक अन्य योजनाएं हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियां और स्कूल वर्दी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित व्यय किया गया है—

1982-83	:	35,80,419—रुपये
1983-84	:	48,41,740—रुपये
1984-85		51,51,159—रुपये

(ग) और (घ) श्रमिकों को प्राप्त सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। समय-समय पर नई योजनाएं शुरू की जाती हैं और अधिक श्रमिकों को इन सुविधाओं का लाभ देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में तकनीकी/गैर तकनीकी कर्मचारी

2146. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कुल कितने तकनीकी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन तकनीकी कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी विदेशी हैं;

(ग) इस्पात संयंत्र में कितने गैर-तकनीकी कर्मचारी हैं; और

(घ) स्थानीय गैर-तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 2076.

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के अलावा विभिन्न संविधाओं के अन्तर्गत विदेशी अभिकरणों के 98 विदेशी तकनीकी कर्मचारी काम कर रहे हैं।

(ग) 1690.

(घ) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं फिर भी, सभी गैर-कार्यकारी पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों की मार्फत की जाती है और योग्य उम्मीदवारों के उपबन्ध न होने पर भर्ती विज्ञापन द्वारा की जाती है।

मुंगेर जिले में बाक्साइट के भण्डार

2147. श्री डी० पी० यादव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर जिले में उच्च किस्म के बाक्साइट के 1.51 मिलियन टन भंडार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कीमती धातु का इस्तेमाल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। बिहार के मुंगेर जिले में निम्न/मध्यम से उच्च ग्रेड बाक्साइट के 1.51 मि० टन सांकेतिक भंडार हैं।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बाल श्रम पर विधान

2148. श्री पी० आर० कुमारमंगलम
डा० जी० विजय रामाराव } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रम सम्बन्धी व्यापक विधान तैयार करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस मामले को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले सरकार का विचार समाज शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों तथा इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों से विचार विमर्श करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) बाल श्रमिकों की कामकाज की दशाओं में सुधार करने तथा उन्हें कतिपय कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तृत कानून बनाने के प्रस्ताव पर नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में और 24-1-1986 को हुई केन्द्रीय बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया और यह आम सहमति हुई है कि ऐसे विस्तृत कानून की जरूरत है। समाज-शास्त्रियों, अर्थ-शास्त्रियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्य संगत संगठनों के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् इस मामले को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय

2149. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य के लिए वर्तमान नियमों में प्रभावशाली संशोधन करने तथा कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से उन्हें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड और दिल्ली में श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड, सिद्धार्थ होटल्स और पदमा टावर की दुर्घटनाओं को देखते हुए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने और आवश्यक उपकरणों की खरीद और उनके उपयुक्त अनुरक्षण के बारे में तुरन्त कार्यवाही की जाएगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) भोपाल दुर्घटना के तुरन्त बाद, सरकार ने एक सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटना कम करने की कारंवाई योजना तैयार की जिसमें औद्योगीय दुर्घटनाओं और व्यावसायिक जोखिमों को रोकने के लिए नियोक्ताओं, श्रमिकों और राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कारंवाई के ब्यौरे दिए गए हैं। यह योजना नियोजकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दी गई हैं।

कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में स्थित चार संस्थानों द्वारा कारखाना निरीक्षकों, कारखानों के श्रमिकों और प्रबन्धकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जोखिमपूर्ण पदार्थों का प्रयोग करने वाले और निर्माण करने वाले एककों में सुरक्षा पहलुओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सरकार ने औद्योगिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से सम्बन्धित उपकरणों की खरीद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एक

परियोजना तय की है ताकि व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों को नियन्त्रित करने के लिए मानीटरिंग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। इस परियोजना में भाग लेने वाले, 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन उपस्करों का एक सैट पहले ही सप्लाई किया जा चुका है।

सिद्धार्थ होटल और पदमा टावर में हुई दुर्घटनाएं कारखाना अधिनियम के सीमा क्षेत्र से बाहर हैं।

श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदार बनाना

2150. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई त्रिपक्षीय बैठक में श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदार बनाने के प्रश्न पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस नीति को पहले ही स्वीकार कर लिए जाने की पृष्ठभूमि में क्या परिणाम निकले; और

(ख) क्या इस सिफारिश को लागू किया जाएगा ताकि श्रमिकों में भागीदारी की नई भावना जागृत हो तथा उत्पादकता बढ़े ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) श्रमिकों को प्रबन्ध में भागीदार बनाने से सम्बन्धित विषय और इसके लिए सांविधिक उपबन्ध करने के प्रश्न पर नई दिल्ली में 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में सरकार, निजी और सहकारी क्षेत्रों में उक्त योजना को लागू करने पर सिद्धान्ततः सहमति हुई। इस प्रश्न को स्थायी श्रम समिति के विचारार्थ छोड़ दिया गया कि क्या यह योजना स्वैच्छिक हो या इसे विधान बनाकर लागू किया जाए और इसे लागू करने के लिए क्या प्रणाली हो। स्थायी श्रम समिति का 11-2-1986 को गठन किया जा चुका है।

अदरक का मूल्य

2151. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अदरक के मूल्यों में भारी गिरावट आने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अदरक का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अदरक के मूल्यों में गिरावट की रिपोर्ट मिजोरम से प्राप्त हुई है। किसानों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मिजोरम सरकार भारत सरकार की स्वीकृति से अदरक के लिए बाजार में दखल देने

की योजना शुरू कर रही है, जो मिजोरम सहकारी विपणन संघ द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना के तहत अदरक उत्पादकों से सीधे 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में इस्पात उद्योग

2152. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का राजस्थान में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकार का, निकट भविष्य में राजस्थान में सर्वतोमुखी इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए विश्वदल का दौरा

2153. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है और इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने भारत में इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करने में सहायता देने में अभिरुचि दिखाई है। बैंक भारतीय इस्पात उद्योग की समस्याओं के बारे में एक अध्ययन करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। इस अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद ही आधुनिकीकरण के लिए बैंक की सहायता के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

केरल में परम्परागत मछुआरों के लिए मछली घाट (लैंडिंग सेन्टर)

2154. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से परम्परागत मछुआरों के लिए मछली घाट बनाने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने केरल के कोझीकोड़ जिले में वेल्लायीलाना में एक मछली घाट बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 22 नवम्बर 1984 को हुई बैठक में विभागीय संस्वीकृति समिति ने वेल्लायीलाना में मछली पकड़ने का एक केंद्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा केरल सरकार से प्राप्त अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया था और तीन प्रस्तावों अर्थात विझिजम दक्षिण, विझिजम उत्तर और वैल्लीकुनु उनके गुणावगुण के आधार पर मंजूर किए गए थे।

जी० पी०/जी० सी० शीट्स की कमी

2155. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जी० पी०/जी० सी० शीट्स की मांग और सप्लाई में काफी अन्तर है, जैसा कि 13 फरवरी, 1986 के "इकनोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और इसमें इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) योजना आयोग द्वारा लोहा तथा इस्पात पर गठित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1985-86 के दौरान जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों की मांग और उपलब्धता के बीच लगभग 65,000 टन का अन्तर होगा।

(ख) देशीय उपलब्धि को पूरा करने के लिए जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरों के आयात के लिए भी अनुमति दी जा रही है। सरकार ने प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए हैं।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

2156. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान कोयला खानों में कितनी छोटी, गम्भीर तथा घातक दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) वर्ष 1985 के दौरान, कोयला खानों में हुई गम्भीर और घातक दुर्घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप खान श्रमिकों की मौतें हुई और वे घायल हुए, की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

(I) घातक दुर्घटनाएं	
(i) घातक दुर्घटनाओं की संख्या	177
(ii) (क) मारे गए व्यक्तियों की संख्या	204
(ख) घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	25
(II) वे दुर्घटनाएं जिनके कारण गम्भीर शारीरिक चोटें आई :	
(i) दुर्घटनाओं की संख्या	976
(ii) गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या	997

(आंकड़ें अनन्तिम हैं)

मेथी में इन्डो-गल्फ उर्वरक परियोजना

2157. श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेथी (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित 740 करोड़ रुपये की लागत की इन्डो-गल्फ उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना में कुछ कठिनाइयां महसूस हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि परियोजना की भौतिक प्रगति संतोषजनक है, एक प्रोमोटर वित्तीय प्रतिबन्धों का सामना कर रहा है जिससे परियोजना के लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत सरकार इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्ण सूचना की प्रतीक्षा कर रही है।

मुंगेर जिले (बिहार) के करमटिया गांव में सोना पाया जाना

2158. श्री सलाउद्दीन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर जिले (बिहार) में सोनो पारखान के अन्तर्गत करमटिया गांव में सोना पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में सोने के खनन में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां। बिहार के मुंगेर जिले में सोनो के निकट करमतिया क्षेत्र में मेटाबेसिक चट्टानों के अन्तर्गत स्फटिकधारियों में स्वर्ण पाया गया है।

(ख) और (ग) क्षेत्र में गवेषण कार्य अभी भी जारी है। सोने की खुदाई इन निक्षेपों की प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगी।

श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स के कारखाने के कर्मचारियों का पुनर्वास और उन्हें दिया गया मुआवजा

2159. प्रो० श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1985 में दिल्ली में श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स से गैस के रिसाव से कितने परिवार प्रभावित हुए थे;

(ख) क्या प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ग) क्या इस कारखाने को बन्द करने के पश्चात उसके कर्मचारियों को पुनर्वास किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, 4-12-1985 को श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर से गैस रिसाव के कारण 297 व्यक्ति प्रभावित हुए बताए गए थे।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने, जिसने इस मामले में रिट याचिका की सुनवाई की, गैस रिसाव से पीड़ित व्यक्तियों को देय हर्जाने के सम्बन्ध में दावों की सुनवाई करने के लिए दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय को नियुक्त किया है।

(ग) दिल्ली प्रशासन को इस यूनिट को बन्द करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: श्रमिकों के पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता।

"योजना" का प्रकाशन

2160. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की अंग्रेजी पत्रिका "योजना" का प्रसार हाल के महीनों में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने "योजना" के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन बन्द करने का निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) "योजना" नामक अंग्रेजी पत्रिका की प्रसार संख्या हाल ही के महीनों में कम नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं।

घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए विदेशों से पत्रकारों को आमन्त्रण

2161. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए विदेशों से पत्रकारों को आमन्त्रित करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आमन्त्रित किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और कुल कार्य दिन दर्शाते हुए उन पर कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जोर्डन में कार्यरत भारतीय श्रमिक

2162. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोर्डन में वैध कार्य परमिट के बिना कितने भारतीय श्रमिक रोजगार पर हैं;

(ख) क्या उन्हें जोर्डन अधिकारियों द्वारा नए नियमों के अन्तर्गत निर्वासन करने की धमकी दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) भारतीय श्रमिकों की जिनके पास काम करने के वैध परमिट नहीं है, सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) जोर्डन प्राधिकरण, भारतीयों सहित गैर जोर्डन श्रमिकों, जो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, को निर्वासित करने से सम्बन्धित नीति का अनुपालन कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 1984 की मध्यावधि से भारतीय दूतावास भारतीय राष्ट्रिकों को परामर्श देता रहा है कि या तो वे नियमित रूप से जोर्डन में रहें या देश छोड़ दें।

पीने के लिए पानी तथा स्वच्छता के लिए विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा ऋण

2163. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल और स्वच्छता दशक के लिए 150 मिलियन डालर का ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग अभी तक कैसे किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) सहायता परियोजना पर आधारित है तथा सम्पूर्ण जल-पूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए यह सहायता उपलब्ध नहीं की जाती है। जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजनाओं के लिए पूर्ण हुई तथा चल रही परियोजनाओं दोनों ही के संबंध में विश्व बैंक की निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अमरीकी डालर मिलियन में

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	सहायता की राशि	31-12-85 तक संचयी वितरण
1	2	3	4	5
समाप्त हुई परियोजना				
1.	I बम्बई जलपूर्ति तथा मल व्ययन परियोजना	158.2	55	55.0 सम्पूर्ण राशि निकाली गई
2.	उत्तर प्रदेश जलपूर्ति तथा मल व्ययन परियोजना	76.4	40	31.58 (समाप्त)
3.	महाराष्ट्र जलपूर्ति	100.0	48	48.07 सम्पूर्ण राशि निकाली गई

1	2	3	4	5
4.	पंजाब जलपूर्ति	77.6	38	35.07
चल रही परियोजनाएं				
5	II बम्बई जलपूर्ति तथा मल व्ययन	411.6	196	105.15
6.	राजस्थान जलपूर्ति	164.0	80	41.27
7.	गुजरात जलपूर्ति	161.813	72.0	.10.224
8.	तमिलनाडु जलपूर्ति	153.3	73.0	0.53
9.	केरल जलपूर्ति	85.15	41.0	

दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी का कार्यकरण

2164. श्री हुसैन दलवई : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियां पंजीकृत हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अनेक सोसायटियों का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार का बिचार यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने का है कि यह सोसाइटियां अपने सीमित साधन मुकदमेबाजी आदि पर व्यर्थ खर्च करने के बजाय उन उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को पूरा करें जिनके लिए यह गठित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को परवाना ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में पदाधिकारियों द्वारा धनराशि का गबन पदाधिकारियों का नियमित चुनाव न कराना आदि जैसी अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कारंवाई की है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में आज तक पूंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों की संख्या 2001 है।

(ख) जी, नहीं। पंजीकार, सहकारी समिति, नई दिल्ली को कतिपय सहकारी आवास समितियों के सदस्यों से समितियों के कुकार्यकलाप के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसे मामलों में, दोषारोपण की जांच के लिए पंजीकार, सहकारी समिति द्वारा दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत यथा-व्यवस्थित सांविधिक जांच का आदेश दिया जाता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी सहकारी सामूहिक आवास समितियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) जी, हां। पंजीकार सहकारी समिति को परवाना सहकारी सामूहिक आवास समिति लि० के कतिपय सदस्यों से इसके कार्यकरण के बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) समिति के वित्तीय एवं सांवैधानिक कार्यकरण की जांच हेतु पंजीकार, सहकारी समिति ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अन्तर्गत 19-7-1985 को सांविधिक जांच के आदेश दिए थे। 26-2-1986 को समिति की प्रबन्धक समिति हटा दी गई है।

उड़ीसा में पन-धारा निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

2165. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान पन-धाराओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार को कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) अब तक प्रत्येक वर्ष कितनी राशि व्यय की गई है और क्या कोई राशि अन्य योजनाओं पर भी लगाई गई है;

(ग) इन पन-धाराओं का निर्माण किन-किन जिलों में किया गया है तथा उनकी संख्या क्या है;

(घ) क्या कोई राशि अभी खर्च की जानी बाकी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके उपयोग के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1983-84 से 1985-86 तक के दौरान उड़ीसा सरकार को आबंटित की गई धन राशि 529.76 लाख रुपये है।

(ख) प्रत्येक वर्ष में व्यय की गई धन राशि निम्नलिखित है :

	(लाख रुपये)
1983-84	63.76
1984-85	330.77
1985-86	37.18

उड़ीसा सरकार के अनुसार कोई राशि अन्य योजनाओं पर नहीं लगाई है।

(ग) जिलावार निर्मित जल संचयन संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

बालासीर	40
बोलनगिर	120
कटक	67
धेनकनाल	5
गंजम	87
कालाहांडी	48
क्योंझर	32
कोरापुट	117
मयूरभंज	59
फुलबानी	152
पुरी	43
सम्बलपुर	54
सुन्दरगढ़	72

(घ) और (ङ) 201.49 लाख रुपये की राशि अभी खर्च की जानी बाकी है, जिसे राज्य द्वारा अप्रैल, 1986 तक उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है।

लाभार्थियों पर आई० आर० डी० पी० का प्रभाव

2166. डा० जी० विजय रामा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आर० डी० पी० का राज्यवार लाभार्थियों पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सामान्य मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आय के 3500 रुपये के मानदण्ड में संशोधन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम को राजस्व एकत्रित करने और कानून और

व्यवस्था बनाये रखने वाले कर्मचारियों के स्थान पर पेशेवर व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से चलाया जाएगा ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा वित्तीय प्रबंध तथा अनुसंधान संस्थान (आई० एफ० एम० आर०) द्वारा किये गये मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों का एक सार संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यवार स्थिति उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना में गरीबी की रेखा वार्षिक पारिवारिक आय 6400 रुपये पर निर्धारित की गई है। परिवारों का चयन करने के लिए आय का मानदण्ड 4800 रुपये है। तथापि, 3500 रुपये से कम आय वाले सभी परिवारों को 4800 रुपये तक की आय वाले परिवारों से पहले शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों तथा खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसमें विषय विशेषज्ञों तथा विकास प्रशासकों का भी काफी सहयोग लिया जाता है। स्वैच्छिक एजेन्सियो को भी अधिक से अधिक शामिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर किये गये मूल्यांकन अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष

शामिल किए गए	£ वित्तीय प्रबंध तथा अनुसंधान संस्थान (आई० एफ० एम० आर०)	£ भारतीय रिजर्व बैंक	£ राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक	£ कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
1	2	3	4	5
(क) राज्यों की संख्या	2	16	15	16
(ख) जिलों की संख्या	5	16	30	33
(ग) खंडों की संख्या	17	16	60	66
(घ) नमूना आकार	1859	730	1498	1170
2. आय में उत्तरोत्तर	90*	51	82**	88

1	2	3		4
वृद्धि करने वाले नमूना परिवारों का प्रतिशत				
3. गरीबी की रेखा से ऊपर उठ पाए नमूना परिवारों का प्रतिशत	अनुसूचित	17***	47@	49.4
4. नमूना परिवारों द्वारा ऋण की वापसी अदायगी का प्रतिशत	79.6@@	अनुसूचित	69	कोई वापसी अदायगी नहीं

£ वित्तीय प्रबंध तथा अनुसंधान संस्थान, मद्रास
भारतीय रिजर्व बैंक
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक

* समन्वित ग्रामीण विकास सहायता से सन्तुष्ट थे।

** इस कार्यक्रम द्वारा लाभार्थियों की औसत आय को 82 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायता दी गई है, जिसे 1982-83 के मूल्यों में दर्शाया गया है।

*** फरवरी, 1984 की स्थिति के अनुसार कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आय में कटौती के पश्चात्।

@ प्रचलित मूल्यों पर 22 प्रतिशत।

@@ ऋण की वापसी अदायगी में कोई कठिनाई नहीं हुई।

हैदराबाद में आयोजित फिल्मोत्सव में अमरीका द्वारा प्रतिबन्धित फिल्म "क्लास आफ 1984" को शामिल करना

2167. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका की "क्लास आफ 84" नामक एक प्रतिबंधित

और भारी आपत्तिजनक हिंसात्मक फिल्म को फिल्मोत्सव में प्रदर्शन करने के लिए अचानक शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) ऐसा निर्णय लेने के क्या करण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) "क्लास आफ 1984" नामक फिल्म को जनवरी, 1986 में हैदराबाद में हुए फिल्मोत्सव '86 में दिखाया गया था। यह फिल्म प्रतिबन्धित फिल्म नहीं है।

कोयला खानों/खानों में दुर्घटनाएं और उनके शिकार लोगों को दिया गया मुआवजा

2168. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1984-85 और 1985-86 में राज्यवार विभिन्न कोयला खानों में प्रत्येक खान में कितनी छोटी/बड़ी दुर्घटनाएं हुई और ऐसी कितनी दुर्घटनाओं की जांच की गई और जांच पूरी हो गई/अभी पूरी नहीं हुई; और कितने घायलों और मृत व्यक्तियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(ख) कोयला खानों के अन्दर हुई बड़ी दुर्घटनाओं में से कितनी दुर्घटनाओं की जांच पूरी हो गई है और कितनी दुर्घटनाओं की जांच अभी पूरी नहीं हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

500 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर जीवन बीमा की देनदारी

2169. **श्री डी० बी० देसाई :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा व्यापक बाल श्रम विधेयक तैयार किया जा रहा है;

(ख) क्या विधेयक की मुख्य विशेषताओं में कार्यरत बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों को मातृ लाभ देने का विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार कोई ऐसी योजना भी तैयार कर रही है। जिसके अन्तर्गत 500 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को जीवन बीमा निगम को अपनी देयता सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस व्यापक विधेयक को संसद में कब तक पुरःस्थापित करने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस पर विचार किया जा रहा है।

(घ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अधीन नियोजक दायित्व के अनिवार्य बीमे की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ङ) ब्यौरों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद विधेयक को संसद में शीघ्र पुरःस्थापित किया जाएगा।

लम्बित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

2170. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1986 को कितने श्रम विवाद निपटारे के लिए लम्बित पड़े थे और उनमें से कितने तीन महीने से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं और इनका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या लम्बित पड़े श्रम विवादों के निपटारे पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 की विशेषरूप से उपधारा 5 में दिये गये संशोधन की कोई समीक्षा करने का विचार है; और

(ग) क्या लम्बित पड़े श्रम विवादों का शीघ्र निपटारा करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में कोई और संशोधन विचाराधीन है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पहली फरवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन 4338 मामले दस केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों व श्रम न्यायालयों के समक्ष लम्बित पड़े थे। इन मामलों में से 1754 मामले तीन महीनों से अधिक समय से लम्बित पड़े थे।

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 में कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, कतिपय परिस्थितियों में सेवा शर्तों आदि में परिवर्तन न करने की व्यवस्था है। उक्त धारा की उप-धारा (5) में संशोधन से वह समय-सीमा भी बताई गई है जिसके अन्दर श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण आदि को मामले की सुनवाई और आदेश पास करना होता है जो वे नियोजक द्वारा किये गये आवेदन के बारे में उचित समझे। इस संशोधन के प्रभाव के बारे

में कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है। उपर्युक्त उपबन्धों में संशोधन करने का और कोई प्रस्ताव नहीं है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम

2171. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधिकारियों का ज्ञान और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था;

(ख) क्या यह लक्ष्य राज्यों में सभी स्तरों पर प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूर्णतया पूरा करने हेतु प्रशिक्षण में सुधार करने सम्बन्धी सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) छठी योजना अवधि में विभिन्न स्तरों पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्र में कार्यक्रम से निष्पादन में सुधार लाने के मूल उद्देश्य से व्यावहारिक अभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सीधे सम्बन्धित कुछ सरकारी अधिकारियों, बैंकरों तथा बीमा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और अब भी आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती हैं हालांकि उनकी मानिटरिंग केन्द्रीय स्तर पर नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक कार्यक्रम की विषय पद्धति तथा लोगों की भागीदारी का केन्द्रीय स्तर पर पुनरीक्षण किया जाता है तथा कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ इसमें सुधार लाने के प्रयास भी निरन्तर किये जाते हैं।

भूमि की उर्वरता का क्षय

2172 डा० चिन्ता मोहन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1750 लाख हैक्टेयर भूमि की उर्वरता का ह्रास हो रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, भू एवं जल संसाधनों सम्बन्धी तिवारी समिति द्वारा सितम्बर, 1980 में दी गई सिफारिशों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई उपचारात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रतिशत भूमि को विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कृषि योग्य बनाया गया है; और

(ग) क्या कृषि योग्य बनाई गई भूमि, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भूमि कटाव और भूमि अवक्रमण के तहत क्षेत्रों के पक्के अनुमान मुहैय्या करने हेतु समूचे देश का कोई वृहत तथा पुनः सर्वेक्षण नहीं किया गया है। विभिन्न रिपोर्टों में दी गई सूचना के अनुसार, जिनमें राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976), पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति (1981) और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) की रिपोर्टें शामिल हैं, देश में करीब 1750 लाख हैक्टेयर क्षेत्र भूमि कटाव और भूमि अवक्रमण से प्रभावित होने का सकल अनुमान है। तिवारी समिति की रिपोर्ट में दिए गए इस अनुमान का ब्यौरा इस प्रकार है :—

समस्या	(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)
गम्भीर किस्म का जल व वायु कटाव	1500.00
झूम खेती	30.00
जलमग्न	60.00
खारी मृदा	450.00
क्षारयुक्त मृदा	25.00
दियारा भूमि	24.00
कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त है	66.00
	1750.00

देश के भू-संसाधनों पर पड़ रहे बुरे असर को देखते हुए, सरकार ने तिवारी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से बहुत पहले पहली पंचवर्षीय योजना से निम्नलिखित क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण का बहुमुखी कार्यक्रम शुरू किया है :—

(1) समस्या का पता लगाना;

(2) दृष्टिकोण एवं कार्यनीति;

(3) विकासात्मक कार्यक्रम;

(4) कानून; और

(5) नीति समन्वय।

1984-85 तक पता लगाये गये समस्याग्रस्त क्षेत्र में से 293.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को 1222 करोड़ रुपये की लागत से ठीक किया जा चुका है। इसके अलावा, एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने के लिए प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने के लिए "रिमोट-सेंसिंग" जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से विभिन्न प्रकार के मृदा एवं भूमि सर्वेक्षण करने के लिए अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण के जरिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। 1984-85 के अन्त तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में लगभग 3.50 लाख हैक्टेयर क्षारयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया जा चुका है।

मृदा की स्थिति की देखभाल करने और उसकी वैज्ञानिक देखरेख से संबंधित मामलों पर नीति संबंधी निर्देश देने के लिए 1983 में गठित राष्ट्रीय भूमि संसाधन संरक्षण और विकास आयोग तथा राष्ट्रीय भूमि बोर्ड को पुनर्गठित करके राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड तथा राष्ट्रीय भूमि उपयोग और बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना की गई है। वन लगाने के एक कार्यक्रम के जरिए देश में बंजर भूमियों को उत्पादक इस्तेमाल में लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड स्थापित किया गया है। 1985-86 के लिए 14 लाख हैक्टेयर में वन लगाने का लक्ष्य है। दिसम्बर, 1985 तक 13.4 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर, भूमि से संबंधित लाइन विभागों के कार्यकलापों, जिसमें मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण और भू-सुधार भी शामिल है, में तालमेल बैठाने के लिए राज्य भूमि उपयोग बोर्ड गठित किए गए हैं।

(ग) भूमि राज्य का विषय है, अतः कृषि योग्य बनाई गई भूमि का आबंटन राज्य द्वारा अपनी नीति के अनुसार किया जाता है।

———

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या आप इस बारे में गंभीर हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, अब क्या स्थिति है? क्या किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बारे में गंभीर हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम इस बारे में बहुत गंभीर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप गंभीर हैं तो फिर आप ऐसा प्रस्ताव रखिए जिस पर हम चर्चा कर सकें और मुझे जानकारी मिल सके।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम ऐसा ही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं उचित प्रस्ताव पर चर्चा कराऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह बड़ी गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ बताइए। आप मेरे पास आइए। आप उसमें बहुत निपुण हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किया जाना स्वागत योग्य है। अब राष्ट्रहित में दो काम किए जाने चाहिएं। एक तो विधान सभा भंग की जाए; उन्हें दल बदलुओं को निकाल देना चाहिए और दूसरे राज्यपाल को भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध जांच के लिए एक आयोग बिठाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर खून की नदियां बह रही हैं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : 20वीं शताब्दी में वे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी कोई तुलना ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे हमारा यहां कोई संबंध नहीं है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : स्वतंत्र भारत मिल्स में··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : कल, स्वतंत्र भारत मिल्स में जब श्रमिक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो उन पर आंसू गैस छोड़ी गई।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वे शांतिपूर्वक···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्यों का पता लगाना पड़ेगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरे मूल प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने याद करा दिया है। मुझे जानकारी नहीं मिली है। मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। मुझे जानकारी प्राप्त करनी है।

श्री सुरेश कुरूप : स्थिति···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका ठीक नहीं है। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। यह मेरे अन्तर्गत नहीं आता।

श्री सुरेश कुरूप : दिल्ली में भी ऐसा हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री सुरेश कुरूप : स्वतंत्र भारत मिल्स के श्रमिकों को···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा दिल्ली या कलकत्ता में भी हो सकता है। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। दिल्ली में क्या हुआ है ? यहां कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष महोदय···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां ?

श्री सुरेश कुरूप : यह एक गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। आप इस तरह नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए। यदि यह उचित है तो मैं आपको अनुमति दूंगा किन्तु यदि यह ठीक नहीं है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। जी हां, प्रो० तिवारी जी ?

श्री सुरेश कुरूप : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने इसका नोटिस दिया है तो मैं इसकी जांच करूंगा और यदि

यह उचित हुआ तो मैं अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। यह उचित नहीं है। आप मुझे इस तरह लंबा-चौड़ा भाषण मत दीजिए। आप मेरे पास आकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जब आपने मुझे बुलाया है तो आपको मेरी बात भी सुननी होगी।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्रीमन्। मैं उन्हें बैठाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आप बहुत निष्पक्ष हैं। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है किन्तु आप कभी कभी नाराज हो जाते हैं?

अध्यक्ष महोदय : वे बिना किसी कारण के मुझे भाषण क्यों दे रहे हैं?

प्रो० के० के० तिवारी : लोग इस देश में सुरक्षा के बारे में तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या भारत को परमाणु हथियार बनाने चाहिए या नहीं ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : उनकी अलग-अलग राय हैं। श्रीमन् कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुरोध नहीं है। श्री बूटा सिंह जी। मैं आपके प्रस्ताव की जांच करूंगा और तदानुसार निर्णय लूंगा। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। श्री बूटा सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा, मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : 200 जर्नलिस्ट हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर संसद को कुछ नहीं करना है। नहीं इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर संसद में इस तरह विचार नहीं किया जाता। संसद को इतना कम मत समझिए। जी हां, श्री बूटा सिंह जी।

12.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2—प्रशासन और वित्त) का शुद्धि-पत्र

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन *(भाग-2 प्रशासन और वित्त) के हिन्दी संस्करण के शुद्धि-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2184/86]

जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 20वें सत्र में स्वीकृत रोजगार नीति से सम्बन्धित सिफारिश संख्या 169 पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक विवरण

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं जेनेवा में जून, 1984 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 70वें सत्र में स्वीकृत रोजगार नीति से सम्बन्धित सिफारिश संख्या 169 पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०— 2185/86]

---

* वार्षिक प्रतिवेदन 26 अगस्त, 1985 को सभा-पटल पर रखा गया था।

दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : श्री दलबीर सिंह की ओर से मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण (अपील का प्रपत्र) नियम, 1986 जो 24 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 312(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकास बन्द करना) नियम, 1986, जो 24 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 313(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2186/86]

सीमा-शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1952 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की संख्या सा० का० नि० 348(अ) से 398(अ) तक की एक-एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 मार्च, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 28 फरवरी, 1986 को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमा शुल्क में परिवर्तनों तथा उससे छूट के बारे में एक हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2187/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1986, जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 331(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1986 जो 1 मार्च,

[श्री जनार्दन पुजारी]

1986 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—2188/86]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 332(अ) से 340(अ), जो 27 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनका आशय शुल्क के विद्यमान ढांचे तथा शुल्क की प्रभावी दरों के ढांचे को बनाये रखने का है।

(दो) सा० का० नि० 399 (अ) से 462(अ) और 464(अ) से 473(अ), जो 1 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 28 फरवरी, 1986 को वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में घोषित अप्रत्यक्ष करों से संबंधित बजट प्रस्तावों के संबंध में सीमा शुल्क में परिवर्तनों तथा उससे छूट के बारे में हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० – 2189/86]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम सीमित, भोपाल के वर्ष 1978-79 और वर्ष 1984-85 तथा पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत कीटनाशी (कीमत स्टाक प्रदर्शन और प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण) आदेश, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 28 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 71(अ) में प्रकाशित हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—2190/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम सीमित, भोपाल के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकारा द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम सीमित, भोपाल का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 2191/86]

(ख) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि-उद्योग निगम सीमित, कलकत्ता का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० –2192/86]

———

12.06 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं 1985-86 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दो तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

———

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1983-84

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं 1983-84 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.07 म० प०

जम्मू और कश्मीर राज्य में संवैधानिक तन्त्र की असफलता के सम्बन्ध में उद्घोषणा जारी करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि 7 मार्च को भारत के राष्ट्रपति को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, श्री जगमोहन से राज्य में कुछ राजनीतिक घटनाओं के बारे में जिसके परिणामस्वरूप श्री जी० एम० शाह की सरकार पूर्ण अल्पमत में आ गई थी, की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। राज्यपाल ने स्थिति का जायजा लेकर यह भी सूचित किया था कि राज्य की कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा को गम्भीर खतरा है और इससे गंभीर राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने सूचित किया कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि राज्य सरकार को जम्मू और कश्मीर के संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है और वे जम्मू और कश्मीर संविधान की धारा 92 के तहत तुरन्त उद्घोषणा जारी करना चाहते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति चाहते हैं।

मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति ने उसी दिन सहर्ष अनुमति प्रदान की जो जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 92 की उप धारा (5) के तहत राज्य में संविधानिक व्यवस्था की असफलता से संबंधित धारा 92 की उप धारा (1) के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने के लिए अपेक्षित है।

12.09 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के पाली जिले में आदिवासियों के उत्थान के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के एक हिस्से में आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं। घना जंगल जो उन आदिवासियों की रोजी-रोटी का एकमात्र साधन था, वह तो आज बिल्कुल खाली कंकरीले मैदान में परिवर्तित हो गया है।

इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की जो उपेक्षा की गई वह अवर्णीय है। उस क्षेत्र का विकास करने के लिए सब-प्लान बनाया गया और जो धनराशि आदिवासियों के विकास के लिए केन्द्रीय व राजस्थान सरकार को लगानी चाहिए उसके 25 प्रतिशत राशि का सदुपयोग कठिनाई से हुआ होगा। न आवागमन के लिए पक्की सड़कें ही पर्याप्त हैं, परिवहन की पर्याप्त सुविधा भी इस कारण नहीं है। वर्षा में नालों पर पुल नहीं बनने से यह हिस्सा एक टापू बन जाता है। आदिवासी रोजाना की जरूरत की चीजों को भी खरीद नहीं पाते। वहां राशन की दूकान में क्षमता के साथ कार्य नहीं होता। घरेलू धंधों के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। [illegible] परसेन्ट लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात का सर्वेक्षण करवाया जाए कि कितनी धनराशि लगी है, उसका क्या परिणाम निकला है और भविष्य में युद्ध-स्तर पर उन्हें वे सभी सुविधाएं और साधन उपलब्ध करे जिससे वे आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकें और साथ-साथ उस क्षेत्र में वन लगाने की प्रक्रिया को पुरजोर तरीके से जारी किया जाए। राणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन रोककर उन्हें पार यात्रा करने का साधन भी दिया जाए। आशा है सरकार इस देश के आदिवासियों को ऊपर उठाने में कोई कसर नहीं रखेगी।

[अनुवाद]

(दो) बम्बई में आवास गन्दी बस्तियां सफाई योजनाएं पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपये देने की मांग

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर-मध्य) : एक आम सभा में 30 दिसम्बर 1985 को बम्बई में प्रधान मंत्री ने आवास गन्दी बस्ती सुधार की आवश्यकताओं को पूरा करन के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने की घोषणा की थी। यह आशा कि जाती है कि वह राशि विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना के लिए "बम्बई शहरी विकास परियोजना" (बी० यू० डी० पी०) भारत सरकार की सहायता से अतिरिक्त होगी। प्रधान मन्त्री द्वारा मंजूर किए गए 100 करोड़ रुपये के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव दिया है अर्थात् (क) बाकी गन्दी

[श्री शरद दिघे]

बस्ती का पुनःविकास — 15 करोड़ रुपये; (ख) सरकार और बम्बई नगर निगम तथा भूमि विकास और उस पर बुनियादी सुविधाओं की महत्वपूर्ण योजना को पूरा करना—15 करोड़ रुपये; (ग) गन्दी बस्ती सुधार के लिए सुविधाएं देने की व्यवस्था — 15 करोड़ रुपये; (घ) मरम्मत और पुन-र्निर्माण के कार्यक्रमों को तेज करना—25 करोड़ रुपये; (ङ) स्थान उपलब्ध कराने के लिए भूमि का विकास और सेवाएं —25 करोड़ रुपए; (च) आवास बोर्ड की कालोनियों में सेवाओं का दर्जा बढ़ाना—5 करोड़ रुपए।

मैं भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इन आवास योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए 100 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध किए जाएं।

(तीन) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों के कल पुर्जे जोड़ने वाली एक इकाई लद्दाख क्षेत्र में स्थापित करने की मांग

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र देश का एक सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मध्यम दर्जे के उद्योग होने की बात तो छोड़िए, छोटे उद्योग भी नहीं है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के कई जिलों को "शून्य उद्योग क्षेत्र" के रूप में माना है और लद्दाख जिला उसमें से एक है। बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद लद्दाख में स्टाकना हाइडल प्रोजेक्ट इस वर्ष शुरू किया जाना है। और 24 घंटे विद्युत उपलब्ध होने से क्षेत्र में मध्यम दर्जे के उद्योग की स्थापना की संभावना पैदा हुई है।

लद्दाख में केवल घड़ी के कल-पुर्जों को जोड़ने के कारखाने की ही आशा हो सकती है क्योंकि उच्च किस्म के पुर्जों के लिए निम्न किस्म का परिवहन होता है। इससे क्षेत्र के बहुत से युवा बेरोजगार लड़के और लड़कियों को रोजगार मिलने का लाभ होगा।

इसलिए मैं भारत सरकार से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की एक घड़ी के कल पुर्जों को जोड़ने का कारखाना स्थापित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(चार) हिमाचल प्रदेश में स्वान जल सरणीकरण परियोजना और शिवालिक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की मांग

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : शिवालिक पहाड़ी पर भूमि कटाव को रोकने और सिंचाई तथा वृक्षारोपण को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्वान सरणीकरण परियोजना और ऊना तथा हमीरपुर जिलों में शिवालिक परियोजना की मंजूरी का प्रस्ताव दशाब्दी से भी अधिक समय से विचाराधीन है। ये दोनों परियोजनाएं सिंचाई क्षमता बढ़ाने और बाढ़ को रोकने के लिए न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि पंजाब में भी आवश्यक है। अत: मैं जल संसाधन मन्त्री और जल आयोग से विश्व बैंक की तरह की किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहा-

यता से इन परियोजनाओं की तुरन्त मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार में पूर्णिया जिले के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत बोल रही हूं। मैंने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया का दौरा किया है। लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीने के पानी के लिए वहां की दशा अति दयनीय है। व्यवस्था काफी असंतोषजनक है। कुछ गांव तो ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जहां 200-250 लोगों को एक या दो कुएं पर ही निर्भर करना पड़ता है। उन कुओं की भी हालत बिल्कुल बिगड़ी हुई है, जिससे कि लोगों को गन्दा पानी मिलता है। इस समस्या की ओर मैंने बिहार सरकार का बहुत बार ध्यान आकर्षित किया है, परन्तु संतोषजनक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैंने अपने भ्रमण के दौरान अधिकारीगणों का भी ध्यान आकर्षित किया है।

मेरा मन्त्री महोदय जी से अनुरोध है कि भारत सरकार की ओर से इस समस्या को प्राथमिकता देकर उचित कार्यवाही करवाई जाए।

(छः) उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और बाराबंकी जिले के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वहां का सर्वेक्षण कराने तथा योजनाएं तैयार करने की मांग

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद बाराबंकी से हरदौली व मवई ब्लाक मे पेयजल समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मवई ब्लाक में ग्राम दिवंत व अन्य कुछ ऐसे अन्य ग्राम हैं, जहां का पानी खारा होने की वजह से आज भी ग्राम के निवासी तीन किलोमीटर दूर जाकर पानी भर कर लाते हैं। हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की काफी समस्या है। सन् 1971 के एक सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश के अभावग्रस्त ग्रामों में जल निगम द्वारा इस समय हैंड पाइप लगाए जा रहे हैं, परन्तु 1971 का सर्वेक्षण आज सन् 1986 में व्यावहारिक नहीं रह गया है और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आज भी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद व बाराबंकी जिले के सभी प्रभावग्रस्त ग्रामों का सर्वेक्षण कराकर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाए तथा इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया जाए।

[अनुवाद]

(सात) सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र के निवासियों को बुनियादी नागरिक स्राव-सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दिपेट) : सिकन्दराबाद छावनी में जो सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे बहुत ही कम हैं। रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच सड़कों की दशा खराब है। सार्वजनिक शौचालय बहुत पुराने किस्म के हैं। जल सुविधाएं पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। नालियों की स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है। स्कूलों, गलियों में रोशनी और चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्त समस्या भी है। इसके बावजूद पूरे छावनी क्षेत्र में आवासियों की अत्यावश्यक समस्याओं पर ध्यान दिए बिना तेजी से मकानों का बिना किसी योजना के निर्माण किया जा रहा है।

(आठ) ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मलयेशिया और सिंगापुर में भारत यात्रा के इच्छुक भारतीय मूल के लोगों द्वारा वीसा प्राप्त करने की प्रणाली समाप्त करने की मांग

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : महोदय, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, मलयेशिया और सिंगापुर में रह रहे भारतीयों, विशेषरूप से पंजाबियों से कहा जा रहा है कि वे पंजाब में अपनी मातृभूमि को देखने हेतु वहां जाने के लिए वीजा प्राप्त करें। वीजा बनवाने की आवश्यकता पूरी करने के विरुद्ध इन देशों में रह रहे पंजाबियों में असंतोष है। लोगों को बेकार में परेशान किया जा रहा है और कई दिनों तक भारतीय दूतावासों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा लाइनों में घंटों तक खड़ा रहने के लिए कहा जाता है। कई मामलों में जब आवेदक को आपत्ति कारणों से अपने परिवार को देखने जाना होता है तो उसे या तो वीजा नहीं दिया जाता या उसमें विलम्ब किया जाता है। पंजाबियों को अपने घरों को वापस आने के लिए वीजा प्राप्त करने के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ है। सरकार को इसे रोकना चाहिए क्योंकि इससे निर्दोष और कानून का पालन करने वाले लोगों को कठिनाई होती है। कुछ तत्व जो कटुता पैदा करना चाहते हैं वे अपने देश के विरुद्ध सिक्खों और पंजाबियों के बीच घृणा पैदा करने के लिए इस बात का उपयोग करने में सक्रिय हैं।

———

12.18 म०प०

[अनुवाद]

सामान्य बजट-सामान्य चर्चा, 1986-87—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सदन 1986-87 के बजट (सामान्य) पर आगे सामान्य चर्चा करेगा। श्री श्याम लाल यादव

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, मैंने पिछले शुक्रवार को अपनी बात शुरू करते हुए निवेदन किया था कि यह बजट उन सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने में सफल रहा है जिसकी उद्‌घोषणा वित्त मन्त्री जी ने पिछले दिसम्बर में दीर्घकालीन मौद्रिक नीति वक्तव्य में की थी। उसको देखने के पश्चात् यह बात स्पष्ट हो जाती है कि क्यों यह बजट उस तरह का चमत्कारिक नहीं है जैसा कि कई लोग आशा करते थे। अनेक दीर्घकालीन नीतियों की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी उनको कार्यरूप में परिणित इस बजट में किया गया है।

बजट से पूर्व जो उद्‌घोषणा देश के सम्मुख की गई थी यह बजट उस शून्य आधारित बजट के सिद्धान्त पर तैयार किया गया है। जिसकी विशेषता यह है कि बजट केवल परम्परागत तरीके से केवल आय-व्यय का लेखा न होकर के इस बात का एक विवरण देता है कि विभिन्न मंत्रालयों ने क्या कार्य किया है, उनका परफोरमैंस कैसा रहा है, उनके लिए जो बजट के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनका परफोरमैंस कैसा रहा है। विभिन्न मंत्रालयों के लिए संगठन की संरचना, कार्यप्रणाली, पूर्ण प्रबन्ध शैली का प्रभाव इस बजट में है। उनके लिए लक्ष्यों और उनकी रूपरेखा का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ-साथ निरीक्षण और निगरानी पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है।

मैं समझता हूं कि शून्य आधारित यह पहला बजट है। इस पहले साल में इस पर थोड़ा बहुत कार्य प्रारम्भ किया गया है। मुझे आशा है कि ज्यों-ज्यों इस सिद्धान्त पर कार्य आगे बढ़ेगा हमें इस बात का पता लगेगा कि हमारे आकलन में कार्यक्रमों का क्या अधार है और कार्यक्रमों का किस प्रकार से विश्लेषण किया जाए, उसके लिए एक ऐसा मिकेनिज्म तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा यह पता लग सके कि जो लक्ष्य रखे गये हैं वे प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यह पता लग सके कि जो प्राथमिकताएं रखी गई हैं वे पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर कहीं कड़ाई करने की आवश्यकता पड़े कहीं परिश्रम करने की आवश्यकता पड़े तो उसे किया जा सके।

इसके लिए मान्यवर, हमें अपने प्रबंध की क्षमता बढ़ानी होगी, कड़े परिश्रम करने होंगे और अपने आय-व्यय पर पूरी निगरानी रखनी होगी। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि वित्त मंत्री जी ने दो मुख्य उद्देश्य हमारे सामने रखे हैं। हालांकि इन पर एक व्यक्ति ने आपत्ति की है। हमारा पहला विशेष लक्ष्य है विकास की गति को तेज करना और दूसरा लक्ष्य है देश से निर्धनता का उन्मूलन करना। इन सिद्धांतों पर एक तथाकथित अर्थशास्त्री जो जनता कार्यकाल में अमेरिका में हमारे देश के राजदूत होकर गये थे और एक महिला की जूती निकालते थे, उन्होंने आक्षेप किया है कि ये दोनों भ्रामक हैं। इस साल मैं समझता हूं कि गरीबी उन्मूलन के संबंध में वित्त मंत्री जी ने जो कुछ अधिक प्रावधान किया है, उसमें उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि गरीबों से उनका कोई दूर का संबंध नहीं है और दूसरी तरफ अगर विकास हो देश का तो इससे भी उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्होंने यह बात कही है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इधर बैठे हुए एक माननीय सदस्य जो बहुत प्रमुख वक्ता हैं विपक्ष के, उन्होंने सदन के बाहर कहीं यह कहा कि यह सप्लीमेंट्री बजट है। मैं कहता हूं कि यह सप्लीमेंट्री बजट न होकर गरीबों के बजट को सप्लीमेंट करता है, उनको शक्ति देता है, क्षमता

[श्री श्याम लाल यादव]

देता है। उनको काम देकर, ऋण देकर, साधन उपलब्ध कराकर उनको अपना पारिवारिक बजट संतुलित करने में मदद देता है। यह बजट गरीबों को ऊपर उठाने की भावना से प्रस्तुत किया गया है इसलिए गरीबी उन्मूलन ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाया है, उसमें इस वर्ष जो प्रावधान किया गया है आगामी वर्ष के लिए, उसमें 65 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि बहुत ही सराहनीय है और मुझे आशा है कि वृद्धि के जो विभिन्न अंग हैं उस तरफ भी सदन का ध्यान जाएगा, क्योंकि वे ही ऐसे कार्यक्रम हैं जो इस देश की आम जनता के जीवन से संबंध रखते हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता पर हमारे देश के विकास का बहुत बड़ा आधार है। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के आबंटन में 50 फीसदी की वृद्धि आपने की है। '985-86 में इसके लिए 1239 करोड़ रुपया रखा गया था जबकि 1986-87 में इस कार्यक्रम के लिए !85! करोड़ रुपया रखा गया है, जो कि 50 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए खाद्यान्नों का जो वितरण होता है, उसमें भी 20 लाख मीट्रिक टन की आपने व्यवस्था की है। इसी तरह से गांवों के विकास के लिए, गरीबों की तरक्की के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है। इस योजना में भी आपने जो उदारतापूर्वक प्रावधान किया है वह 1986-87 के लिए 30 करोड़ से अधिक कार्यदिवसों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है।

12.22 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस वर्ष 25 3 करोड़ कार्यदिवसों की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 1986-87 में 443 करोड रुपए का प्रावधान है जबकि 1985-86 में 230 करोड़ रुपए का प्रावधान था। यह मैं कहूंगा कि 100 प्रतिशत वृद्धि है, वास्तव में यह 93 प्रतिशत की वृद्धि है, लेकिन लगभग 100 प्रतिशत वृद्धि इसे कहा जा सकता है। इसी तरह से ग्रामों के विकास के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इसमें भी इस वर्ष में 26.4 करोड़ रोजगार कार्यदिवसों के लिए व्यवस्था है और उस पर कुल केन्द्रीय परिव्यय 623 करोड़ रुपए होगा। 1985-86 से इसमें 58 फीसदी की वृद्धि की जा रही है। तीसरा कार्यक्रम मान्यवर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है और तत्संबंधी लाभभोगी प्रधान कार्यक्रम है। इसमें 1986-87 में 428 करोड़ रुपए की व्यवस्था है जो कि वर्तमान वर्ष में किए गए प्रावधान की बनिस्पत 51 फीसदी अधिक है।

इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसे लाभार्थी जिनको ऋण दिया गया लेकिन उस ऋण से उनकी स्थिति गरीबी से ऊपर नहीं उठी, इसलिए उनको दुबारा ऋण दिया जाना चाहिए। इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बयान में कहा था कि ऐसे लोगों को जो कि लाभार्थी हैं और एक बार उनको धन उपलब्ध कराया गया है, परन्तु उनकी स्थिति नहीं सुधरी है और वे कर्ज के बोझ में लदे हुए हैं, ऐसे लोगों को दुबारा कर्ज दिया जाए ताकि वे अपने पुराने कर्ज को अदा करके कोई नया कार्य शुरू कर सकें।

सबसे अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति बंधुआ मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करने के लिए धन की व्यवस्था की गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक नई इंदिरा आवास योजना के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम सफलता के साथ चलाया जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। जो नई योजना आपने शुरू की है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को जरूर बधाई दूंगा, क्योंकि मैं एक महानगर का प्रतिनिधित्व करता हूं। शहरी गरीबों के लिए इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी जिससे उनको ऋण आसानी से मिल सके। आपने इस साल के बजट में बैंकों के जरिए उनको कर्जा देने की नई स्कीम शुरू की है। उसमें सबसिडी और वर्किंग कैपीटल का भी भाग है। इस तरह से शहर के रिक्शा चालकों, मोचियों, धोबियों, नाइयों, रेहड़ी वालों और अन्य वर्ग के जो शहरी गरीब हैं, उनके लिए व्यवस्था की है जिससे वे अधिक जीविकोपार्जन कर सकें और उनको सफलता मिल सके। इसके साथ ही आपने नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों, रेल कुलियों और गरीबों के लिए दुर्घटना बीमा 100 जिलों से वृद्धि करके दो सौ जिलों में शुरू करने का प्रोग्राम रखा है। मेरा सुझाव यह है कि गरीबों के लिए जो दुर्घटना बीमा है और जिस प्रकार से नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों और रेल कुलियों के लिए किया है, यह भी सारे देश में लागू होना चाहिए। केवल दो सौ जिलों में करने से मैं समझता हूं, कई वर्ष इसमें लग जाएंगे और एक दूसरे वर्ग के बीच खींचा-तानी होगी कि वहां किया और यहां नहीं किया। बीस सूत्री कार्यक्रम में भी आपने इस वर्ष के लिए पांच हजार 998 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। हजार करोड़ रुपया ग्रामीण पेयजल योजना के लिए भी रखा है। केवल 39 हजार गांवों को अभी आप ले रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप इतनी व्यवस्था ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास के लिए कर रहे हैं, वहां जिला स्तर में इसका कार्यान्वयन होता है। जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारे धन को आवंटन करने का अधिकार होता है। जो अथारिटी जिलों में बनी है, उनमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिजाइड करता है और वही आवंटन करता है। एक हाथ से वही रुपया देता है और दूसरे हाथ से नियन्त्रण उसके हाथ में चला जाता है। मेरा सुझाव यह है कि गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आप सोचें। इसमें हमारे संसद सदस्य और विधायक तथा अन्य लोग भी हो सकते हैं जो इन कामों की देख-रेख कर सकते हैं और यह काम सफल हो सकता है। इस काम में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, अगर उसकी पूर्ति सही ढंग से हो पाती है तो इस देश के विकास में नया क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा। इसलिए गरीबी दूर करने के लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम पर हमको विशेष बल देना है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के माध्यम से होता है। मैं समझता हूं, केन्द्रीय सरकार को इस पर और अधिक बल देने की जरूरत है विशेषकर निगरानी रखने के कार्यक्रम को और जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको इसमें ज्यादा कार्य करने का अवसर देना चाहिए। इस साल के बजट में आपने कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र के लिए जो प्राथमिकता दी है, उसकी हम सराहना करना चाहते हैं। इस सबंध में आपने इस वर्ष के बजट में केन्द्रीय परिव्यय दो हजार 838 करोड़ रुपए रखा है जो राज्यों के परिव्यय के अतिरिक्त है और जो वर्तमान साल के बजट से 29 प्रतिशत ज्यादा है। इससे खेती को तरक्की में विशेष बल मिलेगा। सोलह राज्यों में 99 जिलों में ड्राइ लैंड फारमिंग पर विशेष बल दिया गया है। मुझे आशा है, उसे बढ़ाने में आप पूरा प्रयास करेंगे और राज्य सरकारों का भी इसको पूरा सहयोग मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें

[श्री श्याम लाल यादव]

शिक्षा, खेल-कूद, महिलाओं, पर्यावरण, कला-संस्कृति इत्यादि का समावेश है और इसके लिए इस साल के बजट में आपने एक हजार 733 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इतना रुपया खर्च करने के बाद जहां आप शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, हर जिले,में माडल स्कूल खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं इस बात को भी देखेंगे कि प्रारम्भिक शिक्षा सार्वजनिक रूप से मुफ्त में सबको मिले। अगर यह कम्पलसरी हो जाए तो इससे बहुत अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। आज हमारे देश में बी०टी०सी० की ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए सन 70-72 के लड़के घूम रहे हैं। उनकी, नौकरी पाने की उम्र खत्म होती जा रही है। आप, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोल दें जिससे शत-प्रतिशत शिक्षा दे सकें और नौकरी भी मिल जाएगी। अध्यापकों के साथ-साथ भवन और साज-सामान भी होना चाहिए, इसकी बहुत कमी है। इस बार शिक्षा के लिए आपने धन का आवंटन 221 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 352 करोड़ रुपये किया है, मुझे आशा है कि उस धन में से कुछ पैसा आप स्कूलों और खासकर प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण पर व्यय करने की व्यवस्था करेंगे।

दूसरी बात मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। देश को उनसे बड़ी आशाएं हैं और अपेक्षाएं हैं। आपने बजट भाषण में भी कहा है कि उन्हें इतना धन जेनरेट करना पड़ेगा ताकि वे अपने आप को अच्छी तरह से चला सकें और उनका उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए, उनकी क्षमता बढ़नी चाहिए और उनको चुस्त बनाया जाए। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में सरकार को पैट्रोलियम मंत्रालय के अन्तर्गत चलने वाले कार्पोरेशन्स को अपने सामने आदर्श के रूप में रख कर चलना चाहिए। उदाहरण के लिए आई० ओ० सी० है, भारत पैट्रोलियम है, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम है, इन्डो बर्मा पैट्रोलियम है, उनकी कार्यशैली हर दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय है। यदि उसी प्रकार से कोयला विभाग, स्टील विभाग या दूसरे विभागों के नियंत्रण में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में काम हो तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत अधिक सफलता मिलेगी।

उसी तरह से हमारी राज्य सरकारों के अपने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग हैं. उनकी हालत भी आजकल अच्छी नहीं है। आपको मैं यहां एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे राज्यों में विद्युत परिषदें हैं, पथ परिवहन निगम हैं, वे सब घाटे में चल रहे हैं। विद्युत बोर्डों में 1983-84 में 948 करोड़ रुपये का घाटा था, जो 1984-85 में बढ़कर 1123 करोड़ रु० हो गया और 1985-86 में 1373 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यदि हमारे राज्य विद्युत बोर्ड इसी प्रकार से चलते रहे तो न बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और न घाटे की अर्थ-व्यवस्था ठीक हो सकती है। वही स्थिति राज्य सड़क परिवहन की भी है, जो बहुत ही दयनीय और असंतोषजनक है। छठी योजना अवधि में प्रतिवर्ष उनमें 150 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपये तक का घाटा हो रहा था और उनका कार्य किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों को इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

इस वर्ष के बजट में वित्त मन्त्री जी ने मोडवैट के नाम से एक नया कर लगाने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने बजट प्रस्तुत करते हुए कल्पना की थी कि बजट पेश होने के बाद वस्तुओं के दामों में गिरावट आएगी लेकिन समाचार पत्रों से आभास मिल रहा है कि इस टैक्स

के लगने से उद्योगपतियों को जो रियायतें मिलेंगी, वे उनका लाभ शायद उपभोक्ताओं को पास-आन न करना चाहें लेकिन खुशी की बात है कि आपके विभाग की ओर से स्थान-स्थान पर गोष्ठियां और विचार-विमर्श आयोजित करके लोगों को उसके बारे में सही जानकारी दी जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है।

इन्कम टैक्स के सम्बन्ध में आपने कई प्रशंसनीय पग उठाए हैं, कर की चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, आपकी रिकवरी भी बढ़ी है, जहां हम उसकी सराहना करते हैं वहीं आपने इस साल इन्कम टैक्स इंस्पैक्टर्स को कुछ रेजीडेन्शयल हाउसेज में जाकर सर्च करने की पावर्स भी दी हैं जो इतनी जबर्दस्त हैं कि उनका मिसयूज होने की पूरी सम्भावना है। हाइयैस्ट ब्रैकेट में, इन्कम टैक्स पेयर्स के लिए आप ऐसा प्रावधान कर दें तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी लेकिन आम इन्कम टैक्स पेयर के निवास स्थान पर घुसने का अधिकार देना, मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा और उसका कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर पुनर्विचार करें।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि इस पक्ष को हम फिर से देख रहे हैं।

श्री श्याम लाल यादव : यदि आप फिर से देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस बजट से विकास की गति को आपने कायम करने की कोशिश की है और दूसरी तरफ मूल्यवृद्धि को रोकने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसी मेरी मान्यता है क्योंकि समाचार पत्रों के अनुसार बजट पेश करने के तुरन्त बाद थोक मूल्यों में .1 प्रतिशत की कमी आई है जो वास्तव में संतोषजनक और प्रशंसनीय है और आपके इस कथन का समर्थन करती है कि बजट के बाद वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आएगी और मल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने में आप सफल होंगे। मुझे आशा है कि इस बजट से जनता के बीच एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से आर्थिक नीतियां चलेंगी जिनसे आम और गरीब वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आयेगा। आपको निश्चय ही इस कार्य में सफलता मिलेगी और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

इस बजट के साथ आपने इस साल एक पुस्तिका अलग से हम लोगों को दी है "बजट और जनता" जिसमें बजट की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, और वे खासतौर से जनता के सामने सारी बातें लाती हैं। बजट को समझना इतना काम्पलीकेटिड और इंट्रीक मसला होता था कि उसको समझने और पढ़ने में काफी कठिनाई होती थी, लेकिन इस दस्तावेज से हमें बहुत सहायता मिली है और मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों उससे लाभ उठाया होगा। कुछ शंकाएं तो रहती ही हैं, लेकिन सब लोगों ने आमतौर से बजट का स्वागत किया है और वह स्वागत ही नहीं है, बल्कि उस बजट को और सरकार की नीतियों को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने में सारा देश प्रधान मन्त्री के साथ अपने को समर्पित करता है।

[श्री श्याम लाल यादव]

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त मन्त्री द्वारा दूसरे साल पेश किया गया यह बजट है। बजट को आंकने के लिए चार-पांच बात हम लोग हमेशा देखते हैं। पहली चीज तो यह है कि पिछले बजट का क्या प्रभाव रहा, जिन नीतियों की घोषणा की गई थी, वे पूरी की गई या नहीं। दूसरी बात बजट के लिए कितना व्यय रखा गया और योजना के लिए कितना व्यय रखा गया और तीसरी बात यह कि आगे के लिए क्या संकेत दिए गए हैं। मैं वित्त मंत्री जी को और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बावजूद सब तरह के दबाव के योजना को 22 हजार करोड़ रुपया किया है और यह भी स्पष्ट है कि अगर वह जो अनुमान पिछले साल लगाया गया था, उसके स्तर पर रहती, तो कोई नया टैक्स लगाने की या भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। एक बात और अच्छी हुई, राज्यों के लिए भी जो योजना रखी गई है वह पिछले साल से 20 प्रतिशत ज्यादा है और 5880 करोड़ रुपया ज्यादा रखा गया है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी सबसे बड़ी खूबी यह है कि योजना में हम केवल 5 फीसदी धन के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर करते हैं। योजना के लिए आपने इसमें जो व्यय रखा है, उसमें 48 प्रतिशत आधारभूत ढांचे के लिए रखा गया है, यह बहुत अच्छी बात है। ताकि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, अच्छा हो।

अभी मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता, श्री श्याम लाल यादव ने कई योजनाओं का जिक्र किया —राजकीय ग्रामीण विकास योजना, भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना और एक नई योजना श्रीमती इंदिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत 2 लाख मकानों का निर्माण होगा, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मकान बनाने के लिए हरिजन और जनजातियों के लिए अनुदान देने से काम चलता नहीं है। हमारा अनुभव यह कि जो अनुदान दिया जाता है उसमें मकान पूरा बनता नहीं है और उस धन का अपव्यय हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में हमने एक तरीका निकाला है कि जो अनुदान की राशि है उसको हम बैंकों के जरिए उसको ऋण प्रदान करने और उसको अदा करने के लिए प्रयोग करेंगे और उसको बना बनाया मकान देंगे। अगर आप बना बनाया मकान इन लोगों को दें, तो ही काम चलने वाला है। जो अनुदान आप देते हैं, पिछला अनुभव यह बताता है कि इससे काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, इस बात पर बड़ी चिन्ता प्रकट की गई है कि बजट में 3650 करोड़ रुपये का घाटा है। इसका प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। हमारे देश की जो अर्थ-व्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा आकार हमारा सकल उत्पादन लगभग 1484454 करोड़ रुपये का अनुमानित है। हमारे पास ढाई करोड़ टन से अधिक अन्न का भण्डार है। लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की विदेशी-मुद्रा का हमारा संचय है। इसलिए यह मुद्रास्फीति बढ़ने वाली नहीं है, यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं। इसका एक प्रमाण यह भी है कि पिछले सात-आठ वर्षों में मुद्रास्फीति सबसे कम पिछले साल रही है।

दूसरी बात इस बजट के बारे में यह कही गई है कि राज्यों का करों में हिस्सा कम है और हमारे विरोध पक्ष के एक नेता ने तो यह कहा कि जो मूल्यवृद्धि की गई है वह इसलिए की गई है ताकि राज्यों को हिस्सा न देना पड़े। राज्यों को जो हिस्सा दिया गया है, जो धन हस्तांतरित किया गया है वह अधिक किया गया है यह कहते हुए मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे व्यक्तिगत आय कर में जो 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसमें से 85 प्रतिशत राज्यों को जाता है और वह इस साल अनुमानितरूप से 500 करोड़ रुपया है जो पिछले सालों से अधिक होगा और इस वर्ष राज्यों की योजनाएं भी 20-21 फीसदी के बीच में अधिक हैं। लेकिन एक चिन्ता की बात है कि हमारा जो आयात और निर्यात का अन्तर है वह छः हजार करोड़ रुपये के करीब हो गया है जिसको हमें कम करना होगा। जिन चीजों का हम विकल्प ढूंढ़ सकते हैं, उस विकल्प को हमें ढूंढना चाहिए।

मुझे इस बात पर खेद है कि पिछले वर्ष मैंने एक बात कही थी, वह बात आप भी स्वीकार करते हैं कि पेट्रोल की उपलब्धि जिस गति से छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी उसी गति से सातवीं पंचवर्षीय योजना में नहीं होगी और पेट्रोल का एक बड़ा अच्छा विकल्प हमारे यहां उपलब्ध है वह है हमारी सौर ऊर्जा। हमारी जो सोलर-इनर्जी है, उसका कनवर्शन कर उसको उपयोग करना। सबसे अच्छा तरीका उसका गन्ना है उसका जो शीरा है, उससे अलकोहल बनाकर उपयोग कर सकते हैं। यह गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। जब ब्राजील 10 लाख गाड़ी अपने मुल्क में अलकोहल से चला सकता है, तो क्यों न हम भी पेट्रोल की जगह उस अलकोहल का प्रयोग करें।

कैमिकल्स के लिए बहुत अच्छा बेस बन सकता है। हमारे यहां नकली रबड़ बनती है, क्योंकि प्राकृतिक रबड़ की हमारे यहां कमी है, उसके लिए इसका बड़ा अच्छा उपयोग हो सकता है। लेकिन मुझे खेद है इस बात पर, मैंने सारी पंचवर्षीय योजना को ढूंढने की कोशिश की और सालाना योजना को ढूंढने की कोशिश की। पिछले साल इसी समय मैंने वित्त मन्त्री जी को भी ब्राजील के बारे में नोट दिया था। हमारे और ब्राजील में अन्तर है, यह मैं मानता हूं। उद्योग मन्त्री ने भी कहा, लेकिन यह हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक कारण और है : उत्तर भारत के किसान का सबसे बड़ा कैश क्राप गन्ना है और वह गन्ने के मूल्य से संतुष्ट नहीं है। केवल चीनी के ऊपर जो हम आधार करते हैं मूल्य को वह मूल्य हम दे नहीं पाते और इससे गन्ने की पैदावार में गिरावट आ रही है, यह स्पष्ट है : इसलिए हमें गन्ने की पैदावार को चीनी से, शीरे से और अल्कोहल से जोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल से रबड़, कैमिकल बनाकर और उससे लाइफ सेविंग ड्रग्ज बनाकर और हम पावर अल्कोहल का इस्तेमाल पेट्रोल की जगह करें। हमें इसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए। कुछ लोग इस पक्ष में नहीं हैं लेकिन हमें इसको देखना चाहिए, उन मुल्कों में जाकर स्टडी करनी चाहिए और उसका विकल्प ढूंढ़ना चाहिए वरना यह निर्यात का अन्तर कम होने वाला नहीं है।

आपने विलासिता की चीजों पर ज्यादा कर बढ़ाया, इससे अन्तर घटेगा। हमें एक बात और देखनी चाहिए कि हम जो मशीनें आयात करते हैं, खासतौर से जो बिजली बनाने वाले जैनरेटर्स हैं और पावर हाउस की मशीनें और पार्ट्स आयात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुर्जे आयात

[श्री ब्रह्मदत्त]

करने पर हम ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और पुर्जे हम उन मुल्कों से मंगा रहे हैं जहां कि हमें विदेशी मुद्रा हार्ड करेन्सी के रूप में देनी पड़ती है। यह भी हमें देखना चाहिए।

जो सबसे बड़ी बात आप और हम मानते हैं वह है सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाना। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बुनियादी चीज बिजली है। इसको बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बी० एच० ई० एल० की मशीनों के इस्तेमाल करने के मैं बिल्कुल पक्ष में हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी चीज जब सप्लाई की जाती है तो उसकी सेल के बाद आफटर सेल्स की सर्विस की गारन्टी की जाती है, उसकी मरम्मत और सुधार की गारन्टी की जाती है। बी० एच० ई० एल० को चाहिए कि अपना संगठन बनाए जो मशीनों की बिक्री के बाद उसके रख-रखाव की व्यवस्था कर सके।

एक जमाने में शायद, 1978-79 में एक बड़ा भारी एग्रीमैंट किसी सीमेंस कम्पनी से या वैस्टर्न देश से किया गया था। हमें इसको बदलना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि जिन मुल्कों से हमें सही शर्तों पर पुर्जे मिल सकते हैं, उनसे मंगायें। जिस क्षमता की चीज हम एक रुपये में ले सकते हैं, क्या वह हमको यहां 3 रुपये में मिलती है ?

योजना का कितना बड़ा आकार है, इसका महत्व नहीं है। कितना धन किस योजना के लिए रखा गया है, इसका महत्व भी नहीं है। महत्व इस बात का है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है? यह हमें निश्चित करना पड़ेगा।

मैंने पिछले साल सुझाव दिया था कि हर संसदीय क्षेत्र में एक कार्यान्वियन समिति बना दी जाए और उस संसद सदस्य को उसका अध्यक्ष बना दिया जाए। सब तरह के लोगों को उसमें काम करने का मौका मिलेगा, हर पार्टी के लोगों को उसमें काम करने का मौका मिलेगा, उसमें विधायक भी सम्मिलित हों।

एक महत्वपूर्ण बात मैं पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उसके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई है। आपने उत्तर प्रदेश को 553 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन एक विषम स्थिति पैदा हो गई है जिसे हम तर्कसंगत नहीं समझते हैं। पर्यावरण की रक्षा और विकास में टकराव पैदा हो गया है। हमारा निर्णय होना चाहिए कि पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास हो। हमारे यहां कई-कई सड़कें नहीं बन पा रही हैं। कुछ जंगलात बीच में आ गये हैं, हमारे यहां कोई इन्डस्ट्री नहीं लग सकती, कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। कुछ जंगलात की भूमि आ गई है। यह समझना जरूरी है कि मैदानी क्षेत्र के माफिक हमारे यहां तीसरे तरीके की जमीन नहीं है। या तो हमारी जमीन है या वन-विभाग की जमीन है। उस जंगल को बचाना चाहिए जिसमें पेड़ कटते हैं, लेकिन जहां चट्टान है, वहां भूमि संरक्षण का काम करके सड़कें बनानी चाहिएं, पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, बिजली पहुंचनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे जिला देहरादून पर आपकी बड़ी कृपा हो

गई। एक पर्वतीय विकास विभाग है, प्रदेश सरकार है और एक इनवेली बोर्ड है। इस बोर्ड ने तय कर दिया कि यहां पर 2 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र में इन्डस्ट्री नहीं लगेगी। मैं मानता हूं कि कोई प्रदूषण की इन्डस्ट्री नहीं होनी चाहिए लेकिन इलैक्ट्रानिक्स, जिसके बारे में आप बड़ी चर्चा करते हैं, वह वहां पर लगाने में क्या दिक्कत है। इलैक्ट्रानिक्स को घरेलू उद्योग बनाना चाहिए। आप्टिक्स में क्या पाबंदी है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता, लोगों को रोजगार मिलता है।

आप 21वीं सदी में जाना चाहते हैं तो इलैक्ट्रानिक्स के बगैर जा नहीं सकते और इलैक्ट्रानिक्स पर भी आप पाबन्दी लगाते हैं। और हम इलैक्ट्रानिक्स पर पाबन्दी लगाते हैं, किस चीज को लेकर हम जाएं।

आज हमारा पर्वतीय विकास नहीं हो रहा है। सड़कें, नहरें, पीने का पानी और बिजली का ठीक इन्तजाम नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो वन विभाग है यह बहुत संवेदनशील है। मैं एक हास्यास्पद उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे इलाके में एक व्यक्ति ने 10 एकड़ में जंगल लगाया, उसके बाद वह दूसरे गांव में चला गया। उस 10 एकड़ जंगल में 50 फुट ऊंचे पेड़ खड़े हैं, लेकिन अब वह जंगल वन विभाग को देना चाहता है। वह उसके बदले में ऊबड़-खाबड़ जमीन लेने के लिए तैयार है, लेकिन वह जमीन भी उसे नहीं दी जा रही है। यह तो केवल एक व्यक्ति का मामला है। हमारे यहां विकास गति बिल्कुल ठप्प हो गई है। आपने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए अलग प्रावधान किया है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि आप उन योजनाओं की मानीटरिंग की व्यवस्था करिए, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करें। सबसे बड़ी कोशिश यह कीजिए कि जो रुपया दिया गया है, उसका ठीक उपयोग हो। आज हमारी जो मौजूदा स्थापित क्षमता है और जो बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं, उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है। इसी प्रकार पावर हाऊसिज और बड़े कर-कारखानों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

अब मैं निर्यात को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आपकी एक्सपोर्ट कौंसिलें हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़े-बड़े निर्यात करने वालों का एकाधिकार है। वह ऐसी नीति बनाते हैं जिससे छोटे-छोटे निर्यातकों को कठिनाई होती है। इन पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। अगर हम इन पर ध्यान देंगे तो उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित किये गये हैं और जिनको हमारे प्रधान मन्त्री और हमारी पार्टी पूरा करना चाहती है।

इन शब्दों के साथ अन्त में मैं यही दोहराना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में जो बजट बन सकता था, वह बना है। जिन चीजों की घोषणा वित्त मन्त्री जी ने पिछले साल की थी, वह अधिकांशतः पूरी हुई हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि आप एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग पालिसी बना रहे हैं, इसके बारे में देखें कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग पालिसी एक रैशनल पालिसी हो। आप वहां कृषि मूल्य के बारे में दूरगामी नीतियां बनाना चाहते हैं, वहां कृषि उत्पादन और कृषि की लागत वस्तुओं के उत्पादन मूल्य के बारे में भी नीति तय करिए। साथ ही साथ इन दोनों में समन्वय और समानता होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मन्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

1986-87 के बजट में जो लीपा-पोती की गई है उससे इस तरह का वातावरण बना है जिसक बंगला कविता में बहुत उचित तरह से वर्णन किया गया है :—

ए दुनिया सकल भालो, असल भालो, नकल भालो।

अर्थात् इस दुनिया में प्रत्येक चीज अच्छी है। असली अच्छा है और इसी तरह नकली भी अच्छा है।

इसी तरह इस बजट ने प्रत्येक को खुश किया है। कम से कम यह दावा किया जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप भी खुश हैं। मंत्री जी को हम पर खुशी थोपनी नहीं चाहिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसलिए तथाकथित सही समय पर ताली न बजाने के कारण यहां प्रधान मन्त्री जी द्वारा सख्ती से हमारी आलोचना की गई है। ऐसा समझा जाता है कि हम रंग बदल रहे हैं।

बदकिस्मती से मुझे अब इसी कविता का दूसरे भाग का स्मरण हो आया है। यह बताता है :

किन्तु सबर चेंते भालो, पावरोटी अर भोला गुड़।

अर्थात् रोटी और शीरा उत्तम। यह शाब्दिक अर्थ है मैं मुंडन भाषा में रोटी और शीरे का अनुवाद गरीबों की जीविका के रूप में किया है।

मेरी समस्या यह है कि मुझे हर चीज की कमी लग रही है। इसलिए स्वाभाविक है कि मैं बजट की प्रशंसा नहीं कर सकती। मैं समझती हूं कि बजट को गरीबों के हित में दर्शाने का प्रयास किया गया है और यह इसलिए किया गया है कि आयोजन, सार्वजनिक क्षेत्र, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत नीति की इस बजट में जो उपेक्षा की गई है उसको मुख्य जोर उसी बात पर दिया गया है अर्थात् अधिक भार निर्धन लोगों पर डाला गया है और इसलिए एक सुन्दर व्यक्ति के रोष का जोखिम उठाया गया है—वर्तमान वित्त मन्त्री भी सुन्दर हैं। मूल्य वृद्धि के साथ-साथ बजट में छिपाया जा सके।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मुझे प्रशंसा मिल रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दीर्घकालिक वित्तीय नीति में आपने पहले ही वायदा किया है कि धनी व्यक्तियों को जो छूट दी गई है वह पांच वर्ष तक उपलब्ध रहेगी। वास्तव में आपने उसका अनु-

सरण किया है अर्थात् इस बजट में भी धनी व्यक्तियों के लिए और छूट दी गई है। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। अगले कर-निर्धारण वर्ष से उपहार कर में छूट, अतिरिक्त कर की समाप्ति तथा यहां तक कि मानक कटौती में रियायत सम्बन्धी प्रश्न भी शामिल हैं। यह सच है कि जिन लोगों की वार्षिक आय 25,000 है उनको 250/- रुपये की राहत मिलेगी। यह शायद मध्य वर्ग के लोगों को शान्त करने के लिए है लेकिन क्या मैं जान सकती हूं कि जिन लोगों की वार्षिक आय एक लाख से अधिक है उनको मानक कटौती में रियायत देने का क्या औचित्य है। मेरे विचार में इस समय किसी को भी मानक कटौती नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि 75 करोड़ जनता में से केवल 35 लाख लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इसलिए इसका बोझ दूसरों को उठाना पड़ेगा इसलिए मैं कहती हूं कि मैं इस दिखावटी बजट को पसन्द नहीं करती हूं। वित्तीय नीति में दिये गये वचन का सम्मान करना पड़ेगा फिर भी आप अप्रत्यक्ष करों को कम करने की बात कह सकते थे। देखते हैं उसका क्या हुआ? बजट के अनुसार प्रत्यक्ष करों से कुल 21 करोड़ रुपये की आय होगी, जबकि अप्रत्यक्ष करों से 467 करोड़ रुपये की आय होगी जो प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली राशि से 22 गुना अधिक है। वास्तव में इस वर्ष अप्रत्यक्ष कर कुल कर राजस्व का 80 प्रतिशत है जबकि जी० डी० पी० में प्रत्यक्ष करों का भाग घट गया है। वर्ष 1985-86 में यह अनुपात 2.41 था और अब वर्ष 1986-87 में यह 2.25 है। अतः इससे पता चलता है कि एक वायदे और दूसरे वायदे में अन्तर है। धनी व्यक्तियों को दिये गये वायदों को पूरा करना पड़ता है, जबकि गरीबों को दिये गये वचन की उपेक्षा की जा सकती है। कर-नीति का यह दिशा है। आप मुझे समय नहीं देंगे अन्यथा मैं विस्तार से बता सकती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास अधिक मुद्दे हैं तो आप लिखकर भेज सकती हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के लिए वह बाध्य नहीं है जबकि बोले हुए शब्दों को वह सुनने के लिए बाध्य हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : 1985-86 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3118 करोड़ रुपये निगम कर के रूप में वसूल होने की आशा थी। निगम कर में क्या बढ़ोतरी हुई है? इस वर्ष यह केवल 2 करोड़ रुपये है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को देखिए। इसी अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क में 2,862 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और उत्पाद शुल्क में 704 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और यहां अप्रत्यक्ष कर में दी गई राहत भी अपेक्षित रूप से धन लोगों को लाभ पहुंचाती है।

'माडेवेट' के विषय में काफी कुछ कहा गया है और आपने कहा था कि यह 'माडेवेट' नहीं है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहती। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह लघु उद्योगों के लिए नहीं है, यह बड़े उद्योगों पर भी लागू होती है। मुख्य रूप से यह बड़े उद्योगों को प्राप्त होगी क्योंकि बहुत से छोटे उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से बड़े उद्योग के मालिकों के अधीन कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि यह कुछ छोटे उद्योगों के कुछ वर्गों को भी लाभ पहुंचाएगी।

मन्त्री जी का विचार है कि यह राहत उपभोक्ताओं को भी मिलेगी क्या कभी ऐसा हुआ है?

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

कौन सी नई स्थिति पैदा हुई है ? क्या इसका कारण यही है कि आपने एक दिखाउटी बजट भाषण दिया है कि सारा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा क्योंकि आपने अन्तिम तैयार माल का मूल्य कम कर दिया है ? क्या आप गारंटी दे सकते हैं, माडेवेट के लाभों की बात छोड़िए, कि बल्क औषधियों के मामले में आपने उत्पाद शुल्क में जो राहत दी है उसका उसे औषधियों के दामों पर कुछ असर पड़ेगा। अगर औषधियों के मूल्य में प्रभाव पड़ा तो मैं अगले वर्ष के बजट भाषण की आलोचना नहीं करूंगी।

विलासिता की वस्तुएं जैसे कि मोटरकार, टी० वी० रेफ्रीजरेटर इत्यादि पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने पर काफी शोर हुआ है लेकिन ये कुल छः वस्तुएं हैं और मात्रा बिल्कुल कम है।

यद्यपि यह एक ऐसा उपाय है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए परन्तु इसका सम्पूर्ण स्थिति पर कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं जो कि घाटे से सम्बन्धित है। मन्त्री जी ने आने वाले वर्ष के घाटे को वर्तमान वर्ष के बजट अनुमानों के साथ तुलना करते हुए कपट किया है जो कि वर्तमान वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों में काफी गढ़ बया है। वास्तविक घाटा मंत्री जी द्वारा दिखाए गए घाटे से कहीं अधिक है। मूल्य वृद्धि को, जिसको बजट में नहीं दिखाया गया है, इसके प्रभाव से अलग नहीं किया जा सकता अगर आप बजट को पूर्णतया देखें यह इस प्रकार का है जैसे कि शिव के बिना यज्ञ, जो कि सम्भव नहीं है अगर आपने इसको बजट उपायों के एक भाग के रूप में लिया होता तब कम से कम राज्यों को इसका कुछ हिस्सा मिल गया होता।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तब यह बिल्कुल ठीक होता।

श्रीमती गीता मुखर्जी : नहीं, हम यह नहीं चाहते। लेकिन वह आपको अपने बजट के घाटे को कम दिखाने से रोकता। आपका सारा घाटा वर्तमान घाटे से कम से कम 1,000 करोड़ रुपये अधिक होता है और जो बाद में अधिक हो जायेगा। घाटे का प्रश्न बहुत कठिन है। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कहा है बैंकों से लिये हुए ऋणों को भी घाटे में दिखाना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता, मैं समझती हूं कि वास्तविक घाटा 10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होता।

अब इस मुद्रा स्फीति के प्रभाव के बारे में ऐसा लगता है आप मुद्रा स्फीति के प्रभाव के विषय में चिन्तित नहीं है। आपने अपने बजट भाषण में कहा है :—

"अर्थव्यवस्था के आकार और मुद्रा भंडार को देखते हुए यह घाटा विवेकसम्मत और गैर-मुद्रा स्फीतिकारी है।"

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान वर्ष का लगभग सारा घाटा अर्थव्यवस्था में समाविष्ट हो गया है। आप मुद्रा स्फीति को जानने के लिए थोक मूल्य सूचकांक को लीजिए। हम देखते हैं कि थोक मूल्यों की अपेक्षा उपभोक्ता मूल्य बहुत अधिक बढ़ते हैं। उस समय जबकि थोक मूल्य सूचकांक 3.86 प्रति-

शत बढ़ा तो उसी अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.5 प्रतिशत बढ़ा। और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इसमें चालाकी क्यों की जा रही है। कृषक मजदूरों का मूल्य सूचकांक 8.1 प्रतिशत बढ़ा है। क्या आप सोचते हैं कि एक कृषक मजदूर के लिए 8.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी को समाविष्ट किया जा सकता है? जी हां, निस्सन्देह किया जा सकता है, उसे भूखा रखकर। हम आपकी समावेश की नीति से सहमत नहीं हैं। यह समावेश गरीब जनता पर अधिक भार और कठिनाइयां डाल कर किया जा सकता है।

10.00 म० प०

अब हम बहुत अधिक प्रशंसा वाला मुद्दा लेते हैं गरीबी दूर करने के कार्यक्रम के लिए अधिक प्रावधान जहां तक राशि को बढ़ाने का प्रश्न है, हम इसका स्वागत करते हैं क्या झूठा दावा न्यायोचित है? आपने कहा कि आपने इसको 65 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब अगर आप इसकी संशोधित अनुमानों से तुलना करें, तो यह केवल 30 प्रतिशत बढ़ी है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : यह केवल 22 प्रतिशत है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने दोनों संख्याओं को देखा है। यहां मैंने बड़ी संख्या ली है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बी० ई० की तुलना हमेशा बी० ई० से ही की जाती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह स्वाभाविक है। जिसकी भी तुलना हो, चाहे वह बी० ई० हो या आर० ई०, आपके फायदे के लिए होनी चाहिए।

गरीबी दूर करो कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यह आवंटन भी कई प्रश्नों को उभारता है। अब बात यह है कि यदि सातवीं योजना लागू होती है तो अगले वर्षों में आपका प्रस्तावित कार्य क्या है, जबकि आप दो वर्षों में पहले ही 40 प्रतिशत से 42 प्रतिशत दे चुके हैं? क्या योजना पद्धति का परित्याग करने की शुरूआत है? संसाधनों का संग्रह कहां से किया जायेगा? आप संसाधनों का संग्रह अमीरों से नहीं करते और ग्रामीण धनिकों को भी छोड़ दिया गया है। सामान्य रूप से भार गरीबों पर ही है। सातवीं योजना को कैसे लागू किया जायेगा? तथाकथित मात्रा में वृद्धि किस प्रकार होगी? क्या मात्रा में वृद्धि अन्य क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक उद्यमों, इत्यादि की कीमत पर की जा रही है। आपने इन प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया है। इस योजना विशेष, जो कि अपने आपमें एक अच्छी योजना है की चाटुकारिता की बजाय आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए जो पहले ही उठाये जा चुके हैं। परन्तु आपने ऐसा नहीं किया।

आपने जो मानदंड अपनाया है उसके अनुसार यह 30 प्रतिशत वृद्धि भी नाम मात्र है। 1986-87 की योजना का परिव्यय तैयार करते समय अन्तर्निहित मुद्रा स्फीति दर 11.1 प्रतिशत थी, जो वास्तव में 20 प्रतिशत से कम होगी। तब मात्रा में वृद्धि कहां है?

गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि करने में क्या तथ्य है? आप गरीबों को गरीबी रेखा से

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

ऊपर कैसे उठाएंगे ? वास्तव में यह परिकलित किया गया है कि आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों के अतिरिक्त गरीब लोगों को निर्गम मूल्य में वृद्धि के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त अदा करना पड़ता है (और आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों से बाहर लाखों लोग रहते हैं।) क्या यह भी गरीबी कम करने का ढंग है ? जबकि खाद्य भंडार सड़ रहा है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती। मैं नहीं जानती कि क्या यह खाद्य भंडार इस अतिवृद्धि के लिए तात्कालिक प्रेरणा है। प्रथम बात तो यह है कि यह खाद्य भंडार क्यों सड़ें। यह बेहतर होगा कि बारह सौ मिलियन टन गेहूं इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कर दिया जाये और गेहूं को अखाद्य बनने से बचा लिया जाये।

मैं दो प्रश्न पूछ कर अपना भाषण समाप्त करूंगी। सार्वजनिक क्षेत्र को कम राशि निर्धारण से प्रत्येक व्यक्ति चिन्तित है। यह केवल 3.2 प्रतिशत की वृद्धि अब तक की योजना अवधि में सबसे कम है। बहुत से अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों में वास्तव में यह गैर-सरकारी क्षेत्रों में घटी है। तो क्या हम इसका तात्पर्य गैर-सरकारी क्षेत्र ले सकते हैं। जिसके प्रति इस समय आप इतने आसक्त हैं। यह भी कारण हो सकता है कि आप दबाव के कारण उतने जोर से नहीं बोल पा रहे हैं ? परन्तु यहां यह स्पष्ट है कि यह बढ़ी है। एक छोटी सी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। केन्द्रीय कानून और व्यवस्था के लिए किए गए आवंटन से सम्बन्धित है। केन्द्रीय कानून और व्यवस्था पर 350 करोड़ रुपये जैसी भारी रकम क्यों खर्च की जा रही है ? कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। क्या कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति केवल दिल्ली में ही है कि आपके द्वारा प्रस्तावित अनेक कल्याणकारी उपायों के लिए निर्धारित राशि की तुलना में इतनी भारी राशि आपको इसके लिए निर्धारित करनी पड़ी।

श्री अमल दत्त : सम्पूर्ण पश्चिमी बंगाल में पुलिस व्यवस्था दिल्ली से बेहतर है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसलिए, मैं सोचती हूं कि बजट की दिशा, इन प्रमाणों से विरुद्ध है जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूं और यदि मेरे पास कुछ समय और होता तो मैं बहुत से प्रमाण और दे सकती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया समाप्त करिए। आप पहले ही बहुत प्रमाण दे चुकी हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं यह कह कर समाप्त करना चाहूंगी कि आपके भाषण के अन्तिम भाग में जहां आपने गांधी जी के उद्धरण की ओर संकेत किया है ··(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने तीनों गांधियों का उद्धरण दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पहले गांधी को सबसे अन्त में उद्धृत किया गया है। वित्त मन्त्री ने उनका उद्धरण देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ बलिदान देने का आह्वान किया है। अब ऐसा लगता है वित्त मन्त्री समझते हैं कि यह बलिदान करोड़ों दलितों द्वारा दिया जाना चाहिए जबकि समृद्ध व्यक्ति मौज मनाएंगे। मेरे विचार में अब बजट में उल्लिखित सरकारी नीतियों के माध्यम से यही सब करने का प्रयास किया जाएगा जबकि इसमें किए गए दावे इसके विपरीत हैं और इसमें लीपा-पोती की

गई है। अतः महोदय, मैं इस बजट का विरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने इस देश की 2 वीं शताब्दी में प्रवेश कराने के लिए एक लम्बी आर्थिक छलांग लगाने का संकल्प किया है। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, टेक्नोलोजी और विज्ञान के क्षेत्र में हो, इस देश की अत्यधिक प्रगति के लिए और इस देश को एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा करने के लिए कदम उठाया है। यह बजट इस दिशा में हमको अग्रसर करता है इसलिए इस बजट का हम स्वागत करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हार्दिक समर्थन करते हैं।

1.06 म० प०

(श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई)

इस बजट की विशेषता यह है कि इस बजट में पसा लेने के लिए, पैसा देने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए एक सही निर्देश दिया है। जिनको पैसा खर्च करने की आवश्यकता है उनके लिए सबसे अधिक पैसा खर्च करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

हमारे विरोधी दल के मित्रों ने जब थोड़ी-सी कीमतें बढ़ीं तो बड़ा हाहाकार मचाया, कहा कि बड़ी प्रलय हो गई, आसमान टूट गया, इनमें राज चलाने की क्षमता नहीं है। मैं कहता हूं कि राजा चाहे कोई हो, राज प्रणाली चाहे कोई हो, चाहे वह यूनान की डेमोक्रेटिक प्रणाली हो, बिना पैसा वसूल किए राज नहीं चल सकता है।

महाकवि कालिदास ने रघुवंश में सूर्यवंशी राजाओं के आदर्श का वर्णन करते हुए लिखा है—

प्रजानामएव भूत्यंम् सत्ताभ्यो बलिम गृहीत।

प्रजा के लिए, प्रजा की समृद्धि के लिए राजा कर लगाता है। यह सूर्यवंशी राजाओं का आदर्श था। यह उस समय के समाज का आदर्श था। फिर आगे लिखा है—

सपिता पितृण्यतास्तम जन्म हेत्वा।

राजा हर मामले में प्रजा का पिता होता है, सारी जिम्मेदारी उसके भरण-पोषण की राजा की होती थी, माता-पिता तो केवल पैदा करते थे। यूनान के महान दार्शनिक प्लैटो ने लिखा है कि प्रत्येक कमाने वाले को अपनी कमाई का एक हिस्सा शासक, रक्षक और शिक्षक को देना चाहिए। ढाई हजार साल पहले बहुत बड़े समाजवादी और दार्शनिक ने यह लिखा है कि कोई राज्य व्यवस्था बिना धन संग्रह के नहीं चल सकती। इसलिए जो वित्त मंत्री जी ने धन संग्रह के उपाय किए हैं वे देश के विकास

[श्री उमाकान्त मिश्र]

के लिए किए हैं, गरीबों के उत्थान के लिए किए हैं, देश की खुशहाली और मजबूती के लिए किए हैं।

श्रीमन् आप देखिए कि एक रुपया कहां से आया है, इस बजट की विशेषता देखें। इसमें 50 प्रतिशत कर राजस्व से, 14 पैसा आंतरिक उधार से, 14 पैसा अन्य प्राप्तियों से, 11 पैसा विभिन्न राजस्व से और 5 पैसा केवल बाहरी सहायता ली गई है। इतने बड़े विकासशील देश में, इतने बड़े संकल्प लेने के बाद सरकार ने केवल 5 प्रतिशत विदेशी सहायता ली है और बजट में केवल 6 प्रतिशत का घाटा है। 6 प्रतिशत घाटा विकासशील देश के लिए कोई घाटा नहीं कहा जा सकता। खर्च को देखें, 22 प्रतिशत केन्द्रीय योजना में और 29 प्रतिशत राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की योजना में, 14 प्रतिशत प्रतिरक्षा में, 14 प्रतिशत ऋणों के सूद में और 13 पैसा केवल नान प्लांड एक्सपेंडीचर है। यह जो 13 प्रतिशत केवल नान प्लांड एक्सपेंडीचर है, यह बजट बनाने वालों की बहुत बड़ी कुशलता है। श्रीमन् मैं बजट की अच्छाइयों को गिनाना चाहता हूं। यह बजट दीर्घकालीन आर्थिक मजबूती के सिद्धांत पर आधारित है। मैंने जैसा निवेदन किया कि इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए छलांग लगाने का जो संकल्प किया गया है, उस दिशा में यह बजट एक महान कदम है, सातवीं योजना में यह प्रशंसनीय है। साधारण आदमी पर बोझ नहीं डाला गया है। जो देने लायक हैं, उनसे लिया गया है। लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्यमियों को रियायतें दी गई हैं, यह बजट की बहुत खास बात है। छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया गया है। ये उद्योग गांवों में, कस्बों में चलाए जाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी।

श्रीमती इंदिरा गांधी जो इस देश की महान नेता थीं, जिनका इस देश पर बहुत बड़ा ऋण है, जिन्होंने इस देश को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनाया, मजबूत बनाया, उन्होंने इस देश में गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाए, जैसे राष्ट्रीय रोजगार योजना, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, शिक्षित बेरोजगार योजना, आई० आर० डी० पी० इत्यादि जो गरीबों के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, उन कार्यक्रमों में अधिक धन खर्च करने का संकल्प हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है और 65 प्रतिशत प्रावधान इस बजट में गरीबी निवारण के मद में रखे गए हैं, यह प्रशंसनीय कदम है। अब केवल यह निवेदन है कि इस रुपये से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना में जो पैसा दिया जा रहा है, राज्यों को दिया जा रहा है, उस पर निगरानी रखी जाए और गांवों में रोजगार देने के साथ-साथ बांध, स्कूल व सड़क इत्यादि जो परमानेंट असेट्स हैं, स्थायी संपत्तियां हैं, उनका निर्माण होना चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार न हो, यह देखना आवश्यक है। लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना स्वागत योग्य कदम है। लघु उद्योग विकास निधि से बेरोजगार लोग, पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग रुपया लेकर रोजगार करेंगे और बेरोजगारी कम होगी।

इंदिरा आवास योजना, यह भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह चलाई जाएगी और गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय वित्त मन्त्री जी ने उठाया है वह प्रशंसा योग्य है जिसके अंतर्गत शहरों के गरीबों को मदद दी जाएगी।

शहरों के गरीबों के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई धन की व्यवस्था नहीं थी। वित्त मंत्री जी ने रिक्शा चालक, मोची, धोबी, कुली, नाई, फेरीवाले, सफाई कर्मचारी, गाड़ीवान वर्ग को सहायता देने का प्रस्ताव किया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें धुनियां, दर्जी, राज मिस्त्री, भुजवा, पनवाड़ी और चाय वाले का नाम भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भी शहर का गरीब वर्ग है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। शहर के लोग कहते थे कि शहर के गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, इस प्रकार वित्त मंत्री जी ने जो यह काम किया है, वह स्वागत योग्य है।

जीवन रक्षक दवाओं के दाम में कमी की गई है, यह भी बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार श्रीमन्, यह बजट आम जनता का बजट है, गरीबों का बजट है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है तथा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला बजट है।

मुझे आशा है, इस बजट से यह देश शक्तिशाली होगा। कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। इस देश में पब्लिक सैक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा महत्व है। सन् 52 में जब पब्लिक सैक्टर की स्थापना की गई थी तो इस सैक्टर में केवल पांच उद्योग थे और 29 करोड़ की पूंजी लगी थी। लेकिन आज इस क्षेत्र में दो सौ से ज्यादा उद्योग हैं और चालीस हजार करोड़ से ज्यादा पूंजी लगी है। इतनी बड़ी पूंजी जिस सैक्टर में लगी हो और उस सैक्टर से लाभ न हो और सैल्फ जनरेटिंग इकोनामी उत्पन्न न कर सकें तो यह सोचने की बात है। पब्लिक सैक्टर को और ठीक किया जाय, उस पर सख्ती की जाए। हम लोगों को यह आशा होनी चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र इतना उत्पादन देगा, इतना लाभ देगा कि उससे इस देश में सैल्फ जनरेटिंग व्यवस्था कायम हो सकेगी। ऐसा नहीं हो सकता है तो दुर्भाग्य की बात होगी। मेरा एक निवेदन यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली, इस्पात, उर्वरक, पैट्रोलियम, पैट्रो-कैमिकल आदि जो उद्योग हैं, उनको केवल पब्लिक सैक्टर के भरोसे ही छोड़ना उचित नहीं है। आज जनता की यह मांग है कि ये चीजें बुनियादी चीजें हैं इसलिए इनके निर्माण के लिए प्राइवेट सैक्टर को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर नहीं तो छोटे पैमाने पर जो उद्यमी अपनी निजी पूंजी इन उद्योगों में लगाते हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को ज्यादा सबसिडी की आवश्यकता नहीं है। किसान स्वत: जागरूक है, उसने इस देश का मस्तक ऊंचा किया है। इस देश की व्यवस्था को बल दिया है। इसलिए, किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बजाय सबसिडी के बुनियादी चीजों पर बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विकास खण्ड में तीन-तीन, चार-चार मण्डिया स्थापित की जानी चाहिए। किसानों के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए और उन्हें बिजली, पानी तथा बाजार की सुविधाएं मुहैया की जाएं। किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिलेगा तो स्वत: वे उत्साहित होकर उत्पादन बढ़ायेंगे। इस देश की व्यवस्था का आधार कृषि है इसलिए किसानों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग मारीशस और अन्य तमाम देशों में तथा कलकत्ता और बम्बई या अरब देशों में जाकर अपनी जीविका कमा रहे हैं। वहां खेती पर दबाव पड़ गया है। वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी ने 4500 करोड़ रुपये

[श्री उमाकान्त मिश्र]

की विशेष मांग की है। मेरा निवेदन यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस 4500 करोड़ की राशि को मंजूर किया जाना चाहिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो परम्परागत उद्योग हैं जैसे—कालीन, हथकरघा, बनारस का साड़ी उद्योग, मिर्जापुर का बर्तन और आजमगढ़ का हथकरघा उद्योग, इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन उद्योगों से कई लाख आदमी अपनी जीविका कमा रहे हैं। इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने से उन्हें रोजगार मिलेगा और उनकी रोजी-रोटी चलेगी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा। हमारे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर का उत्तरी हिस्सा औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां के लोग भाग रहे हैं। मिर्जापुर शहर उजड़ रहा है। इसलिए, मिर्जापुर, के आसपास जौनपुर, गाजीपुर, बनारस और इलाहाबाद जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर प्रत्येक क्षेत्र में एक बड़ा उद्योग लगाया जाए। मिर्जापुर में एक बड़ा उद्योग लगाना अत्यन्त आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं तथा प्रधान मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि देश को प्रगति की दिशा में उन्होंने एक ठोस कदम उठाया है।

डा० प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : सभापति महोदया, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए वित्त मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में जो अन्तिम वाक्य कहे थे, उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में लोग हमारे बारे में अपनी राय इस आधार पर कायम नहीं करेंगे कि हम किस मत के अनुयायी हैं या हमने कौन सा लेबल लगा रखा है या हम कौन-सा नारा लगा रहे हैं बल्कि ऐसा मत हमारे कार्यों अध्यवसाय और त्याग से निर्धारित करेंगे। वित्त मंत्री जी के उन वाक्यों से ही मैं बजट पर भाग लेता हुआ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने पिछले साल एक घोषणा में कहा था कि जब हम 1990 में जन अदालतों में फिर से जाएंगे तो हमारे हाथ में 1984 का घोषणा पत्र रहेगा और हम लोगों को यह बताएंगे कि हमने उस समय आपसे जो वायदे किए थे उनको हमने पूरा किया, कितने प्रतिशत पूरा किया, उसका मूल्यांकन आप करें। मैं यहां आपका ध्यान मध्य प्रदेश के उस पिछड़े संभाग की ओर ले जाना चाहता हूं जो हरिजन बाहुल्य है, आदिवासी बाहुल्य है और बहुत पिछड़ा है। सौभाग्य से पिछले दिनों श्री राजीव जी उस इलाके में पधारे थे। मैं विशेष रूप से यहां आंकड़ों में जाना नहीं चाहता लेकिन कुछ ऐसी बातें अवश्य करूंगा जो प्रत्यक्ष हैं और व्यावहारिक हैं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हम सैन्टर की ओर से हर स्टेट को काफी रुपया विभिन्न योजनाओं के लिए देते हैं। उस पैसे का कितना सदुपयोग किया जाता है, वह कितना सही तरह से काम में आता है, हमें उससे कितनी उपलब्धि मिलती है, उसका क्या रिटर्न मिलता है, मैं चाहता हूं कि इसकी मोनीटरिंग बजट में जरूर की जानी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा राज्य रहा है। कई बार वहां ओलावृष्टि होती है तो कभी बरसात ज्यादा हो जाती है अथवा गैस त्रासदी की वजह से नये-नये संकट उस पर आते रहते हैं। ऐसी

स्थिति में हम अपने बजट का पूरा उपयोग उन कार्यों में नहीं कर पाते जिसके लिए वह निर्धारित किया गया है और पैसा डाइवर्ट करना पड़ता है।

मैं यहां सिंचाई के अन्तर्गत मिलने वाले पैसे के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में सिंचाई की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं और उनके लिए करोड़ों रुपये का इस्टैब्लिशमेंट हैं, मोटर-गाड़ियां हैं और स्टाफ है लेकिन केन्द्रीय सरकार या विश्व बैंक की तरफ से पूरी मदद समय पर न पहुंच पाने के कारण उस तमाम इस्टैब्लिशमेंट का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उतनी उपलब्धियां हमें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने छोटे वर्ग के लोगों के लिए बजट में जो प्रावधान किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और यह बजट ऐतिहासिक है लेकिन साथ-साथ पिछड़े क्षेत्र के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए जब तक आप प्राथमिकता के आधार पर आवंटन नहीं करेंगे तब तक पूरी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी।

मैं यहां छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाओं के नाम लेना चाहता हूं जैसे अरपा या बांगो योजनाएं हैं जो सिर्फ आर्थिक परेशानी की वजह से पिछले 8-10 सालों से रुकी पड़ी हैं और हर साल उनकी लागत कास्ट बढ़ती ही जा रही है। समयबद्ध कार्यक्रम न होने की वजह से, उस लागत को मीट आउट करना हमारे सामने दूसरी प्रोब्लम है। कुछ हाइडल इलैक्ट्रिसिटी की योजनाएं भी हैं, जिनमें ऐसी ही स्थिति है। मैं चाहूंगा कि बजट में उनके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाए और पैसा आवंटित किया जाए ताकि उन कार्यक्रमों को भी समबद्ध पूरा किया जा सके।

एक बात मैं वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गांवों में मैडिकल सुविधाएं बहुत कम है। हमारे बजट में जो राशि हर साल रखी जाती है, उसका आधार बहुत पुराने समय से चला आ रहा है जब कि गांवों की आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम होती थी लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है और उसके अनुपात में दवाओं की आवश्यकता भी बढ़ गई है। उसके बावजूद कम राशि आवंटित होने के कारण, दवाइयां कम पहुंचती हैं और उससे गरीब तबके के लोग दवाइयों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों तथा गांवों के अस्पतालों के लिए विशेष बजट में प्रावधान किया जाए ताकि गांवों के लोगों को समुचित मात्रा में मैडिकल सुविधाएं प्राप्त हो सकें। क्योंकि जब हम अपने देश में परम्पराओं की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे यहां ऐसी चिकित्सा प्रणाली पुराने समय से चली आ रही है जिनका लाभ लोगों को प्राकृतिक रूप से होता आया है और वह उनके सर्वथा योग्य भी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर अस्पताल में एक ब्रांच ऐसी देशी चिकित्सा की जरूर होनी चाहिए, जैसे आयुर्वेदी चिकित्सा हैं, यूनानी है, होम्योपैथी है और उसको वही स्टेटस मिलना चाहिए और बजट में उसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए और हर छोटे-बड़े अस्पताल में उसकी अलग से ब्रांच स्थापित होनी चाहिए।

तीसरी बात पब्लिक सैक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। हम पब्लिक सैक्टर से जितने उत्पादन की अपेक्षा करते हैं, उतना उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन उस उत्पादन में कितनी कॉस्ट लगती है उस पर नियन्त्रण रखा जाए। कोरबा मेरे क्षेत्र में आता है। कोरबा क्षेत्र में जिस कृषि भूमि का दोहन करके, वहां के लोगों के श्रम का दोहन करके, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं, तो वहां के लोगों का शोषण

[डा० प्रभात कुमार मिश्र]

करके जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उनकी छाती पर लगाई गई हैं उनका फायदा उन लोगों को मिलना चाहिए, जो वहां के मूल निवासी हैं। लेकिन इन उद्योगों का परिणाम यह हो रहा है कि जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको फायदा नहीं हो रहा है। उनको फायदा न मिलने की वजह से उन क्षेत्रों के लोग दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसी जगहों पर झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि जो भी पब्लिक सैक्टर में जो भी पर्सोनेल डायरेक्टर या जो भी इस प्रकार के अधिकारी हैं, वे लोकल लोगों में से हों, जो इस बात को देख सकें कि वहां के जो लैंड ऑस्टीज हैं उनकी पूर्ण सुरक्षा हो और ऐसे प्राविजन किए जाने चाहिएं ताकि उनको रोजगार मिले। इस संदर्भ में, मैं एक विशेष बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा वह यह है कि जिस समय इंडस्ट्री लगती है उस समय कहा जाता है कि हमें ट्रेंड हैंड की जरूरत है और ट्रेंड हैंड पाने के लिए वे बाहर से भर्ती करना शुरू कर देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जो वहां के लोकल लोग होते हैं, उनकी उपेक्षा हो जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की पब्लिक सैक्टर में इंडस्ट्रीज जहां-जहां पर भी लगें, जैसे कोरबा में लगी हैं—कोल्ड फील्ड्स हैं, बालको है एन०टी०पी०सी० है और अन्य इस प्रकार की इंडस्ट्रीज जहां भी लगें, इन इंडस्ट्रीज के लगने के साथ-ही-साथ वहां पर आई०टी०आई० या पॉलिटेकनीक स्कूल भी खोले जाएं, ताकि उन स्कूलों में वहां के बच्चे पढ़कर निकलें और उन फैक्ट्रियों में उनको रोजगार मिल जाए। इसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए, ताकि जो लैंड आस्टीज हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, उनको वहां उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिल सके, और इस प्रकार से उनको फायदा पहुंचे।

इसके बाद, सब्सिडी के बारे में वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछली दफा हमारे एक माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था, लेकिन इसकी बाबत हमें कोई भी जवाब माननीय वित्त राज्य मन्त्री महोदय की ओर से नहीं आया। मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हम लोक सभा में बैठकर सब्सिडी के आंकड़े पढ़ते हैं और जब हम गांव में जाते हैं उन लोगों के पास जिनको यह सब्सिडी दी जाती है, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि उतनी सबसिडी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके बाबत आप जानकारी अवश्य लें। सहकारी बैंकों और नेशनलाइज्ड बैंकों में एक बात देखने में आई है कि सब्सिडी किसानों को चाहे फर्टिलाइजर के लिए हो, चाहे पम्प के लिए, वह उनके खातों में समय से नियमबद्ध ढंग से जमा नहीं की जाती है जिसके कारण किसानों को ज्यादा ऋण के ऊपर ब्याज देना पड़ता है और उस पैसे का उपयोग बैंक के अधिकारी अपने लिए कर लेते हैं। वे उस पैसे से अपना उपभोग करते हैं, चाहे वह गाड़ी हो या मोटर हो। इसलिए इसके बारे में विशेष मानिटरिंग करने की आवश्यकता है।

अब, मैं मान्यवर, इंडस्ट्री के संदर्भ में, वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इंडस्ट्री का विकास एट दि कॉस्ट आफ दि एग्रीकल्चर हो रहा है। यह हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। परम्परागत खेती करने वाले लोग, आज जब इंडस्ट्रीज से तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो काफी अंतर दिखाई देता है और इंडस्ट्री में तुलनात्मक दृष्टि से काफी फायदा नजर आता है। इस प्रकार से इंडस्ट्री वाले काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं उस हिसाब से खेती वाले लाभ बहुत ही कम प्राप्त कर रहे

हैं जिसके कारण खेती वाले लोगों का ध्यान इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। उनको वे कम्पीट न करने की वजह से एग्रीकल्चर लेबरर इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट होते हैं और इस तरह से रीयल एग्रीकल्चरिस्ट, परम्परागत खेती करने वाले लोगों के सामने आज लेबर और फायनेंस की प्राब्लम आ रही है। ये प्रोब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से आज वे इंडस्ट्री की कॉम्पीटीशन में टिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आप इंडस्ट्री लगाते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं, वह एग्रीकल्चर बेस्ड हो ताकि हमारे लोगों का एग्रीकल्चर की ओर रुझान बना रहे और जो प्रोजेक्ट लगें उनमें उनको एम्प्लायमेंट मिले। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे एग्रीकल्चर के लेबरर ही अलग हो जाएं और आज जो हमारी सरकार गर्व से कहती है कि हम अनाज के मामले में सफीशिएण्ट हैं, वह बात न रहे और हमें झुकना पड़े। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज आप लगाएं ताकि हमें झुकना न पड़े और न ऐसा हो जिससे एग्रीकल्चर की तरफ से रुझान हटे। ऐसी इंडस्ट्रीज हों, जो एग्रीकल्चर के साथ-साथ चलने वाली हों।

अब, मैं पाल्यूशन की तरफ माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके लिए बजट में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से गंगा नदी भारत की मुख्य और महत्वपूर्ण नदी है, उसी प्रकार से हर गांव में बहने वाली नदी, उस गांव के लिए महत्वपूर्ण होती है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि जहां आप इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं वहां आप उनके द्वारा फैलाए जा रहे पाल्यूशन के लिए भी व्यवस्था कीजिए। मैं आपको अपने क्षेत्र बिलासपुर जिले में लग रही फैक्ट्री के पाल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र बिलासपुर जिले में बुक बाण्ड चाय कम्पनी की तरफ से एक पेपर मिल है। मध्य भारत पेपर मिल के नाम से चांवर लगाई गई है, उसका गन्दा पानी वे नाले में बहा देते हैं जिससे वहां के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। उनसे कई बार कहा है, लेकिन वे नहीं मानते हैं। उसके लिए न तो कोई व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है और न ही प्रशासन ने उस पाल्यूशन को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की है। मैं चाहूंगा कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ-साथ उसके दूसरे आस्पेक्ट पाल्यूशन की तरफ ध्यान दें और इस प्रकार से मिल द्वारा फेंकी जा रही गन्दगी को गांव वालों को जो अब झेलना पड़ रहा है, वह न झेलनी पड़े, ऐसी व्यवस्था करें। इसके लिए आप बजट में विशेष स्वीकृति प्रदान कर धन की व्यवस्था करें ताकि पाल्यूशन और गन्दगी जो वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही है, वह न झेलनी पड़े।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा कृषि प्रधान देश है। पशुधन हमारे कृषकों के लिए बहुत इम्पार्टेन्ट है। पशुधन की ओर बजट में ज्यादा प्रावधान न होने से, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर पशुओं पर आधारित है, हम पशुओं की ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं। पशुधन में डेरी, पाउल्टरी और मत्स्य उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाये ताकि एग्रीकल्चरिस्ट्स की इकनामिक कंडीशन्स सुधारने में सहायता हो।

फोरेस्टरी के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सड़क के किनारे हमारे विभाग के द्वारा बहुत से पेड़ लगाये जाते हैं लेकिन गांव के अन्दर के जंगल कटते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि बजट में

[डा० प्रभात कुमार मिश्र]

ऐसा प्रावधान हो कि हर गांव में कम-से-कम 5 एकड़ में जंगल लगाया जाये जिससे वहां पर रेन्स हों, जंगल की प्राब्लम, लैंड इरोजन है इन सब में सुधार हो।

मैं कम्यूनिकेशन्ज की ओर जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब हम विकास की बातें करते हैं, हमारे रेल मन्त्री जी ने एक बात कही थी हर संसद-सदस्य चाहता है कि हमारे क्षेत्र में रेल हो। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि जब हम 21वीं सदी की, विकास की ओर प्रगति की बातें करते हैं तो निश्चित ही जन-प्रतिनिधि या उस क्षेत्र की जनता आवागमन के साधन मांगेगी, रेल, वायुदूत और सड़कें तथा मोटर गाड़ी मांगेगी। इन पिछड़े वर्ग के गांवों के लोगों को विकास, आवागमन की सुविधा न होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके बगैर वहां की कृषि की उपज बाजारों में नहीं पहुंच पाती है और न लोगों को शिक्षा की सुविधा मिल पाती है। इसलिये इन यातायात के साधनों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये।

सैंटर से जो पैसा जाता है उसका उपयोग लोगों को सुविधाएं देने के लिए किया जाये।

अन्त में मैं आपका ध्यान एनर्जी या इलैक्ट्रिसिटी की ओर खींचना चाहूंगा। हमने इसमें काफी प्रगति की है, बजट में इसका प्रावधान भी है, लेकिन स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को आपकी तरफ से विशेष मदद मिलनी चाहिए क्योंकि जितना सैंट्रल कन्सर्न्ड हैं, वह इलैक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन उनका प्रापर यूटिलाइजेशन स्टेट के द्वारा किसानों को नहीं पहुंच पाता है। इसलिये इसके बारे में बजट में ज्यादा प्रावधान हो ताकि बिजली को किसानों के खेत तक पहुंचाया जाये।

अन्त में मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं और अपने युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की घोषणा को प्रगतिशील मानता हूं। उन्होंने नये बजट को एक गति दी है। इसके साथ-साथ मैं अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में क्रमबद्ध तरीके से कार्य किया जायेगा जिससे हर गांव में स्कूल हो, सड़क हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो और जन-स्वास्थ्य की सुविधाएं हों।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : सभापति महोदया, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ अतिरिक्त समय देंगी। मैं ऐसे क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं, जो बहुत विकसित क्षेत्र है किंतु इसमें ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हैं जो अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। अतः यदि मैं केवल अधिक विकसित क्षेत्र के ही बारे में कुछ मुद्दे रखता हूं और पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा करता हूं या पिछड़े क्षेत्रों के बारे में मुद्दे रखकर विकसित क्षेत्र की उपेक्षा करता हूं या वह न्यायोचित नहीं होगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दुगुना समय।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : दुगुना समय··· (व्यवधान)

सभापति महोदया : आप केवल मुद्दे बताइए, भूमिका मत बांधिए। वह पहले ही बांधी जा चुकी है।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : महोदया, मैं वर्ष 1986-87 के सामान्य बजट का समर्थन करता हूं। इसका पहला कारण यह है कि इसमें गरीबी दूर करने के लिए अधिक धन का प्रावधान किया गया है। दूसरे, हमने देखा कि वित्तीय नीति का उद्देश्य किसानों को सहायता देना है और शहरों में रहने वाले गरीब लोगों तथा जनसाधारण को वित्तीय सहायता देना है और अन्तिम कारण यह है कि सरकार पिछले वर्ष से दीर्घावधि वित्तीय नीति का अनुसरण कर रही है।

मैं अपनी बात पिछड़े क्षेत्र से शुरू करता हूं। यह अच्छी नीति है कि सरकार का विचार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन आवंटित करने का है। ये कार्यक्रम पिछले चार वर्षों से चल रहे हैं लेकिन इसके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। जिन लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। कई मामलों में निरक्षरता के कारण लोग इस कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं उठा पाए हैं। यद्यपि इस कार्यक्रम के लिए काफी धन आवंटित किया गया है, मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस कार्यक्रम का समुचित सर्वेक्षण कराएं। हर प्रदेश की अपनी ही कुछ समस्याएं हैं, उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की। मैदानी क्षेत्र होने और संचार की कठिनाई के कारण इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना बहुत कठिन है। अत: इन कार्यक्रमों की देखरेख के लिए कई तरह के प्रबन्ध करने होंगे। मैं आपको निर्धन परिवारों को दिए जा रहे दुधारू पशुओं के बारे में एक उदाहरण दूंगा। वह पशु किसानों की आमदनी के लिए या उसकी आय बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इसका फायदा होता है। इसका फायदा नहीं होता। परिवार बड़े हैं। दुधारू पशु का दूध सूख जाता है, वह दूध देना बन्द कर देते हैं। वह बेकार है और परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इस पशु के मालिक और लाभ प्राप्त करने वाले को पशु की चिकित्सा आदि कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें जो पशु दिया जाता है वह बहुत अच्छी नस्ल का होता है और उसे कुछ खास भोजन देना पड़ता है जो उपलब्ध नहीं होता। यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि लाभार्थी को अपना निर्वाह करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो महीने पहले मुस्लिम औरतों को 50 सिलाई मशीनें बांटी गई थीं। महोदया, आप जानती हैं, मुस्लिम औरतों पर कितने प्रतिबन्ध लगे होते हैं, वे काम पर नहीं जा सकतीं। परम्परागत परिवारों की औरतें काम के लिए बाहर नहीं जातीं और मशीनें उनके घरों में लगा दी गई। लेकिन उनके पास काम नहीं है। वे इन मशीनों का क्या करें? केवल इतना ही नहीं है। उन्हें सिलाई सिखाई जानी चाहिए ताकि वे अच्छा काम कर सकें। लेकिन इन कार्यक्रमों में ऐसी सुविधा नहीं है। अत: इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। हम चाहें या न चाहें हर जगह कीमतें बढ़ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने करदाताओं को 4000 रुपए तक की छूट दी है। सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की गई है। क्या वृद्धि उसी हिसाब से की गई

[श्री रणजीत सिंह गायकवाड़]

है जिस हिसाब से राहत दी जानी है हमें वह देखना है। अन्यथा लोगों की कठिनाइयां कभी खत्म ही नहीं होंगी।

शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है। मैं गरीब लोगों के लाभ संबंधी कार्यक्रमों की बात कर रहा हूं। पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक उन्हें अच्छी तरह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती वे इन विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं उठा सकते और वे देश के विकास में योगदान नहीं दे सकते। मैंने निर्धनों के बारे में बजट पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में लिखे गए लेख पढ़े हैं। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है उन्हें तो इसकी जानकारी भी नहीं है। जब हम निर्धनों के लिए काम कर रहे हैं, जब बजट निर्धनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो सर्वप्रथम हमें मूल-भूत ढांचा तैयार करना होगा, हमें उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। अन्यथा यह मृतक के शरीर में जान डालने के समान होगा। आप पैसा देते रहिए पर कोई विकास नहीं होगा। इस कार्यक्रम के लिए जो धन दिया गया है उसका कोई फायदा नहीं होगा और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि हम एक-एक पैसा किस तरह खर्च करें।

महोदया, जब शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण दिए जाते हैं, पुनः यह देखने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि जो ऋण दिया गया है उससे उस क्षेत्र में काम चलेगा या नहीं। एक ही जगह पर एक ही उत्पाद के लिए कई बार ऋण दिए गए हैं किन्तु इन उत्पादों के उत्पादन के परिव्यय के संबंध में कोई मूलभूत ढांचा तैयार नहीं किया गया है। निदेशक या वह व्यक्ति जिसके हाथ में परिव्यय संबंधी काम होता है वह असहाय होता है क्योंकि उसकी सहायता के लिए कोई तन्त्र नहीं होता।

मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि परामर्शदात्री इकाइयां बनाई जानी चाहिए जहां लोग जा सकें और इस बारे में सही सलाह ले सकें कि वे अपना काम किस तरह बढ़ाएं ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हें बड़े नगरों या बड़े केन्द्रों पर निर्भर न रहना पड़े और उनका और धन व्यर्थ न जाए। कुछ लोगों ने कहा है कि राज सहायता देने का कोई फायदा नहीं है। राज सहायता देने की प्रणाली में बहुत गलत तरीके अपनाए जाते हैं। मेरा सुझाव है कि यह सहायता ऋण के रूप में दी जानी चाहिए जिसमें 90% राज सहायता शामिल हो।

महोदया, हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु इसके विपरीत हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि और खाद्य वृद्धि की तुलना करें तो हमें अब भी बहुत प्रयास करने होंगे।

महोदया, अब मैं किसानों की बात करता हूं। किसान देश में सबसे अधिक परिश्रम करने वालों में से हैं और फिर भी वे सबसे गरीब हैं। साथ ही वह अशिक्षित भी हैं और कई स्थानों पर किसान खेती के नए तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इसलिए हमारी कृषि देश के कई क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है। यहां तक कि इस्राइल जैसा देश भी जहां कि मिट्टी अच्छी नहीं है और वहां पानी भी नहीं है, उन्होंने अपने कृषि उत्पादों को बढ़ाया है। शिक्षा के कारण वे नए तरीके अपनाने को तैयार थे और यदि हमें आत्म-निर्भर बनना है तो हमें भी ऐसा ही करना होगा।

महोदया, मैं अब अपने राज्य गुजरात के बारे में कहूंगा, जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए और अब हमें विशेषकर राज्य के उत्तरी भाग में सूखे का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाएगी और इसलिए आने वाले दिनों में कठिनाई का सामना करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जबकि पानी की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। मेरे विचार में कर संबंधी कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति स्वयं इन्हें समझ सके और उसे उन एजेंसियों पर निर्भर न रहना पड़े जो उसे लूटती हैं। कानूनों को सरल बनाने से कोई भी व्यक्ति स्वयं हिसाब लगा सकेगा और उसे कर देने के लिए गणना कराने हेतु एजेंसियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।··· (व्यवधान)

हमारी संस्कृति हमारी सबसे महत्वपूर्ण बपौती है। हमारी संस्कृति की विश्व में किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जा सकती। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस गतिविधि के लिए कुछ राशि आवंटित की है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जिन लोगों ने कला में निपुणता हासिल कर ली है और वे श्रेष्ठ कलाकार हैं उन्हें आय कर देने से छूट दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है और कलाकार के रूप में कलाकार की जिंदगी भी ज्यादा बड़ी नहीं होती। एक तरह से यह उनका सम्मान है और यही लोग हमारी संस्कृति और कला के दूत बनकर विदेशों में जाते हैं। मैं समझता हूं कि हम उनके ऋणी हैं।

बहरहाल, रेलवे बजट सामान्य बजट से सम्बन्धित नहीं है। सरकार ने विकास केन्द्रों की घोषणा की है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें रेलवे ने विकास सम्बन्धी परियोजनाएं बनाई हैं लेकिन पैसे का उपयोग दूसरे पहलुओं से नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ जोड़ा जाये क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि जब हम एक पैसा भी खर्च करते हैं तो हमें दो बार सोचना पड़ता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सामान्य बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, मैं बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि अपने स्वरूप में यह पूर्णतया जन-विरोधी है। लेकिन यह इस सरकार के, जिसने बजट प्रस्तुत किया है, स्वभाव के अनुरूप है, क्योंकि सरकार जन-विरोधी है। अतः आवश्यक रूप से बजट को जन-विरोधी होना ही है।

महोदया, बजट के आत्म प्रशंसनीय अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद यह यह नहीं इंगित करता कि भारत के विकास के लिए बजट में किए गए निर्धारण से किस प्रकार लाभ उठाया जायेगा या साधनों को किस तरह जुटाया जायेगा, बल्कि उन्हें तो अपेक्षाकृत निष्क्रिय ही किया जायेगा। यह बजट उस दल द्वारा लाया गया है जिसका शासन करने वाला गुट समाजवाद में विश्वास नहीं करता, जबकि वह समाज के समाजवादी रूप के सम्बन्ध में केवल मौखिक बातें ही करते हैं। वे सरकारी उपक्रमों के लगाने में विश्वास नहीं रखता है और जो इनको आवश्यक धन न देकर इसे धीरे-धीरे समाप्त करेगा जो यह सोचता है कि विकास का इंजन अमीरों और पूंजीपतियों के हाथ में होना चाहिए, जिसका कि यह प्रतिनिधित्व करता है।

[श्री अमल दत्त]

यहां आश्चर्यजनक रूप से उनका अपना दर्शन और उनका अपना लाभ विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूंजीपतियों के गुट से मेल खाते हैं जो कि उसी अनुरूप देश को चलाना चाहते हैं। बजट के द्वारा क्या आर्थिक दिशा प्रदान की जाये, इस मामले में सत्ताधारी दल का वर्ग हित साम्राज्यवादी निर्देशों के साथ मेल खाता है चूंकि दल में विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, अत: मैं शासन करने वाले गुट की बात करता हूं। वे सोचते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों की कमी होनी ही नहीं चाहिए थी। यह उनके पूर्वाधिकारियों का एक मौलिक पाप था जिनकी परम्परा के उत्तराधिकारी होने का दावा वे करते हैं तथा सदैव उसको खोजा करते हैं और जिसके आधार पर आज वे शासन कर रहे हैं। पहले-पहल सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना करके उन्होंने मूलभूत गलती की थी। लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर, वे इसे त्याग नहीं सकते और इसीलिए वह इसके लिए धन की व्यवस्था न करके कमजोर करना चाहते हैं कि अन्ततः सरकार केवल उन्हीं उद्योगों के देखरेख हेतु रह जायेगी जो कि बुनियादी ढांचे के उद्योग हैं तथा पूंजीपतियों को जिन पर आवश्यक रूप से निर्भर रहना पड़ेगा।

जहां तक इस गुट का सम्बन्ध है, इसकी दूसरी बुराई किसानों को और खाद्य पदार्थ के उपभोक्ताओं और खेतिहरों द्वारा उत्पादित माल का उपयोग करने वालों को दी गई छूट है। इन लोगों के अनुसार यदि इन रियायतों से छुटकारा पा लिया गया होता तो देश तेज गति से प्रगति कर सकता था और विकासशील उपक्रमों में अधिक साधन लगाये जा सकते थे। इस बात का विचार किये बिना कि लोग, जिनके लिए उपक्रमों का विकास होना है तथा अर्थव्यवस्था विकसित होनी है, वे गरीबी की रेखा के नीचे भी जहां पर वह इस समय कराह रहे हैं, और अधिक नहीं टिक पाएंगे। और चूंकि विकास के इंजन को पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण में रहना है, अत: सभी नियंत्रणों को समाप्त किया जाना चाहिए। लाइसेंस प्रणाली, 'एम० आर० टी० पी०', 'फेरा' और आयातों पर सभी प्रकार के नियंत्रणों, सहयोगों पर प्रतिबन्ध, विदेशी तकनीक के आयात पर जहां तक सम्भव हो इन सभी को समाप्त किया जाए और उन्होंने ऐसा पिछले बजट में किया था। उस समय वे इस सदन में प्रचण्ड बहुमत प्राप्त करने के सुखायास में थे। जिसकी कि उन्होंने गलती में प्रचण्ड जनादेश मान लिया था और उसके पश्चात् लगातार महत्वपूर्ण चुनावों और चुनावों में उनकी हार ने उनको गलत साबित कर दिया है। लेकिन फिर भी वे उस दर्शन से छुटकारा नहीं पा सकते हैं और वे अभी भी इस विचार में हैं कि सार्वजनिक उपक्रम को धीरे-धीरे छोड़कर और निजी उपक्रम को अधिक महत्व देकर, इसको विकास का इंजन बनाकर वे भारत को लगातार विकास के मार्ग पर ले जाएंगे, वास्तव में ऐसा वे पूंजीवादी को मार्ग पर चलकर न कि समाजवादी मार्ग पर चलकर कर पाएंगे। वे सदैव समाजवादी नारे लगाया करते हैं। इसका एक उदाहरण है उनके द्वारा प्रतिपादित दीर्घ अवधि की वित्तीय नीति जिसमें फंस कर उन्होंने अपने हाथ बांध लिए हैं और संसाधन नहीं जुटा पाएंगे से संसाधनों को जुटाने के लिए लचीलापन समाप्त हो चुका है। प्रत्यक्ष करों को अब और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं श्री अमल दत्त की बात को सही कर सकता हूं? यदि वह निगमित करों सम्बन्धी दीर्घकालीन अवधि की वित्तीय नीति के सम्बन्ध में पढ़ें, तो यह कहती है कि हम इन्हें कम नहीं करेंगे। यह बात कही गई है।

श्री अमल दत्त : आय कर को कम किया जा सकता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : व्यक्तिगत आय कर के सम्बन्ध में हमने यह बात कही है कि हम इसे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन निगमित क्षेत्र के सम्बन्ध में हम कह चुके हैं कि हम कर कम नहीं करेंगे, न ही उन्हें घटाएंगे। इस बात को वहां पर कहा गया है। कृपया आप इसे पढ़ें।

प्रो० मधु दण्डवते : न्यूनाधिक रूप से इसका तात्पर्य प्रत्यक्ष करों को वहीं स्थिर रखना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यहां केवल वास्तविक मामले में मैंने हस्तक्षेप किया है।

श्री अमल दत्त : कर व्यवस्था को लचीला और अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता के अनुकूल बनाने की अपनी ही शक्तियों पर उन्होंने प्रतिबन्ध लगा लिया है।

उन्होंने वृद्धि पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि वृद्धि दर कम नहीं की है। परन्तु उन्होंने यह संकेत दिया है और मुझे विश्वास है कि वे इस पर दृढ़ रहेंगे क्योंकि ये एक ही श्रेणी के लोगों के मध्य हुए समझौते हैं और इनका पालन होना चाहिए कि निगम कर यथावत् रहेंगे। वास्तव में अधि-कर अगले वर्ष से समाप्त हो जाएंगे। पर मैं सोचता हूं आप स्रोत नहीं जुटा सकते।

बजट प्रावधानों द्वारा अप्रत्यक्ष कर लगाकर जो संसाधन जुटाए जाने थे, उनको आकलित कीमतों में वृद्धि के कारण गहरा धक्का लगा। कीमतों में इस वृद्धि के बाद भारत बन्द हुआ और इसके परिणामस्वरूप खलबली पैदा हुई। अतः उसमें शीघ्र परिवर्तन करना पड़ा और बजट में जिन अप्रत्यक्ष करों की कल्पना की गई थी उनको उसी समय छोड़ना पड़ा और कम कर दिया गया। अतः निगम कर पर अधिकर लगाए जाने के दूसरे वायदे को भी पूरा नहीं किया जा सका। अथवा क्या यह आय कर है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कृपया बजट को और अधिक विस्तार से पढ़िए।

श्री अमल दत्त : प्रत्यक्ष कर संग्रहण में उन्होंने मात्र 21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के संग्रहण का प्रावधान किया है। मैं सोचता हूं कि शायद पिछले साल को छोड़कर जिसमें प्रत्यक्ष कर संग्रह कम होने के कारण मात्रा कम रही, इतना कम प्रावधान कभी नहीं किया गया।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, केवल 468 करोड़ रुपये का संग्रहण किया जा रहा है। यह भी बहुत कम राशि है। जैसा कि मैंने कहा है, कुछ आबकारी शुल्कों की प्राप्ति की कल्पना की गई थी, परन्तु उनसे बजट पूर्व हुए आन्दोलनों के कारण छुटकारा पा लेने के कारण इसे कम रखना पड़ा।

विकास कार्य कुछ विशेष वर्गों, निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं होने दिया जाएगा बल्कि इसे एक दिशा विशेष में ले जाना होगा। वह दिशा कौन सी है? इसको उन वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा जो ऐश्वर्य उपभोग के लिए प्रयुक्त की जाती हैं और जिनका निर्यात किया जा सकता है। अतः नियन्त्रण में तथा प्रौद्योगिकी आयात में यह सब ढील देनी पड़ी और मशीनों का

[श्री अमल दत्त]

आयात करना पड़ा और यह सब इस हद तक हुआ है कि निजी उद्यमियों ने जो मशीन निर्माण में लगे हुए हैं, एतराज करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि इस वर्ष मशीनी आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस पर कुछ आयात शुल्क भी लगा दिया गया है।

2.00 म० प०

मैंने सोचा था कि एक ऐसे देश में जहां अधिकांश लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती-बाड़ी है, बजट में कृषि के बारे में बहुत अधिक पंक्तियां और पैरे दिये जाएंगे, बजट में केवल इतना ही कहा गया है कि खाद्य तेलों और चीनी के बड़े पैमाने पर आयात से यह पता चलता है कि हमारी फसल प्रणाली असंतुलित है। खाद्यान्नों दूसरी फसलों तथा अन्य खाद्यान्नों की वृद्धि की सम्भावना के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्षेत्रीय असमानता को, जो मूल ढांचे को बहुत क्षति पहुंचा रही है, दूर करने के लिए क्या किया जाए ये भी नहीं कहा गया है। 100-120 लाख टन गेहूं और चावल पंजाब तथा हरियाणा से देश के सभी भागों को ले जाना पड़ता है। 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और हमारे पास इतने स्रोत नहीं हैं। इसलिए इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए और बजट में भी इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए। इसका कुछ महत्व नहीं है। कितने दुःख का विषय है। जब भी वे खाद्य तेलों के विषय में बात करते हैं, जो विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण पीड़ाकर लगता है। तो वे केवल 'माइनर आयल सीड्स' की बात करते हैं। परन्तु ताड़ के तेल की उपज बढ़ाने में यह देश कितना सक्षम है, इस बात की पूर्ण उपेक्षा कर दी गई है।

कृषि क्षेत्र में, खाद्यान्न क्षेत्र में क्या हुआ जिसके लिए सरकार स्वयं अपनी पीठ ठोंक रही है? इस वर्ष हम 1500 लाख टन अनाज पैदा करने की आशा कर रहे हैं जो दो वर्ष पहले की तुलना में 20 लाख टन कम है। 1983-84 में पैदावार 1520 लाख टन थी। 1984-85 में यह कम होकर 1460 लाख टन रह गई और इस वर्ष 1500 लाख टन होने की आशा है। यह कहा गया है कि उन्होंने पैदावार को 1960-61 में 820 लाख टन से बढ़ा कर 1500 लाख टन करके बड़ा कार्य कर दिया है जबकि पिछले तीन सालों से पैदावार यहीं स्थिर है। इस महान उपलब्धि के लिए सरकार स्वयं को बधाई देने से कभी नहीं चूकती। पर जहां तक जनता का सम्बन्ध है, अभी तक क्या हुआ है? प्रति व्यक्ति कितना मिलता है, प्रति व्यक्ति उपलब्धि कितनी है? यदि आप वर्तमान जनसंख्या को लें और 1961 की जनसंख्या को लें तथा साथ ही 1961 के खाद्यान्न उत्पादन तथा वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन को लें तो आप पाएंगे कि यह 187 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से बढ़कर 197 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गया है। उत्पादन इस हद तक बढ़ा है, 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। परन्तु उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि प्रति वर्ष हम कम से कम 100 लाख टन खाद्यान्नों का भंडारण कर रहे हैं। यदि आप इस मात्रा को उत्पादन आंकड़ों में से घटा दें तो यह 184 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष शेष रह जाता है। हरित क्रांति के बावजूद भी खाद्यान्नों की उपलब्धता कम है। और आप उस कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने में कभी सफल नहीं होंगे जिस पर लोग इसे खरीद और खा सकें, यदि आपको उन्हें 1500 किलोमीटर तक ले जाना पड़े और जब

तक आप क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक नहीं करते हैं जो कि शायद जान-बूझकर अपनाई गई नीतियों के कारण बढ़ा है, लेकिन सन्देह का लाभ आपको देते हुए मुझे यह कहना है कि आपको इस बात का पता ही नहीं था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

2.04 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निःसन्देह राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन कितनी ? वास्तव में इसमें प्रति वर्ष 1.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। 1960-61 से 1984 के दौरान विकास दर यही रही है। करीब 25 वर्ष से हमारा विकास इस दर से हुआ है। पिछली पंचवर्षीय योजना अवधि में विकास में प्रति वर्ष एक प्रतिशत से दस प्रतिशत तक का उतार-चढ़ाव हुआ है, छठी पंचवर्षीय योजना में इसका विकास पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक हुआ है। एकल राष्ट्रीय उत्पादन लगभग 3 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जिसमें उतार-चढ़ाव आता रहा है; औसतन यह 3.7 प्रतिशत है। परन्तु जनसंख्या में वृद्धि के कारण यह बेअसर हो जाता है।

जब मैं उनके गरीबी हटाने के दावे पर आता हूं। यह दावा इस सदन में तथा सदन के बाहर हर समय किया जाता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के शुरूआत के समय गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या 48 प्रतिशत थी। जिसे घटा कर सन् 1985 में 36.9 प्रतिशत कर दिया गया है। सबसे पहले 48 प्रतिशत का आंकड़ा स्वयं में सन्देहास्पद है क्योंकि इस सम्बन्ध में सदैव यह विवाद रहा है कि क्या यह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। फिर इस बारे में सन्देह है कि 37 प्रतिशत का आंकड़ा कैसे निकाला गया है, इस प्रयोजन के लिए किस प्रकार का नमूना सर्वेक्षण किया गया है। अब यह सभी सन्देहों से परे सिद्ध हो चुका है कि यह सम्भव नहीं है क्योंकि अनाज की जो कीमत मानी गई है वह सार्थक नहीं है। कलम के एक झटके से आपने अनाज की कीमतें बढ़ा दी हैं, तथा 1 अप्रैल से इन कीमतों में और वृद्धि की जायेगी। अनाज की प्रचलित कीमतें और अप्रैल से उनमें की जाने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आप अब यह दावा नहीं कर सकते कि गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 37 प्रतिशत रह गई है।

यदि आपके इन आंकड़ों को सही मान भी लिया जाये तो भी अनाज के मूल्यों में वृद्धि ही आपको पीछे धकेल देती है जहां से आपने आरम्भ किया था। लगभग 50 प्रतिशत लोग पुनः गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएंगे।

जैसा कि मैंने कहा यह धारणा उत्पन्न की जा रही है कि भारत समाजवाद की ओर बढ़ा है क्योंकि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण है। अर्थव्यवस्था में इसका मुख्य स्थान है। लेकिन आप तभी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जब आप सार्वजनिक क्षेत्र तथा पूंजी निवेश जैसी मूलभूत आवश्यकताओं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का लगभग 75 प्रतिशत है, पर विचार करें। लेकिन यह बात आप महसूस करेंगे और सराहेंगे कि निजी क्षेत्र, पूंजीपति वर्ग मूलभूत आव-

[श्री अमल दत्त]

श्यकताओं के क्षेत्र में पूंजी निवेश नहीं करेगा। वे ऐसा करने में कभी समर्थ नहीं थे और न ही वे अब ऐसा करेंगे।

वास्तविक स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 25 प्रतिशत उपक्रम वास्तव में निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वही कार्य कर रहे हैं जो निजी क्षेत्र कर सकता था जहां पर 25 प्रतिशत पूंजी निवेश लगभग 9000 करोड़ रुपये बैठता है जबकि देश के 20 बड़े औद्योगिक घरानों की निवेश पूंजी 12000 करोड़ रुपये से अधिक है।

अत: आप सहज यह अन्दाजा लगा सकते है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र की स्थिति क्या है। 9000 करोड़ रुपये के मुकाबले 20 बड़े घरानों की निवेश पूंजी 12000 करोड़ रुपये है और केवल दो बड़े घरानों—टाटा और बिरला—की निवेश पूंजी 5000 करोड़ रुपये है। सरकार, टाटा और बिरला से अपनी तुलना कैसे करती है? इन दोनों घरानों को मिला करके यह थोड़ी सी अधिक है। यही वह सब कुछ है जो कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका के सम्बन्ध में कर रही है।

यह दु:साहस किया गया है इस वर्ष के बजट में कि सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में वृद्धि नहीं की जायेगी जैसे कि पहले की जाती रही है। उन्होंने केवल मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परिव्यय में वृद्धि की है और अन्य क्षेत्रों में परिव्यय में कमी की गई है।

बजट में बहुत सारे दावे किये गये हैं। योजना परिव्यय में बढ़ोत्तरी। मैं नहीं जानता कि वे योजना परिव्यय में बढ़ोत्तरी कैसे करते हैं? यह भी एक विवादास्पद बात है चाहे आप बजट आंकलन या पुनरीक्षित आंकलन से तुलना करके देख लें और लोगों को बता दें कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप बजट आंकलन से तुलना करें और कहें आपने परिव्यय में वृद्धि की है उसी समय आपको लोगों के प्रति ईमानदार रहते हुए यह कहना चाहिए कि जहां तक पुनरीक्षित आंकलन का सम्बन्ध है वह कुछ कम है। पुनरीक्षित आंकलन के सम्बन्ध में रिकार्ड के लिए मैं आपके आंकड़े देता हूं।

यह पुनरीक्षित आंकलन से थोड़ा अधिक है। योजना परिव्यय के लिए पुनरीक्षित आंकलन 20,000 है और इसे बढ़ा कर 22,000 कर दिया गया है। यह अधिक है, इसके बारे में मुझे खेद है।

1984-85 की कीमतों के अनुसार 40 प्रतिशत पूंजी निवेश किया जाना था परन्तु दो वर्षों में 41.2 प्रतिशत पूंजी निवेश किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो परिकल्पना की गई थी उससे 1.2 प्रतिशत अधिक।

गरीबी हटाओ कार्यक्रम में 65 प्रतिशत वृद्धि होने का दावा है। मेरी माननीय सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी इस संबंध में पहले ही बोल चुकी हैं। मैं उस बात को फिर से नहीं दोहराऊंगा। परन्तु मेरे विचार से आंकड़ों में इस तरह की फेर-बदल नहीं होनी चाहिए थी। आपने पुनरीक्षित अनु-

मानित आंकड़े बताए हैं। अगर पिछले वर्ष तथा इस वर्ष का बजट अनुमान सही है तो पुनरीक्षित अनुमानित आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार इस सम्बन्ध में व्यवहार्य न्यूनतम खर्च कर रही है। उस पर 20 प्रतिशत वृद्धि की जा रही है।

इसके पश्चात मूल्य वृद्धि द्वारा 20 प्रतिशत की सूची बनानी होती है। गरीबी कम करने के विशाल कार्य को जो हमें करना था, मुकाबले में यह अल्प वृद्धि है। (व्यवधान)

महोदय, अब यह दावा किया गया है कि निर्धन व्यक्तियों को तंग किए बिना संसाधनों में वृद्धि की गई है। इससे ज्यादा और क्या मजाक हो सकता है। खाद्यान्न, मिट्टी के तेल, खाना पकाने की गैस की कीमतों में पहले ही वृद्धि हो चुकी है तथा लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। जब आप कहते हैं कि आप निर्धन व्यक्तियों को तंग किए बिना संसाधनों को बढ़ा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि वे पहले से ही अधिक कीमतें चुका रहे हैं। इसका प्रभाव व्यापक होगा। इसमें कोई शक नहीं है। अत: कीमतें बढ़ेंगी। सरकार को ज्यादा कर प्राप्त होगा। कीमतों में वृद्धि होगी। सरकार को करों से और भी ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी।

और यह कहा गया है कि घाटा पिछले वर्ष के स्तर के बराबर ही रखा गया है। यहां पर भी आंकड़ों की धोखाधड़ी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आंकड़ों की धोखाधड़ी पर मेरा एकाधिकार नहीं है।

श्री अमल दत्त : पुनरीक्षित आंकड़े 4800 करोड़ रुपयों के हैं। परन्तु यह एक महत्वपूर्ण मद को छोड़ने के बाद हैं और वह है 1600 करोड़ रुपये की रकम जोकि राज्यों को मध्यम अवधि के ऋण के रूप में दी जाती है। इसे पूर्णतया हटा दिया गया है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तथा फिर पुनरीक्षित आंकड़ों की तुलना करें तो घाटे में 90 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। आप वर्तमान घाटे पर वही नियम या अनुपात लागू करें तो वर्तमान घाटे की रकम 7,000 करोड़ रुपये होगी।

(व्यवधान)

और फिर यह कहा गया है कि मुद्रास्फीति रोकी गई है। यदि विभिन्न अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए तो यह घाटा और अधिक हो जाएगा क्योंकि बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशियां भी घाटा मानी जानी चाहिए। यह कहना कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम ज्यादा नोट छापें और खर्च करें क्योंकि हम मुद्रास्फीति को रोकने में समर्थ हैं यहां सिर्फ 7 या 8 प्रतिशत मुद्रास्फीति हुई है, यह सही नहीं है क्योंकि सच तो यह है कि आप दो महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं। आपने व्यापार अन्तर में लगभग 5000 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी है और आपको तेल का पर्याप्त भंडार मिल गया है। तेल निकालने के लिए भी मशीनें हमारे पास हैं। हमने इसमें बहुत ही कम इजाफा किया है तथा क्षेम आ रहा है। यह अच्छा है परन्तु वित्त मंत्री जी को इसकी जटिलता को समझना चाहिए। उन्हें स्वयं ही सहमत होना चाहिए तथा स्वीकार करना चाहिए कि तेल निकालने में इस वृद्धि को

[श्री अमल दत्त]

कायम नहीं रखा जा सकेगा। हो सकता है इस वर्ष यह कायम रहे परन्तु अगले वर्ष क्या होगा। अगर आप तेल उत्पादन के विकास को जारी नहीं रख सकते तथा व्यापार अन्तर को बनाए रखेंगे जोकि पिछले वर्ष का तो हम क्या करेंगे। हमें आयात करना पड़ेगा। व्यापार में आने वाली कठिनाइयों की वजह से हम अपना निर्यात नहीं बढ़ा सकते। वे सभी देश जो हमसे निर्यात अधिक करने की बात कहते हैं, स्वयं ही व्यापार में ज्यादा कठिनाइयां पैदा करते हैं जिसके फलस्वरूप हम निर्यात करने में असमर्थ होते हैं। परन्तु इसी बीच हम ज्यादा आयात कर रहे हैं। इससे क्या होगा ? हम जानते हैं कि लेटिन अमरीका के देश किस प्रकार से कर्ज में डूबे हुए हैं तथा यही हालत हमारी भी होने वाली है।

पिछले वर्ष के बजट नीति को उदार बनाने आदि का क्या असर हुआ, एम० आर० टी० पी० से छूट सीमा में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि करने के लिए कहा गया, 'फेरा' के अन्तर्गत उद्योग विहीन तथा पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने के लिए काफी सुविधाएं दी गई। वास्तव में हुआ क्या है ? कितने लोगों ने उद्योग लगाये हैं ? इस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है ? यद्यपि लाइसेंस दिए गए हैं परन्तु उद्योगों की स्थापना नहीं की गई है ? मुझे बताया गया है कि प्रभाव अभी तक देखे नहीं गए हैं तथा इनका प्रभाव पड़ने का प्रश्न भी नहीं है।

सहयोग करने सम्बन्धी समझौतों की संख्या सैकड़ों हजारों में आ रही है तथा इसमें 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि इसके लिए द्वार खोल दिए गए हैं। इस सदन में एक प्रश्न आया था कि हमने एक ऐसी तकनीक के लिए भुगतान किया जो कि देश में ही उपलब्ध है—मैं 'सिलिकान' तकनीक की बात कर रहा हूं। उस विशेष तरीके से जितना भी उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा जो सुविधाएं मौजूद हैं उसके द्वारा इस महीने की पहली तारीख से उत्पादन करना शुरू हो गया है। अगर इसे विद्युत की आपूर्ति पहले कर दी होती तो उत्पादन और भी जल्दी होना शुरू हो जाता। इसी तकनीक के लिए हमने 20 लाख अमरीकी डालर का भुगतान किया था। हम लोग बाहर के देशों में जो हो रहा है उसे अपनाने के इच्छुक हैं। एक और उदाहरण है नई शिक्षा नीति के तहत, स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दिए जाने की बात की जा रही है। सरकार के आंकलन के अनुसार, मुझे पता चला है कि पहले चरण में लगभग 100,000 कम्प्यूटरों की आवश्यकता पड़ेगी तथा दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में और भी ज्यादा कम्प्यूटरों की आवश्यकता होगी। इस प्रारम्भिक 100,000 कम्प्यूटरों की खरीद के लिए शिक्षा मन्त्री विदेशों में जाएंगे तथा संभवतः पुराने वाले कम्प्यूटरों को इसलिए रद्द कर देंगे कि बाहर से कम्प्यूटरों को मंगाने की जल्दी है। क्या हमारे यहां लोग नहीं हैं जोकि स्कूली कम्प्यूटर बना सकें ? अगर कोई चीज भारतीय मिल सकती है तो वह रद्दी है और यदि विदेशी है तो अच्छी है।

मुझे औद्योगिक रुग्णता के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। आजकल सैकड़ों हजारों कम्पनियां जिनमें से 80 प्रतिशत छोटी इकाइयां हैं, रुग्ण हैं। उनके रुग्ण होने का क्या कारण है ? भारतीय रिजर्व बैंक की जांच-पड़ताल से पता चला है कि अधिकतर लघु उद्योग शुरू ही रुग्ण अवस्था में होते हैं। उनकी जांच के अनुसार 56 प्रतिशत इकाइयां शुरू से ही रुग्ण होती हैं। इसका कारण है कि

उद्योगों को स्थापित करने तथा चालू करने में वित्तीय संस्थानों तथा सरकार द्वारा विलम्ब किया जाता। इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सच तो यह है कि इस बारे में कोई नीति नहीं है। हम लोग यह जानने के लिए वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों के पास जाते रहे हैं कि उन उद्योगों का क्या होगा जो बन्द हो चुके हैं या फिर बन्द होने की हालत में हैं। हम नहीं जानते कितने लोगों का पूरी तरह से या आंशिक रूप में रोजगार खत्म हुआ है। क्योंकि ये सैकड़ों हजारों इकाइयां बन्द हो गई हैं। इनकी संख्या लगभग··· (व्यवधान)

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में कुछ शब्द कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा जिसके लिए आपने वास्तव में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसमें इस हद तक खामियां हैं कि मैं नहीं समझता कि इस कार्यक्रम से 10 प्रतिशत से भी अधिक लोगों को फायदा हुआ हो और गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ हुए हों। इस कार्यक्रम के बारे में यह उल्लेखनीय बात है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 165 लाख लाभ प्राप्त करने वालों में से एक तिहाई दुधारू पशुओं के लिए चला गया। इसका अर्थ हुआ कि पांच वर्ष की अवधि में 50 लाख दुधारू पशुओं को बेचा एवं खरीदा गया है। परन्तु पांच वर्षों की अवधि में 50 लाख पशु उपलब्ध नहीं हैं। हमें यह मालूम है क्योंकि हमने लोगों की जांच की है। मैं लोक लेखा समिति का सदस्य हूं तथा देश के कई भागों का हमने दौरा किया है। यह पाया गया कि एक ही दुधारू पशु को 5 से 10 दफे बेचा गया। ऐसा बैंक कर्मचारियों, लाभ लेने वाले व्यक्तियों, ब्लाक स्तर के लोगों तथा विभिन्न अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। इससे बच निकलने का तरीका है स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि पंचायत आदि को इस काम से संबद्ध करना। यह रिजर्व बैंक तथा ग्रामीण विकास विभाग के मूल निदेश हैं। परन्तु खेद की बात है कि लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का पता लगाने तथा रिजर्व बैंक द्वारा बतायी गई प्रक्रिया को सिर्फ पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में ही अपनाया गया है जिन्हें कि आप अछूत समझते हैं। अन्य राज्यों में इस तरह की पहचान का कार्य नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

इसका परिणाम क्या रहा ? परिणामस्वरूप 'लोन दरबार' जिन्हें कि 'लोन मेले' के नाम से जाना जाता है लगाए गए थे जिनमें कुछ मंत्रियों या राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्तियों की सहायता से ऋण दिए गए। यह गरीबी कम करने का तरीका नहीं है। अगर आप अपनी बनाई प्रक्रियाओं का स्वयं पालन नहीं कर सकते तो इस तरह के ऋण बांटने वाले मेले लगाने बंद करिए।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आप ऋण मेलों को बंद करवाने के क्यों इच्छुक हैं ? इन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए। गरीब लोगों के उत्थान के लिए इनको जारी रखना चाहिए। ये लोग एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हैं··· (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आपके लिए गरीब लोग वे हैं जिनके कागजों पर आप दस्तखत करती हैं।

[श्री अमल दत्त]

लघु स्तर के उद्योगों को और अधिक रियायतें दी जानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि सीमा को बढ़ा कर आपने लघु क्षेत्र के उद्योगों को काफी लाभ पहुंचाया है। अगर आपने सीमा को कम कर दिया होता अथवा संभवतः उन्हें क, ख, ग श्रेणी में बांट दिया होता तो छोटे लोगों को वरीयता मिलती। अब क्या होने वाला है? सम्पूर्ण लघु स्तर उद्योग क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत आ गया है तथा सारा फायदा बड़ी इकाइयों को जाएगा यानि की जो लघु क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हैं। जो निम्न स्तर के हैं, वे 20,000, 25,000 या फिर 50,000 अथवा एक लाख रुपये से व्यापार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। शायद आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि इन लघु क्षेत्र की इकाइयों को किसी भी रूप में कुछ अतिरिक्त फायदा दिया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके।

मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं केवल एक शब्द कहना चाहूंगा। मेरे विचार से महिला सदस्या को व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाना चाहिए। वह बाधा डाल रही थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बाधा न डालें। ये मत समझिए कि मैं महिला सदस्य का समर्थन या वकालत कर रहा हूं। आप सब अपनी बारी आने पर बोलिए। कृपया बाधा मत डालिए।

***श्रीमती बसव राजेश्वरी** (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1986-87 के सामान्य बजट का पूरे हृदय से स्वागत करती हूं। यह एक अद्वितीय बजट है क्योंकि इस बजट का मुख्य उद्देश्य इस देश से गरीबी को जड़ से खत्म करना है। हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का सपना था कि गरीबी को इस देश से पूर्णतया हटा दिया जाए। इस बजट का लक्ष्य स्वर्गीय श्रीमती गांधी के सपनों को साकार बनाना है। इस देश की जनता का रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाने की पूर्ण जिम्मेदारी हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस बजट में पूरी कोशिश की गई है।

इस बजट में करों में किए गए सुधार का सभी ने स्वागत किया है। मैं संशोधित मूल्य संवर्धित कर की प्रशंसा व उसका स्वागत करती हूं इससे सरकार को अच्छी आय प्राप्त होगी और लोगों को कर से बचने का मौका नहीं मिलेगा। जिन सभी 37 मदों का उल्लेख करों के अधीन किया गया है, वे सराहनीय है। उत्पादक करों का भुगतान करते हैं और उन्हें इसका लाभ तैयार माल के रूप में मिलता है। यह प्रणाली सभी स्तरों पर होनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि उत्पादकों की भांति उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। आम आदमी को उत्पाद-शुल्क के अधीन आने वाली इन सभी 37 मदों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। इससे सरकार को कर चोरी रोकने में सहायता मिलेगी।

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारी सरकार लघु उद्योग धन्धों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े पैमाने पर सहायता देने के लिए आगे आई है। औद्योगिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। माननीय मन्त्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योग धन्धों को अधिक छूट दी है। इससे ग्रामीण बेरोजगारों को नौकरियां प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे उस क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करने में भी सहायता मिलेगी। यह एक प्रगतिशील कदम है जो देश में आर्थिक ढांचे के संतुलन को बनाये रखेगा।

सरकार ने 'उद्योग विहीन जिलों' का पता लगाने और उन क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु उनकी सहायता करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। यह कार्य कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे देश में किया गया है। प्रत्येक राज्य में लगभग 14 से 16 जिले उद्योग रहित जिले घोषित किए गए हैं और वे केन्द्र से विशेष सहायता प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक राज्य के मामले में अन्याय हुआ है इससे राज्य के लोगों के लिए अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कच्चे माल का उचित प्रकार से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं मन्त्री जी से आग्रह करती हूं वे प्रत्येक प्रखण्ड को एक इकाई समझें और ऐसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता करें। प्रत्येक जिले में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम अवश्य होना चाहिए। सरकार का यह प्रस्ताव राष्ट्र के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। इस नीति को ईमानदारी से लागू किया जाना है और कम से कम प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी अवश्य दी जानी चाहिए यह बहुत आवश्यक है क्योंकि गरीबी अधिकतर ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्रों में अधिक होती है। उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाना है।

हमारी सरकार ने इस बजट में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी है। मैं वित्त मन्त्री को इस विषय में उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं मन्त्री जी का ध्यान ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए निर्धारित धनराशि के दुरुपयोग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। कई सदस्यों ने पहले भी इस धन के दुरुपयोगों का उल्लेख किया है। यह दुरुपयोग चाहे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम या बाढ़ राहत या सूखा राहत, या ग्रामीण विकास, या वनों के विकास के धन का हो, इसको हमेशा के लिए अवश्य ही समाप्त करना चाहिए। कुप्रबन्ध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। वे एजेन्ट प्रतिनिधि या राजनीतिज्ञ हो सकते हैं अगर वह धन का दुरुपयोग करने में शामिल हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

अन्य मुख्य विषय जिस पर मैं बल देना चाहूंगी वह है ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई। विशेषरूप से महिलाओं के लिए। जब कभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में जाती हूं महिलाओं का समूह मुझे घेर लेता है और वे वर्तमान स्वच्छता प्रणाली की निराशाजनक स्थिति के बारे में बताती हैं। वे रोती हैं और इस सम्बन्ध में कुछ करने के लिए प्रार्थना करती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं प्रत्येक गांव में कम से कम शौचघर उपलब्ध करवाने की योजना बनाये।

गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। समस्यामूलक गांवों का पता लगाना होगा और उनको पीने के पानी की सुविधा देनी होगी। मैं आशा

[श्रीमती बसव राजेश्वरी]

करती हूं कि 7वीं योजना के अन्त तक हमारी सरकार देश के सभी गांवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा देगी।

यह बहुत अधिक प्रशंसनीय है कि सरकार ने इन्दिरा आवास योजना के अधीन गरीबों को रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की एक नई योजना बनाई है। मैं सरकार के इस विचार की प्रशंसा करती हूं हमारे देश में गत 40 से 50 सालों से लाखों लोग गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं। इंदिरा आवास योजना गन्दी बस्ती में रहने वालों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। लेकिन यह सुविधा केवल कुछ जातियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। यह सुविधा उन सभी लोगों के लिए होनी चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इस बजट में गरीब मोचियों, रिक्शा चलाने वालों तथा अन्य पद-दलितों की सहायता के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए काफी प्रावधान किया गया है।

बैंक सारे देश में जरूरतमंद लोगों को ऋण वितरण करने में सहायता कर रहे हैं। ऋण वितरण की देखभाल के लिए कार्यबल है। लेकिन कई बार लोगों को एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए कहते हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी वह प्रत्येक बैंक के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। अन्यथा बैंक कर्मचारी कहेंगे कि उनके पास ऋण देने के लिए पर्याप्त निधि नहीं है। इसलिए हमारी सरकार को बैंकों को समयबद्ध कार्यक्रम अपनाने के लिए कहना चाहिए। अन्यथा ऋणों के वितरण में कई बाधाएं आएंगी। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। लोग तभी गरीबी दूर करने और कृषि के लिए ऋण प्राप्त हो सकते हैं। दीर्घकालिक कृषि मूल्य नीति और दीर्घकालिक वित्तीय नीति बहुत प्रोत्साहित करने वाली है। लेकिन आजकल खेती करना बहुत महंगा हो गया है। उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां भी बहुत महंगी हो गई हैं। किसान भी नहीं जानते कि किस वर्ष उन्हें कौन-सी फसल बोनी चाहिए। गन्ने का अधिक उत्पादन होने पर गन्ने को जलाने के उदाहरण हैं। कभी-कभी तिलहनों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। इस कारण से कृषि वस्तुओं के उत्पादन में सन्तुलन नहीं रखा जा सकता। कई बार किसान अधिक पैसा कमाने के लिए नकदी फसलें बो देते हैं। जिसके फलस्वरूप पशुओं के लिए हरे चारे की कमी हो जाती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर फसलों की प्रणाली बनाई जाए। इसके लिए किसान प्रतिनिधियों, नेताओं और सम्बन्धित संस्थाओं से परामर्श किया जा सकता है।

इस बजट में तिलहनों के उत्पादकों को अच्छा प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन कुछ तिलहनों को छोड़ दिया गया है। उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्र को राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए और दालों और तिलहनों के उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

कर्नाटक, महाराष्ट्र और कुछ दूसरे राज्य काफी मात्रा में कपास पैदा करते हैं। वारा लक्ष्मी और डी० सी० एफ० 34 कपास की सबसे बढ़िया किस्में हैं। किसान ऐसी उच्च कोटि की कपास पैदा करने पर अधिक मात्रा में निवेश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश फसल को सफेद मक्खी द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिससे उत्पादन बहुत कम हो गया है। किसान 10 से 20 क्विंटल उपज प्राप्त

करने की बजाय 2 से 3 क्विंटल प्राप्त कर रहे हैं। इस समस्या का तुरन्त समाधान करना चाहिए। बाजार मूल्य कम हो गया है। अतः केन्द्र को भारतीय कपास निगम को सभी प्रकार की आर्थिक सहायता देनी चाहिए जिससे वह उत्पादकों की अधिक से अधिक कपास खरीद सकें। इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को उनके द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान साधारण ब्याज के साथ तीन किश्तों में करने की अनुमति देनी चाहिए। वह ऋण का भुगतान एक ही किश्त में नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त किसानों को अगले वर्ष बोई जाने वाली फसल के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

विजयनगर इस्पात परियोजना की कर्नाटक के लोगों द्वारा लम्बे अर्से से मांग की जा रही है। हमारी प्रसिद्ध स्वर्गीय नेता श्रीमती गांधी द्वारा एक दशक पहले इस्पात योजना की आधारशिला रखी गई थी। बेलरी जिले में अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो दशकों तक प्रयोग करने पर भी समाप्त नहीं होगा। बेलरी जिले के लोग मुख्यतः वर्षा पर निर्भर हैं और उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि विजय नगर इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना अभी छोड़ी नहीं गयी है। कर्नाटक के लोग इस परियोजना की स्थापना में हो रही देरी के कारण बहुत बेचैन हैं हम सब देरी के कारण निराश हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से नम्र निवेदन करती हूं कि यदि आवश्यक हो तो इस योजना को स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करें। मैं सरकार से आशा करती हूं वह सभी आवश्यक कदम उठाएगी और विजयनगर इस्पात योजना को यथासम्भव शीघ्र स्थापित करेगी। महोदय, मैं आपकी धन्यवादी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का यह मौका दिया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : माननीय वित्त मन्त्री ने एक महत्वपूर्ण पत्रिका के वरिष्ठ सम्पादक को एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि "लोग सरकार का मूल्यांकन इस आधार पर करेंगे कि वह देश की प्रगति के लिए समग्र रूप से क्या कर रही हैं, विपक्ष का एक बन्द अर्थव्यवस्था को उत्पादन में 450 करोड़ की हानि पहुंचाता है जबकि पैट्रोलियम उत्पादों से हमने 530 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है।" इस एक वाक्य द्वारा वित्त मन्त्री ने बजट सत्र के शुरू होने के कुछ समय पहले आकलित कीमतों में वृद्धि को उचित ठहराया है और विपक्ष द्वारा आकलित कीमतों के बारे में तथा इनमें वृद्धि करने के एकदम अनुचित तरीके के प्रति जनता की भावनाएं मुखर करने के निर्णय की आलोचना की है। मेरे विचार से वित्त मंत्री जी को महसूस करना चाहिए कि यह देश संसदीय प्रजातन्त्र की एक पद्धति के अनुरूप काम कर रहा है तथा संविधान के अन्तर्गत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जो संसदीय परम्पराओं के पालन का बहुत महत्व है। एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि बिना प्रतिवेदन कोई कर न लगाया जाए। लेकिन यहां अतिरिक्त कराधान के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि एकत्रित की गई है। मैंने जानबूझकर "अतिरिक्त कराधान" शब्द का इस्तेमाल किया है जबकि उनका कहना है कि ये बढ़े हुए आकलित मूल्य हैं। इस वृद्धि से कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए उगाहे गए जबकि बजट प्रस्तावों द्वारा कराधान के माध्यम से राजस्व में केवल 450 करोड़ के लगभग ही वृद्धि होगी। इतनी तेजी से वृद्धि करने की क्या जल्दी थी? सरकार को किसी भी चीज को पूर्वप्रभावी समय से लागू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं

[श्री एच० एम० पटेल]

होती ? इसे भी छोड़िए, मामले में इतनी जल्दी करने के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा गया। वे इसके संसद में प्रस्तुत कर सकते थे ताकि चर्चा की जा सकती। बजट भाषण में वित्त मन्त्री जी ने क्या कहा है ? वह एक असाधारण वक्तव्य है। उन्होंने कहा था कि उनका सभा में आकलित मूल्यों पर एक नीति परिपत्र प्रस्तुत करने का विचार है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर खुली चर्चा हुई है। और यह चर्चा तब शुरू हुई जब निर्धारित कीमतों में वृद्धि हो चुकी थी और यह वृद्धि इतनी अधिक थी कि देश भर में जनता के प्रत्येक वर्ग में क्रोध की भावना भड़क उठी। अगर विपक्ष इस असंतोष को व्यक्त नहीं करेगा तो कौन करेगा ? बन्द के कारण उत्पादन में 450 करोड़ रुपए की हानि होती है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि प्रधान मन्त्री जो ने भी इस सभा में इसका विशेष तौर पर उल्लेख क्यों किया था ? वह क्यों भूल जाते हैं ? अगर वह वास्तव में देश को 21वीं शताब्दी की ओर ले जा रहे हैं, और उन्हें कुछ करना है तो वह सार्वजनिक अवकाश की संख्या में कमी कर दें। जरा सोचिए अगर इस देश में ब्रिटेन अमरीका या किसी भी पश्चिमी देश में दिए जाने वाले सार्वजनिक अवकाश जितने ही अवकाश दिए जाते तो कितनी धनराशि की बचत होती। वह जितनी धनराशि चाहे उतनी बचा···

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : आपके समय में सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या में कितनी कमी हुई थी ?

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : पनिका जी, आपका ट्रंक-काल आया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मत भूलिए कि दुर्भाग्य से वित्त मंत्री जी ने भूलना ही अच्छा समझा है, यह देश 1947 में आजाद हुआ था और कीमतों में तबसे अब तक वृद्धि हुई है - उस तारीख से नहीं बल्कि यूं कहिए कि 1969 से। 1969 में एक किलो गेहूं की कीमत 1.05 रु० थी और आज 2.90 रु० प्रति किलो है, चावल की कीमत 1.67 रु० प्रति किलो थी आज 4.4 रु० प्रति किलो है। मूंग की दाल की कीमत 3.30 रु० प्रति किलो थी आज 7 रु० किलो है, चीनी की कीमत 2.79 रुपये किलो थी आज यह 7 रु० किलो है। मैं अपने इन माननीय बन्धु को याद दिला दूं कि इस देश में जनता सरकार के शासन के दौरान चीनी की कीमत 2 रु० किलो से भी कम हो गई थी··· (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : और सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक इन माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है, इनका विचार है कि जब 1977 में जनता सरकार सत्ता में आई तभी इस देश में काम शुरू हुआ था।

वे भूल जाते हैं कि देश 1947 से आजाद है। और 1947 से 1977 के बीच की उनकी सभी गलतियों और त्रुटियों को और उनके उन सभी कार्यों को जिनके कारण आपात स्थिति लागू करनी पड़ी और सुधारने खतम करने और ठीक करने का काम जनता सरकार को करना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : हर क्षेत्र में उत्पादन कम हुआ था।

श्री एच० एम० पटेल : क्या मैं जारी रखूं ? उस सम्य दूध की कीमत 1.40 रुपये प्रति लीटर थी और आज 4.50 रुपये प्रति लीटर है, वनस्पति की कीमत 5.76 रुपये प्रति किलो थी आज 18.50 रुपये प्रति किलो है, आधा किलो चाय की कीमत 9.80 रुपये थी और आज 22.45 रुपये है। आप ऐसी बहुत सी चीजों को गिना सकते हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा है ? भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक लागत वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। जब यह अधिक लागत वाली अर्थव्यवस्था बन जाती है तो सरकार खाद्य और उर्वरक पर सहायता देती है और इनके बाद क्या होता है ? इस सबका परिणाम यह है कि आज वे सालाना 4.000 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दे रहे हैं। और इन सबके बावजूद हमारे 29 मिलियन खाद्यान्न की लागत इतनी अधिक है कि हम उसका निर्यात नहीं कर सकते चाहे निर्यात करना सही था। उनके पास इतना अधिक भंडार क्यों है ? क्या सरकार ने कभी खुद से यह सवाल पूछा है ? हमारे लोगों की खरीद क्षमता अधिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग भूखे नहीं हैं, लोगों को खाद्यान्न चाहिए लेकिन उनमें खरीद सामर्थ्य नहीं है। आज हालत यह है कि बहुत से लोगों को खाद्यान्न के बिना गुजारा करना पड़ता है। सरकार को एक ऐसी योजना या योजनाएं बनानी चाहिए जिसके माध्यम से भंडार में पड़े खाद्यान्न का उपयोग उद्देश्यपूर्ण ढंग से हो सके, जैसा कि रोज-गार उपलब्ध कराने के लिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ऋण मेला।

श्री एच० एम० पटेल : ऋण मेला एक योजना है जो कि बैंकों को एक तरह से बर्बाद कर रही है। इसका मतलब है ऐसे और अधिक ऋण जिनकी वसूली न की जा सके।

प्रो० मधु दण्डवते : "मेला" का मराठी में मतलब होता है "मृत"।

श्री एच०एम० पटेल : वित्त मन्त्री ने कहा था कि संसाधनों में वृद्धि की जानी थी अगर योजना पूरी की जा रही है तो सर्वोमुखी कार्यकुशलता में सुधार करने से उन्हें कौन रोक रहा है। वह देश की अर्थव्यवस्था के अनेक विभिन्न क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण दूं। इस देश में अगर विद्युत संयंत्रों के क्षमता उपयोग में एक प्रतिशत की वृद्धि हो जाए तो हमें नई क्षमता स्थापित करने के लिए 5000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश नहीं करनी पड़ेगी। कार्यक्षमता में केवल एक प्रति-शत की वृद्धि करके हम इस निवेश से बच सकते हैं। इसी तरह परेषण के दौरान होने वाली बिजली की हानि को एक प्रतिशत कम करके 450 करोड़ रुपये और बचाए जा सकते हैं। आप कार्यकुशलता में सुधार क्यों नहीं करते? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड क्षमता का 33% उपयोग करता है। जबकि सार्वज-निक क्षेत्र का एक और उद्यम, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम इस क्षमता से दोगुना उपयोग अर्थात् 66% कर रहा है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा उद्यम ऐसा कर सकता है तो बिहार क्यों नहीं ? नये कर

[श्री एच० एम० पटेल]

लगाकर लोगों पर बोझ डालने के बजाय ऐसा करने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जाते ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यह सीधे केन्द्र के हाथ में नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : पंत जी, इस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं और आपको संतुष्ट कर सकता हूं कि आप कार्यक्षमता को अधिक बढ़ा सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं केवल यह कह रहा हूं कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम केन्द्रीय क्षेत्र में है।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा मैंने स्वयं कहा। मैंने कहा कि एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र। मैं आपको बता दूं कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे और बिजली केन्द्र हैं जिनकी कार्यक्षमता और क्षमता उपयोग काफी कम है। ऐसे और कटु सत्य हैं जिनका सामना हमें करना होगा। लेकिन उनका सामना करने की कोशिश नहीं की जाती। सरकार के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन की अनुमानित लागत के तौर पर बहुत सी बातें निर्धारित की हैं। और ऐसा करने के कारण हमारे पर ऐसे संयंत्रों का बोझ आ पड़ा है जो बहुत अधिक अकार्यकुशल है। उदाहरण के लिए आप हमारे पुराने इस्पात संयंत्रों को लीजिए। आप ऐसी मशीनों से काम चला रहे हैं जो चल रही हैं पर जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा खप रही है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग किया जाए। मैं यह सब बातें इसलिए बता ··

श्री राम प्यारे पनिका : इस्पात क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। (व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : सरकार की अपनी निर्धारित आकलित कीमतें हैं। यह समझ पाना कठिन है कि इसके पीछे क्या दर्शन है। उर्वरक की कीमतें उस समय बढ़ाई गईं जब किसान उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग शुरू कर रहे हैं। अगर उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि की जाती रही तो वे बड़ी मात्रा में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश ने अभी-अभी उर्वरकों का उपयोग करना शुरू किया है। अगर उन्हें इनके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया गया तो तीसरी हरित क्रांति हो सकती है। मेरे विचार से ये बातें बहुत महत्व रखती हैं और इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

वित्त मन्त्री जी ने अपने लम्बे भाषण का आरम्भ इस उद्धरण से किया है। उन्होंने कहा था :—

> "विकास का कार्य क्षमता और सामाजिक न्याय के साथ उन सामाजिक रुकावटों को दूर करके किया जाना चाहिए, जिनसे कमजोर वर्गों का उत्पीड़न होता है। समाजवाद की हमारी धारणा का सार यही है।"

मैं तो कहूंगा कि केवल यही अवसर है जब ये अत्युत्तम शब्द कहे गए। उसके बाद के उनके भाषणों में हमें ये शब्द कहीं नहीं मिलते। हमें केवल ये शब्द ही नहीं मिलते, बल्कि उनके भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जिससे कमजोर वर्गों पर दबाव डालने वाले विभिन्न सामाजिक बन्धनों को समाप्त किया जा सके और वास्तव में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सामाजिक न्याय और एकता स्थापित हो सके। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि इस बजट के कारण कीमतों में खासकर अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। उन कमजोर वर्गों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी जो वे इस अतिरिक्त बोझ को सहने में समर्थ नहीं हैं। सरकारी कर्मचारी, संगठित श्रमिक और संगठित कर्मचारियों के सभी वर्ग, अध्यापक, बैंक कर्मचारियों आदि को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन असंगठित श्रमिकों, अपना रोजगार करने वालों तथा बेरोजगारों को वास्ते में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और ऐसे लोगों की संख्या उनसे कहीं अधिक है जिन्हें कीमतें बढ़ाने से कुछ राहत मिली है। इन वृद्धियों में सबसे ऊपर अप्रत्यक्ष कर आते हैं वैसे उत्पादन शुल्कों को तर्कसंगत कर दिया गया है और संशोधित मूल्यवर्धित कर का लक्ष्य उस प्रभाव को कम करना है जिसकी मौजूदा स्थिति में उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिवर्तनों का प्रभाव अनेक औद्योगिक यूनिटों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वास्तव में जिन लघु एककों की सहायता करने की इच्छा का वह दावा करते हैं वही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है। लघु उद्योग एसोसिएशनों ने विरोध प्रकट करना आरम्भ कर दिया है, बहुत से लघु उद्योग बन्द हो गए हैं या बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि वे ठीक से नहीं जानते कि प्रस्तावित परिवर्तनों का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

3.00 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

उत्पादन शुल्क समाहर्ता और उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारी इस विषय पर उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हैं। मैं यह वक्तव्य पूरे दायित्व और बिना किसी हिचकिचाहट के दे रहा हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : प्रतिशतता क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं जानना चाहता हूं कि वे किस आधार पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं केवल यह वक्तव्य दे रहा हूं। अगर आप महसूस करते हैं कि लघु एकक प्रभावित नहीं होंगे तो मैं वास्तव में बहुत खुश होऊंगा। अगर एकक प्रभावित नहीं हो रहे हैं तो आप दुःखी हो जाएंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : दिल्ली में अभी तक एक भी उद्योग बन्द नहीं हुआ है।

श्री एच० एम० पटेल : केवल दिल्ली में ही लघु एकक नहीं हैं। दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों के साथ परेशानी यह है कि कोई भी वक्तव्य दिया जाए, कोई भी आलोचना की जाए तो वे समझते हैं उसका विरोध किया हो जाना चाहिए। अगर किसी काम से लोगों को चोट पहुंचती है तो उन्हें आलोचनात्मक वक्तव्यों का स्वागत करना चाहिए। दुर्भाग्य से कई बार सरकार के कार्यों से

[श्री एच० एम० पटेल]

ऐसे लोगों को चोट पहुंचती है जिन्हें चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मुझ खुशी है कि वित्त राज्य मन्त्री इस बात को महसूस करते हैं क्योंकि वह विवेकशील व्यक्ति हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने यह अविवेकपूर्ण बात क्यों कह दी है ?

श्री एच० एम० पटेल : यह नीति बड़े एककों को भी प्रभावित करती है उदाहरण के लिए भारतीय इंजीनियर संघ जैसा जाना माना संगठन, जो कि गैर-जिम्मेवार ढंग से नहीं बोलता, ने दावा है कि बढ़े हुए उत्पादन शुल्क से मानक ट्रक की कीमत लगभग 7000 रुपये बढ़ जाएगी जबकि गणना के अनुसार संशोधित मूल्यवर्धित कर द्वारा दी जाने वाली राहत 2300 रुपये है।

ऐसा कहा गया है कि मारुति कार के मूल्य में 15 हजार रुपये की वृद्धि होने वाली है। यदि यह परिणाम निकलने वाला है तो मैं समझता हूं कि परिवर्तन उचित नहीं है। यह वर्तमान प्रतिक्रिया है जिसका समाचार छपा है। इन सब बातों के कारण देश के विकास की गति अवश्य ही धीमी हो जाएगी।

एक और बात जिससे मैं चकित हूं, वह यह है कि कि बढ़ते हुए सरकारी व्यय का अथवा सरकारी व्यय को घटाने का कोई उल्लेख नहीं है। सरकारी खर्चा निरन्तर बढ़ रहा है। यह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। इसके भार में वृद्धि हुई है। वित्त मन्त्री जी ने इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया है ? जब सरकार पर अर्थव्यवस्था में कटौती करने के लिए दबाव डाला जाता है तो उस समय सामान्यतः सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में की गई कटौती का अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका यही परिणाम हो सकता है कि कुछ निदेश जारी कर दिए जाएं यथा कोई नई नियुक्ति न की जाए और न ही कोई नई परियोजना आरम्भ की जाए। इससे कोई उचित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। किन्तु मेरा विचार है कि एक व्यय आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। एक व्यय आयोग था जिसको 1980 में उस समय जल्दी ही बन्द कर दिया गया जब इसने यह रोचक तथ्य प्रकट किया कि सहकारी खर्चे का 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में खर्च किया जाता है जहां देश की 20 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। निस्सन्देह, इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि खर्च का 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों पर खर्च किया जाना है। आपको इस तथ्य का स्वागत करना चाहिए ताकि इसके पश्चात् आप देश के शेष भाग में रहने वाले उस 80 प्रतिशत जनसंख्या के प्रति कुछ न्याय कर सकें जिन पर अभी तक कुल खर्च का केवल 30 प्रतिशत ही खर्च किया जाता रहा है। मेरा विचार है कि खर्च में कमी करने से वित्त मन्त्री को देश के विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी।

इस संदर्भ में कोई उल्लेख न करना एक भारी चूक होगी। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। निस्सन्देह इसके लिए किए गए भारी आबंटन का इसमें कुछ उल्लेख है। किन्तु उस भारी आबंटन से किसानों को लाभकारी मूल्य की मूल मांग की उपेक्षा कर दी गई है। इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि कपास का उत्पादन करने वाले किसान इस वर्ष बड़ी कठिन स्थिति में फंसे हुए है। क्योंकि जो उत्पादन हुआ है उसके लिए कोई मांग नहीं है।

यदि मांग में इस प्रकार की गिरावट फिर से आती है तो सरकार को कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे निर्यात की अनुमति देकर मांग में वृद्धि की जा सके या ऐसी फसल प्रणाली में सहायता दी जाए जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। फसल प्रणाली में मूल्य वृद्धि और बिक्री मांग के अनुरूप समय-समय पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है किन्तु ऐसा तभी सम्भव होगा जब सरकार कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दे और इस बात को महसूस करे कि कृषि सम्पन्नता सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि वे कहते हैं कि सम्पन्न कृषि पर देश की सम्पन्नता निर्भर है फिर भी इस उद्देश्य के लिए कुछ नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि इसका उपचार होना चाहिए और वह भी बिना किसी विलम्ब के। इस मामले में स्पष्ट होना आवश्यक है। ऐसी कौन सी कठिनाई है जो इस देश के कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में उचित नीति का पालन करने में सरकार के सामने आती है? वे अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि कितनी महत्वपूर्ण है। सम्पन्न ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है उच्च क्रय-क्षमता और जनसंख्या के 80 प्रतिशत उच्च क्रय-क्षमता का अर्थ है देश के शेष भाग में औद्योगिक क्षेत्र के लिए व्यापक बाजार। कौन सी बात आड़े आती है? किसानों को लाभकारी मूल्य देने का अर्थ है कि इससे खाद्यान्नों, गेहूं, चावल आदि के मूल्यों में वृद्धि होगी। इसका समाधान अभी तक वित्तीय सहायता देकर किया गया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि किसानों को लाभकारी मूल्यों से वंचित किया जाए। किसानों को निष्पक्षता और न्याय से वंचित करना उचित नहीं है।

आपको लाभकारी मूल्य देने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ निकालना चाहिए और साथ ही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं होने देनी चाहिए। जीवन निर्वाह लागत को एक ही स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। ऐसा करने के कई तरीके हैं।

यह बात वांछनीय है कि मैंने यहां जो टिप्पणियां की हैं उनकी ओर वित्त मन्त्री कुछ ध्यान दें और यहां की गई टिप्पणियों और आलोचनाओं का उचित और उदारता से उत्तर दें और अपने अन्तिम उत्तर में उचित संशोधन करें।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय सभापति महोदय, मैं 1986-87 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में जिस ढंग से योजनाएं बनाई हैं और जिस तरह से आय तथा व्यय का प्रावधान किया है, उससे हमारे गरीब और साधारण किसानों को बड़ा भारी लाभ होगा। इस बजट से देश विकास की तरफ जायेगा और आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। इस बजट के मुख्य उद्देश्य जो हमारे वित्त मंत्री जी ने बताये हैं, उनकी मैं सराहना करना चाहता हूं। इस बजट से समाजवादी लक्ष्यों के अनुरूप गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में हम कामयाब होंगे और आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। सरकारी क्षेत्र को इससे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इससे आत्मनिर्भरता में हमारी वृद्धि होगी। मैं इस बात के लिए भी हमारी सरकार को और वित्त मंत्री जी के जरिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी को इस देश की साधारण जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि जिस ढंग से योजनाएं बनाई गई हैं पिछले सालों में और अब वर्तमान में, उससे हमारी कृषि में काफी लाभ हुआ है। पहले

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

एक एकड़ में मुश्किल से दस और बारह मन गेहूं पैदा होता था और छह-सात मन चावल पैदा होता था। लेकिन हमारी योजनाओं के कारण आज एक एकड़ में हम 54 मन गेहूं और 70-75 मन धान पैदा करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता श्री पटेल साहब ने रेम्युनरेटिव प्राइसेस का किसानों के लिए जिक्र किया। मुझे बड़ी खुशी है कि पटेल साहब की जुबान से कम से कम इस किस्म की बात तो आई कि किसानों को रेम्युनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए। मैं उनके समय की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। जब जनता पार्टी का शासन था और किसानों की क्या हालत थी। हमारे हरियाणा में एक मिसाल कही जाती है, उस समय के शासन के बारे में··· (व्यवधान) गन्ने की इतनी बुरी हालत थी कि गन्ना जला दिया जाता था। एक दफा एक किसान अपने मकान के अन्दर हुक्का पी रहा था। किसी पड़ोसी ने उससे कहा कि रात को क्यों जाग रहे हो? किसान ने कहा कि मैं रखवाली कर रहा हूं। उसने पूछा किस चीज की। किसान ने कहा मुझे डर यह है कि कोई गन्ने की गाड़ी मेरे यहां भरकर न पलट जाए क्योंकि उस समय हालत यह थी कि गन्ने पर जो कैरिज लगता था वह ज्यादा था और उसकी कीमत बहुत कम थी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहां पर आलोचना करने से पहले अपने अन्दर झांक लेना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे से पहले बोलने वाले विरोधी महानुभाव ने प्राइस राइस की बात कही है कि कीमतों में बढ़ावा हुआ। कीमतों में जो बढ़ोत्तरी हुई है, वह किसी एक की जेब में तो जाती नहीं है। सरकार के पास जितना पैसा होगा, उतना ही ज्यादा विकास उस देश का हो सकता है। आप एक परिवार से ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि जिस परिवार के पास ज्यादा साधन होंगे, वह परिवार ज्यादा खर्च कर सकता है और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। इस लिहाज से मैं यह कहना चाहता हूं, आप सन् 47 में देखिए कि केन्द्रीय सरकार का टोटल बजट दो सौ करोड़ तक का भी नहीं था और आज केन्द्र सरकार ने एक लाख अस्सी हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।···(व्यवधान)

जहां हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं···(व्यवधान) वहीं हमें यह भी सोचना चाहिए कि पिछले 30-35 सालों में हम किस अवस्था तक पहुंचे हैं, वह सिर्फ बजट के सहारे ही पहुंचे हैं और आपने कहां पर हिन्दुस्तान को ले जाकर के छोड़ा था, कैसी अवस्था में छोड़ा था, उसका आप स्वयं अंदाजा लगाइए। इसलिए कोई भी बात कहने से पहले आपको उन दिनों का ख्याल कर लेना चाहिए।

इस बात को सभी मानते हैं व भाषण सभी करते हैं लेकिन यह तथ्य भी है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की 80 प्रतिशत जनता किसान है या खेती पर आश्रित है। खाली भाषण करने से ही किसान का जीवन सुधर नहीं सकता, भाषणों से बहुत बढ़िया किताबें तो तैयार की जा सकती हैं लेकिन किसानों की जिन्दगी में खुशहाली नहीं लाई जा सकती। किसान को विशेष तौर पर दो चीजों की जरूरत है—पहली पानी की और दूसरी बिजली की। बिजली से पानी मिल सकता है और मैं समझता हूं कि फ्लड या सूखा दोनों एक ही चीज हैं, दोनों से एक जैसी हानि होती है। यदि हम फ्लड को ठीक ढंग से कंट्रोल कर सकें तो फ्लड के पानी को सूखा दूर करने के लिए इस्तेमाल किया

जा सकता है। मैं यहां हरियाणा स्टेट की बात करना चाहता हूं। पहले हरियाणा में बहुत अच्छी किस्म की, अच्छे नस्ल की भैंसे होती थीं। फिर हमारे देश में जितनी पौपूलेशन है, उतनी ही संख्या में पशुधन था और जब तक हम पशुधन की पूरी तरह से देखरेख नहीं करेंगे, उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि किसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। आज किसानों के पास 5-7 एकड़ से ज्यादा होल्डिंग नहीं है, बड़े किसानों की बात मैं नहीं करता और वे कम से कम हरियाणा स्टेट में नहीं हैं इसलिए आज उनको सिर्फ पशुधन का ही सहारा है। पशुधन तब ठीक रह सकता है जब किसान उसको ठीक ढंग से रखने का प्रबन्ध करे क्योंकि वह बीमार भी हो सकता है। हमारे स्टेट में डाक्टरों की बात तो दूर रही, हर गांव या पांच-सात मील के एरिया में कोई पशुओं का कम्पाउण्डर तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहां मैं रचनात्मक टिप्पणी भी करना चाहता हूं कि इस बजट में किसानों के पशुधन को ठीक रखने के लिए, हर गांव में एक डाक्टर या एक कम्पाउण्डर का प्रावधान करने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब तक हम पशुधन को ठीक नहीं रखेंगे किसान की हालत बेहतर नहीं हो पायेगी।

हमारे हरियाणा में पहले मुर्रा नस्ल की भैंसे काफी होती थीं लेकिन आज वे खत्म होती जा रही हैं जिससे आम किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आजकल सभी किसान खेती के मामले में ट्रैक्टरों की ओर झुकते जा रहे हैं और हर छोटा किसान, ट्रैक्टर रखने वाले किसानों से, किराये पर ट्रैक्टर लेकर अपने खेत में काश्त करता है। उसका कारण यही है कि बैलों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और अच्छे बैल नहीं मिलते। हमारे एनीमल हस्बैण्डरी डिपार्टमैंट को अपने रिसर्च स्टेशन्स या रिसर्च सैन्टर्स में ऐसी रिसर्च करनी चाहिए ताकि हमारे यहां अच्छे बैल मिल सकें, अच्छे बैल तयार हो सकें और छोटे किसान ट्रैक्टरों की बजाए अपनी फसल काश्त करने के लिए बैलों का इस्तेमाल करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान में हर साल हजारों की संख्या में किसानों के हाथ थ्रैशर में आकर कट जाते हैं लेकिन उसको रोकने के लिए कोई ऐसी विधि या सिस्टम आज तक नहीं निकाली जा सकी है ताकि किसान के किसी अंग का नुकसान न हो। उसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा आज जो हमारी कम्बाइन्ड हारवेस्ट मशीन है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है। छोटे जमींदार और छोटे किसान उसे प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह गेहूं की फसल को ऊपर से काटती है और जिस गेहूं के तने से तूड़ी बनती है, वह नीचे रह जाती। है आज तूड़ी का भाव 105 रुपये क्विंटल है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंजीनियर ऐसी सलाह दें जिससे कि जो तूड़ी खेत में रह जाती है वह बरबाद न हो और जिसको कि जला दिया जाता है और ऊपर से काट दिया जाता है, उसका नुकसान भी न हो।

हमारा जो बजट पेश किया है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा के पास आज राजधानी नहीं है। चंडीगढ़ के अन्दर हमारी राजधानी है और वही पंजाब की भी राजधानी है। राजीव गांधी और लोगोंवाल जी के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए और हरियाणा को अपनी राजधानी अलग बनानी है। लेकिन राजधानी तब तक नही

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

बन सकती जब तक पूरी तरह से केन्द्र सरकार की तरफ से इस मामले में पूरी ग्रान्ट न मिले। आज हमें राजधानी के लिए कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है और इस बजट में इस बात का प्रावधान होना चाहिए था।

हमारा एक बहुत पुराना झगड़ा चला आ रहा है। जिस दिन से हरियाणा उत्पन्न हुआ, उसी दिन से पंजाब के साथ गांवों का और एम० वाई० एल० केनाल का झगड़ा है। बहुतों को झगड़ा होने का कारण मालूम होगा, लेकिन बहुतों को इस बात का ध्यान नहीं होगा कि झगड़ा किस कारण से है। सही मायने में मैं यह बात सभा के सामने रखना चाहता हूं कि 1960 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी 1960 हुआ था। उसके तहत 110 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान को दिया और 1961 में उसकी खुदाई शुरू की गई और 1970 तक खुदाई पूरी कर देनी चाहिए थी। 1966 में हरियाणा पंजाब अलग बन गए और 60 और 40 के रेशों से हमारा बंटवारा होना था। उसके बाद 1966 में इन्दिरा जी ने शाह कमीशन मुकर्रर किया। उसमें तय हुआ कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और पंजाब के 300 हिन्दी स्पीकिंग विलेज हरियाणा को दिए जायें, लेकिन उस फैसले को किसी ने माना नहीं। 1970 में फिर इन्दिरा जी ने चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात कही और 107 गांव हरियाणा को दिए और एस० वाई० एल० केनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू करने की बात कही। इस फैसले से खुश होकर अकालियों ने गुरुद्वारों में दीपमालायें जलाईं, लेकिन उसको इम्पलीमेंट नहीं किया गया। हरियाणा के लोगों का जीवन इस एस० वाई० एल० केनाल से जुड़ा है। आज हरियाणा के अन्दर एक बूंद भी पानी नहीं है। केवल 30 प्रतिशत खेतों के अन्दर पानी है, बाकी खेत सूखे पड़े हैं लेकिन आज किसानों की आंखों में आंसू जरूर है। अगर इस झगड़े का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति बिकराल रूप धारण कर सकती है जिससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है।

मैं, इस तरफ अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे हिन्दी स्पीकिंग विलेजेज और पानी की इस समस्या का समाधान होना चाहिए और ये हमें मिलने चाहिएं। यह एक न्यायसंगत मांग है और जब हमारी न्यायसंगत मांग को भी नहीं माना जाएगा और हमारे साथ अन्याय होगा, तो हमारे हरियाणा के अंदर बड़ा रोष होगा, जिसका प्रतिकूल असर पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव): सभापति महोदय बजट हमारे कुछ मूल आर्थिक मामलों को सुलझाने का, गरीबों और दलितों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का और अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का और वित्तीय एवं आर्थिक मामलों में स्थिरता लाने का एक सुनिश्चित प्रयास है। बजट,

असाधारण ढंग से अनेक विषयों से सम्बद्ध है और वित्तीय और आर्थिक नीतियों में नवीनीकरण के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास है।

पहली महत्वपूर्ण समस्या जिसका वित्त मंत्री को सामना करना पड़ा था वह पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साधन जुटाने की थी। चालू वर्ष के दौरान सरकार पर ब्याज भुगतान, रक्षा, वित्तीय सहायता और राज्यों को सहायता देने के कारण भारी दबाव रहा है। राजस्व में भारी वृद्धि के बावजूद सरकार को अतिरिक्त घरेलू उधार और घाटे की अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ा।

महोदय, अतिरिक्त संसाधनों की खोज में यह स्वाभाविक है कि वित्त मंत्री का ध्यान पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ओर आकृष्ट किया जाए। चालू वर्ष के दौरान ताप बिजली इकाइयों, रेलवे और कोयले की खानों के कार्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। यदि इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार हुआ है तो हमारे योजना कार्य के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसका महत्व इस बात से देखा जा सकता है कि यदि बिजली के क्षेत्र में संयंत्र भार क्षमता के उपयोग में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है अथवा परेषण हानि 1 प्रतिशत कम की जाती है तो राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 450 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अतः यह आवश्यक है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार की ओर ध्यान दे। ये इकाइयां समाज के भारी मूल्य पर स्थापित की गई हैं और यह आवश्यक है कि इन इकाइयों के प्रबन्धक लागत के प्रति सचेत हों। उन्हें अतिरिक्त मानव-शक्ति को घटाना चाहिए। उन्हें माल सूची पर और भी अच्छा नियन्त्रण रखना चाहिए, प्रबन्ध कार्य में श्रमिकों को भी शामिल करना चाहिए और क्षमता के उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए और किसी समय तक मूल्यों की स्थिरता की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रबन्धकों और श्रमिकों में निष्ठा होनी चाहिए और उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में संसाधनों के योगदान में उनका भी भाग होना चाहिए।

महोदय, वित्त मंत्री ने संसाधनों को जुटाने के संबंध में खुली चर्चा करने के लिए कहा है जिसे वह राष्ट्र की दीर्घकालीन अर्थ-व्यवस्था के लिए लाभदायक समझते हैं। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे हमारे संसाधनों में वृद्धि हो सकती है, किन्तु मेरे पास समय कम है अत: मैं एक-दो बातों के विषय में ही कहना चाहूंगा। पहली बात सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में है जिनकी लागत बढ़ गई है। कई मामलों में व्यय में लगभग 400 से 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि परियोजनाओं के बनाने में सुधार लाया जाए और कार्यान्वयन निर्धारित समय के अनुसार हो तो मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री प्रति वर्ष अरबों रुपये की बचत कर सकते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा मंत्रालय है जिसका काम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन है, मैं आशा करता हूं कि भविष्य में स्थिति में सुधार होगा। वित्त मंत्री का योजना के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का काम आसान हो जाएगा। ऐसा कहा गया है कि बिजली अथवा सिंचाई परियोजनाओं का काम आरम्भ करने में इसलिए विलम्ब हुआ है क्योंकि परियोजनाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है परिणामस्वरूप संसाधनों का अपर्याप्त आबंटन हुआ है, भूमि प्राप्त करने में कठिनाइयां हुई हैं और निर्माण सामग्री में कमी हुई है।

[श्री वाई० एस० महाजन]

जब परियोजना रिपोर्ट तैयार होती है उस समय इन सभी कठिनाइयों का अनुमान लगाया जा सकता है, यह आश्चर्यजनक है कि योजना के 35 वर्षों के बाद भी हमारी परियोजना रिपोर्ट अभी भी त्रुटिपूर्ण है। क्या हमारे पास अनुभवी और योग्य परामर्शदाता नहीं हैं। समाचारपत्र में एक समाचार छपा था कि सरकार एक ऐसी कम्पनी के साथ जिसे अनिवासी भारतीय चलाते हैं एक करार कर रही है और यह हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बहुत अधिक लागत पर सलाह देंगे। सरकार को इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि कभी-कभी सलाह बहुत महंगी पड़ सकती है।

प्रशासनिक खर्च या खर्च को कम करने के अलावा तीसरा रास्ता जिसके द्वारा वित्त मन्त्री जी संसाधनों को जुटा सकते हैं, और जो हमेशा उनके अधिकार में है, तथा जिसका वह मुद्रास्फीति दबावों के जोखिम पर उपयोग कर सकते हैं घाटे की अर्थव्यवस्था है मैं घाटे की अर्थव्यवस्था का उल्लेख कर रहा हूं। यह तरीका उस समय लागू करना होता है जब आप करारोपण उधार से पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। अपने सभी प्रयासों के बावजूद हमारे वित्त मन्त्री जी ने लगभग 4090 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है जिसे पूरा नहीं किया जा सका आलोचना की गई थी कि इससे मूल्यों में वृद्धि होगी। हम अपने पिछले अनुभव से कह सकते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था की यह राशि ठीक सीमा में है। यदि उत्पादन में पांच प्रतिशत की वृद्धि होती है जैसा कि हमने अनुमान लगाया है जैसा कि हमने छठी योजना में किया तो अर्थव्यवस्था इसको बर्दाश्त कर सकेगी तथा मूल्य नहीं बढ़ेंगे।

विरोधी पक्ष द्वारा प्रशासनिक मूल्यों का विरोध और उनके द्वारा आयोजित एक दिन का बन्द गलत था तथा राजनैतिक उद्देश्य से किया गया था। एक दिन का उत्पादन रोक कर उन्होंने राष्ट्रीय आय को लगभग 500 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाई है। यह तरीका नहीं है जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रधान मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है। हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। हम लोगों की सहायता बन्द आयोजित करके नहीं कर सकते बल्कि आर्थिक मशीनरी को सरलता और कार्यकुशलता से चलाकर कर सकते हैं।

बजट प्रस्तावों में सबसे अधिक जोर गरीबी दूर करने पर तथा समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की सुधारने विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को सुधारने पर जोर दिया गया है। सरकार इस नीति के लिए वचनबद्ध है। पहली बार माननीय मन्त्री जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आवंटन में 93 प्रतिशत की विशेष वृद्धि की है जिससे 1986-87 में 3000 लाख श्रम दिवस को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। उन्होंने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आबंटन 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 633 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी तरह चालू वर्ष के दौरान आई०आर०डी०पी० के लिए आबंटन 283 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 428 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा योजना के अलावा इन्दिरा गांधी गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए मकानों के निर्माण की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए 125 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

यह सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे कि गांवों की हजारों समस्याग्रस्त गांवों में कम से कम पीने के पानी का एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध कराया जाए। सभापति महोदय, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के गांवों में पीने का पानी प्राप्त करना कितना कठिन है। 810 ऐसे गांव हैं जिनको हम टैंकर और बैलगाड़ियों के माध्यम से पानी की सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह की समस्या वाले गांवों की संख्या दो महीने के भीतर 12000 गांव हो जायेगी। सरकार ने लगभग 1450 करोड़ रुपये की लागत से पानी सप्लाई करने के लिए योजनाएं बनाई हैं और महाराष्ट्र के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री हमारी सहायता के लिए आगे आएंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस काम के लिए महाराष्ट्र को और अधिक संसाधन आबंटन किये जाएंगे।

योजना के अन्य भागों को लगातार प्राथमिकता दी जायेगी जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 20-सूत्री कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों की बहुंमुखी प्रगति करना है।

महोदय, नगर में दीर्घकालीन वित्त नीति के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से बल दिया गया है। यह हमारी पारम्परिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है। इसने एम०ओ०डी० वी०ए०टी० अर्थात संशोधित मूल्य संवर्धित कर को आरम्भ किया है इसे निर्माता की उस सामग्री पर कर के लिए तत्काल उधार देने का साधन है जिसका उसने उपयोग किया है। इसका मतलब यह है कि मूल्यों की नीचे आने की प्रवृत्ति है। यह न केवल निर्माताओं की बल्कि उन उपभोक्ताओं की भी सहायता करता है जो असंगठित है और इसलिए असुरक्षित हैं।

एक नई योजना के द्वारा निवेश भत्ता को बदलने का प्रस्ताव, 1978-79 से निगम आय पर अतिकर को समाप्त करना, मूल्य ह्रास की वर्तमान पद्धति को बदलने तथा इसकी दर ढांचे को तर्कसंगत करना महत्वपूर्ण है। उत्पाद शुल्क में छूट की योजना को और अधिक उदार बनाने से लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

कर ढांचे के बड़े पैमाने पर सरलीकरण से और उसे विवेकसम्मत बनाने से तथा एम०ओ०डी० वी०ए०टी० का आरम्भ करने से उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी।

इसके बाद मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक स्थानीय समस्या को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे यहां एक कपड़ा मिल है जो लगभग 18 महीने पहले बन्द कर दी गई थी। 3000 मजदूर बेकार हो गये। प्रबन्धकों को, जो अव्यवस्था तथा धन के दुर्विनियोग के लिए दोषी नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि उन 3000 मजदूरों के हित में जो बेकार हो गये हैं, भारत सरकार राज्य सरकार की सहायता के लिए आयेगी। राज्य सरकार ने पहले ही इसे सहायता के लिए लिखा है। सरकार को यह मिल अपने हाथ में लेनी चाहिए तथा मजदूरों की सहकारी संस्था को सौंप देनी चाहिए ताकि यह फिर से कार्य कर सकें और लोगों को रोजगार मिल सके।

[श्री वाई० एस० महाजन]

हमने उन्नति और विकास के बारे में बहुत कुछ कहा है। परन्तु यह हमारी जनसंख्या की वृद्धि के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। 1966 में हम अपनी जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और कुछ सीमा तक दर नीचे आई है। लेकिन प्रत्येक वर्ष जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जिस ढंग से हम प्रयास कर रहे हैं उससे हम अपनी आबादी की वृद्धि की दर को उस दर तक नहीं घटा पाएंगे जो हमने 2000 ई० तक के लिए निश्चित की है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मामले में हमें अनुत्साहन और प्रोत्साहन की नीति अपनानी चाहिए। यदि हम पूर्ण रूप से स्वेच्छा के ढंग पर निर्भर रहें तो हमें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, धार्मिक या पारम्पारिक पूर्वाग्रहों से उत्पन्न प्रतिरोध का ज्ञान की कमी से उत्पन्न प्रतिरोध का या गलत विचारों से उत्पन्न प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकार का लोगों पर कुछ प्रभाव अवश्य होना चाहिए ताकि हम 2000 ई० तक स्थिर जनसंख्या का उद्देश्य या वृद्धि की शून्य दर प्राप्त कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस बजट का समर्थन करता हूं जिसमें हमारी वित्तीय प्रणाली में नये और मूल परिवर्तन किये गये हैं और जो हमारे लाखों लोगों के स्तर को उठाने का एक बड़ा साधन साबित होने जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : माननीय सभापति जी, बजट को अगर यह कहा जाये कि बहुत सुन्दर है या यह कहा जाये कि वैरी हाई डिग्री आफ मेच्योरेटी एंड सिन्सियारिटी का दिग्दर्शन है तो गलत नहीं होगा। हर वर्ष बजट रखे जाते हैं। हम में से बहुत से लोग इस पर चर्चा करते हैं। पिछले वर्षों में जो भी बजट रखे गये हैं, उनका हमें अनुभव है, उन पर एक मिश्रित प्रतिक्रिया होती है। कुछ बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी लगती हैं। शासक पक्ष के जो सदस्य हैं, बजट का मन मस्तिष्क से बहुत समर्थन करते हैं, लेकिन वह अपना फर्ज समझकर या अपना धर्म समझकर भी उसका समर्थन करते आये हैं। इसी प्रकार के विरोध पक्ष में लोग मन-मस्तिष्क से उसका विरोध और कभी-कभी फर्ज अदायगी में भी उसका विरोध करते आये हैं। मैंने शुक्रवार से अब तक शासक दल और विरोध पक्ष के सदस्यों के भाषण सुनें। यदि आपने गौर से सुना हो तो अनुभव किया होगा कि शासकीय पक्ष के बोलने वालों ने, एक-एक ने मन-मस्तिष्क से इस बजट का समर्थन किया है, केवल अपना फर्ज अदा नहीं किया है। इसी प्रकार से विरोध पक्ष के लोगों ने केवल विरोधी पक्ष अदा किया है, धर्म निभाया है, लेकिन मन से उसका विरोध नहीं किया है, सजेस्टिव क्रिटिसिज्म उनका रहा है। यह इस बजट की कितनी बड़ी खूबी है जो इससे जाहिर है।

मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन एच० एम० पटेल साहब चले गए हैं, अभी हमारे भाई ने कहा था कि असली आजादी 1977 से शुरू हुई, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन चालू हुआ 1977 से, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकारों ने जो अनाज इकट्ठा किया था, शक्कर का स्टाक किया था वह सब आप खा गए, यह आपकी सबसे अच्छी कारगुजारी थी। जो सोना इकट्ठा

किया हुआ था वह अपने चहेते पूंजीपतियों को इस नाम पर कि मार्केट में भाव कम करना है सस्ते दाम में उसको दे दिया और बैंकों से फाइनांस किया। इतने गलत काम आपने किए। जनता ने उसका प्रायश्चित्त किया है, जिसका नतीजा दो चुनावों में आप देख चुके हैं। यह प्रायश्चित करना बहुत अच्छा है, नहीं तो कहावत है कि भुगतना पड़ेगा और भुगतते रहेंगे।

इस बजट की जितनी तारीफ की जाए कम है, इसलिए इसके विवरण में न जाते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह गरीबों के लिए बजट है। इसमें गरीबी और अमीरी के अन्तर को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, रक्षा साधन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। मैं एक बात की तारीफ करना चाहता हूं वित्त मन्त्री जी की खुले दिल से कि उन्होंने सजेशंस न केवल इनवाइट किये हैं, बल्कि यह सच है कि अच्छी बातों को अंगीकार किया गया है, स्वीकार किया है और उसको इंप्लीमेंटेशन में लाने के लिए प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी भी देश का बजट उस देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और खासतौर से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनकी जो जनता है, उस पर किस प्रकार बजट प्रभाव डालेगा, इस ढंग से अगर आंका जाए तो मैं कहूंगा कि सही मायनों में यह जाहिर करेगा कि बजट की वास्तविक स्थिति क्या है।

श्रीमन् इस देश के अन्दर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का बार-बार जिक्र करते हैं चाहे वे 50 प्रतिशत से कम हैं, लेकिन गरीबी की रेखा के पास भी जो लोग हैं, सब मिलाकर दो-तिहाई से ज्यादा आबादी वह है जो अपने और अपने बच्चों का मुश्किल से सूखी रोटियों से पेट भर पाते हैं' जो अपना और अपने बच्चों का तन अधूरा ढक पाते हैं, फटे पेबन्द लगे हुए कपड़ों से, उनको केरोसिन आइल जैसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन वह भी पूरा हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, घास-फूस की झोंपड़ियों में वे लोग रहते हैं, इस महंगाई का कितना असर उन पर पड़ेगा। इस बजट से उनको गल्ला सस्ता मिलेगा, उनको कपड़ा सस्ता मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, उनके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनके बच्चों को इलाज मिलेगा। आज देश की सबसे ज्यादा पापूलेशन जिसे हम कह सकते हैं, जो खुशहाल नहीं हैं उसका इस बजट में ज्यादा फायदा किया गया है, यह आकलन किसी भी बजट का हो सकता है।

एक एतराज मुझे पिछले बजट में भी था और इस बजट में भी है। मैंने उस वक्त भी कहा था, वित्त मन्त्री जी चले गए हैं। पता नहीं उनको फैमली वेलफेयर से क्या एलर्जी है। किसी-किसी घर में बुजुर्ग ज्यादा होते हैं तो हमारे यहां एक दुआ देने का प्रचलन है—"दूधों नहाओ और पूतों फलों", ऐसा लगता है कि वित्त मन्त्री जी के घर में कुछ बुजुर्ग इस किस्म के हैं। उन्होंने इस वर्ष के बजट भाषण में भी और पिछले वर्ष के बजट भाषण में भी फैमिली प्लानिंग के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। इस तरीके से एक ही खराबी नजर आई कि सबसे नीचे की प्रायरिटी जो दी गई वह फैमिली प्लानिंग को दी गई है। 6 परसेंट केवल पिछले वर्ष के बजट से ज्यादा रखा, जबकि हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि इक्कीसवीं सदी में प्रवेश जब हम करेंगे तब हमारे यहां जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वह 1.93 होगी, वह भी गलत है मेरे हिसाब से हमें इक्कीसवीं शताब्दी में वृद्धि दर जीरो कर देनी चाहिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो आपने प्रयत्न किये हैं, मुझे डर है कि हम उसको भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

[श्री के० एन० प्रधान]

जो असली चीज है, हम जानते हैं कि इतने वर्षों से हम भुगतते चले आये हैं, जो कुछ हम पैदा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, राष्ट्रीय आय बढ़ाते हैं, उसको ये नई आबादी, आने वाली आबादी उस सबको खा जाती है। फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को कोई महत्व नहीं दिया है। इस प्रकार से केन्द्र में बहुत अच्छा मॉनिटरिंग किया गया है जिसका कोई भी बड़ी आसानी से अन्दाजा लगा सकता है कि बैंकों का जो हमारे राष्ट्रीय जीवन पर असर पड़ रहा है, उससे कान्तिकारी परिवर्तन आया है। आंखों का अन्धा और नाम नैनसुख नही देख पाए तो अलग बात है। रेलवे में भी बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। यह मानिटरिंग हमारे राज्यों तक नहीं पहुंचा है। राज्य सरकारों ने मानिटरिंग नहीं किया है इसलिए जिस गति से हम आगे बढ़ना चाहते है उस गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे वित्त राज्य मन्त्री जी मौजूद हैं। उनका बैंकों को बड़ी अच्छी हालत में लाने के लिए बड़ा योगदान है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सर्विस चार्जेज तय किया है। लेकिन सब बैंक्स उसको नहीं अपना रहे हैं। अगर आप रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के जरिए से लागू करवाएं जिस प्रकार से ब्याज दर लागू करवाते हैं तो मैं समझता हूं कि वे लागू करेंगे। जिस प्रकार से एन० एस० सीज० और यू० टी० आई० में हम विनियोजन करते हैं और रियायतें दी जाती है और हमें अपने विकास के लिए ज्यादा साधनों की आवश्यकता है, उसके लिए हमारी अधिक से अधिक सेविंग्स होनी चाहिए। जितनी भी हम गांवों में सेविंग्स बढ़ाएंगे, उतना ही हमारे देश को ऊंचा उठान में मदद मिलेगी। सेविंग्स सर्टिफिकेट की सहूलियतें बैंक्स में भी हों तो निश्चित रूप से बचत को बढ़ावा मिलेगा। हमारे प्रधान मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी बड़ी हिम्मत के साथ कदम उठा रहे हैं जिसे हम यह कहें कि चमत्कार दिखाया है तो गलत नहीं होगा। जो होना है, वह एक, दो या चार साल बाद आपको करना पड़ेगा, आपको एक राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। आपको केन्द्र, राज्य और लोकल सैल्फ बाडीज के कर्मचारियों को एक समान वेतन देना पड़ेगा। कई वर्षों तक कर्मचारी लड़ते रहे, समान महगाई भत्ते के लिए, तो आखिर हमको करना ही पड़ा। आप यह कदम जल्दी उठाएं बजाय इसके कि लोग आन्दोलन करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम हो जायगा। ··· व्यवधान) इसी प्रकार से शासकीय खर्च में भी कमी करनी पड़ेगी। ऐसी कमी होनी चाहिए जिसको जनता महसूस कर सके। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि वी० आई० पीज० के जब दौरे होते हैं तो राज्य के मंत्रियों और अफसरों की लाईन लग जाती है। हमारा प्रोटोकोल पता नहीं कब का बना हुआ है, उसको रिवाइज करना चाहिए। जहां-जहां हम कमी कर सकते है, वह हमें करनी चाहिए। इसी प्रकार से विदेशी यात्राएं हैं, जिन पर हमारा फारेन एक्सचेंज खर्च होता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि विदेशी यात्राएं कैसे होती हैं। मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप विदेश यात्रा पर नहीं गए तो मैंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि तिकड़म लगाइए और विदेश में घूम-फिरकर मौज कर आ जाइए। विदेश की यात्राएं तिकड़मबाज लोगों के लिए बन्द कर देनी चाहिए। हमारे राष्ट्र का पैसा खर्च होता है। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो राज्यों को सहायता दी जाती है, वह राज्यों की आबादी के अनुपात में देते हैं। जिस राज्य में जितनी संख्या गरीबी की रेखा से नीचे लोगों की है, उसी अनुपात में उनको सहायता मिलनी चाहिए तब जाकर हम बराबरी कर पाएंगे। खनिज पदार्थों की रायल्टी बढ़ाने की बात की गई है, बहुत अच्छी बात है। पब्लिक सैक्टर की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता

हूं। यह रीढ़ की हड्डी है। जहां अच्छा काम हो रहा है ठीक है लेकिन यह नहीं कह सकते कि जो रिजल्ट हम चाहते हैं, वह हमें मिल रहे हैं। निश्चित रूप से उससे बहुत पीछे हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल अफसरों का होता है और उनको कन्ट्रोल करने की आज जरूरत है। वे अफसर आज भी तिकड़म भिड़ा कर ऊपर तक पहुंच जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से हमारा पब्लिक सैक्टर लगातार घाटे में चलता है। मिसाल के तौर पर उद्योग मन्त्री जी स्वयं जांच कर सकते हैं कि बी० एच० ई० एल० जैसे महत्वपूर्ण यूनिट में जिन अफसरों को पिछले दो सालों में उनके कार्यों के कारण डिमोशन किया जाना चाहिए था, उनकी कारगुजारियों के लिए दण्डित किया जाना चाहिए उनको एक प्रोमोशन नहीं, डबल प्रोमोशन दिया गया है फिर कहां से हमारे पब्लिक सैक्टर में स्थिति में सुधार आयेगा। पब्लिक सैक्टर की स्थिति को सुधारने के लिए हमें निश्चित रूप से कुछ सख्ती से काम करना पड़ेगा।

जहां तक वनों की रक्षा का प्रश्न है, हर कोई मानता है कि हमारे देश में वन बढ़ने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उसके साथ-साथ हमें देश में सिचाई सुविधाएं भी बढ़ानी हैं, हमें सड़कें भी बनानी हैं, विद्युत का भी विस्तार करना है, लेकिन हमने देखा है कि ये सारे काम दो-दो साल तक रुके रहते हैं, क्योंकि वे प्रोजेक्ट जिनके लिए वर्ल्ड बैंक मदद करता है, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मंजूर हो चुका है, यह अच्छी बात नहीं है कि हम वनों की रक्षा के नाम पर उस प्रोजेक्ट के मार्ग में आने वाले एक दो पेड़ों को काटने तक की अनुमति न दें। उनको काटने की केन्द्र से अनुमति नहीं दी जाती।

इसके अलावा जितनी एन० आर० ई० पी० की तरह आर० एल० ई० जी० पी० की योजनाएं हैं, जिनकी मंजूरी के लिए हमें केन्द्र के पास आना पड़ता है जिसकी वजह से उनमें अनावश्यक देरी लगती है और सही तरीके से यदि देखा जाए तो मंजूरी मिल भी नहीं पाती है, मेरा निवेदन है कि यह कार्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में कर दिया जाना चाहिए।

उसी तरह से मैं एफ० सी० आई० के बारे में कहना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर आप गेहूं पर सबसिडी देते हैं 50 रुपये और देखने में लगता है कि यह बहुत ज्यादा है। लेकिन आप अपने स्तर पर एक्जामिन करवाइये कि जितना आप खर्च करते हैं, जिन चीजों पर सबसिडी देते हैं, उतना जस्टीफिकेशन है या नहीं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए विदेशी शक्तियां पूरी तरह से जुटी हुई हैं। वे हमें देखना नहीं चाहतीं कि हम तरक्की करें। उसके साथ-साथ इस देश में गद्दारों की भी कमी नहीं है, वे बाहरी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और देश में गद्दारी कर रहे हैं। इस देश में आज तक जितनी उठक-पटक होती रही है, उसके पीछे ऐसे ही लोग हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर यह सरकार 5 साल तक टिक गई, इसने शांतिपूर्वक काम कर लिया तो फिर कोई विदेशी षड़यंत्र या चाल कामयाब होने वाली नहीं है। लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वे भी सोचते हैं कि हमें शायद जल्दी फिर मौका मिल जाए, कुछ समय पहले उनको एक मौका धुप्पल में मिला था। मैं चाहता हूं कि आप अपनी इंटेलीजेंस को थोड़ा मजबूत कीजिए और यदि उस पर कुछ ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत हो तो उसे भी कीजिए। हमें उसमें किसी तरह का गुरेज नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई वह हमारी इंटेलीजेंस की फेल्योर की वजह से ही हुई, हमारी इंटेलीजेंस कमजोर थी। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं

[श्री के० एन० प्रधान]

और आशा करता हूं कि जब तक इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश करें, जब तक आप बराबर ऐसे ही बजट पेश करते रहें और इस देश को खुशहाली की ओर आगे बढ़ाते रहें।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : आदरणीय सभापति जी, मैं आभारी हूं कि आपने वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत 1986-87 के बजट के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मुझे अवसर प्रदान किया। वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि वह देश के गरीबों, किसानों और सभी वर्गों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके बारे में विरोधी दल के लोगों ने अपने-अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए हैं जो तर्क हीन हैं। उसका कारण यह है कि वे समझते थे कि जब वित्त मन्त्री जी सदन में बजट पेश करेंगे तो उसके कारण शायद कर-वृद्धि हो और उन्हें हड़ताल, उपद्रव आदि करने का अवसर मिल जाए लेकिन बजट के बाद उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। इसीलिए वे लोग इस बजट को अपने-अपने तरीके से देखते और विचार करते हैं।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस वर्ष ग्रामीण विकास विभाग को 1985-86 के बजट से अधिक पैसा आबंटित किया है। जिस तरह से इसमें धन का आबंटन किया गया है, मैं समझता हूं कि उससे देश के गरीबों का बहुत बड़ा उत्थान होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 1985-86 में 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, इस साल 1986-87 में वह बढ़ा कर 443 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार से ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में जहां 1985-86 में 400 करोड़ रुपये थे, वहां इस वर्ष 1986-87 में 735 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। उसी तरह से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भी धनराशि बढ़ाकर 428 करोड़ रुपये कर दी गई है।

3·55 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

428 करोड़ रुपया दिया गया और मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आज इस देश के बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति और बंधुआ मजदूर, उनके लिए आवास के लिए पिछले वर्ष 100 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था और इस वर्ष 125 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। मान्यवर, यह कार्य बहुत पुनीत है, जिसको वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है। लेकिन इसमें मेरा निवेदन है कि इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। जो हरिजन आवास बनता है, वह उनके काम के लिए बनता है या नहीं। क्योंकि हरिजन आवास ऐसी जगह पर बनाया जाता है और उसका माडल ऐसा बनाया जाता है कि उसमें हरिजन बहुत ही कम रहते हैं। बहुत से ऐसे मकान मैंने खुद देखे हैं, मऊ आइमा इलाहाबाद में बने हुए हैं, एक भी हरिजन नहीं रहता है। एक और जगह हथगहा में बने हुए हैं, वहां कोई नहीं रहता है। हण्डिया तहसील के अन्तर्गत आसेपुर में हरिजन आवास बनाये गये हैं। मैं खुद वहां गया और जब मैंने देखा, तो पाया कि वह मकान बनकर तैयार हुआ और हरिजन उसमें जा भी नहीं पाया और वह फट गया। इस बात को जब मैंने कलेक्टर

से शिकायत की, तो उन्होंने उसकी जांच की और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी तब उसका बनना बन्द हुआ और दूसरी जगह पर अब बन रहा है। तो इस तरह से जो कार्यक्रम गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए चालू किया जाएं, उसके लिए देखरेख होनी बहुत जरूरी है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने ऐसे आवासों का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखकर एक महान् कार्य किया है क्योंकि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उनके नाम पर गरीबों के लिए आवास बनते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने इस बजट में देखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की इच्छानुसार बीस सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया है जिसके माध्यम से इस देश में बहुमुखी विकास होगा। इस कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष 4,900 करोड़ निर्धारित किया गया था और इस वर्ष 5548 करोड़ रुपया निश्चित किया गया है जिसके माध्यम से सुचारू रूप से इस देश में कार्यक्रम चल सके और किसानों का बहुमुखी विकास हो।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने नत्रजन खाद का उत्पादन वर्ष 1986-87 में 21 प्रतिशत बढ़ाने की बात की है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझता हूं कि खाद बहुत उपयोग की जाती है, हमें इसको विदेशों से भी मंगाना पड़ता है। इसलिए मेरा माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि इसके लिए वे धनराशि आबंटित करके इसका उत्पादन देश में ही बढ़ाने की कोशिश करें जिससे खाद और उर्वरक की जो कमी बढ़ रही है उसको घटा सकें। मान्यवर, फूलपुर में खाद का एक बहुत बड़ा कारखाना है और वहां की इतनी अच्छी खाद बनती है कि वहां स्टाक में बिलकुल नहीं रह पाती है। इसलिए वहां से एक प्रस्ताव यहां पर भेजा गया था कि वहां एक दूसरा प्लांट लगा दिया जाए या उसे ही बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई निर्देश जारी नहीं किया है। मैं वित्त मन्त्री जी से कई बार निवेदन कर चुका हूं कि उस प्रस्ताव को वह स्वीकृति दें। उस पर केवल 275 करोड़ रुपये का खर्चा है और जगहों से जो प्रस्ताव इस संबंध में आए हैं वे चार सौ या पांच सौ करोड़ रुपये के हैं साथ ही वहां पर इतनी सुविधाएं भी नहीं हैं जितनी कि फूलपुर में हैं। वहां पर केवल तीन साल में कारखाना तैयार हो जाएगा जबकि दूसरी जगहों पर करीब 5 साल तैयार होने में लग जाएंगे। तो सरकार को इन सब चीजों को देखना चाहिए कि कहां पर कम पैसा लगेगा और कहां पर जल्दी कारखाना तैयार होकर उत्पादन आरम्भ हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर वे इसको नजरअंदाज करेंगे, तो काम ठीक नहीं हो पाएगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि नवम्बर, 1981 में माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां पर गई थीं उनकी उपस्थिति में, उस वक्त के कृषि मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि यहां पर एक सोडाएश का कारखाना लगेगा, लेकिन उसके बाद वह कारखाना दूसरी जगह पर चला गया। मेरे पता करने पर मुझे मालूम पड़ा कि वहां पर कारखाना इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि वहां पर घाटे में चलता। इसमें मेरा निवेदन है कि अगर वह कारखाना दूसरी जगह घाटे में नहीं चलता है, तो वहां पर घाटे में कैसे चलेगा? जब प्रधान मन्त्री जी की उपस्थिति में कृषि मन्त्री या कोई मन्त्री किसी प्रकार की घोषणा करता है, तो उसका एक महत्व होता है। आज हमारे क्षेत्र में तमाम जनता यह कहती है कि घोषणा होने के बाद वह काम क्यों नहीं हुआ? इससे वहां की जनता में निराशा पैदा होती है और हम लोगों का मान-सम्मान गिरता है।

[श्री राम पूजन पटेल]

उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में और बिहार के पश्चिमी हिस्से में नत्रजन खाद की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है और यहां केवल फूलपुर में एक कारखाना है जो कि पूरे क्षेत्र को खाद देता है और वहां से हिन्दुस्तान के कोने-कोने में नत्रजन खाद जाती है। इसलिए उसकी इतनी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि उस कारखाने का विस्तार करने के लिए आप आदेश देंगे और धन की स्वीकृति प्रदान करेंगे। यदि ऐसा करेंगे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई है वह यह है कि मानव संसाधन के विकास के लिए विशेषरूप से वित्त मन्त्री जी ने ध्यान रखा है। मैं समझता हूं कि आज देश में जो तमाम भ्रष्टाचार, बेईमानी और हिंसा की बात की जाती है, उसका यही करण है कि मानव का चरित्र गिरा हुआ है। बहुत जरूरी है कि हम इतने साधन उपलब्ध करा दें कि हमारा नैतिक स्तर ऊंचा उठे, देश के प्रति प्रेम बढ़े। आज हमें इस ओर अधिक धन लगाने की जरूरत है।

4.00 म० प०

चरित्र निर्माण के लिए गांव में जो नौजवान निकले रहे हैं, उनके लिए कुछ धन की व्यवस्था करनी चाहिए। नवयुवक मंगल दल के माध्यम से ऐसा किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको इतना कम पैसा मिलता है कि 500 रुपये साल में एक ब्लाक को दिया जाता है, इससे विकास नहीं हो पाता है। इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

नई दिशा नीति की ओर विशेष ध्यान सरकार दे रही है। वह नीति इसी सत्र में आने वाली भी है।

वित्त मन्त्री जी ने संसदीय दल की बैठक में कहा था कि सबसिडी किसानों को दी जाती है उर्वरक और खाद्य सामग्री पर, अगर पूरे देश में एक-एक गांव को हम एक-एक नलकूप और एक-एक विद्यालय बना दें तो इतनी सबसीडी देते हैं। अगर यह सही है तो गांव के स्कूल में आप थोड़ा सुधार करवा दीजिए, दूसरी जगह पर सबसिडी कम कर दें तो इससे देश के गरीब बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं उनका विकास हो सकता है। अगर गांव में शिक्षा का विकास आप करावें तो यह आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा। शहर में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और गांवों में पढ़ने वालों का स्तर नीचे रहता है। उनका स्तर भी ऊंचा उठाना पड़ेगा।

आज आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बहुत ही अश्लील चीजों का प्रदर्शन किया जाता है। इससे भी हमारे नौजवानों का चरित्र गिरता है। चरित्र अगर गिर जाता है तो देश का काम ठीक से नहीं चलता है। इसी कारण आज हम सुनते हैं कि हिन्दुस्तान की खबरों को लोग बाहर भेज देते हैं। इसके माध्यम से लोगों का दिमाग बहुत गन्दा होता है।

वित्त मन्त्री जी ने यह भी कहा है कि पर्यटन से सद्भावना और राष्ट्रीय एकता का विकास

होता है। बात सही है। इसके लिए चाहिए कि देश-देशान्तर के जो हमारे धार्मिक एवं रमणीय स्थल हैं, जहां लोग घूमने जाते हैं, उनको अच्छे ढंग से बढ़ावा दें, वहां आने-जाने के साधन बनाएं।

हमारे फूलपुर क्षेत्र में श्रृंगबेरपुर एक स्थान है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटक स्थान घोषित किया है। उसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ अनुदान दे तो बड़ी कृपा होगी।

हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा होना चाहिए। अगर देश बचा रहेगा, देश में प्रजातन्त्र रहेगा तो हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा। इसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। आज भी विदेशी शक्तियां हिन्दुस्तान पर अपनी निगाह लगाये हुए हैं। रक्षा विभाग को और भी अधिक धन दिया जाना चाहिए जिससे विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दुस्तान को अधिक मजबूत करने में हम योगदान दे सकें।

गंगा प्रदूषण के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इलाहाबाद में आकर उसका उद्घाटन भी किया है। इसी तरह जितनी भी नदियां हैं जहां लोग स्नान करते हैं, उनमें इतने गन्दे नाले गिरते हैं कि उनकी भी योजना अवश्य बननी चाहिए।

इसी प्रकार जलाव लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। वनों की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। लेकिन आज गांव और शहर में बिना लकड़ी के काम नहीं चल सकता है। सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है। वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि हम जलाऊ लकड़ी भी लगाएंगे। अगर जलाऊ लकड़ी नहीं होगी तो आगे भोजन बनाना मुश्किल हो जाएगा और सबको कच्चा भोजन करना शुरू करना पड़ेगा। आज लकड़ी 30-35 रुपये मन है। यह इतनी महंगी हो गई है कि लोगों को खर्चा उठाना मुश्किल है। एक परिवार में कम से कम प्रतिदिन 5,10 किलो लकड़ी काम में आती है। आप खुद अन्दाजा लगाइये कि 300 रुपये महीना एक परिवार अगर लकड़ी जलाने पर खर्च करेगा तो वह खाना कैसे खा सकता है। किसी भी परिवार में एक क्लर्क को मुश्किल से 700,800 रुपये तनख्वाह मिलती है उसके लिए जीवन-यापन करना मुश्किल हो जायेगा।

अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में आज भी घाटा जारी है। मेरा निवेदन है कि वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अगर हम इस पर कन्ट्रोल कर लें, इसको ठीक कर लें तो मैं समझता हूं कि हमारा जो घाटा बजट में होता है, वह कभी नहीं हो सकता है। हमको दूसरी जगह टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मन्त्री जी ने कई जगह भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ा है। जो पकड़े गये हैं, उनको जेल मे भेजना चाहिए। अगर वित्त मन्त्री ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सुधार होगा।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि देश में जिस तरह से जमीन पर सीलिंग लगाई गई है, उसी तरह से धन पर भी सीलिंग लगनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास बिना लिखापढ़ी का पैसा मिले तो उसे जेल में बन्द करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी यह चोरबाजारी और कालाबाजारी बन्द हो सकेगी।

[श्री राम पूजन पटेल]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे यह जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है वह मिट सके और हिन्दुस्तान आगे बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : सबसे पहले मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यह बजट इस देश के आम आदमी की आशाओं का प्रतिबिम्ब नहीं है। बल्कि यह तो उन लोगों, खासकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की आशाओं पर तुषारापात करता है।

महोदय, गांवों में गरीबी को दूर करने तथा समाज के कमजोर वर्गों खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों पर अधिक जोर देने के लिए बहुत कुछ कहा गया है।

यहां मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि इस बजट के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 93 प्रतिशत तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अनुसार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भी 51 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 1986-87 में 1594 करोड़ रुपए के लगभग कुल राशि आबंटित की गई है। यह आबंटन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता की बहुलता की तुलना में बिल्कुल अपर्याप्त है। यह शहरी क्षेत्रों को आबंटित की जा रही धनराशि के बराबर नहीं है। मुझे निवेदन करने की अनुमति दी जाए कि बजट के अनुसार पिछले वर्ष 2530 लाख कार्यदिवसों की तुलना में 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 3000 लाख कार्यदिवसों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। महोदय, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेने के लिए यह आबंटन कोई मापदंड नहीं है। इसमें गांव में रहने वाले गरीबों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी ऐजेन्सी है जो इस पहलू की जांच करे कि यह राशि वास्तव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर व्यय की जा रही है ? समाचार पत्रों में मैंने यह खबर पढ़ी है कि योजना आयोग ने किन्हीं श्री जी० वी० के० राव की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए की है क्या इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित राशि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मिल रही है।

महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में लगभग 5,75,000 गांव हैं। 80 प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती है। लेकिन बजट की तुलना में ग्रामीण विकास के लिए केवल 1594 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मेरे विचार से ग्रामीण विकास के लिए आबंटित की जा रही अगर इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो भी यह 1/200 हिस्सा ही बैठेगा। महोदय, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का मतलब है कि यह कार्यक्रम मुख्यत: उन लोगों के लिए है जिनके पास अपने गांवों में कोई जमीन नहीं है। अगर इन योजनाओं के अन्तर्गत इसका उपयोग किया गया

तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि बिचौलियों को लाभ हो रहा है और गांवों में योजनाओं को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उन पर उपयुक्त ढंग से निगरानी नहीं रखी जाती। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं में गरीबों को शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा, मझौले और छोटे किसानों तथा पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस देश में एकदम असफल सिद्ध हुआ है। माननीय मन्त्री जानते हैं कि योजना आयोग द्वारा गठित पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जी० वी० के० राव की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। इस पुनरीक्षा समिति ने स्पष्ट तौर पर कहा था, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप ठीक कर सकते हैं कि गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए बनाई गई इन योजनाओं में उन्हें शामिल नहीं किया गया है"। इसलिए मन्त्री जी को मेरा सुझाव है कि इन योजनाओं पर उपयुक्त ढंग से निगरानी रखी जाए और मन्त्री जी यह आश्वासन दें कि इन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर ढंग से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, मेरा निवेदन है कि ग्रामीण जल सप्लाई न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग है और 1986-87 के लिए 317 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मुझे यह भी कहने की अनुमति दी जाए कि इस माननीय सदन में दिए गए एक उत्तर के अनुसार देश में इस जल समस्या को समाप्त करने के लिए अभी 3000 करोड़ रु० की और जरूरत है। क्या सरकार के लिए खासकर गांवों में पेयजल उपलब्ध कराना सम्भव है ? मैं जानता हूं कि अधिकतर गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं है। मन्त्री जी यह भी जानते हैं कि अधिकतर गांवों में संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें।

श्री एच० ए० डोरा : बल्कि माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बात लाने की भी मुझे अनुमति दी जाए कि 1969 से जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया, कीमतों में वृद्धि हुई है। गेहूं की कीमत दोगुनी हो गई है। अर्थात 1969 में यह प्रति किलो 1.09 रुपए थी और 1986 में इसकी मौजूदा कीमत 2.29 रुपए प्रति किलो है। इसी तरह, 1969 में चावल की कीमत 1.67 रुपए प्रति किलो थी और अब 4 रुपए प्रति किलो है। एक किलो दाल की कीमत 1969 में 3.03 रुपए थी अब 7 रुपए है। 1969 में चीनी की कीमत 2.79 रुपए थी आज एक किलो चीनी की कीमत 7.09 रु० है इसी तरह एक किलो तेल की कीमत 1969 में 5.76 रुपए थी और आज 18.50 रुपए है। अत: जहां तक अनिवार्य वस्तुओं का संबंध है, उनकी कीमतों में दो गुनी या तिगुनी वृद्धि हुई है। लेकिन माननीय वित्त मन्त्री के बजट भाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों द्वारा इस वृद्धि को कम किया जाना चाहिए। ऐसा कोई संकेत नहीं है। इस पहलू विशेष के मामले में वित्त विभाग की गंभीर चूक है।

इसके अलावा, मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दी जाए कि स्वतन्त्रता के 38 वर्षों के बाद भी पेय जल की मूल समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस समय हम 21वीं सताब्दी में प्रवेश करने की सोच रहे हैं। यह कहना बहुत अविश्वासनीय है कि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो हम 19वीं सदी की ओर लौट रहे हैं।

इस देश में समस्याएं अनेक हैं लेकिन इंदिरा कांग्रेस सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ

[श्री एच० ए० डोरा]

किया था जिसका परिणाम शून्य रहा। इसी तरह यह बजट गरीबों के लिए बनाया गया बजट नहीं है। यह इस देश के अमीरों और एकाधिकारवादियों का बजट है।

[हिन्दी]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : सभापति जी, सदन के सामने जो बजट रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बजट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इसको सातवीं पंचवर्षीय योजना को नजर में रखकर बनाया गया है। इस बजट के सम्बन्ध में बम्बई जैसे शहरों में बड़ी-बड़ी मीटिंग कुछ पूंजीपतियों के सपोर्टर्स ने की थी। उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि इस बजट से देश का कोई डवलपमेंट होने वाला नहीं है। वहां पर जो भाषण करने वाले लोग थे, उनकी आंखों पर पूंजिपतियों का लगाया हुआ चश्मा लगा हुआ था। उनकी आंखों के अन्दर की जो दृष्टि थी, वह पूंजिपतियों की दृष्टि थी। यह बजट गरीब लोगों का बजट है और सामान्य से सामान्य आदमी का बजट है। हमारे फारमर्स और छोटी इंडस्ट्री वालों का बजट है। हमारी प्लान्ड इकोनोमी है। हम किसी प्लान के बिना आगे नहीं जा सकते। जिन्होंने प्लान को छोड़कर बिना प्लान के आगे जाने का प्रयत्न किया, उनकी हालत क्या हुई वह इस देश को मालूम है। हमारे बुजुर्ग साथी श्री पटेल साहब बोल रहे थे कि सन् 77 में जनता पार्टी के शासन में शक्कर का भाव ढाई रुपया हो गया था। लेकिन शक्कर का भाव ढाई रुपया होने के बाद इस देश की क्या हालत हुई, वह उन्हें मालूम है। सन् 80 में जब कांग्रेस की सरकार फिर सत्ता में आई तो उस समय शक्कर का भाव 13-14 रुपए हो गया था, उसका कारण यह था कि उन्होंने गलत नीतियां अपनाई थीं। पब्लिक सैक्टर के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं। जब तक इस देश के पब्लिक सैक्टर को अच्छे ढंग से मैनेज नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। आज पब्लिक सैक्टर में बैठे हुए चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और दूसरे बड़े अधिकारी, इस देश में पैदा हुई एक राजशाही है। पहले हमारे देश में बहुत से राजा थे, जिस ढंग से राजशाही वे चलाते थे,उसी तरह से ही ये लोग भी रहते हैं। वह पैसा हमारे देश की गरीब जनता का है जो पैसा सरकार के पास आता है, उस पैसे का व्यय उस ढंग से वे लोग कर रहे हैं। इसलिए हमें पब्लिक सैक्टर की वर्किंग में इम्प्रूवमैंट लाने की आवश्यकता है। जो पब्लिक सैक्टर के उद्योग घाटे में चलते हैं, जिस साल उनमें प्रौफिट नहीं होता है या जहां घाटा ज्यादा रहता है हमें उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को उनके पदों से निकाल कर वहां ऐसे लोगों को लगाना चाहिए जिनके दिल में देश के प्रति सैक्रीफाइस की भावना हो, देश के लिए कुछ करने की भावना हो।

पब्लिक सैक्टर से आगे, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में हमने इन्दिरा गांधी गृह निर्माण योजना के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है कि इससे हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और बौन्डेड लेबर, जो फ्री होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने में मदद दी जायेगी। स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन हाउसिंग के बारे में जहां तक मेरा अनुभव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार के द्वारा जितनी हाउसिंग की योजनाएं चलाई जाती हैं, वे पर्याप्त नहीं होती है और उनसे पूरा बैनिफिट जनता को नहीं पहुंच पाता। इसलिए

इन स्कीमों को सक्सैसफुल ढंग से चलाने के लिए हमें प्राइवेट सैक्टर से कुछ मदद देने के लिए कहना चाहिए। यदि इस काम में हम प्राइवेट सैक्टर का उपयोग करेंगे तभी हम हर साल दो लाख घर बनाने के अपने लक्ष्य को सफलता से पार कर सकेंगे।

इससे भी आगे चलकर मैं फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया की बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में आपने शायद इस साल के बजट में 1750 करोड़ रुपये की सबसिडी देने का निर्णय लिया है। हमें देखना चाहिए कि हम सबसिडी क्यों देते हैं और उसका उपयोग कैसे होता है और उस सबसिडी का फायदा सामान्य आदमी तक पहुंचना चाहिए। आज उस सबसिडी का उपयोग अधिक से अधिक फूड कार्पोरेशन के अन्दर जितने एक्सपैंसेज (expenses) होते हैं, उनके ऊपर किया जा रहा है। हमारी सारी सबसिडी उसमें चली जा रही है।

अब मैं एन०सी०सी०एफ० के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमने एन०सी०सी०एफ० का निर्माण इसलिए किया था NCC is an apex federation of consumer cooperatives at the national level और यदि हम उसकी फंक्शन्स की ओर देखें और प्रोवीजन्स की ओर देखें तो 80 लाख रुपया हमने प्रोवाइट किया है और उनका कार्य है कि वह अपने मैम्बरों को ग्रान्ट दे, कैपिटल इन्वैस्टमैंट करे और कोआपरेटिव मूवमैंट को आगे बढ़ाये। लेकिन आज हम देखते हैं कि एन०सी० सी०एफ० के लोग हमारे बहुत से कोआपरेटिव सोसायटीज को अपना मैम्बर बनाने तक के लिए तैयार नहीं है। कुछ कोआपरेटिव सोसायटीज पिछले 10-10 और 5-5 सालों से उनके पीछे लगी हुई हैं फिर भी आज तक उनको मैम्बरशिप प्रदान नहीं की गई है।

इसके आगे मैं कम्यूनिकेशन के बारे में दो बात कहना चाहता हूं। आपने कम्यूनिकेशन के दो भाग कर दिए हैं और उसके पोस्टल सर्विस के भाग के सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो आपने गांव-गांव में पोस्टल सर्विस का विस्तार कर दिया है और लोग वहां जाकर अपना पैसा सेविंग्स में जमा कराते हैं लेकिन वहां काम करने वाले स्टाफ के लिए सीक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जहां-जहां आपने पोस्टल सेविंग्स की व्यवस्था की है, वहां आप सीक्योरिटी का बन्दो-बस्त भी कीजिए।

अब मैं बम्बई के बारे में आपसे दो बातें करना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं। आप जानते हैं कि बम्बई इंडस्ट्रियन कैपिटल सारे देश की है, और हम भाषणों में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज उसी बम्बई की हालत क्या है। हमने उसके विकास/विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये की आपसे मांग की थी और आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। हमारी संस्था के सैन्टेनरी ईयर सैलेब्रेशन के अवसर पर हमारे प्रधान, राजीव जी ने वायदा किया था··· (व्यवधान) आप भी मांग सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बम्बई को पैसा दिया जाता है तो मद्रास और कलकत्ता को भी दिया जाना चाहिए, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है लेकिन बम्बई "मिनी इण्डिया" है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां बाहर के कई प्रान्तों के लोग आकर काम करते हैं, वहां धंधा करते हैं, काम उन्हें मिला हुआ है, और रोजी-रोटी कमाते हैं।

[श्री अनूपचन्द शाह]

[अनुवाद]

हम बम्बई के विकास के लिए किसी राज्य से पैसा नहीं मांग रहे लेकिन हमें केन्द्र सरकार से मांगने का पूरा हक है।

[हिन्दी]

आप हमारे लिए कुछ बन्दोबस्त करिए। हमारी सेण्ट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए क्योंकि बम्बई ऐसा बड़ा स्थान है जहां भारत के किसी भी कोने का आदमी हो, उसे हम अपने में समा लेते हैं और बम्बई में उसके धंधे का प्रावधान हो जाता है।

आखिर में, मैं इतना कहूंगा कि हमारे विरोध पक्ष ने 30-35 साल के अन्दर सिर्फ विरोध करने का ही काम किया है, लेकिन अब समय पलट गया है और अब एक ऐसा समय आ गया है जब वे अपने कार्यक्रम में कुछ नया कार्यक्रम एड करें और हमारा भी कुछ कार्यक्रम है। आपने विरोध करके भी 35 साल तक देखा है इसलिए अब आप आने वाले 5 साल तक ऐसी बात कीजिए जैसी गीता में कहा है—

"सम गच्छतम् समवधम् समवो मनासि जानतम्"

[अनुवाद]

"अपने देश के विकास के लिए इकट्ठे आगे बढ़ें एकमत से काम करें, बात करें"

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : हमने तय किया है—

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते, मां फलेषु कदाचन्"

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में कुछ अपनी बातों को कहने का मौका दिया है। हमारा मुल्क, हमारा देश अनेक संकटों से गुजर रहा है, बहुत सी कठिनाइयां, वर्तमान सरकार ने जिन नीतियों का अनुसरण किया है, उनसे स्थिति सुधरने लगी है। किन्तु हमारी समस्याएं ऐसी नहीं हैं कि जिनका सहज में अथवा बहुत थोड़े समय में पूरा हल हो सके।

हमारे सामने तीन बड़ी समस्याएं हैं—पहली यह है कि देश की भावनात्मक एकता में मजबूती लानी है दूसरी यह है कि देश की विकास की गति में तेजी लानी है और निरक्षरता एवं व्यापक गरीबी को दूर करना एवं तीसरी यह है कि विदेशी ताकतों से राष्ट्र की सुरक्षा हो।

जो हमारे मुल्क की अभी स्थिति है, उसमें यदि बार-बार बिहार बन्द, बंगाल बन्द, भारत-बंद होता रहेगा, तो इससे देश की हालत कदापि नहीं सुधर सकेगी। इन बन्दों से देश का उत्पादन और उत्पादकता में तो कमी होगी ही बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में और शिथिलता आयेगी। यह प्रायः देखा जाता है कि इस प्रकार के बन्दों में विभिन्न दलों के लोग सामान्य जनता एवं दुकानदारों के साथ जोर-जबर्दस्ती भी किया करते हैं जिससे कि हिंसात्मक प्रवृत्ति को बल मिलता है। ऐसे भी कुछ वर्षों से हमारे देश में हिंसात्मक प्रवृत्ति जग उठी है। हिंसा के वातावरण में न तो देश का विकास हो सकता है और न देश की भावनात्मक एकता में मजबूती लाई जा सकती है। बाहरी ताकतों से बचाव के लिए भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने देश में अपने राजनीति अथवा सामाजिक मतभेदों के निपटारे के लिए हिंसात्मक उपायों का अवलम्बन नहीं करें। मेरी तुच्छ समझ से यह हम सबों के लिए लाजमी है कि देश की मौजूदा हालत में अपने राजनीतिक अथवा सामाजिक मतभेदों के निपटारे के लिए बन्द का तरीका नहीं अपनाएं और मेरी विनम्र प्रार्थना है अपने साथियों से और देश के सभी नेताओं से कि वे इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करें और फैसला लें। यथासम्भव इन बन्दों का आयोजन नहीं करें।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसकी प्रायः सभी ने सराहना की है। कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणियां भी की हैं पर मुझको लगता है कि अभी एक प्रकार से उन्होंने औपचारिकता को निभाया है। वित्त मन्त्री जी के सामने बहुत कठिन समस्या थी। देश का विकास एवं देश की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना आवश्यक था। हमारे देश में गरीबी अभी भी व्यापक है और अतिरिक्त साधनों को जुटाने में प्रायः मध्यम वर्ग एवं कुछ गरीबों पर भी भार देना अनिवार्य हो जाता है। वित्त मंत्री ने जो करों का प्रस्ताव रखा है उससे गरीबों और मध्यम श्रेणी के लोगों पर बोझ नहीं बढ़ेगा, कुछ थोड़ा घटेगा ही। उत्पादन कर में जो संशोधन किए जा रहे हैं, उनसे औद्योगिक पदार्थों के उत्पादन का खर्च कम हो जाएगा और हमारा औद्योगिक विकास प्रोत्साहित होगा। कर सम्बन्धी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लगता है जिससे मुद्रास्फीति में तेजी आने की आशंका हो। विकास योजना के लिए एवं देश की सुरक्षा के लिए बजट में वर्तमान वर्ष की तुलना में संतोषप्रद वृद्धि की गई है और हम यह आशा कर सकते हैं कि अगले वर्ष में विकास कार्यों की गति में कुछ और तेजी लाई जा सकेगी और साथ-साथ देश की सुरक्षा के बंदोबस्त में कुछ और मजबूती आएगी। नितान्त गरीब वर्गों के आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए जो पांच हजार नौ सौ अठान्नवे करोड़ रुपये यानी छः हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वह अत्यन्त ही उत्साहवर्धक है। सरकार स्वयं जागरूक है कि नितान्त गरीब परिवारों के स्तर को ऊंचा करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके सही कार्यान्वियन के लिये जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रशासन में मजबूती लानी होगी और निगरानी बरतनी होगी। जिससे गरीबों के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं, उनका सही रूप में कार्यान्वयन हो सके। मेरी समझ से यह भी आवश्यक होगा कि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिये स्थानीय जनता विशेषकर गरीब जनता का सक्रिय सहयोग उपलब्ध किया जाये। इन कार्यक्रमों के सही रूप से संचालन में कुछ कठिनाइयां इसलिए भी रही हैं कि गरीब वर्गों के अधिकांश लोगों के इन सभी कार्यक्रमों की पूरी और सही जानकारी नहीं है।

अगले वर्ष के बजट में सिंचाई एवं बिजली के विकास के लिए काफी बड़ा प्रावधान किया गया

[श्रीमती माधुरी सिंह]

है और देश के आर्थिक विकास के लिये यह अत्यावश्यक भी है। बिजली के विकास के लिए जो अभी तक पूंजी लगाई गई है, उसका लोगों को पूरा फायदा नहीं दिया गया है। हमारे बिहार राज्य में प्रायः एक दशक से बिजली की बहुत कमी रही है और इससे बिहार राज्य के आर्थिक विकास को काफी धक्का पहुंचा है। मैं जानती हूं कि भारत सरकार एवं बिहार की राज्य सरकार भी बिजली बोर्डों के प्रबन्ध में मजबूती लाने का प्रयास कर रही है और वह प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन वह अभी भी बहुत कम है और बिजली बोर्डों, संस्थानों के प्रबन्ध को सुदृढ़ करने पर और अधिक ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है।

सिंचाई की प्रगति पर भी और ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर हमारे राज्य के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि हमको निजी जानकारी है, सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है। राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवेज की भी बहुत जगहों पर ठीक से मरम्मत नहीं होती है जिससे यातायात में कठिनाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इससे लोगों को असुविधा ही नहीं होती, राज्य की आर्थिक गति पर भी इसका बुरा असर होता है।

संक्षेप में मैं अपने चुनाव क्षेत्र पूर्णिया की समस्याओं का भी जिक्र करना चाहूंगी। पूर्णिया जिला बिहार का सबसे बड़ा जिला है रकबे में भी और आबादी में भी। यह एक सीमावर्ती जिला है उत्तर में नेपाल और पूर्व में बंगला देश। यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के प्रशासन में मजबूती लाने के लिए यथाशीघ्र ठोस कदम उठाये जायें। इस क्षेत्र में ही नहीं, नेपाल के सीमावर्ती सभी इलाकों में सुरक्षा एवं विकास के कार्यक्रम में तेजी लाने की जरूरत है।

पूर्णिया जिले के बारे में मैंने अपने सुझाव भी दिये हैं और मैं कई वर्षों से कोशिश करती रही हूं कि जल्द से जल्द इन सुझावों पर कार्यवाही की जाये। मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन पर कोई विशेष मतभेद की गुंजाइश नहीं है और मैं आशा करती हूं कि सरकार इनके कार्यान्वयन में अब और विलम्ब नहीं करेगी।

अन्त में वित्त मन्त्री जी से जन-प्रतिनिधि होने के नाते एक अनुरोध करना चाहती हूं कि पैट्रोलियम पदार्थों, कुकिंग गैस एवं मिट्टी के तेल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। इस बारे में जन-आक्रोश उभरा है एवं उसके चलते सरकार ने इनकी कीमतों में कुछ कमी की है। मैं इसका स्वागत तो करती हूं, लेकिन मिट्टी के तेल एवं डीजल की कीमतों में जो कमी की गई है, वह नगण्य है। मिट्टी के तेल का उपयोग अधिकतर गरीबों की झोपड़ियों में होता है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसके दाम में और कमी करने की घोषणा करें।

किसान हमारी अर्थ-व्यवस्था का मेरु-दण्ड है। डीजल का उपयोग खेती के उपकरणों में होता है। अतः इसके मूल्य में कमी करने की घोषणा वांछनीय है। एक गृहिणी के नाते कुकिंग गैस की कीमत में भी पर-सिलेन्डर 5 रुपया कम करने के लिए मेरा अनुरोध है। आशा है वित्त मन्त्री जी मेरे इस छोटे से सुझाव पर ध्यान देंगे।

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, यह एक बहुत ही अच्छा बजट है, जो न केवल जन-साधारण के लिए पूर्ण उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को पूरी तरह से प्रतिबिम्बित एवं प्रदर्शित करता है।

सभापति महोदय, एक लम्बे अर्से से नियोजित ढंग से अपने देश में प्लान्ड इकोनामी के जरिये से योजनाएं बनाई जाती रही हैं। आप जानते हैं कि क्रान्तिकारी कार्यक्रम समय सीमा को ध्यान में रखते हुए और रिजल्ट ओरियंटिड कार्यक्रम पूरे देश में फैलाये जा रहे हैं और उसके सुखद परिणाम आपके सामने हैं। इन्हीं बातों को देखते हुए और हमारे युवा प्रधान मन्त्री राजीव जी ने अपने देश को 21वीं सदी में पहुंचाने के लिये न केवल सामान्य रास्ता अपनाना चाहा है बल्कि धमाके के साथ और बड़ी ही द्रुत गति से देश को 21वीं सदी में ले जाने की उनकी चेष्टा है। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप उन्होंने ये कार्यक्रम तैयार कराये हैं।

आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक-ठाक करने के लिये और सही-सही रूप देने के लिये उन्होंने एक विद्वान को इसका दायित्व सौंपा जो कि न केवल विद्वान ही हैं बल्कि बहुत ही सक्षम हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने में उन्हें महारत हासिल है।

यदि हम इस बजट को देखें तो पायेंगे कि बजट की 65 प्रतिशत धनराशि गरीबी दूर करने के लिये रखी गई है और यदि और भी गहराई से देखें तो पाएंगे कि पिछले वर्ष से आई०आर०डी०पी० के माध्यम से 51 प्रतिशत से अधिक, एन० आर० ई० पी० के माध्यम से 91 प्रतिशत से अधिक तथा आर०एल०ई०जी०पी० के माध्यम से 58 प्रतिशत से अधिक धनराशि खर्च करने की व्यवस्था है। यह अपने आप में एक काफी बड़ी बात है।

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी गृह निर्माण योजना के माध्यम से 125 करोड़ रुपये की धन-राशि प्रति वर्ष 2 लाख लोगों को मकान मुहैया करायेगी। यह अपने आप में एक अच्छी बात है। इसी प्रकार से लोगों को सस्ते अनाज की व्यवस्था खासकर आदिवासी इलाके में जहां पर अनाज की विशेष कमी होती है, सस्ते गल्ले की व्यवस्था की गई। नाई, धोबी, मोची, गाड़ीवान को औजार के लिये ऋण आदि देने की व्यवस्था, कारपेन्टर को और अन्य छोटे तबके के लोगों को सुविधाएं देने की व्यवस्था के हर सम्भव प्रयास किये गये हैं।

इसी तारतम्य में यदि आप देखें तो आप पायेंगे कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग जो कि सदियों से निश्चित रकम में गुजारा करते हैं, उनके लिये भी समुचित व्यवस्था है। भविष्य निधि पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत और मकान किराये में 400 की सीलिंग को हटा दिया गया है। जो काल्पनिक आपकी बात थी, जो स्वयं अपने मकान में रहते थे, उन्हें आय कर से छूट की व्यवस्था हुई है।

आपने देखा होगा देश में हैंडलूम सैक्टर तथा लघु उद्योग काफी बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं

[श्री लाल विजय प्रताप सिंह]

और उनकी ओर भी हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर ने समुचित ध्यान दिया है। आपने देखा होगा साढ़े सात लाख तक की इण्डस्ट्रीज को, जो कि हमारे देश में 85 परसेन्ट हैं उनको एक्साइज ड्यूटी से मुक्त रखा गया है। इसी प्रकार आयकर की दृष्टि से हैंडलूम और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के मामले में 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख किया गया है जोकि अपने आप में काफी महत्व की बात है।

आपने यह भी देखा होगा कि मन्त्री जी ने माडवेट के नाम से एक नई योजना पेश की है। यह एक प्रकार का नया परीक्षण शुरू हुआ है। जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है उसमें भी 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का अपने देश में बड़ा महत्व है। चाहे अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की बात हो या नौकरी देने की बात हो - पब्लिक सेक्टर उसमें बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पब्लिक सेक्टर को और अधिक चुस्त बनाने का कार्यक्रम चलाया जाए, क्योंकि देखने में आया है कि जिस पब्लिक सेक्टर का देश की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें कहीं-कहीं कमी दिखाई देती है। इसलिये पब्लिक सेक्टर को ठीक प्रकार से चलाने का प्रयास किया जाए।

देश में मितव्ययिता को लाना बड़ा आवश्यक है क्योंकि यह कहावत बड़ी महत्वपूर्ण है—"मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड।" यदि हम प्रत्येक विभाग में थोड़ी-थोड़ी कटौती करके धन संचित करें तो एक बड़ी रकम बन जायेगी और वह गरीबी उन्मूलन के लिये लाभदायक सिद्ध होगी। मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी ने जो इतनी अच्छी योजना बनाई है उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ायेंगे।

इन शब्दों के साथ, मन्त्री जी ने जो इतना अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम०आर० सैकिया (नवगांव): सभापति महोदय मैं इस बजट में उल्लिखित कुछ मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट में वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि गरीबी दूर करने, कमजोर वर्गों और अमीरों के बीच अन्तर को कम करने तथा समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ उठाना चाहती है। इसके लिए वित्त मन्त्री जी ने गरीबी हटाओ कार्यक्रमों पर वार्षिक परिव्यय में 65 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। शुरू किए गये विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को रियायती बैंक ऋण योजना तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की आवास सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना गत वर्षों के दौरान देश के हर कोने में इन कार्यक्रमों को लागू किया गया है। लेकिन हमने क्या देखा? इन कार्यक्रमों को लागू करने का परिणाम क्या रहा? क्या इन कार्यक्रमों को लागू करने से समाज के अमीर और कमजोर वर्गों के बीच अन्तर कम हुआ?

क्या इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का फल समाज के कमजोर वर्गों को मिला है ? क्या इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय उपलब्ध करा पाया ? इन कार्यक्रमों को लागू करने से कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके ? इसका मूल्यांकन हमें पूरी गम्भीरता से करना होगा।

मैं ऐसे राज्य अर्थात असम का हूं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इन सभी सालों के दौरान हमने देखा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए आबंटित की गई अधिकतर राशि का दुरुपयोग किया गया या उसे किसी और उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया। अधिकतर कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू भी नहीं किया गया। उदाहरण के लिए इन सालों के दौरान मेरे राज्य में असम सरकार ने विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटित सारी राशि को कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के नाम पर व्यय कर दिया।

इस धन को उन्होंने स्वयं को गद्दी में बनाये रखने के लिए खर्च किया है।

इसी तरह के मैं अपने राज्य में अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम के तहत अन्य लोगों की कीमत एक ही परिवार के 2-3 सदस्यों की नियुक्तियां की गई है। इस तरह की बातें वहां अभी भी हो रही हैं।

महोदय, इस सदन की यह देखने की जिम्मेदारी है कि इन कार्यक्रमों के लिए जो धन आबंटित किया जाये उसका सही उपयोग हो, उसको दूसरे कार्यों पर खर्च न किया जाये तथा उसी कार्य पर खर्च किया जाये जिसके लिए वह धन राशि नियत की गई है। यह सदन इन कार्यक्रमों के लिए अनुदान मंजूर कर चुका है। इस तर्क के आधार पर कि इनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों का कार्य है, यह सदन अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता। मेरा सुझाव है कि वित्त मन्त्रालय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्राजय को विभिन्न दलों के सदस्यों की एक समिति गठित करनी चाहिए जो कि इस बात का जायजा ले कि क्या कार्यक्रमों को पूर्णतया लागू किया तथा धन का उपयोग किया गया है अथवा नहीं। उनको यह भी देखना चाहिये कि इस धन राशि का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है।

वित्त मन्त्री ने अपने बजट में देश के प्रत्येक जिले में आदर्श स्कूलों की स्थापना के बारे में उल्लेख किया है जिसका इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया है। लेकिन मुझे आशंका है कि इस योजना का क्रियान्वयन गरीब और अमीर लोगों के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगा। कमजोर वर्गों के लोगों के बच्चे इन स्कूलों में दाखिला हेतु प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं होंगे क्योंकि उनके संरक्षक अपने बच्चों को आर्थिक कठिनाइयों के कारण अच्छा वातावरण प्रदान नहीं कर सकते जिसमें कि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लायक हो सकें।

सफेद पोश या सम्पन्न वर्ग के लोगों के बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और आदर्श स्कूलों में दाखिले हेतु प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की योग्यता रखते हैं। कम सुविधा प्राप्त तथा कमजोर वर्ग के लोगों की कीमत पर समाज के धनाढ्य वर्ग पर पैसा खर्च किया जा रहा है। अतः

[श्री एम० भार० संकिया]

मेरा नम्र निवेदन है कि धन कमजोर वर्गों के लिए खर्च किया जाना चाहिए जो शहरों से बहुत दूर रह रहे हैं। अच्छी परिस्थितियां पैदा करने के लिए बच्चों को अच्छी भौतिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह आदर्श स्कूलों की स्थापना सम्बन्धी विषय पर फिर से विचार करे।

जहां तक हमारी भुगतान सन्तुलन की स्थिति का सम्बन्ध है, मैं यह देखता हूं कि यह बढ़ते हुए आयात और घटते जा रहे निर्यात का परिणाम है। अतः भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए हमें अपने निर्यात को बढ़ाना चाहिए। चाय के निर्यात को बढ़ाने की काफी गुंजायश है और इससे काफी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। अतः सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए क्षेत्र माध्यम तथा श्रेणी के आधार पर निर्यात कोटा निर्धारित करने की वर्तमान व्यवस्था को उदार बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार को अपने तथा विदेशों के मध्य हुए व्यापार समझौतों के द्वारा देशों को अपने टैरिफ दरों में कमी करने के लिए रजामन्द करने का प्रयास करना चाहिए जिससे चाय के निर्यात को बढ़ाया जा सके। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश से अधिक मात्रा में तथा बढ़िया चाय का आयात करने की बजाय अर्जेन्टीना इन्डोनेशिया, चीन तथा कीनिया से बड़ी मांग में तथा घटिया चाय का आयात किया है। अतः वित्त मन्त्री से मेरा यह अनुरोध है कि भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार को इस बात के लिए राजी करने के लिए जोरदार प्रयत्न करना चाहिए कि वह अन्य देशों से चाय आयात करने की बजाय भारत से बढ़िया किस्म की चाय आयात करे।

आयकर का जहां तक सम्ब ध है, हम भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करते हैं। केवल हम ही नहीं संसद के सभी सदस्य चाहे वे किसी भी राजनितिक या धर्म से सम्बन्धित हैं तथा विवेकशील साधारण जनता भी इन उपायों का स्वागत करती है। पर मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह एक बात का ध्यान रखें। भ्रष्ट राजनितिज्ञों को इन उपायों से अलग नहीं रखना चाहिए। हमारे पास राजनैतिक शक्तियां हैं जो हमें लोगों द्वारा दी गई हैं। हमें उस शक्ति को लोगों की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। कुछ राजनितिज्ञ इस शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करने की बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। वे बेनामी सौदों द्वारा विशाल सम्पत्ति और धन जुटा लेते हैं। यदि इस तरह के भ्रष्ट राजनितिज्ञ इन उपायों के अन्तर्गत नहीं लाए जाते तो समाजवाद का क्या तात्पर्य है? अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने का क्या अर्थ है? सबको सामाजिक न्याय देने का क्या अर्थ है? हमें इस तरह के बड़े लोगों को पकड़ने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम अपने वांछित उद्देश्यों में सफल हो सकें।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : मैं इस वर्ष के बजट का समर्थन करता हूं। पिछले वर्ष जब बजट संसद में पेश किया गया था तब प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इसे युगान्तरकारी बजट कहा था। पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट संतुलित है क्योंकि इसमें जटिल कराधान प्रणाली नहीं है।

जब पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि हुई तो देश के विभिन्न भागों के लोगों को डर था कि इससे अनावश्यक मुद्रा स्फीति होगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान बजट की उत्सुकता से इन्तजार कर रहा था। परन्तु जब बजट पेश हुआ तब ज्ञान हुआ कि बजट इतना सामान्य है कि इसमें किसी को भी कोई दोष नजर नहीं आया।

मैं कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। यह कहा गया है कि जब हम थोक मूल्यों को देखते हैं तो सामान्यतः इनको स्थिर पाते हैं। पर जब सामान्य उपभोग की वस्तुएं लोगों तक पहुंचती हैं तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण प्रभावशाली वितरण प्रणाली का न होना है। केरल जैसे कुछ राज्य ही हैं जहां प्रभावशाली वितरण प्रणाली है अतः जब तक खाद्यान्न, मिट्टी का तेल जैसी सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उचित कीमतों पर नहीं दी जाती, हम स्फीति को नहीं रोक सकते।

दूसरी बात यह है कि सन् 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य की बात बहुत की जा रही है। पर जब हम बजट आबंटन की तरफ ध्यान देते हैं तब मालूम पड़ता है कि स्वास्थ्य विभाग को 200 करोड़ रुपये दिये गए हैं और 530 करोड़ रुपए परिवार नियोजन के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार यह हमारे देश में औसतन एक रुपया प्रति व्यक्ति पड़ता है। इससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया जाता औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में चाहे हम कितनी ही उन्नति करे हैं, इसका लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा।

5.00 म० प०

हम प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता को व्यापक बनाने की बात कर रहे हैं। हम इसको प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं कर सकते। विभिन्न संस्थाओं द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को देखते हैं तो ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या घट रही है क्योंकि मां-बाप के गरीब होने के कारण बच्चों को किसी न किसी नौकरी पर जाना पड़ता है। तमिलनाडु में वे छापेखाने में काम करते हैं। काश्मीर में वे अपनी आजीविका कमाने के लिए गलीचा उद्योग में काम करते हैं। अतः 5 वर्ष से 14 वर्ष की बीच की आयु वाले बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं क्योंकि उनके माता-पिता इतने निर्धन हैं कि वे उनको स्कूल भेजने का खर्च वहन नहीं कर सकते। उनको भोजन नहीं मिलता। अतः राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को जो प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, दोपहर का भोजन देने की योजना का क्रियान्वयन करते हैं, तो वास्तव में प्राथमिक विद्यालयों में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी नहीं आएगी।

बैंको में कार्यरत लोगों के दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आया है। मैं कोचीन से आया हूं जो केरल की औद्योगिक राजधानी है। पहले बैंक वाले बड़े उद्योगपतियों के घर जाते थे और उनको जितना धन चाहिए था देते थे। मेरी जानकारी में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे ये दी गई रकम वापस नहीं ले सके। परन्तु एक निर्धन व्यक्ति जब बैंक से 500 रु० या 1000 रु० या 5000 रु० ऋण के तौर पर लेने जाता है उसको बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पिछले शनिवार को हम

[प्रो० के० वी० थामस]

एक बड़े ऋण मेले में गए जहां पुजारी जी स्वयं उपस्थित थे। वहां उन्होंने पाया कि एक गरीब व्यक्ति को 500 रु० ऋण लेने के लिए 3-4 बार बैंक जाना पड़ता है। बैंक अधिकारियों ने उस व्यक्ति को 12 से 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिए कहा। पुजारी जी ने बैंक वालों से कहा कि वे गरीबों से इतनी अधिक दर पर ब्याज न लें। उन्होंने गरीबों को 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने को कहा तब उन्होंने बैंक वालों से कहा कि वे गरीबों को उतना ऋण दें जितने के वे अधिकारी हैं। उन्होंने एक चर्मकार से पूछा कि उसे कितने ऋण की आवश्यकता है और कितना उसे मिल चुका है। चर्मकार ने कहा कि उसे 1000 रु० चाहिए थे पर उसे केवल 500 रु० दिए गए। अतः बैंक क्षेत्र में, छोटे किसानों लघु उद्योगपतियों और इसी प्रकार के अन्य व्यवसायियों की सहायतार्थ बैंक वालों को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। अतः हमारी दिलचस्पी उन लोगों की सहायता करने में होनी चाहिए जिनको वास्तव में सहायता की आवश्यकता है इस प्रकार इन जरूरतमन्द लोगों की सहायता करने की बजाए अभी भी हमारे बैंक बड़े घरानों की सहायता करने में दिलचस्पी रखते हैं।

जब हम बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे महानगरों में जाते हैं तो हमें एक तरफ तो गगन चुम्बी इमारतें देखने को मिलती हैं और उन्हीं के साथ दूसरी तरफ उनके पास झुग्गी झोंपड़ियों वाला क्षेत्र है। जब आप बम्बई हवाई अड्डे के ऊपर से उड़ान भरें तो आपको एक तरफ गगनचुम्बी इमारतें तथा उसी के साथ दूसरी तरफ विस्तृत झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्र देखकर शर्मिन्दगी का एहसास होगा।

गंदी बस्तियों के फैलाव को रोकने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं। उन्हें ज्यादा अच्छी सुविधाएं देने के लिए आप क्या प्रभावकारी कदम उठा रहे हैं। मैंने कई गन्दी बस्तियों को देखा है। क्या हम उन्हें अच्छी जल निकासी सुविधाएं पेय जल व्यवस्था आदि सुलभ नहीं करा सकते। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो अच्छा जीवन बिताने में मानव के लिए ये बहुत जरूरी हैं।

हमें इन गन्दी बस्तियों में रहने वालों की मदद करने का कोई तरीका निकालना होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

प्रो० के० वी० थामस : समाप्त करने से पहले, मैं एक सुझाव और दूंगा। आपातकाल के दौरान हरेक दुकान पर एक बोर्ड लगा होता था उस पर चीजों की कीमत अंकित होती थी लोग उसे पढ़कर कीमतें दिया करते थे। आजकल कोई भी दुकानदार न तो बोर्ड ही लगाता है और न ही कीमत लिखता है। किस्म की तो बात ही छोड़िए, कोई यह भी नहीं जानता इसकी कीमत क्या है तथा वसूल क्या की जा रही है। अगर दुकानदार कहता है 100 रु० तो हम दे देते हैं या अगर वह कहता 50 रुपए तो हम वह कीमत भी देते हैं। इसका कोई न कोई रास्ता निकालना है तथा प्रत्येक मीटर कपड़े पर उसकी कीमत छपी होनी चाहिए। विक्रय मूल्य कपड़े पर अंकित होना चाहिए। मेरे विचार से इन मामलों में भी लोगों को ठगा जाता है।

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूंगा। मैं केरल से आया हूं मैं नारियल के बारे में कुछ

जानता हूं नारियल के उत्पादन में उतार चढ़ाव आता रहा है। और इसी प्रकार उसकी कीमतों में भी उतार-चढ़ाव आता रहा है। अगर पैदावार ज्यादा होती है तो कीमतें कम हो जाती हैं और जब उत्पादन में कमी आती है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष नारियल का उत्पादन कम हुआ था तो उसकी कीमत भी गिर गई जबकि किसानों ने सोचा था कि इसकी कीमत स्थिर रहेगी। अधिकतर उत्पादन इकाईयों में ऐसा ही हो रहा है।

एक और मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं वह सहकारी क्षेत्र के बारे में। आपने इस क्षेत्र के लिए 30 करोड़ रुपये दिए हैं। अभी तक केन्द्र के पास कोई भी नहीं आया है। अभी भी किसान उचित धन प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि किसानों की सहकारी समितियां नहीं हैं।

स्थिति से पता चलता है कि नारियल के उत्पादन के लिए कृषकों द्वारा हजारों रुपये लगाए जाते हैं। जब तक सहकारी समितियों की स्थापना नहीं हो जाती कृषकों को नारियल, कोपरा तथा अन्य चीजों के उचित दाम मिलने की आशा नहीं है। छोटे कृषकों के लिए विपणन की व्यवस्था नहीं है तथा उचित विपणन व्यवस्था के अभाव में वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य बहुत सी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा कार्य-क्रमों के क्रियान्वयन के द्वारा अधिक सुधार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, सारे हिन्दुस्तान में सब तरह के लोग इसे पसन्द कर रहे हैं। जहां भी जाइये चाहे गरीब हो, बिजनेस-मैन हो, कोई भी आदमी हो, वह इसको पसन्द कर रहा है। क्योंकि इस तरह का बजट पहले कभी नहीं आया था जो कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस सदन में पेश किया है।

इस बजट के शुरू में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गाइडलाइन दिया है यह बजट के प्री एम्बल के माफिक है।

> "कमजोर वर्गों पर दबाव डालने वाले सामाजिक बंधनों को समाप्त करके विकास के साथ-साथ समानता और सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिये। समाजवाद के बारे में हमारी विचारधारा का यही सार है।"

यही हमारा ध्येय है, यही इच्छा है, यही पार्टी की लाइन है। वित्त मंत्री को समाजवाद की तरफ जाना चाहिये। इस तरफ जाने के लिये क्या रास्ता अपनाया जाये, इस बजट में उसका थोड़ा आभास मिला है।

इस बजट में जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहा गया है।

[श्री अनादि चरण दास]

5.10 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आप सोशल सिक्योरिटी उन लोगों को दे रहे हैं जिनका परिवार एग्रीकल्चर में है। इससे गरीब लोग जो कि देहात में रहते हैं और खेती का काम कर रहे हैं और बहुत अधिक कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा। इसमें मेरा एक सुझाव है कि हमारे देश में जितने आदमी हैं सबको एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड दें। इससे पता चल सकेगा कि आदमी का सोर्स आफ इनकम क्या है, उसकी क्या मांग है और आगे जाकर वह क्या करना चाहता है। इससे हमारा जो समाजवाद की ओर बढ़ने का लक्ष्य है वह भी पूरा हो सकेगा।

साथ ही साथ एक फैमिली पंजीका भी होनी चाहिये जिसमें परिवार के हैड-मैन और उसके बाल-बच्चों का नाम आदि होना चाहिये। वह जो भी पैसा खर्च करता है, वह भी उसमें दर्ज होता आये। कितने आदमियों को बेनिफिट मिल रहा है और कितने लोग अभी भी शोषित और पिछड़े हुए हैं, वह सब पता करने में भी आसानी होगी। फैमिली का बंटवारा होने पर भी पता करने में आसानी होगी। आज हम देखते हैं कि जो परिवार पहले बहुत गरीब था, वह बाद में काफी अमीर हो गया है, वह भी मालूम हो जायेगा कि किस प्रकार से वह अमीर हो गया है।

हमने यह भी देखा है कि सारा पैसा एक ब्लाक में ही खर्च हो रहा है। आंकड़े देखने से मालूम हुआ है कि 20 लाख रुपया हर वर्ष ब्लाक्स पर खर्च होता है। यही कारण है कि गांवों का डेवलपमेंट कम हो पाता है। हमने देखा है कि ब्लाक से पैसा चोरी करके कुछ लोग घर बनाते हैं। इससे एक परिवार के तो 3-4 घर बन जाते हैं और किसी को एक भी घर नहीं मिल पाता है। मैंने पिछले सैशन में कहा था कि अगर आप समाजवाद की तरफ आना चाहते हैं तो एक परिवार को एक ही घर मिलना चाहिये।

आज आपने आई०आर०डी०पी० और कई अन्य प्रकार की स्कीमें रखी हैं। इन योजनाओं से आप गरीबों को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन गरीबों को उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। रास्ते में जो दलाल लोग हैं वह पैसा खा जाते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने भी कहा है कि दलाली नहीं चलेगी। अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो शोषण का रास्ता जहां है उसे बन्द करें। इसी से देश में समाजवाद लाया जा सकता है। अगर हम यह करेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे।

हमारे देश में इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काफी कदम उठाये गये हैं पिछले कुछ सालों में, मेरा सुझाव है कि औद्योगिक कर्मचारियों को जो बोनस दिया जाता है, जिस आर्गेनाइजेशन में काम करते हों वहीं पर उस रकम से वे शेयर्स खरीद लें। आप उनको सारा का सारा पैसा नकद मत दीजिए बल्कि इस प्रकार से उस पैसा को इन्वेस्ट करा दिया जाए।

मैं एक बात दो कम्युनिटीज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं—एक तो वीवर्स और दूसरे रिक्शा पुलर्स। इन दोनों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वीवर्स कम्युनिटी के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी द्वारा एक स्टडी की गई थी और समिति ने अपने कुछ सुझाव भी दिए थे लेकिन उनके ऊपर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। आप देखेंगे कि उनमें दो-तीन परसेन्ट से ज्यादा एजूकेशन नहीं है। इतनी कम पढ़ाई-लिखाई होने पर आप किस प्रकार से आशा कर सकते हैं कि वे आगे बढ़ पायेंगे। वीवर्स की तरह से रिक्शापुलर्स की भी बड़ी बुरी दशा है। उनकी अगली जेनरेशन भी रिक्शापुलर ही बन रही है। यदि इस प्रकार से वे रिक्शापुलर ही बने रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी तो उनके परिवारों को आप किस तरह से आगे बढ़ा पायेंगे। पढ़-लिख जाने पर जरूर वे कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। आज पढ़ा-लिखा न होने के कारण सरकार द्वारा जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनको उठा पाने की स्थिति में वे नहीं हैं। कारण यह है कि उनको उनका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए उनके सम्बन्ध में कोई स्टडी और प्लानिंग की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से बीड़ी वर्कर्स के बच्चों को आप स्टाइपेन्ड देते हैं उसी प्रकार से रिक्शा पुलर्स के बच्चों के लिये भी स्टाइपेन्ड देने की व्यवस्था कराइये।

मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि आजकल 25 से 75 परसेन्ट तक जो सबसिडी आप वीकर सेक्शंस, गरीब लोगों को देते हैं उसको देने के बजाए अच्छा यह होगा कि आप इंट्रेस्ट-फ्री लोन देना आरम्भ कर दीजिए। यानी सौ रुपये के बदले में आप सौ रुपये ही वसूल कीजिए। इसका नतीजा यह होता है कि कम से कम जो बीच में उनका खर्चा हो जाता है वह कुछ बच सकेगा। अभी तो वे 33 परसेन्ट ही अपने घर ले जा पाते हैं। परिणामस्वरूप जो आई०आर०डी०पी० के प्रोग्राम चल रहे हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए इसकी ओर भी मन्त्री जी को विचार करके कदम उठाना चाहिए। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं।

आप खर्चा करने के लिये कह रहे हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ट्रांसपोर्ट पर मनमाना खर्च कर रही हैं। यदि आप कन्वेयन्स एलाउन्स तथा गाड़ी खरीदने के लिये लोन देने की व्यवस्था कर दें तो सरकार के खर्चे में बहुत कमी हो जायेगी।

दोयतारी मिनी स्टील प्लांट के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे इलाके में पड़ता है। पांच साल पहले यह शुरू हुआ था, अभी तक केवल 9 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जबकि उसके लिये 100 करोड़ की आवश्यकता होगी। इस साल आप केवल 61 लाख रुपया ही खर्च करेंगे। इस तरह से कैसे काम चलेगा। कम से कम इस स्टील प्लांट को ही आप पूरा करवा दें तो हमारे इलाके की कुछ भलाई हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : महोदय, बजट से माननीय वित्त मन्त्री जी की साहस, दूरदर्शिता तथा दृढ़ता प्रतिबिम्बित होती है। इसमें कमजोर वर्गों, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों, वेतनभोगियों आदि के हितों का संरक्षण किया गया है। इसमें शहरी निर्धन व्यक्तियों को रियायती दर के कर्जों के

[श्री सोमनाथ रथ]

रूप में नये प्रोत्साहन दिये गये हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो कितयों में 65 प्रतिशत वृद्धि की गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परन्तु मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि यह रकम वास्तव में लाभभोगियों तक तथा जिन लोगों के लिये कार्यक्रम बनाये गये हैं उन लोगों तक पहुंचे। यह बीच में ही न हड़प लिये जायें। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि एक निगरानी सम्बंधी एजेन्सी बनाई जानी चाहिये जिसका कार्य यह देखना हो कि यह रकम सही ढंग से खर्च की जा रही है अथवा नहीं। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला तथा संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में पूंजी में वृद्धि की जा रही है।

महोदय, खाद्यान्न पर राज सहायता, के कारण कर्ज भुगतान के कारण, रक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के खराब कार्य निष्पादन के कारण है बजट पर सम्बन्धी पड़ने वाले दबावों के बारे में वित्त मंत्री जी ने जो चिंता व्यक्त की है, वह उचित ही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा उससे सम्बन्धी क्षेत्रों में 4057 करोड़ रुपये के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, 1986-87 के योजना व्यय में कृषि के लिये बजट में 917 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जाना एकदम उचित है तथा यह कुल प्रावधान का 1/5 से अधिक है। खाद्यान्न के लिये 1750 करोड़ रुपये तथा उर्वरक के लिए 1950 करोड़ रुपये की राज सहायता का प्रावधान बजट में किया गया है। यह सरकारी राजकोष पर काफी बड़ा भार है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक प्राप्त हों, उर्वरकों पर राज सहायता देना जरूरी है।

अब मैं खाद्यान्नों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। खाद्यान्नों का वितरण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। निगम की वितरण तथा संभाल लागत, भंडारण तथा लाने-ले-जाने में नुकसान की व्यवस्था के बिना, 50.59 रुपया प्रति क्विंटल है। इसी तरह से खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के संचयित स्टाक की देख-रेख के लिये 50.15 रुपये प्रति क्विंटल की ऊंची रकम अदा करनी पड़ती है। इसमें भी भंडारण तथा लाने-ले-जाने में हुए नुकसान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इन प्रभारों को कम करने के लिये विशेष जांच कराये जाने की आवश्यकता है। वित्त मन्त्री जी ने चीनी तथा तिलहन के कम उत्पादन पर चिंता व्यक्त की है। मैं कहूंगा कि चीनी के कम उत्पादन का कारण सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली चीनी की दोहरी कीमत प्रणाली है। महोदय, चने, दालों तथा तिलहनों की अन्य किस्मों की ज्यादा उपज के लिये उनकी नई किस्में इजाद करना आवश्यक है। हमारी गेहूं क्रान्ति उन्नत किस्मों के बीजों की वजह से हुई न कि राज सहायता देने की वजह से। वित्त मन्त्री जी ने बजट भाषण में यह भी बताया है कि फलों की खेती के लिये भी फसल बीमा योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव है। यह योजना गेहूं, बाजरा, धान, दालों, तिलहनों आदि के लिये शुरू की गई है वह भी उन कृषकों के लिये जिन्होंने बैंक से ऋण लिया हुआ है। मुझे खेद है इस योजना से कर्ज लेने की प्रवृति बढ़ेगी। इसलिये यह सुविधा सभी कृषकों को दी जानी चाहिये न कि सिर्फ उनको जिन्होंने बैंक से ऋण लिये हैं। यह सभी किसानों के लिये होनी चाहिये तथा इसमें सम्पूर्ण हानि की पूर्ति की जानी चाहिये न कि आंशिक रूप में। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

योजना आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि तथा कुल परिव्यय में 40 प्रतिशत की वृद्धि काबिले तारीफ है। गृह निर्माण योजना तथा ग्रामीण जल आपूर्ति एवं बुनियादी ढांचों के बनाये जाने से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ होगा। कृषि तथा सिंचाई पर ज्यादा जोर दिया गया है। मेरा सुझाव है कि बड़ी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देने की बजाय जल उपयोग ढांचे अथवा जल क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना ज्यादा अच्छा है। साथ ही कृषकों को विज्ञान एवं तकनीक से अवगत कराया जाना चाहिये तथा फसल प्रणाली इस प्रकार की हो कि यदि हम किसी फसल की जगह अन्य फसल उगाना चाहें तो जल व्यवस्था बिना आड़े आये, ऐसा करना मुमकिन हो। ज्यादा उत्पादन के लिये ये प्रमुख बातें हैं।

महोदय बजट के बारे में मैं 'इंडियन एक्सप्रेस' दिनांक 1-3-86 के सम्पादकीय का पहला वाक्य उद्धृत करूंगा :—

> "जो लोग श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में नहीं जानते या उनके प्रति ईर्ष्याभाव रखते हैं वे ही लोग उन्हें बधाई देने में आनाकानी करेंगे। उन्होंने गत वर्ष जो आर्थिक नीतियां प्रतिपादित की हैं उनके परिणामों के बारे में जो कई गलत धारणायें बना ली गई हैं वे धारणायें उनकी इन आर्थिक नीतियों से दूर हो जाती हैं।"

महोदय, कर राजस्व में वृद्धि हुई है तथा कर अपवंचकों के तथा तस्करों के विरुद्ध छापे मारने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिये। इस समय मैं वित्त मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मध्य पूर्वी देशों में भारत से मजदूरों को भेजने तथा भारत में भी उनके द्वारा काम कराये जाने के सम्बन्ध में एक बड़ा घोटाला हो रहा है। कम्पनियां जो बिना किसी अधिकार के मजदूरों को भेजती हैं, वे उप-ठेकेदारों की नियुक्तियां करती हैं। एक बड़ा भारी घोटाला वर्षों से हो रहा है तथा इसमें करोड़ों रुपये की गड़बड़ी हो रही है, उन मजदूरों से काफी बड़ी रकम वसूल की जाती है। उड़ीसा में प्रति मजदूर 10,000 से 12,000 रुपये लिये जाते हैं तथा उन्हें इस आशा में कुछ समय के लिए भारत में ही मंजूरी करनी पड़ती है कि उन्हें बाहरी देशों में भेजा जायेगा तथा अन्त में उन्हें भेजा नहीं जाता परन्तु कभी-कभी भेजा जाता है। मैं दिल्ली की कोंटिनेन्टल कंस्ट्रक्शन कम्पनी तथा कई अन्य कम्पनियों का उदाहरण दे सकता हूं। जब इन मजदूरों को अपनी मजूरी का रुपया बाहर से मिलता है तथा भारत में पहुंचता है तो उसका 10 या 15 प्रतिशत उप-ठेकेदारों को जाता है जिन्होंने मजदूरों को इन कम्पनियों मे भेजा है। ये सभी दस्तावेज बैंक से पकड़े जा सकते हैं जहां उन्होंने अपने खाते खोले हों तथा दफ्तरों से उनके रिकार्ड आदि। ये लोग करों की चोरी करते हैं, ये लोग अपराधी हैं, इन्होंने कई अपराध किये हैं। अगर माननीय वित्त मन्त्री जी चाहें तो मैं उन्हें ब्यौरा दे सकता हूं। अगर इस घोटाले का भंडा-फोड़ होता है तो दिल्ली, बम्बई एवं अन्य स्थानों से लाखों रुपये की राशि के कर अपवंचन का पता लगाया जा सकेगा। ऐसा किया जाना चाहिये तथा मजदूरों को राहत मिलनी चाहिये। मजदूरों की मजूरी की 10 से 15 प्रतिशत की जो कटौती की जाती है तथा उप-ठेकेदारों को दी जाती है वह उन्हें वापस दिलानी चाहिये तथा कार्यवाही की जानी चाहिये।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तान्तरण के विषय में यह आलोचना

[श्री सोमनाथ रथ]

की गई है कि केन्द्र पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन बजट अभिभाषण में ही कहा गया है कि केन्द्र द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तान्तरण 1985-86 में 7500 करोड़ तक बढ़ गया है, जो 1984-85 से 51 प्रतिशत अधिक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 1984-85 के स्तर से 1985-86 में 42 प्रतिशत अधिक है। व्यक्तिगत आय कर एकत्र करने के विषय में 1985-86 के बजट अनुमान से 36 प्रतिशत अधिक है और वसूली हुई राशि का 85 प्रतिशत राज्य को जाता है अर्थात बजट अनुमान से 508 करोड़ रुपये अधिक। 1986-87 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्यय में बढ़ोत्तरी 1985-86 की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

बजट भाषण में की गई इन टिप्पणियों से विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर मिल जाता है। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि यह बजट एक लोकप्रिय बजट है। यह 2 रु० प्रति किलो चावल देने के बारे में प्रचार करता है क्या यह सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का कार्यक्रम नहीं है। कुछ राज्य विद्यार्थियों को मध्यान्ह का भोजन भी देते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : तब तो हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ रथ : वे अनावश्यक आलोचना करते हैं। मैं अपने आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के कुछ शब्द उद्धृत करता हूं।

राष्ट्र के विकास के लिए हमें कुछ त्याग करना चाहिए इसलिए प्रशासनिक मूल्य में कुछ बढ़ोतरी हुई है। उसके बारे में व्यर्थ ही इतनी चिल्लाहट मचाई जा रही है। प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में बजट के एक अन्य उद्देश्य का भी पता चलता है। वह यह है कि इससे देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। अपने विकास के लिए यह विदेशों पर निर्भर नहीं करेगा। यह दूसरे देशों का पिछलग्गू नहीं होगा बल्कि अगर संभव हुआ तो विश्व शान्ति और निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में यह दूसरे देशों का नेतृत्व करेगा।

अन्त में मैं सुझाव दूंगा कि ये सहायता जो गरीब वर्गों को उपलब्ध करवाई जाती है, उनके पास पहुंचनी चाहिए और सांसदों को विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें खण्ड समितियों और जिला समितियों का सदस्य बनाया जाना चाहिए जिससे इनमें हिस्सा लेने से उन्हें उन खण्डों की वास्तविक हालत का पता चल सके। बल्कि केन्द्र द्वारा यह आदेश दिया गया है कि राज्य स्तर और जिला स्तर की समितियों में सांसदों को, जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, आमन्त्रित किया जाना चाहिए परन्तु इस निर्देश की अवहेलना उसके अनुपालन से अधिक होती है।

मैं वित्त मन्त्री को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट गरीबों को अधिक राहत देगा। इस आलोचना का यह बजट में उल्लिखित घाटों की राशि से मुद्रा स्फीति बढ़ेगी उत्तर वित्त मन्त्री ने बिल्कुल ठीक दिया है। कि अधिक उत्पादन और राजस्व की अधिक वसूली से यह घाटा पूरा होगा। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने न केवल इस विषय में विशेषज्ञों को बल्कि विपक्षी दलों का और

जनसाधारण को भी बोलने एवं बजट पर ठीक विवाद के लिए बुलाया है जिसका उद्देश्य राष्ट्र का विकास और उद्देश्यों की पूर्ति है।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्तावों का मैं विरोध करता हूं। भारत के लोगों ने पहले ही इस बजट के प्रति अपना दुःख और रोष प्रकट किया है और सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि इस बजट के कारण 26 फरवरी को भारत बन्द सफल हुआ। पैट्रोलियम पदार्थ, डीजल, मिट्टी का तेल और अनाज इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि बजट के पहले ही हो गई थी।

सरकार अपने जाल में स्वयं ही फंस गई है भेदभाव की भावना से स्वयं ही फंस गये हैं। क्योंकि स्वतन्त्रता के बाद से ही उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया है और मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली आजकल हो गई है भिन्न-भिन्न सार्वजनिक उपक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पहले से ही बहुत अधिक धन व्यय किया जा चुका है और सत्ताधारी दल ने यह भी स्वीकार किया है कि सामान्य लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और कुछ इतने धनी हो गये हैं कि वे यह भी नहीं जानते कि इतने अधिक धन का क्या करें यह लाभ दिलाने वाला सामाजिक ढांचा हमारे देश में चल रहा है।

निजी क्षेत्र के उद्योगों व्यक्तिगत सहसियों के लाभ के लिए बने हुए हैं जब तक उनको लाभ प्राप्त होता रहता है उद्योग चलते रहते हैं और जब कभी घाटा होता है मालिक स्वयं कारखाना बन्द कर देते हैं और दूसरा उद्योग खोलने के लिए इसमें से धन निकाल लेता है। इसलिए एक उद्योग को बन्द करना स्वयं में ही एक उद्योग बन गया है वे उसे सरकार को सौंप देते हैं और दूसरा कारखाने के लिए इसमें से सारा सामान निकाल लेते हैं। आपका इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। अब आपके पास लाखों उद्योग हैं जो या तो बन्द हैं या बेकार पड़े हैं या व्यर्थ होने जा रहे हैं। उन कारखानों को पुनः चलाने के लिए आपने कोई प्रस्ताव नहीं रखे हैं। यदि वर्तमान उद्योग चलने योग्य नहीं हैं तब आप दूसरे कारखाने चलाने की आशा कैसे कर सकते हैं और उन्नति कैसे कर सकते है क्योंकि यह बात निश्चित नहीं है कि अमुक उद्योग उन्नति करेगा और सामान्य लोगों को लाभान्वित करेगा और रोजगार देगा। वहां कोई निश्चितता नहीं है। उद्योगपतियों के ऐसे रवैये को आपको रोकना चाहिए था। इस विषय में आप सुझाव दे सकते हैं।

आपका बजट प्रस्ताव लाभ प्राप्त करने वाला है आप लाभ कमाना चाहते हैं और आपने अपनी सहायता के लिए बहु राष्ट्रिको को आमन्त्रित किया है क्योंकि पश्चिम के पूंजीवादी देश आपकी प्रशंसा करते हैं। आप पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन और अमरीका और वहां के दूसरे छोटे देशों की नकल करने के विषय में सोच सकते हैं और इसी कारण आप उनकी ओर देख रहे हैं जैसे कि भारत में जनशक्ति प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी की कमी है। आपने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं औरे उन्हें यहां आने को आमन्त्रित किया है लेकिन वे अपने लाभ के लिए आ रहे हैं जिससे वे विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर शामिल हो सके। लेकिन शायद यह आपका स्वप्न ही रहेगा क्योंकि इन पश्चिमी देशों ने हमारे जैसे बहुत से दूसरे देशों का शोषण किया है। उदाहरणतया ब्रिटेन को लें उनके

[श्री पीयूष तिरकी]

पास विश्वव्यापी कम्पनियां हैं और उन्होंने अपने लाभ के लिए बहुत से देशों का शोषण किया है। इसलिए इन लोगों पर आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए किसी प्रकार सहायक होंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि बजट के कौन से प्रस्तावों ने करोड़-पतियों को नियन्त्रण दिया है ?

श्री पीयूष तिरकी : मेरा अर्थ है कि बहु राष्ट्रिकों के लिए दरवाजा खुला है। वह यहां इसलिए हैं क्योंकि आपने ऋण लिए हैं। आपने ऋण लिए हैं और लोगों को यहां आने के लिए भी कहा है यह आपकी सरकार की सामान्य आदत है यही सब मैं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि दरवाजे खुले हैं लेकिन आपने अभी तक उनको आने नहीं दिया।

श्री पीयूष तिरकी : श्रीमान वित्तीय मामले बहुत कठिन हैं। कमाना आसान है लेकिन खर्च करना कठिन है। इसलिए आपको बताना चाहिए कि हमें कितने धन की जरूरत है। इस देश को कितना कपड़ा चाहिए। हमें खाने के तेल की कितनी आवश्यकता है, हमें कितनी दाल की आवश्यकता है ये आवश्यक वस्तुएं हैं। आपने इस प्रकार की कोई बात नहीं की है। इसलिए रोजगार की तलाश में और जीवन बिताने के लिए लोग इधर-उधर घूम रहे हैं।

इस बजट से लोगों की कठिनाई और बढ़ेगी। लोग भुखमरी के शिकार होंगे क्योंकि सभी आवश्यक पदार्थों का मूल्य बढ़ गया है आप जानते हैं कि 51 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और निरक्षरता लगभग 65 प्रतिशत है. आवश्यक पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण इन लोगों के लिए रहना भी मुश्किल हो जाएगा वे लोग मनुष्य जीवन नहीं जी सकते और इन लोगों के लिए आगे बहुत कठिनाइयां आयेंगी और यही लोग हैं जिनके बारे में सरकार को पहले विचार करना चाहिए।

आपकी सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के अमानवीय कत्ल के फलस्वरूप पैदा हुई, सहानुभूति के कारण सत्ता में आई और अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों के लिए जो इस सरकार को सत्ता में लाये हैं, कोई सहानुभूति नहीं है। आप लोगों को आवश्यक वस्तुएं निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध करवा सकते थे और उनका वितरण सभी लोगों तक पहुंच जाता।

यह बजट देश सरकार या आपकी इस कोई सहायता नहीं कर सकता इसलिए लोगों में क्रोध और असन्तोष है और लोग इस बजट के विरोध में सड़कों पर खड़े हैं और अगर इसी प्रकार की बातें होती रहीं तो मैं नहीं जानता कि सरकार कहां पहुंचेगी अगर लोगों की आवश्यकताओं का ठीक-ठीक अनुमान लगाने के लिए सरकार कदम नहीं उठाती, यह नहीं देखती कि इन 75 करोड़ लोगों को मनुष्य मानते हुए उनका पेट भरने के लिए कितने आवश्यक पदार्थ चाहिए यह नहीं देखती तो सरकार का क्या होगा,

इसलिए मैं मंत्री जी से इस विषय में विचार करने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अनुरोध करता हूं जिससे वे अपने सिर ऊंचा कर सके और मानवीय जीवन बिता सकें।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे और इस हाउस से यह निवेदन करना है कि इस बार का बजट हमारे योग्य वित्त मन्त्री ने इतनी समझदारी से प्रस्तुत किया है कि उनको हम सब की बधाई तो है ही, देश के करोड़ों लोगों की बधाई भी उनके साथ है।

इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि विरोधी दलों से जो भाषण हो रहे हैं, उनको कोई प्वाइन्ट ऐसा नहीं मिलता कि जिसमें वह जमकर कोई विरोध इसका कर सकें। केवल विरोध के नाते विरोध करना, यह तो ठीक है, यह विरोधी दलों की परम्परा बन गई है, पर मैं देख रहा हूं, कि सुबह से जितने भी भाषण हुए हैं, उनकी आवाज में कोई दम नहीं है, जैसे कि पारसाल था। पिछले साल मैं भी उन्हीं सदस्यों में था जिन्होंने कई बातें बड़े अच्छे ढंग से उठाई थीं। आज मैं उतने ही अच्छे ढंग से अपने वित्त मन्त्री महोदय को बधाई दे रहा हूं। जैसा कि बातचीत के दौरान मैंने सुना कि पिछली बार का बजट कुछ अधिक पीड़ा पहुंचाने वाला लोगों को मालूम पड़ा, वैसा इस बार बिल्कुल नहीं है। इस बार वित्त मंत्री महोदय ने अपनी योग्यता, समझदारी और संतुलन से देश की जनता का मन मोह लिया है।

सच बात यह है कि वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है कि पारसाल मैं वित्त का आदमी नहीं था, फाइनेन्स का आदमी नहीं था। एक साल के अन्दर वित्त मन्त्री ने अपने को इतना सुयोग्य बना लिया कि हम सब उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं।

इन आंकड़ों के झंझावात में मैं नहीं जाना चाहता, कुछ नीति के सवाल मैं उठाऊंगा। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश के विकास, उत्थान, गरीबों को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, वह सर्वथा सराहनीय है। इस बात की चर्चा हुई है, और मैंने भी पेट्रोलियम के दाम जब पिछले साल बढ़ाए गए थे तो आलोचना की थी। इस बार भी बजट के पहले जब दाम बढ़ाये गए तो मेरा मन कुंठित हुआ था, मैं आज भी कहता हूं कि पेट्रोलियम के कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जिनका हमारी गरीब जनता से सीधा सम्बन्ध है खासकर झोपड़ियों में रहने वाले किसान के लिए और कुकिंग गैस हमारे मिडिल क्लास के लोगों के रोजाना कार्य में आती है। उसके दाम बढ़ाना दुःख की बात है।

हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें 4 हजार की छूट देकर टैक्स में कुछ कमी कर दी और उसका कुछ खमियाजा पूरा भी कर दिया।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि आय कर के सरलीकरण के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है लेकिन मैंने देखा है कि आपने बहुत छोटी-छोटी धर्मार्थ की रकमों की छूट समाप्त कर दी है। यह तो अच्छी बात है लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं इस देश के उन अरबों-खरबों रुपयों की ओर जो देश के

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

विभिन्न भागों में बहुत से धर्मार्थ ट्रस्टों के पास पड़े हुए हैं। एक-एक धर्मादा ट्रस्ट में कम-से-कम 25,50 हजार अरब रुपये की धनराशि पड़ी हुई है। उसका मिसयूज जिस ढंग से होता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग स्कूल, कालेज, मंदिर चला रहे हैं और पुराने जमाने की बहुत सस्ती हजारों एकड़ जमीन आज अपने पास रखे हुए हैं वह किस तरह से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस ओर आपकी निगाह जाने की जरूरत है। मेरा ख्याल ऐसा है कि अगर उस तरफ आप जायें तो 100, 200 करोड़ रुपए के टैक्स सैकड़ों लोगों पर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उसमें थोड़ा भी हाथ डालेंगे तो 100, 200 करोड़ रुपया तो वहां से ऐसे ही मिल जाएगा।

आपने शिक्षा, सुरक्षा, देश के विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक के क्षेत्र में बहुत ही अधिक साधन उपलब्ध कराए हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, लेकिन साथ ही निवेदन भी करना चाहता हूं कि जब देश विकास की तरफ चल रहा हो तो हम नए-नए कार्यक्रमों को लेकर सारे देश की जनता का मन आकर्षित करें, इन चीजों को बनाए, और प्रगति की ओर बढ़ें और फिर आकर्षित होकर इन चीजों की ओर लोग बढ़ने लगें तब आप उनका मूल्य इसलिए बढ़ा दें कि इनका उपयोग कम हो, मैं समझता हूं कि नीति की दृष्टि से यह बहुत गलत बात है। आप यह मत करिए कि कारें इस देश में बनें, यहां पर स्कूटर बनाने के लाइसेंस दिए जाएं, यह मत करिए कि एयर-बसें और खरीदी जायें और यह मत करिए कि आधुनिक विज्ञान के उपकरण जो ऊर्जा से चलते हों, पेट्रोल से चलते हों उन्हें बढ़ाइए। जनता से यह भी मत कहिए कि आप इनका उपयोग करिए और जब जनता उसे अपनाने लगे तो यह मत कहिए कि आप इनके मूल्य इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इसका उपयोग कम हो। ऐसी बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है।

एक ओर हम शिक्षा के संसाधन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे वित्त मन्त्री तो कवि हैं, भावुकता-भावना उनसे अधिक कौन जानता है। हमारा जो आधुनिकीकरण है, यांत्रिकता है, कम्प्यूटरीकरण है, यह सारी चीजें दिन-ब-दिन बढ़ती आएंगी तो क्या हम उस भावना की रक्षा कर पायेंगे। इसकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि इतने बड़े बजट में इस देश की राजभाषा हिन्दी का और इस देश की भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं जानना चाहता हूं कि जिस देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं से सब के सब मुखरित होकर गूंजेंगे उससे हिन्दुस्तान के 75 करोड़ लोगों की वाणी कैसे सुनी जाएगी। कवि महोदय हमारे वित्त मन्त्री हैं। वह जानते हैं कि भाषा की जटिलता और जो अन्तरवृत्ति है, यह कैसे उठती है। उनसे ज्यादा कोई और नहीं बता सकता है।

अभी आपने भाषा का स्वरूप निर्धारित नहीं किया है। शिक्षा का जो स्वरूप आप देने जा रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि सेंट्रल स्कूल हर जिले में आप खोलेंगे। यह एक बहुत अच्छी बात है। इस

देश में बहुत से पब्लिक स्कूल खुले हुए हैं। 500-600 रुपये महीना देकर देश के बहुत थोड़े लोग, इन पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि आप सेंट्रल स्कूलों में गणित और साइंस की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देते हैं। इस प्रकार से सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाई का स्तर दूसरा होगा, पब्लिक स्कूलों की पढ़ाई का स्तर दूसरा होगा और टाट-पट्टियों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों का स्तर तीसरा होगा। इससे शिक्षा की जो दुर्दशा होगी, उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। देश के गरीब बच्चों को पढ़ने के लिये अच्छे साधन नहीं दे सकते हैं तो बड़े-बड़े साधनों को खोलने का कोई अर्थ नहीं होता है।

आज सेंट्रल स्कूल इसलिये पसन्द किये जाते हैं क्योंकि इससे एक भारतीय शिक्षा का स्वरूप डेवलप होगा जो कि प्रादेशिक शिक्षा के रूप में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। न तो पाठ्यक्रम के स्तर से, न स्तरीय एजुकेशन के स्तर पर और न ही माध्यम के पूरे परिप्रेक्ष्य में डेवलप हो पाया है। अगर एक जिले में एक सेंट्रल स्कूल कार्य करेगा तो आप उसमें कितने बच्चों को स्थान दे सकेंगे। मेरी यह मांग है कि या तो सेंट्रल स्कूल का स्तर सम्पूर्ण प्रादेशिक भाषाओं के अनुरूप हो और सम्पूर्ण प्रादेशिक सरकारों के पास शिक्षा का वही पाठ्यक्रम जाये, वही भाषायें जायें और वही माध्यम जाये। तभी शिक्षा में एकरूपता लाई जा सकती है। देश को अगर गुलामी की मानसिकता से बचाना है तो जो पब्लिक स्कूल खुल गये हैं जिससे एक बड़ा जबर्दस्त वर्ग बन रहा, जिसके होने से हम जो गुलामी का वक्त देखते थे, वही स्वराज्य के वक्त हमें देखने को मिलेगा। उसको रोकने की आवश्यकता है।

घाटे का बजट अपने आप में एक खतरे की घंटी होता है। मुझे संदेह होता है कि जो 35 सौ करोड़ का घाटा रह गया है उसके सम्बन्ध में कहीं मन्त्री महोदय अगले 5-8 महीने में पांच, आठ या दस सौ करोड़ की उसी प्रकार से न वसूल कर लें जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाकर उन्होंने वसूल किए थे। मैं चाहूंगा कि जैसे मन्त्री महोदय ने टैक्सों के बारे में अगले तीन साल तक और न बढ़ाने का आश्वासन दिया है उसी प्रकार से 1986-87 के लिए और आगे मूल्य वृद्धि न करने का भी आश्वासन देने की कृपा करें। जहां पर आपका एकाधिकार है वहां पर इस प्रकार से जो आप दाम बढ़ाते हैं उनको आम जनता स्वीकार नहीं कर पाती है।

आवास के बारे में आपने जो व्यवस्था की है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही दो निवेदन और करता हूं। मैं जिस कानपुर नगर से आता हूं वहां की स्थिति से आप पूरी तरह से अवगत हैं कि कई मिलें वहां पर बन्द हो गई हैं और हजारों मजदूर, मेहनतकश लोग बेकारी के शिकार हो रहे हैं। आपने मुख्य मन्त्री के रूप में जिन मिलों को खोलने की बात कही थी वह भी नहीं खोली जा सकी हैं। तो इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

25-30 लाख की आबादी वाले कानपुर जैसे शहर में आवास की समस्या बड़ी कष्टकर है। आपको उसके लिए कोई विशेष प्लान बनाना चाहिए। यदि आप इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह समस्या हल नहीं हो पायेगी।

एक निवेदन और है। आपने उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए माडवेट की स्कीम

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

चालू की है। आपने स्वयं मंजूर किया है कि यह प्रक्रिया बड़ी जटिल है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसका जो लाभ उद्योगों को मिलेगा वह तो मिलेगा लेकिन आपकी नौकरशाही है वह भी यदि थोड़ा-सा सहयोग करे तो छोटे को लाभ मिलेगा अन्यथा नहीं मिल पायेगा।

इसी के साथ-साथ मेरा निवेदन है कि कानपुर में गंगा बराज का झगड़ा वर्षों से चल रहा है। 123 करोड़ रुपये की रकम न तो उत्तर प्रदेश सरकार ही पूरी करती है और न भारत सरकार ही पंचवर्षीय योजना में उसका कोई प्रावधान रखती है। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से हम बराबर निवेदन करते रहे थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था तथा राजीव जी ने भी आश्वासन दिया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में जो भी कर सकती है वह करेगी। मैं दरख्वास्त करूंगा कि कानपुर जैसा नगर जहां गंगा दो-दो मील आगे चली गई है, वहां गंगा का पानी भी लोगों को मोहैया नहीं है। वहां पर जल प्रदूषण को रोकने के लिए आपने जो कदम उठाये हैं उनका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन गंगा बराज को भी आप बनवाने की कृपा कीजिए ताकि लाखों लोगों को पानी मिल सके तथा उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके तो रेगिस्तान के रूप में जो भाग बदल रहा है उसको रोका जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम** (अराकोनम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सच्चे हृदय से 1986-87 के लिए सामान्य बजट का स्वागत करता हूं।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे हमारे उपराष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरामन के नेतृत्व में "भारत छोड़ो आन्दोलन" में भाग लेने और हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान उनके साथ दो वर्ष के लिए जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सोचते होंगे कि मैं क्यों इन बातों का उल्लेख कर रहा हूं। आज श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार का सामान्य बजट गरीबी के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आज पण्डित जवाहरलाल नेहरू—जिन्होंने हमें राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलवाई—के पोते के नेतृत्व में "गरीबी हटाओ आन्दोलन" में भाग ले रहा हूं जो हमें आर्थिक स्वतन्त्रता दिलवाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जीवरत्नम, आप कल भाषण जारी रख सकते हैं।

———

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कार्य मन्त्रणा समिति
21वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आधे घंटे की चर्चा करने के बारे में

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं अनुरोध करता हूं कि यदि सदन सहमत हो, तो हम आधे घंटे की चर्चा किसी और उचित दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है सदन इसे स्थगित करने के लिए सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा किसी और दिन के लिए स्थगित की जाती है।

6.01 म० प०

देश के विभिन्न भागों में सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा—(जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब देश के विभिन्न भागों में सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ कर रही है।

श्री मकवाना।

कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले गुरुवार को सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में चर्चा लगभग 6 बजे म०प० से 10.30 म०प० तक जारी रही और यह लगभग साढ़े चार घंटे तक चली। इसे आज उत्तर देने के लिए केवल इसलिए स्थगित किया गया क्योंकि सदस्य उपस्थित नहीं थे। मुश्किल से 10 सदस्य थे और वह भी

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

इस पक्ष के। हम चाहते थे कि सदस्य उपस्थित हों और उन सभी मुद्दों का उत्तर सुनें जो उन्होंने उठाए थे। दुर्भाग्य से इस सदन और दूसरे सदन में यह प्रथा बन चुकी है कि सदस्य बोलने के पश्चात् सदन को छोड़कर चले जाते हैं।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यह प्रथा नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि कुछ सदस्यों की यह आदत बन गई है कि वह बोलने के पश्चात चले जाते हैं, किंतु आप सब के बारे में ऐसा नहीं कह सकते।

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रस्ताव करने वाला और उसके पश्चात् पहला वक्ता कहां है ? आप व्यर्थ ही गुस्सा करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले, श्री जंगा रेड्डी ने बहुत से प्रश्न उठाए विशेषकर आंध्र प्रदेश के संबंध में, किंतु वह अब इस समय यहां नहीं हैं। मैं उन्हें कहना चाहता था कि सरकार ने आंध्र प्रदेश और अन्य ऐसे राज्यों के लिए जो सूखे आदि से पीड़ित हैं, क्या-क्या किया है।

फिर भी, आरम्भ में मैं बात उससे शुरू करता हूं जो वित्त आयोग ने कही है। वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है :—

> "राहत व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय व्यवस्था करना मूलत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और यह बात पूर्व आयोगों द्वारा लगभग स्वत: सिद्ध होने के रूप में स्वीकार की गई है। इसके होते हुए बाद के वित्त आयोग राहत व्यय को पूरा करने के लिए सहायता की योजनाओं की मंजूरी देते रहे हैं।"

स्पष्टत: उन्होंने इस बात को समझा कि कभी-कभी व्यय की अधिकता इतनी हो सकती है कि जो राज्य सरकार सहन नहीं कर सकती है।

यही कारण है कि वित्त आयोग ने भारत सरकार से कहा है कि कठिनाई के समय राज्य सरकारों की सहायता की जाए। भारत सरकार को इसकी बहुत चिंता है।

हम चाहते हैं कि इस देश में बाढ़ न आएं, सूखा न पड़े, और कोई प्राकृतिक आपदाएं न आएं, पर यह तो मानवीय क्षमता के बाहर है। प्रकृति कभी प्रसन्न भी हो सकती है और अप्रसन्न भी, और जब यह अप्रसन्न हो जाती है, तो उस समय हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय ढूंढने पड़ते हैं। हमें तरीके ढूंढने पड़ते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है जिससे प्राकृतिक आपदा होने पर भी इसका प्रभाव कम हो। भारत सरकार का यह रवैया रहा है। आरम्भ से ही, भारत सरकार ने सदा यह प्रयास किया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जाए ताकि दु:खों को, विशेषकर गरीब जनता के दु:खों को कम

किया जा सके। जब कभी सूखा पड़ता है, बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ पड़ती हैं तो कठिनाई गरीब लोगों को होती है, न कि अमीर लोगों को और उनके दुःखों को कम किया जाना चाहिए। भारत सरकार का यही निश्चय है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं।

भारत सरकार ने सूखे की भयंकरता को कम करने तथा गरीब लोगों को उससे प्रभावित होने से पूर्ण रूप से बचाने के लिए सूखे से प्रायः प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, भूमि तथा जल संरक्षण कार्यक्रम, शुष्क भूमि पर खेती, फसल बीमा, वनरोपण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०, एम०एन०पी०, आई०डी०पी०, छोटे और मझोले किसानों की सहायता का कार्यक्रम, बीजों की सूखा प्रतिरोधी किस्में आदि जैसी बहुत-सी योजनाएं तैयार की हैं। इन सब योजनाओं के लिए अच्छी राशि का आबंटन भी किया गया है। इस सब के बावजूद समय-समय पर राज्य सरकारों को भी मार्ग निर्देश दिए गए हैं और हम इस बात के लिये राज्य सरकारों पर भी बल देते हैं कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है तो राज्य सरकार को लम्बी अवधि के उपाय आरम्भ करने चाहिएं और वह इस प्रकार के होने चाहिएं जो सूखे तथा अन्य आपदाओं के मुकाबले के लिए बचाव उपाय सिद्ध हों।

प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने कृषि मन्त्रालय के माध्यम से राज्य सरकारों को अपने पत्रों में इस बात पर भी बल दिया और मैं उनके दिनांक 14 अगस्त, 1985 के पत्र का उद्धरण देना चाहता हूं :—

> "सूखे के लिए सहायता देना ऐसी पूंजी तैयार करना था जिससे यद्यपि पूर्ण रूप से नहीं, फिर भी पर्याप्त रूप में जनता पर सूखे के बुरे प्रभाव को कम करना है। यदि हम देखते हैं कि अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हुए हैं, तो क्या यह समय नहीं है जब हम उन परियोजनाओं की अच्छी तरह से जांच करें जिन पर सूखे में सहायता देने वाली राशि खर्च होती है? जब तक हमारे पास सुविचारित कार्यक्रम नहीं हैं जिनमें छोटे तथा मध्य सिंचाई परियोजनाओं, शुष्क खेती की सुविधा के लिये तालाब, बांध, जल का उपयोग, जल एकत्र करने के उपाय, समायोजित हों, तब तक हम भारी धन किसी ठोस लाभ के बिना खर्च करते रहेंगे।"

यह बात प्रधान मन्त्री ने देखी है और हम राज्य सरकारों पर इसी बात के लिए बलदेते हैं। परन्तु इसके बदले राज्य सरकार सड़कों का निर्माण करती हैं और जब वर्षा आरम्भ होती है तो सड़कें खराब हो जाएंगी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : जी नहीं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं बहुत राज्यों में गया हूं और राज्य सरकारों का यही रवैया है। वह स्थायी सम्पत्ति का निर्माण नहीं करते हैं जिससे उन्हें सूखे के प्रभाव को दूर करने में सहायता मिलेगी।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी के शासनकाल के दौरान, उन्होंने भी सूखे के विरुद्ध व्यवस्था करने के लिए एक 12-सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया। इस 12-सूत्रीय कार्यक्रम का पहला सूत्र जिस पर उन्होंने बहुत बल दिया, वह यह था कि उन जिलों को ढूंढ़ निकाला जाना चाहिए जो खुराक, रोजगार, पेय जल के अभाव में अत्यन्त कठिनाई में हैं और वहां शीघ्र जिला अधिकारियों की सहायता के लिए पूरे समय के लिए राहत अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिएं। जिला तथा राहत अधिकारी काम के प्रति निष्ठावान हों और पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उनकी ख्याति होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाये और राहत कार्य में सभी विभाग भाग लें। इन निदेशों और कृषि मंत्रालय के पत्रों, ऐसे अनेक सम्मेलनों के बावजूद जिनमें हमने राहत अधिकारियों की नियुक्ति पर बल दिया, बहुत से राज्यों ने राहत अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं। वे अस्थायी ढांचे तैयार करते हैं और वर्ष समाप्त होते ही वे उन कार्यों को बन्द करते हैं और यही बात दोहराई जाती है।

अतः महोदय, हम आपके माध्यम से इस सभा के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकारों को यह कहना चाहते हैं कि इस मामले में कोई स्थायी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अब मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं जो कि मेरे पास उपलब्ध हैं। जहां तक न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम का संबंध है, इसका उद्देश्य विशेष रूप से गांवों में पेय जल उपलब्ध कराना है। एक अन्य कार्यक्रम है त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम गांवों में पेय जल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं।

इस कार्यक्रम (न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम) में जब मैंने अपने कार्यालय द्वारा दिया गया विवरण देखा तो मैंने पाया कि राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के लिए किए जाने वाले आवंटन में काफी कमी आई है, इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन अपने धन से करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के लिए किए जाने वाले आवंटन तथा इस पर होने वाले व्यय में काफी कमी आई है जबकि हमने जो राशि दी है उसमें से भी पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या आप केवल उसके अनुरूप अनुदान देते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए और यदि कोई बात रह जाती है तो आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं।

राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले आवंटन में दिन-प्रतिदिन कमी हो रही है। आंध्र प्रदेश में यह···(व्यवधान) मैं ये आंकड़े पढ़ने की बजाय आपको इनका प्रतिशत बताना चाहता हूं : आंध्र प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम पर होने वाले खर्च के आवंटन में 61% तक कमी आई है।

गुजरात और बिहार में इसमें 53% कमी हुई है। हर जगह इसके आवंटन में कमी हुई है। (व्यवधान) हर जगह ऐसा हुआ है। आपको ग्रामीणों को पेय जल उपलब्ध कराना है और न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम का उद्देश्य पेय जल की सुविधाएं देना है।

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : इन दोनों के द्वारा 2:1 के अनुपात से आवंटन किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकारें 2 रुपये देती हैं तो केन्द्रीय सरकार को 1 रुपया देना होता है। लेकिन यहां मेरे सहयोगी इस बात पर बल देना चाह रहे हैं कि राज्य सरकारें इस कार्यक्रम जो इन गांवों में सूखे का प्रभाव कम करने का सीधा तरीका है के अन्तर्गत किये जाने वाले आवंटन को जान-बूझकर कम कर रही हैं। राज्य सरकारें इसी पर जोर दे रही हैं ··

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : इसे पहले कम किसने किया ? पहले आप कम करते हैं, फिर हम कम करते हैं।

सरदार बूटा सिंह : मैं इसे कम क्यों करूंगा ? आप 2 रुपये के बराबर उत्पादन करते हैं तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा। मैं इसे कम क्यों करूंगा। आप सूत्र को समझने का प्रयत्न कीजिये। कई मामलों में हमने नियमों का भी उल्लंघन किया है। हमने 50:50 के अनुपात से अनुदान दिया है। कुछ मामलों में हमने अधिक धन दिया है। हम यहां अपनी बात को ऊपर नहीं रख रहे हैं। मेरे सहयोगी अपने दृष्टिकोण से इस बात पर बल देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राज्यों को यह कहा जाना चाहिए कि वे न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के लिए किए जाने वाले आवंटन में कमी न करें क्योंकि इसका उद्देश्य ही गरीबी दूर करना और सूखे का प्रभाव कम करना है।

श्री अजय मुशरान खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि अब कोई चर्चा की जाए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : एक बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया है। ऐसा हर वर्ष किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए किये गये प्रावधान के आंकड़े इस प्रकार हैं। ये करोड़ रुपयों में हैं। वर्ष 1980-81 में आंध्र प्रदेश के लिए 1 .35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया फिर यह 13.'9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, उसके बाद 16.49 करोड़ रुपये और फिर 27.33 करोड़ रुपये। पुन: यह कम होकर 17 करोड़ रुपया तक पहुंच गया। (व्यवधान) मैं न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम की बात कर रहा हूं !

श्री सी० जंगा रेड्डी खड़े हुए—

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं अपनी बात पर टिका हुआ हूं। यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप बाद में पूछ सकते हैं। आप इसे बाद में पूछिये। पहले मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

मैं आंकड़े दे रहा हूं। 1983-84 में आंध्र प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के लिए अर्थात् पेय जल के लिए 27.33 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। फिर इसे कम करके 17.60 करोड़ रुपये और 1985-86 में पुन: इसे और घटाकर 17 करोड़ रुपये कर दिया गया। कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ। यहां 77.36 करोड़ रुपये को पहले कम करके 21.72 करोड़ रुपये किया गया और फिर इसे घटाकर 19.52 करोड़ रुपया किया गया। राजस्थान में पहले 18.81 करोड़ रुपये रखे गए थे फिर कम करके 10.95 करोड़ रुपये कर दिया गया। और पुन: बढ़ाकर 19.47 करोड़ रुपये किया गया। मध्य प्रदेश के लिए यह राशि 25.65 करोड़ रुपये रखी गई थी इसे कम करके 21 करोड़ रुपये कर दिया गया। पुन: उन्होंने इसे बढ़ा दिया। अत: इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहले इस राशि को कम किया और फिर इसमें वृद्धि की। लेकिन प्रवृत्ति ऐसी ही है।

जहां तक बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का संबंध है, छठी योजना के परिव्यय में कुल 1045.10 करोड़ रुपये में से 175 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और राज्य क्षेत्र के लिए 827.4 करोड़ रुपये। यदि आप छठी योजना में किए गए व्यय को देखें तो आप पाएंगे कि उस अवधि में 559.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अत: इसमें काफी कमी हुई है। दूसरे शब्दों में जबकि केन्द्र सरकार के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और व्यय 162.83 रुपये किया गया। राज्यों के मामले में 827.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और व्यय 559.85 करोड़ रुपये किया गया। सातवीं योजना में राज्यों के लिए 726.38 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और राज्यों के लिए 1985-86 के लिए 109.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पैसे को अन्य कार्यों के लिए लगाये जाने के भी कई उदाहरण हैं। उन्होंने एम० एन० पी० पर किए जाने वाले खर्च को दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया है जो कि पेय जल समस्या से जुड़े हुए नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने भी इस धनराशि को दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया है।

श्री अजय मुशरान : यदि आप सड़क बनाते हैं तो उससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। वहां केवल बांध ही नहीं बनाए गए हैं, आपने वन रोपण भी किया है। इस प्रकार यह बाढ़ के संबंध में ही खर्च किया गया है। क्या यह धन को दूसरे काम में लगाना है?

सरदार बूटा सिंह : आप जो भी करना चाहते हैं उसे हमेशा न्यायोचित ठहरा दिया जाता है लेकिन जो धन निर्धारित किया गया है वह धन उस विशिष्ट कार्य पर ही खर्च करना होता है। यदि आप उसे खर्च नहीं करते तो वहां बाढ़ आ जाएगी या सूखा पड़ेगा। या तो आप उद्योग लगाइए या बाढ़ का सामना करिये। चुनाव राज्य सरकार को करना होता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : एक राज्य में हमने बाढ़ के लिए अधिक राशि आवंटित करने का सुझाव दिया था लेकिन आवंटन एक करोड़ रुपये से भी कम किया गया, वहां बाढ़ आई और हमें पहले सुझाई गई राशि से भी अधिक धन देना पड़ा। राज्य सरकारों के साथ यह कठिनाई है। हम जानते हैं कि उनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आवंटन

ही न किया जाए। धन के अभाव में वहां कठिनाई पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के समक्ष यह मुद्दा रखना चाहता था।

मैं माननीय सदस्य श्री जंगा रेड्डी द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने 4-5 मुद्दे उठाए। (1) अपर्याप्त राहत सहायता, (2) विचारधारा संबंधी मतभेद। उनका कहना यह है कि विचारधारा संबंधी मतभेद के कारण ही भारत सरकार सहायता नहीं दे रही है। यह कहना ठीक नहीं है, यह पूर्णत: निराधार है और मैं इसे मानने से इन्कार करता हूं क्योंकि भारत सरकार ने कभी भी इस मामले में किसी विचारधारा को बीच में नहीं आने दिया जबकि लोगों को कठिनाई हो रही हो, वे मुश्किल में हों। मैंने स्वयं जम्मू और काश्मीर सरकार को लिखा था कि मुझे उनका ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने कर्नाटक सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित किया और हमने तमिलनाडु के लिए पेय जल की व्यवस्था की। मैं बंगलौर गया और वहां के मुख्य मन्त्री से मिला तथा उनसे पूछा कि क्या उन्हें मेरी सहायता की जरूरत है और उन्हें मुझे ज्ञापन देने थे। किन्तु उन्होंने कहा कि इनके पास काफी पैसा है और उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। अत: हम यह नहीं सोचते कि किसी राज्य विशेष में विपक्ष की सरकार है या कांग्रेस (आई) की। वह कोई मानदंड नहीं है, हमारा मानदंड केवल निर्धन लोगों की, तथा उन लोगों की सहायता करना है जो मुसीबत में हैं तथा सूखे या प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करना है। भारत सरकार का यही रवैया है।

प्रधान मन्त्री का रवैया इस पहलू के संबंध में बहुत सकारात्मक है। उन्होंने हमें स्पष्ट निदेश दिए हैं कि जब कभी प्राकृतिक आपदा का मसला उठे, उसमें राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए। उस सबके बावजूद तेलगू देशम के सदस्यों द्वारा गम्भीर आरोप लगाये गये हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हैं तथा बेतुके हैं। लेकिन आरोप लगाना उनकी आदत है। हम क्या कर सकते हैं? फिर उन्होंने कहा, विभिन्न तरह की आपदाओं के लिए तुरंत राहत देने संबंधी नीति··· (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : कितनी धनराशि दी गई है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन्होंने यह भी कहा, राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तंत्र, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि··· (व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : उसका प्रतिशत कितना है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : और अकाल संहिता में मतभेद के बारे में भी।

राज्य सरकारों की यह प्रवृत्ति बन गई है कि वे अपनी मांगों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। उदाहरण के लिए, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश ने, 1985-86 में सूखे के लिए 1000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की जबकि वार्षिक योजना परिव्यय 810 करोड़ रुपये था। उनका वार्षिक योजना परिव्यय 810 करोड़ रुपये है और वे 1000 करोड़ रुपये लेना चाहते हैं। केन्द्रीय सहायता आठवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार है तथा सूखे और बाढ़ के अन्तर्गत आने

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

वाली विभिन्न मदों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी जाती है। केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आने वाली मदों की परिभाषा स्पष्ट रूप से की गई है। 1950-51 में 22.7 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई थीं जिसे 1984-85 में बढ़ाकर 62.9 मिलियन हैक्टेयर कर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसे 75 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 10.899 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 1983-84 के दौरान देश के प्रत्येक खंड में छोटे और सीमांत किसानों को लघु सिंचाई के लिए 3.5 लाख रुपयों की स्वीकृति दी गई है।

इसमें 'मिनी किट' की बात भी है। और इसमें फलों और ईंधन के पेड़ उगाने की बात भी है। बहुत कम राज्यों ने इस राशि का पूरी तरह उपयोग किया है।

मेरे मित्र अकाल संहिता की बात कर रहे थे। अकाल संहिता, जिसे सामान्यतः राहत नियमावली के नाम से जाना जाता है, में इस मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कुछ राज्यों ने इसे अद्यतन कर लिया है। शेष राज्य इसे अद्यतन बना रहे हैं। हम उन्हें मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करते हैं, हमने उन्हें नियमावलियां भी जारी की हैं और अब जैसा कि राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया था हम उनके लिए सूखा, बाढ़ आदि के संबंध में आदर्श ज्ञापन तैयार करने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद हमने उन्हें आदर्श ज्ञापन परिचालित करने का निर्णय लिया ताकि राज्य सरकारों को सही ज्ञापन भेजने में कोई कठिनाई न हो क्योंकि उनमें से अधिकांश को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों आदि की जानकारी नहीं है। कई बार वे ऐसे कार्यों के लिए पैसा मांगते हैं जिनके वे अधिकारी नहीं हे और वे उन मदों के लिए पैसा नहीं मांगते जिनके वे अधिकारी हैं। अतः राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में यह कठिनाई बताई गई थी और हमने सूखे के लिए ज्ञापन तैयार करने और राज्य सरकारों को परिचालित करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है।

एक बात और भी है। हमने उसी सम्मेलन में विनाश के समय संचार व्यवस्था के बारे में एक अन्य कार्यकारी दल नियुक्त किये जाने के लिए भी निर्णय लिए। हमें इनसैट-1-बी की सुविधा भी है जिससे हमें उपयोगी सूचनाएं मिल रही हैं और इससे हमें पहले ही जानकारी मिल जाती है।

तमिलनाडु में आए चक्रवात के मामले में मैंने और मेरे अधिकारियों ने टेलीफोन से बात की और मैं स्वयं टेलीफोन पर मुख्य मंत्री से बात करना चाहता था लेकिन मुझे रात 9 बजे यह कहा कि वह सो रहे हैं और उनके निजी सहायक ने कहा—"मैं उनका निजी सहायक हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप हमारे मुख्य मंत्री को परेशान नहीं कर सकते।" मैंने उनके निजी सहायक को बताया कि यह चक्रवात का मामला है और आपको नीचे स्तर पर चक्रवात की स्थिति इससे संबंधी जानकारी अवश्य देनी चाहिए और इसलिए मैं आपके मुख्य मंत्री से बात करना चाहता हूं।" फिर मैंने अपने अधिकारियों से बात की और उन्हें कहा कि वे राज्य सरकार को यह बताएं कि उन्हें संबंधित जिलों

के कलैक्टरों को निदेश जारी कर देने चाहिए ताकि वे कार्यवाही कर सकें। अतः केन्द्र सरकार का यह रवैया है।

मेरे वरिष्ठ साथी कर्नाटक गए, मैं कई राज्यों में गया और हमने मुख्य मंत्रियों, विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों से मुलाकात की। हम कुछ किसानों से भी मिले और खेत में गए। हमने जांच की कि क्या उनको वह पैसा दिया जा रहा है जो उन्हें दिया जाना चाहिए था। अतः भारत सरकार ने यह सभी कारंवाई की हैं। इसके बावजूद आरोप लगाये जाते हैं तथा इन सभी आरोपों का यहां उत्तर देना होता है !

मध्य प्रदेश के मेरे दोस्त श्री अजय मुशरान ने दो मुद्दे उठाए हैं। पहला दीर्घकालीन आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्यों को न्यूनतम राशि का दिया जाना, और दूसरा 'कृषि आदानों पर राज्य सहायता देने के लिए कृषि मन्त्रालय में एक निगम/संगठन की स्थापना,। जहां तक इन सुझावों का सम्बन्ध है, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य के पास सुरक्षित धन उपलब्ध रहता है। इसे 100.55 करोड़ से बढ़ाकर 240.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि किसी वर्ष किसी राज्य में प्राकृतिक विपत्ति नहीं आती है तो इस राशि को अगले वर्ष के खाते में डाल दिया जाता है और इस राशि तथा अगले वर्ष की सुरक्षित राशि को अगले वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है। बाढ़, ओलावृष्टि और सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत कृषि आदानों पर आर्थिक सहायता पहले से ही उपलब्ध है। कृषि आदानों पर आर्थिक सहायता के लिए केन्द्रीय मानकों की व्यवस्था विचाराधीन है। मध्यप्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत और सूखा, बाढ़ आदि के लिए केन्द्रीय सहायता से अधिक से अधिक राहत कार्य शुरू कर रही है। केन्द्रीय दल स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रत्येक राज्य के भीतरी भाग तक जाते हैं और स्थानीय संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों अधिकारियों आदि के साथ मामलें पर चर्चा भी करते हैं। ओलावृष्टि से हुई हानि का जायजा लेने के लिए हाल ही में भेजे गये दल ने मध्य प्रदेश में भोपाल सहित छः जिलों का दौरा किया। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से बैंक ऋण की वसूली को स्थगित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री रघुमा रेड्डी ने तीन-चार मुद्दे उठाए हैं। सूखे को रोकने के लिये डी० पी० ए० पी०, एन० आर० इ० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० आदि जैसे अनेक दीर्घकालीन उपाय हैं। लेकिन धन-राशि उचित रूप से खर्च नहीं की जाती है। बाढ़ को रोकने के लिये तटबन्धों का निर्माण, गांव बसाना, जलाशयों का निर्माण आदि उपाय योजना में शामिल योजनाओं के अंग के रूप में किये जा रहे हैं। एन०आर०ई०पी, आर०एल०ई०जी०पी०, डी०पी०ए०पी०जैसी कुछ योजनाओं में आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरी राशि का उपयोग नहीं किया है और छठी योजना में प्रत्येक वर्ष इस अगले वर्ष के खाते में ले जाया गया है। लम्बित परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार आंध्र प्रदेश में सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ मामला उठा सकती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने विशेषकर श्री रेड्डी ने शिकायत की है कि केन्द्रीय दल पांच तारा होटलों में ठहरते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई केन्द्रीय दल कभी किसी पांच तारा होटल में ठहरा है।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

जब कभी वे जाते हैं वे राज्य विश्राम घरों में ठहरते है। वे सभी राज्यों में उपलब्ध हैं और होटल में ठहरना आवश्यक नहीं है। यदि राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों के लिए विश्राम घर को बुक किया होता है तो इसके लिये अन्यतर आरक्षण किया जाता है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमने ऐसा नहीं कहा है। यदि मेरे दल से किसी ने कहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : चूंकि आरोप सदन में लगाया गया है इसलिए रिकार्ड को सही रखने के लिये हमें इसका उत्तर देना चाहिए।

दूसरी बात जिसका उल्लेख किया गया था वह केन्द्रीय दल के देरी से दौरे से सम्बन्धित था। इस बार 14 राज्य और संघ शासित क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुये हैं, 26 राज्य/संघ शासित क्षेत्र के बाढ़/तूफान से प्रभावित हुये और लगभग तीन राज्य ओलावृष्टि से प्रभावित हुये हैं। इन सभी राज्य सरकारों ने अपने ज्ञापन दिए हैं। हमें उनको पूरी तरह से देखना होगा हमें जांच करनी होगी मूल्यांकन करना होगा और तब रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अधिकारी कहा है? मेरे मन्त्रालय के पास सीमित संख्या में अधिकारी हैं। मुझे संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों को भेजना होगा। इसलिए मुझे अन्य मन्त्रालयों से अधिकारी लेने होंगे। अन्य मन्त्रालयों के पास भी अपना काम है। अतः यह उनके लिये हमेशा सम्भव नहीं है कि जब कभी हम चाहें वे अधिकारियों को तुरन्त भेज दें। इसलिए कुछ मामलों में ऐसा होता है कि कभी-कभी केन्द्रीय दलों के दौरे में थोड़ा विलम्ब हो जाता है। कभी-कभी प्रतिवेदन देर से प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि वे अन्य कार्य में व्यस्त होते हैं इस बार अभूतपूर्व स्थिति के कारण कुछ मामलों में केन्द्रीय दलों ने दौरे बिलम्ब से किये तथा कुछ मामलों में अपने प्रतिवेदन देर से प्रस्तुत किए और बिलम्ब हुआ। परन्तु सुरक्षित धन की व्यवस्था है। ओलावृष्टि एक हिस्सा है··· (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : मैं सूखे और बाढ़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ओलावृष्टि के बारे में बात कर रहा हूं··· (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन एक व्यवस्था है··· (व्यवधान) सुरक्षित धन की व्यवस्था है। सुरक्षित धन द्वारा ओलावृष्टि का भी सामना किया जा सकता है··· (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : मैं बाढ़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ओलावृष्टि के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ओलावृष्टि हाल की घटना है··· (व्यवधान) ऐसे केवल दो राज्य हैं जो ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं।

श्री अजय मुशरान : दो नहीं, तीन या चार राज्य हैं ··· (व्यवधान) जब मैं कृषि मन्त्री से मिला था वह जबलपुर में एक दल को भेजने के लिये सहमत हो गये थे। अत: मैं केवल यही निवेदन कर रहा हूं कि एक दल को जबलपुर भेजा जाये और कितनी क्षति हुई है उसका अनुमान लगायें···

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने सूखे और बाढ़ के बारे में बतलाया है। तमिलनाडु, पांडिचेरी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भयंकर तूफान से भारी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल आदि में बादल फटने से थोड़ी अवधि के लिए भीषण बाढ़ आई। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर ओलावृष्टि का शिकार हुये। जम्मू तथा कश्मीर में हिमस्खलन से 22 दिनों तक लगातार शून्य से भी कम तापमान रहा। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम से आग के समाचार मिले हैं। असम मे भूकम्प का भी समाचार मिला है।

विभिन्न राज्यों को इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं कह रहा था कि सुरक्षित धन की व्यवस्था है। जब यह धन खर्च हो जाता है तब राजस्व साधन अग्रिम के लिए व्यवस्था है। यदि राज्य सरकारें अपने सुरक्षित धन को खर्च कर देती है जिसमें वृद्धि की गई है—जिसको अब दुगना कर दिया गया है—मैं पहले कह चुका हूं कि सातवें वित्त आयोग ने 100.55 करोड़ रुपये की सिफारिश की है जिसे बढ़ाकर 240.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है—और यदि उनके पास कोई साधन नहीं है तो वे राजस्व साधन अग्रिम के लिये भारत सरकार के पास आ सकते हैं तथा अधिकतर सभी राज्यों के मामलों में इस पर विचार किया जाता है केन्द्रीय सहायता की अन्तिम मन्जूरी न मिलने तक राज्य सरकारों को राजस्व साधन अग्रिम दिया गया था। अत: ऐसी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिना वित्त के कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था है।

श्री बैरागी ने दो या तीन मुद्दे उठाए हैं मुख्य बात जिसे दोनों ओर के सदस्यों द्वारा उठाया गया है, वह प्राकृतिक आपदाओं के स्थाई हल के बारे में है। मैं स्थाई हल के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका हूं। सूखे को रोकने के लिए अनेक योजनाएं हैं। बाढ़ रोकने के लिए तटबन्ध, बांध आदि बनाने की अनेक योजनाएं हैं परन्तु ओलावृष्टि के लिए कोई हल नहीं है। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है क्योंकि यह अचानक आता है और जब यह आता है। नुकसान करता है। यह फसल, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है और कभी-कभी मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। अत: उसके लिए हमें तुरन्त राज्य सरकार की सहायता करते हैं। मध्य प्रदेश में ओला पड़ा है और एक केन्द्रीय दल वहां गया है। उस दल की रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है··· (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : वे जबलपुर नहीं गए हैं··· (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन्हें केवल जबलपुर ही नहीं जाना है। अन्य स्थान भी है

··· (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : मैंने कृषि मन्त्री जी से अनुरोध किया था और वह जबलपुर भी एक दल भेजने के लिए राजी हो गये थे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह शुक्रवार की बात है अतः दल कल जायेगा या ··· (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : जब ओलावृष्टि हुई थी तीन सप्ताह पहले वहां पर किसी को भेजने के लिये राजी हो गए थे ·· (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं तूफानों और बाढ़ों के बारे में ब्योरा दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में 30 दिसम्बर 1985 को ज्ञापन प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय दल ने 16 से 19 फरवरी 1986 तक दौरा किया। उस दल के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। असम के बारे में ज्ञापन 16-8-85 और 30-8-85 को प्राप्त हुए थे और दल ने 16 से 21 सितम्बर तक दौरा किया। बैठक भी हो गई है और मन्जूरी दे दी गई है।

अब मैं बिहार के बारे में बताता हूं। ज्ञापन 25 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ और उस पर कार्रवाई चल रही है।

इसके बाद मैं हरियाणा को लेता हूं। ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख 18-9-85 है। दल ने 23-25 दिसम्बर 1985 तक दौरा किया।

हिमाचल प्रदेश से ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख 18-10-85 है दल ने 3-12-85 से 7-12-85 तक दौरा किया।

जम्मू और कश्मीर जहां तक प्रश्न है मैंने खुद दौरा किया। मैंने राज्य सरकार को सूचित किया और मैंने 18 तथा 19 फरवरी, 1986 को दौरा किया।

अब मैं केरल को लेता हूं। वह बाढ़ भू-स्खलन आदि के बारे में है। ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख 6-7-85 है। दल ने 16 से 19 जुलाई, 1985 तक दौरा किया।

इसके बाद मैं महाराष्ट्र को लेता हूं। वह बाढ़ (बम्बई) से सम्बन्धित है। ज्ञापन प्राप्त करने की तारीख 29-7-85 है। दल ने 16-17 अगस्त, 1985 को दौरा किया।

मणिपुर में बाढ़ के बारे में हमें 25-6-85 को ज्ञापन प्राप्त हुआ। दल ने 31-7-85 को दौरा किया। राशि मन्जूर कर दी गई है। मेघालय के मामले में भी राशि मन्जूर कर दी गई है।

हमें उड़ीसा के बारे में ज्ञापन 25-10-85 प्राप्त हुआ। 10-2-86 को पूरक ज्ञापन प्राप्त हुआ। दल ने 2 से 5 नवम्बर, और 12 से 15 मार्च, 1986 तक दौरा किया। हमें दूसरा पूरक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : एक या दो महीने के बाद भी दल जाता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अतः उड़ीसा के बारे में स्थिति यह है। राजस्थान के बारे में वे सूचना चाहते थे। राजस्थान से ज्ञापन 24-2-86 को प्राप्त हुआ और वह विचाराधीन है। (व्यवधान) हमने पैसा दे दिया है। धनराशि मन्जूर कर दी गई है। लेकिन उन्होंने पूरक ज्ञापन भेजा है।

श्री मूल चन्द डागा : क्या मांग है ? आप कितना देंगे ? हम यह जानना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : राज्य ने क्या मांग की है ? क्या दिया गया था ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यहां देने की बजाय मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा। मैं बाढ़ सूखा आदि के बारे में ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख केन्द्रीय दल के दौरे और मन्जूर की गई धनराशि—इन तीनों चीजों की जानकारी सभा पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इन सब चीजों के बारे में जानकारी सभा पटल पर रख देंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्री अजय मुशरान जबलपुर के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं। वह चाहते हैं कि दल को जबलपुर का दौरा करना चाहिए। परन्तु कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा। जब हमारा दल राज्य में जाता है तो राज्य सरकार कार्यक्रम बनाती है। उस कार्यक्रम में जबलपुर का नाम नहीं था। उन्होंने जबलपुर का कभी उल्लेख नहीं किया। परन्तु क्योंकि वह जबलपुर के बारे में बहुत चिन्तित है। मेरे वरिष्ठ साथी पहले ही कह चुके हैं कि यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो वह जबलपुर दल भेज देंगे।

श्री शरद दिघे ने अनेक विषय उठाए। राहत कार्यों की संख्या राज्य पर निर्भर करती है। राहत कार्य उन्हें शुरू करने हैं। रोजगार अवसरों की मंजूरी देते समय सभी मौजूदा रोजगार अवसर योजनाओं को ध्यान में रखा जाता है। राहत कार्य शुरू करना राज्य सरकार का काम है। वे धन की मांग कर सकते हैं। वे खाद्यान्न की मांग कर सकते हैं। हम उनकी व्यवस्था करते हैं। जब कभी कोई योजना चल रही होती है तो यह स्वाभाविक है कि राज्य सरकार वहां राहत कार्य शुरू नहीं करेगी। लेकिन वे इसे और कहीं शुरू करेगी। सहायता के मापदण्ड हैं। ये सामान्य बातें हैं जो यहां पर उठाई गई हैं। इन सब बातों में एक बात बहुत आम है और वह यह है कि इन समस्याओं का स्थायी हल निकाला जाये। जहां तक स्थायी हल का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने पहले कहा, अनेक योजनाएं हैं। परन्तु हमारे दोस्त राज्य सरकारों को धन का उपयोग करने के लिए क्यों नहीं कहते ? वे इस बात पर जोर क्यों नहीं देते कि इस पैसे को उचित रूप से खर्च किया जाए ?

श्री मूल चन्द डागा : केन्द्र इन चीजों पर निगरानी क्यों नहीं रखता है ? मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप उनको पैसा दीजिए; आप सहायता दीजिए। परन्तु केन्द्र उस पर निगरानी नहीं

[श्री मूलचन्द डागा]

रखता है। समस्या यही है। आप यह नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : केन्द्र निगरानी रखता है परन्तु एक सीमा है क्योंकि अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक राज्य हैं और प्रत्येक राज्य के लिए यह संभव नहीं है परन्तु इसे हमारे द्वारा भी किया जाना चाहिए। लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में यह देखना हमारा परम कर्त्तव्य है कि सरकार द्वारा कार्य पूरा किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम विधान सभा में भी प्रश्न उठा सकते हैं कि इसकी उपेक्षा क्यों की गई है। पैसा खर्च क्यों नहीं किया गया। ये सभी आंकड़े संसद में दिए जाते हैं, और यदि माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हैं तो वे कुछ विधायकों के माध्यम से इसे राज्य विधान सभा में उठा सकते हैं या मुख्य मंत्री को पत्र लिख सकते हैं कि पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। हम मंत्रालय में एक निगरानी सेल स्थापित करने जा रहे हैं जो उस धन राशि के खर्च किए जाने पर निगरानी रखेगा जो राज्य सरकारों को दिया जाता है। परन्तु यह सब राज्य सरकारों पर निर्भर करता है क्योंकि कई मामलों में उदाहरण के लिए वनों के बारे में हमने एक कानून बनाया है, कानून के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि वन कटाई से पहले वन भूमि का कुछ अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने से पहले राज्य केन्द्रीय सरकार को सूचित करे। फिर भी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार की अनुमति भी नहीं ली, विशेषकर मध्य प्रदेश जहां उन्होंने दो बड़ी योजनाएं, जलाशय शुरू की हैं और हजारों वृक्षों को काट दिया गया है। इसने राज्य की पारिस्थितिकी मे परिवर्तन कर दिया है। इसने पारिस्थिति की में असंतुलन उत्पन्न कर दिया है और इसके कारण भूमि कटाव, कम वर्षा और सूखे की स्थिति वहां पर विद्यमान है।

प्रतिवर्ष मूल जगहों से, 5,3340 लाख टन मिट्टी नष्ट होती जा रही है। क्यों ? क्योंकि मिट्टी को सुरक्षित नहीं रखा जाता है। इसे किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है ? इसे वन द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। मिट्टी को सुरक्षित रखने का साधन वन है परन्तु क्योंकि वन काट दिया जाता है, पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, इससे मिट्टी नष्ट हो जाती है तथा लाखों वर्षों के बाद मिट्टी बनती है और इसे नष्ट कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15720 लाख टन मिट्टी समुद्र में बह जाती है और 4800 लाख टन मिट्टी जलाशयों में जमा हो जाती है। अतः यह मुख्य समस्या है और यह समस्या मनुष्य ने उत्पन्न की है यह हमने उत्पन्न की है क्योंकि हमने जंगलों को वृक्षहीन कर दिया है। हमने वृक्षों को काट दिया है तथा कई अनेक योजनाओं—वन मंत्रालय के अन्तर्गत भी फल और ईंधन वृक्षों की अनेक योजनाएं हैं के बावजूद वृक्षों का कम रोपण किया गया है। छोटे और सीमांत किसानों सम्बन्धी योजना में फल और ईंधन वृक्षों को लगाने का प्रावधान भी है लेकिन वे इसे उचित रूप से नहीं कर रहे हैं तथा वे वृक्षों का रोपण नहीं कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों पर जोर क्यों नहीं डाल सकते तथा अपने लोगों को प्रोत्साहित क्यों नहीं कर सकते ? लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में हमें देश में अधिक वृक्षों को लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि वनों को बनाए रखा जाए। लेकिन यह नहीं किया जा रहा है और इसलिए प्रत्येक वर्ष हमें प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, हाल ही में हमने डिजास्ट मैनेजमेंट पर आनन्द में एक गोष्ठी की और उसमें कई अच्छे लेख प्राप्त हुए। कुछ अधिकारियों ने अच्छे लेख प्रस्तुत किए। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने इसे स्लाइडों, मानचित्रों आदि द्वारा साबित किया। उसने 150 वर्षों के आंकड़े एकत्र किए हैं और यह साबित करने की कोशिश की है कि 1990-92 तक वर्षा में कमी हो जाएगी। कम वर्षा होगी। मैं उनको यहां भी लाऊंगा ताकि वह हमारे सदस्यों को इस बारे में जानकारी दे सकें।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वह सही नहीं हैं। हम सहमत नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम ठीक हैं, वैज्ञानिक सही नहीं हैं और इसलिए यह हो रहा है!

महोदय, जब तक हम समय की पुकार नहीं सुनते, जब तक हम अपने वनों की रक्षा नहीं करते, जब तक हम पारिस्थितिकी संतुलन का ध्यान नहीं करते तब तक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी संसद सदस्यों तथा सामान्य जनता से अनुरोध करता हूं कि वे यह देखें कि वनों की रक्षा की जाए। हमें यह देखना चाहिए कि मिट्टी सुरक्षित रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल परियोजनाओं के कारण वनों को नहीं काटा जा रहा है अपितु, बहुत से गैर-कानूनी कार्य किए जा रहे हैं। हमें उन पर भी नियंत्रण करना होगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन पर नियंत्रण करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन जो कुछ मैं कहना चाहता था वह संक्षेप में यही है। यदि कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहता है तो वह पूछ सकता है और मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : माननीय मंत्री ने कर्नाटक के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। निस्संदेह, उन्होंने सामान्य टिप्पणियां की हैं। हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है कि उर्वरता बनी रहे और अब सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। यह महत्वपूर्ण है। जो मंत्री जी ने अभी कहा है वे सामान्य टिप्पणियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ मंत्री कर्नाटक गए थे और उन्होंने मुख्य मंत्री से भी मुलाकात की थी।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मांग क्या है और केन्द्र राज्य सरकार को कितनी मदद देगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां केवल 20 प्रतिशत भूमि सिंचाई के

अन्तर्गत है और कम सिंचाई सुविधाओं तथा कम बारिश के कारण वहां सूखे की स्थिति बनी हुई है। इस समय कर्नाटक में गंभीर सूखे की स्थिति है। पिछले चार वर्षों से वहां सूखे और अकाल की स्थिति बनी हुई है। इसलिए, हम कर्नाटक महाराष्ट्र और राजस्थान को नियमों में ढील देकर अधिक धनराशि

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

अभी तक कर्नाटक राज्य सरकार को 53.31 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा स्वीकृत की जा चुकी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों को नहीं बुला सकता क्योंकि आपने पहले ही बहुत सारे विषयों को उठा दिया है। तब यह एक परम्परा बन जायेगी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस धनराशि में से 43.16 करोड़ रुपये राज्य सरकार को जारी किये गए हैं। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि राज्य सरकार बिल क्यों नहीं जमा कर रही है? ऐसा इसलिए, क्योंकि वे पैसा नहीं चाहते हैं। यदि वे पैसा चाहते हैं तो उन्हें बिल जमा करने चाहिए।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : जब तक आप कहेंगे नहीं, तब तक वह कैसे जमा करेंगे?

श्री योगेन्द्र मकवाना : कहने की कोई बात नहीं है। उन्हें बिलों को जमा करना पड़ता है। तरीका यह है कि हम 53.31 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुके हैं। उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए और तत्पश्चात भारत सरकार से यह कहना चाहिए कि हमने इसका उपयोग कर लिया है और कृपया हमें और पैसा दीजिए। उन बिलों को जमा कराया जाना चाहिए। उन्होंने इनको जमा नहीं कराया है। बचा हुआ पैसा उनको कैसे दिया जा सकता है।

अभी मेरी वरिष्ठ सहयोगी ने राज्य का दौरा किया था। उन्होंने बंगलौर, टुमकुर, चित्रदुर्ग और कोलार का दौरा किया था। उन्होंने राहत कार्यों का, जानवरों के रखने के स्थानों का, विशेषरूप से कोलार जिले में गुडी बन्डेर का निरीक्षण किया। उन्होंने कुछ राहत कार्यों का भी निरीक्षण किया। उस दौरे के पश्चात हमने राज्य सरकार से कहा था कि "यदि कोई परेशानी है तो हम लोग सदैव आपकी मदद के लिए तैयार हैं।" उनके दौरे के पश्चात हमने राज्य सरकार के मामले पर विशेषरूप से विचार करने का निश्चय किया है और इसीलिए हमने मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्रालय द्वारा इसे मान लिया जाएगा और हम राजस्थान, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की राज्य सरकारों की विशेष रूप से सहायता करने में समर्थ होंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, विभिन्न योजनाओं जैसे—न्यूनतम आवश्य-

कता कार्यक्रम आदि हेतु कम धन आवंटन के लिए मंत्री महोदय राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं सही स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

मैं मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की बजट प्रक्रिया क्या है। केन्द्र और राज्य के द्वारा अपनाई जा रही वास्तविक प्रक्रिया यह है कि बजट बनाने के पहले आप आंकड़े बता देते हैं और उनको बजट में शामिल कर लिया जाता है यदि राज्य सरकार का बजट पहले प्रस्तुत किया जाता है। यदि बजट बाद में प्रस्तुत किया जाता है तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन केन्द्र का बजट प्रस्तुत होने से पहले यदि राज्य का बजट प्रस्तुत होता है तो उनको कुछ आंकड़े आपको देने होते हैं। वे यह पूछते हैं कि विभिन्न योजनाओं के लिए आपको कितना धन आवंटित किया जाना है क्योंकि इन सभी योजनाओं के लिए बराबर का अनुदान दिया जाता है उन आंकड़ों को जो कि वास्तविक नहीं है, राज्यों द्वारा न दिए जाने का कोई महत्व नहीं है।

जब तक केन्द्र किन्हीं विशेष आंकड़ों के बारे में नहीं बताता है तब तक कोई राज्य उनको अपने अन्य सम्मिलित नहीं कर सकता है और यदि यह सही नहीं है तो आप कृपया अपने विभाग से पूछें और सभा में आकर के बतायें कि वास्तव में प्रक्रिया क्या है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं सही स्थिति का पहले ही बयान कर चुका हूं। आप यह बतायें कि निश्चित रूप में आप क्या जानना चाहते हैं मैं जवाब दूंगा क्योंकि आपको अपने राज्य के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि आपका राज्य क्या कर रहा है। आप कृपया राज्य सरकार के पास जाएं और उनसे पता करें। वे आंकड़े देंगे। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपके राज्य के विषय में उत्तर दूंगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूं जो केन्द्र और अन्य राज्यों में
१७ अपनायी जाती है। आप प्रक्रिया बताइए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम वित्त आयोग द्वारा बनाई गई प्रक्रिया को अपनाते हैं और वित्त आयोग जब सभी राज्यों का दौरा करता है तथा उसकी दिल्ली में भी बैठकें होती हैं तब राज्य सरकारें प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं उसके बाद वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया बनाई जाती है। आठवें वित्त आयोग द्वारा सभी प्रक्रियाओं का निर्माण किया गया है मेरी यह माननीय सदस्य को सलाह है कि वह आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़ें।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं सामान्य प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। मैं बजट बनाने की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : बजट निर्माण की प्रक्रिया भी सुनिर्धारित है। इन विपत्तियों के लिए

राज्य और केन्द्र की बजट निर्माण की विशेष प्रक्रिया है। आठवें वित्त आयोग द्वारा इसको बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी लोगों का धन्यवाद।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में से उद्धृत कर रहा हूं :

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

पैरा 4, पेज 70

"····उन राज्यों को छोड़कर जहां पर पिछले चार, पांच या और अधिक वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियों के लिए वर्तमान में प्रचलित केन्द्रीय सहायता का मानदण्ड यह है कि समस्त सहायता अनुदान के रूप में दी गई, मानी जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

प्रश्न यह है कि हमारी जो स्थिति है, दस वर्ष में से 8 वर्ष फेमिन इफेक्टेड है और कंटीनुअसली फेमिन है। इसलिए हमें अनुदान के रूप में सहायता देने का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पशु हमारी इकानमी का आधार हैं। उनके लिए सिर्फ 3.69 करोड़ रुपए दिये गये हैं जो कि बहुत ही कम हैं। इसलिये इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पशु-आहार, चारा इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना पशु जी नहीं सकते, इसलिये इस सम्बन्ध में अमाउंट बढ़ाया जाना चाहिए। हमने इसके लिए 580 करोड़ रुपए की मांग की है, इसलिए इसको बढ़ाकर 580 करोड़ किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन्होंने जो बात कही है वह आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में है परन्तु यह योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश थी जो वित्त आयोग ने स्वीकार नहीं की थी। शत-प्रतिशत अनुदान की बात वित्त आयोग द्वारा स्वीकार नहीं की गई। मुझे वित्त आयोग की रिपोर्ट भी मिल गई है और इसे स्वीकार नहीं किया गया है। यह सुझाव दिया गया था। सभी राज्य सरकारें सुझाव देती हैं। इसी प्रकार योजना आयोग ने भी सुझाव दिया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

जहां तक पशुधन का सम्बन्ध है, राजस्थान राज्य में पंचायत समितियों द्वारा चारे की प्राप्ति

और बिक्री पर परिवहन आर्थिक सहायता के रूप में हमने 2 लाख रुपये दिये हैं। सरकारी खातों में चारे की प्राप्ति और बिक्री के लिए 5 लाख रुपये हैं। बढ़ी हुई आर्थिक सहायता कुल 63 लाख रुपये है जो राज्य सरकार को पहले ही दी जा चुकी है। और 98.65 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त···(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : कुल मांग कितनी है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : कुल मांग बहुत अधिक है।

श्री मूल चन्द डागा : कितनी अधिक है ? कृपया कुल मांग बताइये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं आपको कुल मांग बताऊंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्ययन दल की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : दिनांक 25-7-85 के प्रथम ज्ञापन में राजस्थान ने 70.17 करोड़ रुपये की मांग की थी और 25.77 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। दूसरे ज्ञापन, दिनांक 18-10-85 में उन्होंने 579.38 करोड़ रुपये के लिए निवेदन किया था। उन्हें 72.88 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।···

श्री मूल चन्द डागा : आप कितना प्रतिशत दे रहे हैं ? एक अध्ययन दल भी भेजा गया है। और उन्होंने इतनी राशि स्वीकृत की है। क्या राजस्थान जीवित रह सकता है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अधिकतर राज्य सरकारें मांग बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। मानवता के नाते हमने 10 कम्बाइंड रिग्स दिये हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : पहले हमारी बात सुन लीजिये। हम आपकी बात नहीं सुनना चाहते। दु:ख तो हमें है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : जो पैसा दिया है, उसमें एडवांस प्लान में कितना है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह एडवांस प्लान नहीं है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसकी वसूली 5 साल में की जाती है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे नियम 193 के अन्तर्गत की गई चर्चा का पहले ही उत्तर दे चुके हैं। यदि आप इसी पर बहस करते रहे, इसका कोई अन्त नहीं होगा। वे पहले ही बता चुके हैं कि अन्य ब्योरा वे देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : यह एक प्रमुख समस्या है। आप हमें समय दीजिये। कुल जनसंख्या एवं प्रभावित पशु कितने हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप उन्हें लिखित में दीजिये। वे प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण देंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने पहले भी राजस्थान की सहायता की है···

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : नहीं, नहीं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने 10 कम्बीनेशन रिग्स दिये हुए हैं। अब ये दस कम्बीनेशन रिग्स पूंजीगत सम्पत्ति है··· (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : आप कृपया राजस्थान की सहायता करें, अन्यथा आप राजस्थान का दौरा करें।

सरदार बूटा सिंह : क्या मैं राजस्थान के अपने दो विशिष्ट सहयोगियों से एक साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं ? हमने 10 कम्बीनेशन रिग्स और 10 टैंकर राजस्थान के लिए मंजूर किये थे। क्या आपने अपनी सरकार से पूछा कि उन्होंने इन्हें खरीदा क्यों नहीं ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हमारी राजस्थान सरकार ने टैंकर खरीदे हैं।

सरदार बूटा सिंह : हमारी सूचना के अनुसार एक भी नहीं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उन्होंने खरीदे हैं। हम रिग्स के बारे में नहीं जानते।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन्होंने रिग्स नहीं खरीदे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राजस्थान सरकार रिग्स खरीद रही है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : हमने 98 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को सैंक्शन किया। उन्होंने

मुश्किल से अब तक 48 करोड़ रुपया लिया है और जिद कर रहे हैं कि हम नार्म्स को रिलैक्स करें

[अनुवाद]

सदन यह बहुत अच्छी तरह जानता है कि हमें मानदण्डों में छूट देने का अधिकार नहीं है। ये वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, जो कि हमारे विशिष्ट सहयोगी द्वारा पढ़े गये हैं। ये मानदण्ड निर्धारित हैं। ये मानदण्ड हैं कि सूखा पड़ने की स्थिति में केन्द्रीय सहायता अग्रिम योजना—गत सहायता के रूप में दी जाती है और वह सीमान्त धन के अतिरिक्त राज्य की वार्षिक योजना परिव्यय का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं दी जाती। दी गई अग्रिम योजना—गत सहायता का समायोजन सूखा समाप्त हो जाने के बाद पांच वर्षों के अन्दर-अन्दर किया जाता है। चूंकि राज्य में सूखा अब भी जारी है इसलिए आपको भारत सरकार को एक भी पैसा वापस नहीं करना है। लेकिन आप 98 करोड़ रुपया जो कि बहुत ही मूल्यवान है खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हम खर्च कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुख्य मन्त्री हैं ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं अपने राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से हूं।

सरदार बूटा सिंह : राज्य सरकार से उत्तर आना है। मैं आपसे सहमत हूं कि राजस्थान को जो सहायता मिली है वह पर्याप्त नहीं है और वह पर्याप्त हो भी नहीं सकती क्योंकि स्थिति असामान्य है। पिछले 100 वर्षों में ऐसा सूखा कभी भी नहीं पड़ा है। यही कारण है कि हम तैयारी कर रहे हैं···

श्री मूल चन्द डागा : इसलिए हम माननीय मन्त्री से अनुरोध करते हैं कि एक बार वह पुनः माननीय उपाध्यक्ष के साथ राजस्थान का दौरा करें जिससे स्थिति को समझ सकें और देखें वहां क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : आप पहले हमारी बात सुन लीजिए।

श्री मूल चंद डागा : आप हमारे क्षेत्र में पधारिये। घूमकर देखिये।

सरदार बूटा सिंह : जब भी राजस्थान जाते हैं तो आप ही के क्षेत्र से होकर जाते हैं···(व्यवधान)

7.00 म०प०

[अनुवाद]

मेरा अनुरोध यह है। मेरे माननीय सहयोगी ने इस सदन को पहले से ही सूचना दी है कि हम कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों के साथ काफी सम्पर्क बनाये हुए हैं और हम वित्त मन्त्री से प्रार्थना कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हम स्थिति का मुकाबला करने के लिए कुछ प्राप्त कर पायेंगे जो विशेष रूप से राजस्थान में असामान्य है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

———

7.01 म०प०

"तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 11 मार्च, 1986/20 फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह बजे मध्याह्नपूर्व तक के लिए स्थगित हुई।"

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53